खण्ड–526, अंक–01
सोमवार, 07 श्रावण, शक संवत् 1946
(दिनांक 29 जुलाई, 2024 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2024)

(खण्ड 526 में 04 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2024

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
अट्ठारहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची...	1-14
उपस्थित सदस्य	15-20
राष्ट्रीय गीत	21
नवनियुक्त मंत्रिगण एवं नेता विरोधी दल का सदन में परिचय एवं शुभकामनाएं	21-22
प्रदेश में बाढ़, विद्युत व्यवस्था व कानून व्यवस्था से सम्बन्धित जनहित के मुद्दों पर चर्चा की माँग	22-23
प्रश्नोत्तर	23-174
मा0 सदस्यगण को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई	174-175
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	175-176
जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में चकबन्दी कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	176
जनपद अयोध्या के तहसील बीकापुर के ग्राम सभा मुकीमपुर में निर्मित राजकीय महाविद्यालय बीकापुर के भवन में स्नातक, परास्नातक के संचालन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	176-177
जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना स्थित 132 के0वी0 जसराना उपकेन्द्र से निकलने वाले 33 के0वी0 पाढम फीडर पर रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	177
जनपद लखनऊ में स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन 65, एम0आई0जी0 कालोनी के आवास में बाउण्ड्री बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	177-178
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में बिजनौर-नूरपुर मार्ग से शरीफपुर होते हुए ताहरपुर तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	178
प्रदेश के स्टाम्प विक्रेताओं को समान कमीशन दिलाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	178-179
जनपद जौनपुर के मुँगराबादशाहपुर में बरईपार से सुजानगंज तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	179

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर देहात के अन्तर्गत रपटा पुल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	179
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पीथापुर में मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	179-180
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के ग्राम भौरा में कतिपय स्थान पर अण्डरपास बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	180
जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम गजरौला में किसानों की भूमि चिन्हित कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	180
ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर में पुनः चकबन्दी प्रक्रिया कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	181
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में कतिपय पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	181
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में कतिपय बांध के निर्माण के पश्चात् मुआवजा दिलाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	182
जनपद चन्दौली के बबुरी क्षेत्र में किसानों की सुविधा हेतु नहर के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	182
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	182-183
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में उप निबन्धक कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	183
जनपद हरदोई के लोक निर्माण विभाग प्रथम के अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा किये गये कार्यों की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	183-184
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में कतिपय नालों की रि-मॉडलिंग कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	184
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना में जर्जर पशु अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	185
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ	185-186

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (सदन के पटल पर रखा गया)	186
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (सदन के पटल पर रखा गया)	186
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (सदन के पटल पर रखा गया)	186
उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 (सदन के पटल पर रखा गया)	186
उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 (सदन के पटल पर रखा गया)	187
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024 (सदन के पटल पर रखा गया)	187
उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश, 2024 (सदन के पटल पर रखा गया)	187
उत्तर प्रदेश विशेष विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (सदन के पटल पर रखा गया)	187
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2024 (सदन के पटल पर रखा गया	187
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाचवाँ संशोधन) अध्यादेश, 2024 (सदन के पटल पर रखा गया)	187
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवाँ संशोधन) अध्यादेश, 2024 (सदन के पटल पर रखा गया)	188
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (सदन के पटल पर रखा गया)	188
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	188
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज का वार्षिक प्रतिवेदन, 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	188
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	188

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 (सदन के पटल पर रखी गयी)	189
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा (वार्षिक लेखा) एवं महालेखाकार द्वारा सम्पादित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	189
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	189
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	189
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	190
उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	190
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (मा0 राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	190
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (मा0 राज्यपाल की अनुमति की सूचना) ...	190
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 (मा0 राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	191
उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 (मा0 राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	191
याचिकाओं का उपस्थापन	191
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	191
श्री विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	191-192
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	192
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	192

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	192
ई0 सचिव यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	192
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	192
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	193
श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	193
श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	193
श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	193
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	193
डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	194
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	194
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	194
श्री राकेश कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	194
श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	194
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	194
श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर एवं गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	195

विषय	पृष्ठ-संख्या
डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	195
श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	195
श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	195
श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	195
श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	195
श्री बावन सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	196
श्री मूलचन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	196
श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	196
श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	196
श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	196
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	196
श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	197
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	197
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	197-198
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित)	198-199

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित)	199
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित)	199
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित) ...	200
उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित)	200
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 (पुरः स्थापित)	200
उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित)	201
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित)	201
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ (जारी)	201
विपक्ष द्वारा मा0 अध्यक्ष के स्वास्थ्य हेतु शुभकामना एवं नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी शुभकामना सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न ...	202-204
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	204-231
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	231-232
नत्थियाँ	233-271

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

---

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अजय, श्री — गोण्डा
5. अजय कुमार, डॉ0 — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — बस्ती
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
11. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
15. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
16. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
17. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
18. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
19. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
20. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
21. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
22. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
23. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
24. अब्बास अंसारी, श्री — मऊ
25. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
26. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
27. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
28. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
29. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
30. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
31. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
32. अरमान खान, श्री — लखनऊ
33. अरविन्द कुमार सिंह, श्री — शाहजहांपुर
34. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
35. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
36. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
37. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
38. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
39. अशरफ अली खान, श्री — शामली
40. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
41. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
42. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
43. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
44. आकाश सक्सैना (हनी), श्री — रामपुर
45. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
46. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
47. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
48. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
49. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
50. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
51. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
52. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
53. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
54. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव
55. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर
56. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल

57. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
58. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
59. उमर अली खान, श्री — सहारनपुर
60. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
61. ऊषा मौर्या उर्फ अनीला मौर्या, श्रीमती — फतेहपुर
62. ऋषि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
63. एम0पी0 आर्य, डॉ0 — बरेली
64. ओ0पी0 श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
65. ओमकुमार, श्री — बिजनौर
66. ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
67. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
68. ओममणी वर्मा, श्रीमती — बांदा
69. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
70. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री — आजमगढ़
71. कमाल अख्तर, श्री — मुरादाबाद
72. कविन्द्र चौधरी, श्री — बस्ती
73. किरत सिंह, श्री — सहारनपुर
74. कृष्णपाल मलिक, श्री — बागपत
75. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
76. केतकी सिंह, श्रीमती — बलिया
77. कैलाश, श्री — चन्दौली
78. कैलाश नाथ, श्री — बलरामपुर
79. कैलाश राजपूत, श्री — कन्नौज
80. गणेश चन्द्र, श्री — सन्तकबीरनगर
81. गिरीश चन्द्र यादव, श्री — जौनपुर
82. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती — प्रयागराज
83. गुड़िया देवी, श्रीमती — औरैया
84. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री — प्रयागराज
85. गुलाब देवी, श्रीमती — सम्भल
86. गुलाम मौहम्मद, श्री — मेरठ
87. गौरव कुमार, श्री — बाराबंकी
88. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री — जालौन
89. चन्द्रपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
90. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री — फतेहपुर
91. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
92. छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
93. जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
94. जय कुमार सिंह जैकी, श्री — फतेहपुर
95. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
96. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री — पीलीभीत
97. जय प्रकाश अंचल, श्री — बलिया
98. जयप्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
99. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
100. जयमंगल, श्री — महराजगंज
101. जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
102. जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
103. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
104. जाहीद, श्री — भदोही
105. जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
106. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 — आगरा
107. जीत लाल पटेल, श्री — प्रतापगढ़
108. जै किशन साहू, श्री — गाजीपुर
109. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
110. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
111. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 — बरेली
112. तसलीम अहमद, श्री — बिजनौर
113. तुफानी सरोज, श्री — जौनपुर
114. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्धनगर
115. त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
116. त्रिभुवन राम, श्री — वाराणसी
117. दयाशंकर सिंह, श्री — बलिया
118. दिनेश कुमार, श्री — मेरठ
119. दिनेश रावत, श्री — बाराबंकी

120. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
121. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
122. दुधराम, श्री बस्ती
123. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
124. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
125. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
126. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
127. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
128. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
129. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
130. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
131. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
132. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
133. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
134. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री प्रयागराज
135. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
136. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
137. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
138. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
139. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
140. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
141. नाहिद हसन, श्री शामली
142. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
143. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
144. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
145. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
146. नील रतन सिंह, श्री वाराणसी
147. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
148. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
149. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
150. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
151. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
152. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
153. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
154. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
155. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
156. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
157. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
158. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
159. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
160. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
161. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
162. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
163. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
164. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
165. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
166. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
167. प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, श्री हाथरस
168. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
169. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
170. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
171. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
172. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
173. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
174. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
175. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
176. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
177. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
178. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
179. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
180. बाबूराम, श्री पीलीभीत
181. बाबूलाल, श्री आगरा

182. बावन सिंह, श्री गोण्डा
183. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
184. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
185. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
186. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
187. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
188. बेदी, श्री गाजीपुर
189. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
190. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
191. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
192. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
193. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
194. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
195. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
196. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
197. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
198. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
199. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
200. मनीष रावत, श्री सीतापुर
201. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
202. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
203. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
204. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
205. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
206. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
207. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
208. महबूब अली, श्री अमरोहा
209. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
210. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
211. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
212. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
213. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
214. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
215. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
216. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
217. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
218. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
219. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
220. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
221. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
222. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
223. मेघश्याम, श्री मथुरा
224. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
225. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
226. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
227. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
228. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
229. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
230. योगेश धामा, श्री बागपत
231. योगेश वर्मा, श्री खीरी
232. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
233. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
234. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
235. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
236. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
237. रमाकान्त यादव, श्री आजमगढ़
238. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
239. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
240. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
241. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
242. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
243. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
244. रवि शर्मा, श्री झांसी

245. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
246. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
247. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
248. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
249. राकेश कुमार यादव, श्री बलरामपुर
250. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
251. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
252. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
253. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
254. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
255. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
256. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
257. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
258. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
259. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
260. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
261. राजमणि, श्री प्रयागराज
262. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
263. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
264. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
265. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
266. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
267. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
268. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
269. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
270. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
271. राजेश पाल सिंह उर्फ राजेश चौधरी, श्री मथुरा
272. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
273. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
274. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
275. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
276. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
277. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
278. रामकेश निषाद, श्री बांदा
279. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
280. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
281. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
282. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
283. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
284. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
285. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
286. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
287. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
288. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
289. राम सिंह पटेल, श्री प्रतापगढ़
290. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
291. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
292. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
293. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
294. लकी यादव, श्री जौनपुर
295. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
296. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
297. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
298. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
299. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
300. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
301. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
302. विजय सिंह, श्री सोनभद्र
303. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
304. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
305. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर

306. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
307. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
308. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
309. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
310. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
311. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
312. विपुल दुबे, श्री भदोही
313. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
314. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
315. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
316. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
317. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
318. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
319. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
320. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
321. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
322. शफीक अहमद अंसारी, श्री रामपुर
323. शलभ मणि त्रिपाठी, डा0 देवरिया
324. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
325. शशांक वर्मा, श्री खीरी
326. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
327. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
328. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
329. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
330. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
331. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
332. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
333. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
334. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
335. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
336. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
337. संग्राम सिंह, श्री बलिया
338. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
339. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
340. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
341. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
342. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
343. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
344. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
345. सचिन यादव उर्फ जखई, ई0 फिरोजाबाद
346. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
347. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
348. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
349. सभाकुंवर, श्री देवरिया
350. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
351. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
352. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
353. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
354. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
355. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
356. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
357. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
358. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
359. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
360. सुचि, श्रीमती बिजनौर
361. सुधाकर सिंह, श्री मऊ
362. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
363. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
364. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
365. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
366. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
367. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
368. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
369. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर

370. सुरेश कुमार, श्री	अमेठी
371. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
372. सुरेश राही, श्री	सीतापुर
373. सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
374. सुशान्त सिंह, कुँवर	बिजनौर
375. सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
376. सुशील सिंह, श्री	चन्दौली
377. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री	गाजीपुर
378. सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
379. सैय्यदा खातून, श्रीमती	सिद्धार्थनगर
380. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0	मेरठ
381. सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
382. सौरभ सिंह सोनू, श्री	खीरी
383. स्वामी ओउ्मवेश, श्री	बिजनौर
384. हंसु राम, श्री	बलिया
385. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी
386. हरिओम, श्री	कासगंज
387. हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
388. हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं
389. हरेन्द्र सिंह, श्री	हापुड़
390. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज
391. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
392. हिमान्शु यादव, श्री	बदायूं
393. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़

नोट :- दिनांक 25 जुलाई, 2024 तक यथा संशोधित।

महामहिम राज्यपाल

श्रीमती आनंदीबेन पटेल

मंत्री-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य मंत्री	नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, भू-तत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबन्धन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अवस्थापना, भाषा, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी तथा धर्मार्थ कार्य तथा पंचायती राज विभाग।
2	श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्य मंत्री	ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण।
3	श्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्य मंत्री	चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।

मंत्री

1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	वित्त एवं संसदीय कार्य।
2	श्री सूर्य प्रताप शाही	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।
3	श्री स्वतंत्र देव सिंह	जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण।
4	श्रीमती बेबी रानी मौर्य	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार।
5	श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।
6	श्री जयवीर सिंह	पर्यटन एवं संस्कृति।
7	श्री धर्मपाल सिंह	पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा राजनैतिक पेंशन।
8	श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''	औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0 तथा निवेश प्रोत्साहन।

1	2	3
9	श्री अनिल राजभर	श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय।
10	श्री राकेश सचान	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग।
11	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत।
12	श्री योगेन्द्र उपाध्याय	उच्च शिक्षा।
13	श्री आशीष पटेल	प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप।
14	श्री संजय निषाद	मत्स्य।
15	श्री ओम प्रकाश राजभर	पंचायती राज तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
16	श्री दारा सिंह चौहान	कारागार।
17	श्री अनिल कुमार	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
18	श्री सुनील कुमार शर्मा	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री नितिन अग्रवाल	आबकारी एवं मद्य निषेध।
2	श्री कपिल देव अग्रवाल	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास।
3	श्री रवीन्द्र जायसवाल	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन।
4	श्री सन्दीप सिंह	बेसिक शिक्षा।
5	श्रीमती गुलाब देवी	माध्यमिक शिक्षा।
6	श्री गिरीश चन्द्र यादव	खेल एवं युवा कल्याण।
7	श्री धर्मवीर प्रजापति	होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा।
8	श्री असीम अरूण	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण।
9	श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर	सहकारिता।
10	श्री दयाशंकर सिंह	परिवहन।

1	2	3
11	श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप	पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण।
12	श्री दिनेश प्रताप सिंह	उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात।
13	श्री अरूण कुमार सक्सेना	वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन।
14	डा0 दयाशंकर मिश्रा ''दयालु''	आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन। (MOS)।
		राज्य मंत्री
1	श्री मयंकेश्वर शरण सिंह	संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।
2	श्री दिनेश खटीक	जल शक्ति।
3	श्री संजीव कुमार गोंड	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण।
4	श्री बलदेव सिंह औलख	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।
5	श्री अजीत पाल	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी।
6	श्री जसवन्त सिंह सैनी	संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास।
7	श्री रामकेश निषाद	जल शक्ति।
8	श्री मनोहर लाल मन्नु कोरी	श्रम एवं सेवायोजन।
9	श्री संजय सिंह गंगवार	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।
10	श्री बृजेश सिंह	लोक निर्माण।
11	श्री के0 पी0 मलिक	वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन।
12	श्री सुरेश राही	कारागार।
13	श्री सोमेन्द्र तोमर	ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा।
14	श्री अनूप प्रधान ''वाल्मीकि''	राजस्व।
15	श्रीमती प्रतिभा शुक्ला	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार।
16	श्री राकेश राठौर गुरू	नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन।
17	श्रीमती रजनी तिवारी	उच्च शिक्षा।
18	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति।

1	2	3
19	श्री दानिश आजाद अंसारी	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
20	श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम	ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण।

नेता, विरोधी दल

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री सतीश महाना

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा (फिरोजाबाद)
2-श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा (गौतमबुद्धनगर)
3-डॉ0 मन्जू शिवाच, मा0 सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)
4-श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा (झांसी)
5-श्री ओम प्रकाश सिंह, सदस्य, विधान सभा (गाजीपुर)
6-श्री इन्द्रजीत सरोज, सदस्य, विधान सभा (कौशाम्बी)
7-श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा (प्रयागराज)
8-श्री जय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा (सिद्धार्थनगर)
9-श्रीमती कृष्णा पासवान, सदस्य, विधान सभा (फतेहपुर),
10-श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा (बहराइच)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 2024

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-351

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अजय, श्री — गोण्डा
5. अजय कुमार, डॉ0 — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — बस्ती
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
11. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
14. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
15. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
16. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
17. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
18. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
19. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
20. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
21. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
22. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
23. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
24. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
25. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
26. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
27. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
28. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
29. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
30. अरमान खान, श्री — लखनऊ
31. अरविन्द कुमार सिंह, श्री — शाहजहांपुर
32. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
33. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
34. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
35. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
36. अशरफ अली खान, श्री — शामली
37. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
38. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
39. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
40. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
41. आकाश सक्सैना (हनी), श्री — रामपुर
42. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
43. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
44. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
45. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
46. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
47. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
48. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
49. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव
50. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर

51. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
52. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
53. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
54. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
55. ऊषा मौर्या उर्फ अनीला मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
56. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
57. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
58. ओ0पी0 श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
59. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
60. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
61. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
62. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
63. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
64. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
65. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
66. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
67. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
70. कैलाश, श्री चंदौली
71. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
72. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
73. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
74. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
75. गुड़िया देवी, श्रीमती औरैया
76. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
77. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
78. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
79. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
80. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
81. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
82. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
83. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
84. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
85. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
86. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
87. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
88. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
89. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
90. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
91. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
92. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
93. जाहीद, श्री भदोही
94. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
95. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
96. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
97. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
98. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
99. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
100. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
101. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
102. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
103. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
104. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
105. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
106. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
107. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
108. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
109. दुधराम, श्री बस्ती
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
112. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
113. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
114. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
115. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
116. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
117. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़

118. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
119. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
120. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
121. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
122. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
123. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
124. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
125. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
126. नाहिद हसन, श्री शामली
127. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
128. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
129. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
130. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
131. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
132. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
133. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
134. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
135. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
136. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
137. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
138. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
139. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
140. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
141. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
142. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
143. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
144. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
145. प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, श्री हाथरस
146. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
147. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
148. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
149. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
150. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
151. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
152. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
153. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
154. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
155. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
156. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
157. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
158. बाबूराम, श्री पीलीभीत
159. बाबूलाल, श्री आगरा
160. बावन सिंह, श्री गोण्डा
161. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
162. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
163. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
164. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
165. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
166. बेदी, श्री गाजीपुर
167. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
168. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
169. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
170. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
171. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
172. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
173. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
174. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
175. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
176. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
177. मनीष रावत, श्री सीतापुर
178. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
179. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
180. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
181. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
182. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी

183. महबूब अली, श्री अमरोहा
184. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
185. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
186. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
187. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
188. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
189. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
190. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
191. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
192. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
193. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
194. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
195. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
196. मेघश्याम, श्री मथुरा
197. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
198. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
199. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
200. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
201. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
202. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
203. योगेश वर्मा, श्री खीरी
204. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
205. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
206. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
207. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
208. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
209. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
210. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
211. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
212. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
213. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
214. रवि शर्मा, श्री झांसी
215. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
216. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
217. राकेश कुमार यादव, श्री बलरामपुर
218. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
219. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
220. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
221. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
222. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
223. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
224. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
225. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
226. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
227. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
228. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
229. राजमणि, श्री प्रयागराज
230. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
231. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
232. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
233. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
234. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
235. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
236. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
237. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
238. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
239. राजेश पाल सिंह उर्फ राजेश चौधरी, श्री मथुरा
240. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
241. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
242. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
243. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
244. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
245. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
246. रामकेश निषाद, श्री बांदा
247. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
248. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या

249. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
250. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
251. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
252. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
253. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
254. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
255. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
256. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
257. राम सिंह पटेल, श्री प्रतापगढ़
258. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
259. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
260. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
261. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
262. लकी यादव, श्री जौनपुर
263. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
264. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
265. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
266. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
267. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
268. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
269. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
270. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
271. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
272. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
273. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
274. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
275. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
276. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
277. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
278. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
279. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
280. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
281. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
282. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
283. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
284. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
285. शफीक अहमद अंसारी, श्री रामपुर
286. शलभ मणि त्रिपाठी, डा0 देवरिया
287. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
288. शशांक वर्मा, श्री खीरी
289. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
290. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
291. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
292. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
293. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
294. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
295. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
296. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
297. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
298. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
299. संग्राम सिंह, श्री बलिया
300. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
301. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
302. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
303. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
304. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
305. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
306. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
307. सचिन यादव उर्फ जखई, ई0 फिरोजाबाद
308. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
309. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
310. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
311. सभाकुंवर, श्री देवरिया
312. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
313. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
314. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा

315. सरोज कुरील, श्रीमती	कानपुर नगर	334. सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
316. सरोज सोनकर, श्रीमती	बहराइच	335. सुशान्त सिंह, कुँवर	बिजनौर
317. सर्वेश सिंह, श्री	फिरोजाबाद	336. सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
318. सलोना कुशवाहा, श्रीमती	शाहजहांपुर	337. सुशील सिंह, श्री	चन्दौली
319. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री	बाराबंकी	338. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री	गाजीपुर
320. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री	प्रयागराज	339. सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
321. सीताराम वर्मा, श्री	सुल्तानपुर	340. सैय्यदा खातून, श्रीमती	सिद्धार्थनगर
322. सुधाकर सिंह, श्री	मऊ	341. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0	मेरठ
323. सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	342. सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
324. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर	फर्रुखाबाद	343. सौरभ सिंह सोनू, श्री	खीरी
325. सुनील पटेल, डॉ0	वाराणसी	344. स्वामी ओउ्मवेश, श्री	बिजनौर
326. सुभाष त्रिपाठी, श्री	बहराइच	345. हंसु राम, श्री	बलिया
327. सुरभी, डॉ0	फर्रुखाबाद	346. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी
328. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री	कुशीनगर	347. हरिओम, श्री	कासगंज
329. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री	देवरिया	348. हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
330. सुरेन्द्र मैथानी, श्री	कानपुर नगर	349. हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं
331. सुरेश कुमार, श्री	अमेठी	350. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
332. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	351. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़
333. सुरेश राही, श्री	सीतापुर		

नोट :- उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), जल शक्ति, नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु'), उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह), होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति), पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप), अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी) तथा संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सैनी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

नव नियुक्त मंत्रिगण एवं नेता विरोधी दल का सदन में परिचय एवं शुभकामनाएं

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस मंत्रि-मण्डल में चार नये मंत्री शामिल हुए हैं। कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी उनका परिचय करवाएं।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रि-मण्डल के मेरे सहयोगी चार मंत्रियों का मैं इस माननीय सदन से परिचय कराना चाहूँगा। इसमें पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में श्री ओम प्रकाश राजभर जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री के रूप में श्री अनिल कुमार जी, कारागार मंत्री के रूप में श्री दारा सिंह चौहान जी और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के ही रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रि-मण्डल में शामिल किया गया है। यह चार माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के या माननीय उच्च सदन के सदस्य थे। उन्हें मंत्रि-मण्डल के रूप में शामिल करके मैंने उनका परिचय इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। धन्यवाद।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

श्री अध्यक्ष-

हम सबके लिए जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने नये मंत्रियों का परिचय कराया है, आज इस सदन में नयी जिम्मेवारी के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी का जीवन समाज के लिए हमेशा समर्पित रहा है। आदरणीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी को सात बार विधायक रहने का गौरव प्राप्त है। सात बार विधायक रहना एक लम्बा पीरियड होता है। आपने दो बार विधान सभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी सुशोभित किया है। आपके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज आपको नेता प्रतिपक्ष की जगह पर बैठे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग विधान सभा को सुचारु रूप से चलाने में एक सकारात्मक चर्चा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में अच्छी चर्चा होती है, उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलेगा मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप क्या कहना चाहते हैं ?

प्रदेश में बाढ़, विद्युत व्यवस्था व कानून व्यवस्था से सम्बन्धित जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग

नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो शब्द आपने मेरे लिये कहे हैं, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में बहुत गम्भीर समस्याएं आ गई हैं। बाढ़ भी है, कानून-व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है।

श्री अध्यक्ष-

इन सब पर चर्चा करेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको अधिकार है, विभिन्न विषयों में नोटिसेज देने का तो आप देंगे, हम सभी पर चर्चा करेंगे और सरकार सभी का जवाब देने के लिये तैयार है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी, अब हम बोल चुके।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लिखे बैनर लेकर वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप क्या चाहते हो, इससे समस्या दूर नहीं होगी। आपका विषय क्या है, आज नेता प्रतिपक्ष ने बिजली के ऊपर नियम-56 में सूचना दी है, उसको मैंने स्वीकार किया है। जो

सूचना आपने दी है, उस पर नियम-56 में चर्चा होगी तो आप क्यों यह कहना चाहते हैं ? चलिये आपका मैसेज हो गया।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार नारे लगाते रहे)

यदि आप प्रश्नकाल में रुचि ले रहे हैं तो अपने स्थान पर चलें। श्रीमान अतुल प्रधान जी, अगर आपकी प्रश्नकाल में रुचि नहीं है, तब आप यहां खड़े हो सकते हैं। आप लोग अपने स्थान पर चलें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है, उसको मैंने स्वीकार किया है। जब नियम-56 का मद आयेगा, तब मैं आपकी बात को सुनूँगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जायें। अगर आप चाहते हैं कि हाउस स्थगित न हो, चूँकि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने पहले भी नहीं किया है और अभी भी नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि विधान सभा का आज का सत्र अच्छी तरीके से चले तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपनी सीट पर चले जायें। अगर आप अपनी सीट जायेंगे तो अच्छी तरीके से हाउस चलेगा और आपकी बात आयेगी। आप लोग प्लीज अपनी सीट पर चलें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

ठीक है, हाउस चलने दें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य अपनी सीटों पर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग मुझे टेस्ट करने आए थे या अपना टेस्ट देने आए थे ?

[11:08] प्रश्नोत्तर

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गम्भीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मृत्यु दर घटाने की कार्य योजना बनाने विषयक

***1-डॉ0 रागिनी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गम्भीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मृत्यु दर को घटाने हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

जी हाँ।

प्रदेश में 108 जिला स्तरीय चिकित्सालय तथा 261 विशिष्ट चिकित्सालय स्थापित एवं संचालित जहाँ पर गम्भीर रोगों से पीड़ित रोगियों का उपचार किया जाता है।

प्रदेश के 75 जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस की सुविधा तथा 71 जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। प्रदेश के 45 जनपदों में ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट क्रियाशील व संचालित हैं। समस्त जनपदों में वेन्टीलेटर की सुविधा

उपलब्ध है। राज्य में निजी क्षेत्र एवं राजकीय चिकित्सालयों में कुल 1679 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं तथा प्रदेश में विभागीय 2200 बी0एल0एस0 एम्बुलेन्स 108 टोल-फ्री नम्बर के तहत उपलब्ध हैं एवं 250 ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स रेफरल हेतु जनमानस को उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 रागिनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी से है कि गम्भीर बीमारियों की रोकथाम के लिए और पीड़ित मरीजों, गरीब जनता की मदद के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएँ बनायी गयी हैं ? अध्यक्ष जी, बड़ा ही निराशापूर्ण जवाब आया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले ढाई वर्षों में सत्र में जब-जब आपके विभाग से प्रश्न पूछे गए हैं तो आपका सेम आन्सर आया है कि इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कालेज, इतनी डायलिसिस की मशीनें, इतने एम्बुलेंस। अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सवाल था और अगर आपने यह बताया है कि आपके इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कालेजेज हैं तो मैं इस सदन के माध्यम से जौनपुर में जो हमारे मेडिकल कालेजेज की कुछ पिक्चर है वह मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जहाँ पर काला पानी तैर रहा है और जो बिल्डिंग हैं वह बनने से पहले खण्डहर हो चुकी हैं, यह स्थिति है आपके डिपार्टमेण्ट की और आप उपलिब्ध गिना करके जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं। मैं यह टेबल पढ़ दूंगी, ताकि मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स हैं वह पहुंचें और उन्हें पता चले कि जो बार-बार आप यह कहते हैं कि हमने इतने मेडिकल कालेजेज बना दिए हैं, जिला अस्पताल बना दिए तो उन जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेजेज की क्या स्थिति है ? कुछ दिन पहले वहाँ के बच्चे धरना दे रहे थे, जिन्हें हम देश का भविष्य और आगे मेडिकल कालेजेज में ऐसे डॉक्टर्स देखने वाले हैं, आज उनके पास न शुद्ध पेयजल है, न बिजली है, न पानी है। हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कभी डेंगू से, कभी मलेरिया से और कभी ज्वाइंडिस से, यह स्थिति है।

अध्यक्ष जी, 'इट इज रियली शेम फॉर दि यू0पी0 हेल्थ मिनिस्टर एण्ड दि डिपार्टमेण्ट ऑफ हेल्थ मिनिस्टिरी'। आज सेण्ट्रल में तीसरे टेन्योर के बाद भी अगर मेडिकल कालेजेज की यह स्थिति है तो इट्स डिफिनेटली अ शेम फॉर दिस सरकार। आपने इस तरह की स्थिति ला करके खड़ी कर दी है। अध्यक्ष जी जवाब में इन्हें यह देना चाहिए था कि गम्भीर बीमारियों के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वह पैलिएटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, चाहे आपके यहां आंखों के सर्जन हों और ऑनकोलॉजिस्ट हों, गायनिकोलॉजिस्ट हों, न्यूरो, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स हों, चाहे आपके कार्डियो सर्जन हों, आपने कितने डॉक्टर्स को बढ़ाया। आज पेशेण्ट के अनुपात में आपके पास कितने आई0सी0यू0 के बेड्स हैं, कितने वेण्टीलेटर्स हैं, अगर यह जवाब आता तो वाकई मुझे लगता कि आपको विभाग की कोई जानकारी है और सही में आप सरकार के लिए और जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी

मैं वापस अपने प्रश्नों पर आऊंगी कि मंत्री जी सिर्फ और सिर्फ आपसे दो प्रश्न है और उसके उत्तर गोल-गोल न घुमा करके सीधे तरीके से बता दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश कैंसर जैसी बीमारी में देश में टॉप कर रहा है। आज इस समय वर्तमान में वर्ष 2024 में हमारे पास कैंसर के सोलह लाख मरीज हैं और हर वर्ष दो लाख मरीज आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। इन गरीब मरीजों के पास न तो पैसा है इलाज कराने के लिए और न ही अस्पतालों में बेड्स हैं। इन परिस्थितियों में अगर वह मरीज किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो एक बड़ा इस्टीमेट मिलता है। क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनका जो इस्टीमेट जहाँ से भी बनकर आता है उसका एकमुश्त में पैसा उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी ? मेरा दूसरा सवाल यह है कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सुपर स्पेशियलिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, पेशेण्ट के अनुपात में वेण्टीलेटर और आई0सी0यू0 कितने हैं तो इन परिस्थितियों में जितने भी आपके उत्तर प्रदेश के प्राइवेट हास्पिटल रन कर रहे हैं, जहाँ पर वेण्टीलेटर और आई0सी0यू0 की सुविधा उपलब्ध है, उनको पी0पी0पी0 मॉडल पर सरकार चलायेगी। यह सरकार पी0पी0पी0 मॉडल पर बहुत काम कर रही है और जगह-जगह पर इसके बारे में एडवरटाइजमेण्ट करते रहते हैं तो आई0सी0यू0 और वेण्टीलेटर, क्योंकि यह ऐसे मरीज होते हैं, ब्रेन हैमरेज के मरीज होते हैं इनके पास समय नहीं होता है। मंत्री जी अगर एक्सीडेण्ट हो गया, बी0पी0 बढ़ गया और ब्रेन हैमरेज हो गया तो तुरन्त उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, न आपके पास वेण्टीलेटर होता है। न उन वेण्टीलेटर पर रहने के बाद तो मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगी कि पी0पी0पी0 मॉडल पर जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ऐड करते हुए हमारे मरीजों को मुफ्त में इलाज और समय पर इलाज दिलाने के लिए क्या सरकार काम करेगी ? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ब्रजेश पाठक-

आपका जो सवाल था कि उत्तर प्रदेश सरकार गम्भीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मृत्यु दर को घटाने के लिए क्या काम करती है, हमने इस सम्बन्ध में स्पष्ट जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माध्यम से, लगातार उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने का काम किया है, जहाँ तक गम्भीर मरीजों के धनाभाव का सवाल है इसके लिए मा0 प्रधानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश में लागू है और मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है और आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में और हमने सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी उसमें चिन्हित किया है।

सबसे बड़ी बात एम्बुलेंसेज के बारे में है तो हमारी 102 तथा 108 नम्बर की एम्बुलेंस सेवाएँ लगातार काम कर रही हैं। हमारे पास 2200 एम्बुलेंसेज 108 नम्बर की हैं तथा हमारे पास 2270 एम्बुलेंसेज 102 नम्बर की हैं और इनके माध्यम से हम मरीजों को लगातार अस्पतालों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अभी मा0 सदस्य ने डायलिसिस की चिन्ता की तो

इससे पहले उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर डायलिसिस नहीं होती थी। इससे पहले बड़े शहरों जैसे कानपुर, लखनऊ, मेरठ तथा बनारस में डायलिसिस की सुविधा देने वाले राज्य के 74 जनपदों में आज हर जिला मुख्यालय पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इसकी 10 यूनिट उपलब्ध हैं, जिससे हम डायलिसिस की सुविधा दे पा रहे है। साथ ही 71 जिला चिकित्सालय ऐसे हैं, जहाँ पर हम सी0टी0 स्कैन की सुविधा पहली बार दे पा रहे हैं और पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सी0टी0 स्कैन की सुविधा नहीं होती थी। इसके अलावा टी0बी0 रोगियों के बारे में आपने चिन्ता ही नहीं की। टी0बी0 रोगियों के बारे में कहना है कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में टी0बी0 रोगियों को चिन्हित किया है और उसके साथ ही हम उनको टी0बी0 से मुक्ति दिलाने के लिए गोद भी ले रहे हैं जिसमें हमारे सभी अधिकारी, हमारे मा0 विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण शामिल हैं। साथ ही हम उनको पोषण सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं और टी0बी0 के रोगियों की संख्या को हम लगातार तेजी के साथ कम करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा, सभी जिला चिकित्सालयों में हमने क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए हैं, जो आज तक नहीं थे। ये यूनिट 50 तथा 1000 बेड के हैं, जहाँ पर हम टर्शियरी केयर की सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जहाँ तक स्पेसिफिक सवाल कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आयुष्मान भारत कार्ड के साथ-साथ मा0 प्रधानमंत्री जी की अपनी निधि है और मुख्य मंत्री जी भी गम्भीर मरीजों के लिए निधि जारी करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों जगहों के लिए मैं पहली बार यह कह सकता हूँ और यहाँ विपक्ष के मा0 सदस्य भी बैठे हैं और अगर वे सही बोलेंगे तो आज पहली बार मुख्य मंत्री सहायता कोष से इतनी बड़ी संख्या में हर मरीज जो सहायता मांगता है, उसको सहायता राशि दी जाती है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी विभाजन नहीं है और जो भी मरीज मांगता है, उसको आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। हमने इसमें जाति, धर्म, सम्प्रदाय और दल को नहीं देखा है। आप लिस्ट उठा करके देखेंगे कि बड़ी संख्या में मुख्य मंत्री सहायता कोष से हमने गम्भीर रोगों से पीड़ित मरीजों को सहायता प्रदान की है जिन्होंने भी डिमाण्ड की है, सबकी सहायता की है। मा0 सदस्य, जहाँ तक आपने अपने प्रश्न के दौरान जौनपुर के मेडिकल कालेज के बारे में विस्तार से बोला। मा0 अध्यक्ष जी, वैसे तो हम किसी को [x x x] नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूँकि मा0 सदस्य ने सवाल उठाया है तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि जौनपुर का मेडिकल कालेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ था।

(विपक्ष के कपितय सदस्यों द्वारा अपने आसन से बैठकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग इनका उत्तर सुनिए।

नोट :-[x x x] यह अंश/शब्द श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री ब्रजेश पाठक-

आप लोग पूरी बात सुन लीजिए। अरे! भइया विधायक जी सुनो। मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, जौनपुर का मेडिकल कालेज आपके ही रिजीम में बनना शुरू हुआ था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य नफीस जी, आप अभी रुकिए, पहले उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री ब्रजेश पाठक-

काहे गुस्सा रहे हो भइया, पानी पी लो।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 मंत्री जी ने [x x x] शब्द का प्रयोग किया तो उसको निकाल दिया जाए, वह गलत शब्द है।

श्री अध्यक्ष-

मैं उसे कार्यवाही में देख लूँगा, अगर अनुचित होगा तो हम उसे हटा देंगे।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर वह असंसदीय शब्दों में आता हो तो उसे निकाल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। अध्यक्ष जी, जौनपुर का मेडिकल कालेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टाटा कम्पनी को टेण्डर मिला। टाटा कम्पनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बलात् एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया, लेकिन वह भगोड़ा साबित हुआ, वह भाग गया और काम की गुणवत्ता के पैसे को लूट करके खा गया और उसकी जाँच चल रही है। उस मेडिकल कालेज को बनाने वाले यही लोग हैं। मेरा कहना है कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी तीन उंगलियाँ आपकी तरफ उठती हैं। इनकी सरकार भ्रष्टाचार की जननी रही है। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था ? चूँकि मा0 सदस्य स्वयं चिकित्सक हैं और यहाँ पर जो सदस्यगण चिकित्सक हैं, वे इसको समझ पाएँगे। हम इसमें जाँच भी कराएँगे और जेल भी भेजेंगे, कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। चूँकि मा0 सदस्य स्वयं चिकित्सक हैं तो इनको पता होगा कि पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों को 05 लाख रुपये तक रिवर्स बिडिंग भी दे रहे हैं, जो कि भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है।

(सदस्य तूफानी सरोज द्वारा बीच में बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मिस्टर तूफानी जी, आप बैठिए, आपको बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। आप बैठ जाइए।

नोट :- [x x x] यह अंश/शब्द श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री ब्रजेश पाठक-

तुफानी जी, ठण्डा पानी पियो।

(सदस्य श्री तूफानी सरोज जी के बीच में खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं तूफानी जी आपको इजाजत नहीं है आप बैठिए। किसी को बीच में बोलने की कोई इजाजत नहीं है। उत्तर आ जाने दीजिए चाहे आप सन्तुष्ट हों या न हों। तूफानी जी आप बैठिए। जो कुछ भी तूफानी जी कह रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा, आप बैठिए। जो कुछ इन्होंने बोला है, वह नहीं लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बीच में खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा। जिनका प्रश्न है वह लास्ट प्रश्न पूछेंगी।

डॉ0 रागिनी-

अध्यक्ष महोदय, मैं मा0 मंत्री जी को दोषी नहीं ठहराऊँगी, क्योंकि एक समय था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एक डाक्टर को ही नियुक्त किया जाता। आज यदि इस सरकार को लगता है कि गूगल खोलकर आप डॉक्टर बन जायेंगे और आपको इस विभाग के बारे में ए टू जेड सब पता चल जाएगा तो यह आपकी गलतफहमी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन जब तक एक डाक्टर नहीं होगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी और आज आपकी सरकार में सिर्फ मरीजों का नहीं डाक्टरों का भी बहुत बुरा हाल है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या सरकार डी0जी0एम0ई0 के पद को चेंज करके एक आई0ए0एस0 अधिकारी को हटा कर एक डाक्टर जो उस विभाग के बारे में पूरी जानकारी रखता हो उसको वहाँ पर बैठाएगी या नहीं बैठाएगी ?

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, सवाल तो इन्होंने स्वास्थ्य विभाग से लगाया है, जबकि सवाल इन्होंने चिकित्सा शिक्षा का पूछा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास किया है और इस निर्णय को हमने लागू किया है उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा क्योंकि मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में टी0बी0 का जिक्र कर दिया है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टी0बी0 की दवा उपलब्ध है ? यदि नहीं है तो कब तक पहुँचा देंगे ?

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, टी0बी0 की दवा हर जगह उपलब्ध है, चूँकि यह दवाई उत्तर प्रदेश में नहीं बनती है। बाहर से आती है। दवाई हम लगातार उपलब्ध करा रहे हैं और हम स्वयं उसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

प्रदेश के विशेषज्ञ डाक्टरों की मांग तथा उसके सापेक्ष जिला चिकित्सालयों पर तैनाती सुनिश्चित कराये जाने विषयक

***2-श्री अतुल प्रधान-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने विशेषज्ञ डाक्टरों की माँग है तथा उसके सापेक्ष कितने विशेषज्ञ डाक्टर जिला चिकित्सालयों पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार सभी विशेषज्ञ डाक्टरों की जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालयों पर मानकानुसार तैनाती सुनिश्चित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 8431 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 4426 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद प्रदेश के जिला चिकित्सालयों हेतु स्वीकृत हैं।

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में लेवल-1 से लेवल-3 के कुल 1240 चिकित्सक तथा लेवल 4 व लेवल-5 के कुल 883 नियमित विशेषज्ञ चिकित्सक वर्तमान में कार्यरत हैं।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में पुनर्नियोजन के माध्यम से कुल 226, वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से 187 तथा एन0एच0एम0 के अन्तर्गत 383 विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं।

इस प्रकार प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में कुल 2919 विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 में की गयी व्यवस्था के अनुसार पदों को भरे जाने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों/सुपर स्पेशियलिटी, ग्रेड-2, स्तर-2 के रिक्त 2532 पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन शासन के पत्र दिनांक 19-02-2024 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। चिकित्सालयों में रिक्तियों के सापेक्ष चिकित्सकों की तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का और उत्तर लेने का मौका दिया। इसमें मा0 मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके सम्बन्ध में मैंने पूछा था कि डाक्टरों की कमी है तो कैसे विशेषज्ञ डाक्टर रखे जाएंगे ? तब मा0 मंत्री जी ने कहा कि 8431 पद स्वीकृत हैं और 4426 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद प्रदेश में अलग से स्वीकृत हैं। इसमें एक उत्तर तो इनका पहले आया था अभी कुछ दिन पहले श्री उमा शंकर सिंह जी ने प्रश्न पूछा था उसमें इन्होंने चिकित्सालयों में 19011 चिकित्सकों की बात की थी और अब जो आँकड़ा आया है 8431 का, इसमें कन्ट्रोवर्सी हो रही है फिर जो मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, हमारी साथी विधायक जी ने बोला कि डाक्टरों की कमी है या नहीं पहला सवाल तो यही

बनता है। सबसे पहले जब दिक्कत और परेशानी में व्यक्ति होता है तो वह सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 पर पहुँचता है और सी0एच0सीज़0, पी0एच0सीज़0 पर हाल ऐसा है कि न वहाँ हड्डी का डाक्टर है, न गायनी है और रेडियोलाजिस्ट तो किसी जगह पर भी नहीं है, न वहाँ पर सर्जन है और न वहाँ पर अन्य कोई विशेषज्ञ डाक्टर्स हैं। हम मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाह रहे हैं कि आपके मेडिकल कालेज तथा सी0एच0सीज़0, पी0एच0सीज़0 सहित जो जिला अस्पताल हैं उसमें आपके विशेषज्ञ डाक्टरों के टोटल कितने पद स्वीकृत हैं और उसके सापेक्ष पिछले सालों में आपने कितनी भर्तियाँ की हैं और कितने पद सृजित किए गये हैं ? मैं एक और सवाल करूँगा दो सवाल पूछूंगा उसके बाद अनुपूरक प्रश्न पर बात रखूँगा कि सरकार ने पिछले वर्ष 2023-24 में विशेषज्ञ डाक्टरों के 400 पद के लिए एक बार विज्ञापन निकाला दूसरी बार 500 से ज्यादा डाक्टर्स का विज्ञापन निकला। इसमें कितने विशेषज्ञ डाक्टर्स आप लोगों ने भर्ती किए या कितनों का चयन आप लोगों ने किया। यह मा0 मंत्री जी बता दें दूसरे नम्बर का प्रश्न है कि जो विशेषज्ञ डाक्टर हैं उनका चयन एक तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से होता है। एक तो उससे आप डाक्टर चयनित करते हैं और उनकी तनख्वाह आप 60-70 हजार देते हैं। दूसरा एन0एच0आर0एम0 के अन्तर्गत आप लेते हैं उसके तहत आपने यहीं पर सदन में खड़े होकर कहा कि हम 5 लाख तक देना चाहते हैं।

एक खबर छपी कि 70 रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती आपने निकाली, परन्तु एक भी डॉक्टर नहीं आया। आप मुझे यह बता दें कि जब साढ़े 7 साल की आपकी सरकार बीत चुकी, 10 साल केन्द्र की सरकार को हो गये और आप यह रोना रोज रोते रहो कि हमारे डॉक्टर आये नहीं, हमने ऐसी भर्ती निकाल दी, हमने वैसी भर्ती निकाल दी, हम 5 लाख की तनख्वाह देने के लिए कह रहे हैं। मैं मेरठ के बारे में बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप एक-एक जिले का न बतायें, प्रश्न पर आयें।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। मेरठ की व्यवस्था के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। हमारे यहां मेरठ में रेफर सेण्टर है, मेरठ मेडिकल कालेज। उस मेडिकल कालेज में आस-पास के सारे जिलों के मरीज रेफर होकर पहुँचते हैं। जब वहाँ मरीज पहुँचते हैं तो ऐसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है कि वह मरीज को हायर सेण्टर रेफर कर देते हैं और उससे हायर सेण्टर सिर्फ दिल्ली में है, इससे नीचे का सेण्टर नहीं है। यहां तक कि वहाँ इतनी बुरी स्थिति है, जिसके सम्बन्ध में मैंने आपको अवगत कराया था। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि मा0 मंत्री जी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला। उनसे मिलने के बाद मैंने अपनी सी0एच0सी0 फलौदा का जिक्र किया कि इस सी0एच0सी0 को चले हुए 04 साल हो गये, परन्तु वहाँ पर अभी तक गायनी नहीं है। मा0 मंत्री जी ने आदेशित कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिए, अब मिला या नहीं मिला, इसका उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, आज तक आपके कहने पर वहाँ पर एक डॉक्टर सी0एम0ओ0 नियुक्त नहीं किया गया तो हम कैसे जानेंगे कि मा0 मंत्री जी आपका इकबाल बुलन्द है। आपका इकबाल मुझे लग रहा है या तो दिल्ली पहुँच गया।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमान अतुल प्रधान, आप सीधा प्रश्न पर आइये।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मा0 मंत्री जी कि पिछले सालों में जबसे आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने हैं, कितने विशेषज्ञ डॉक्टरों के विज्ञापन निकाले और उनके सापेक्ष आपने कितने डॉक्टरों की भर्ती की ? दूसरा, आप जिस तरह एन0एच0आर0एम0 के माध्यम से 05 लाख की तनख्वाह पर डॉक्टर रखने की बात कर रहे हैं, क्या जो डॉक्टर वहाँ पहले से काम कर रहे हैं और नौकरियां छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं, उनको भी वही तनख्वाह देंगे या नहीं देंगे ?

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है कि मा0 सदस्य लोग जो बिच्छी काटने का मंत्र नहीं जानते हैं और सांप काटने के इलाज के लिए ट्रेनिंग करने के लिए बोल रहे हैं। इनको यह पता नहीं है कि जो पी0एच0सी0 पर चिकित्सक काम करता है, वह एम0बी0बी0एस0 होता है, उसको लोक सेवा आयोग से 1 लाख रुपये है और जो विशेषज्ञ हैं, उनको 5 लाख रुपये रिवर्स बिडिंग के अन्दर है। कुछ उत्तर प्रदेश के कानून के बारे में भी देखो प्रधान साहब! और कुछ ट्रेनिंग करो। मा0 अध्यक्ष जी, इनको पता होना चाहिए कि दोनों चिकित्सकों में अन्तर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हमसे पूछा है कि अभी तक कितने चिकित्सकों को नियुक्त किया और कितने कार्यरत हैं। हम पूरा बता रहे हैं और पूरी सूची आपके सामने रख रहे हैं। प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के हमारे पास कुल नियमित पदों की संख्या-19656 है। प्रदेश में हमारे पास नियमित जो कार्यरत चिकित्सक हैं वह 11123 हैं। पुनर्नियोजन के माध्यम से चूँकि चिकित्सकों की कमी है तो जो चिकित्सक रिटायर हुए जा रहे हैं, उनको हम पुनः सेवा में ले रहे हैं, ऐसे 347 चिकित्सकों को हमने पुनर्नियोजन से भर्ती किया है। वॉक इन इण्टरव्यू से हमने 496 चिकित्सकों को भर्ती किया है।

इसके अलावा वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से अभी जो तत्काल हमने नियुक्तियां की हैं, वैसे 404 चिकित्सक हैं। एन0एच0एम0 के माध्यम से कार्यरत चिकित्सकों की कुल

संख्या-2299 है। प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पद 8431 हैं। जिला चिकित्सालयों में स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल पदों की संख्या-4426 है। जिला चिकित्सालयों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या 2123 है। पुनर्नियोजन के 226 हैं। वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से 187 हैं। एन0एच0एम0 के माध्यम से 383 है। इस प्रकार कुल विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे पास 2919 हैं। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञता के जनपद स्तर पर जो मानक हैं, उसमें हमारे पास प्रसूति रोग सहायक 1167 हैं। निष्चेतक हमारे पास 1128 हैं। बाल रोग चिकित्सक 1529 हैं। रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास 150 हैं। पैथोलॉजिस्ट 175 हैं। जनरल सर्जन 1427 हैं। जनरल फिजीशियन 1387 हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ 175 हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालयों में 244 हैं। कान, नाक, गला विशेषज्ञ 175 हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ जिला स्तरीय अस्पतालों में टेली रेडियोलॉजिस्ट 145 हैं। मनोरोग विशेषज्ञ भी हैं बताइये, अब आपको क्या दिक्कत है ? यह 129 हैं। माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट 75 हैं, फोरेंसिक जो पोस्टमार्टम के लिए 150 हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट 75 हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको वो लिस्ट दे दी जायेगी।

श्री अतुल प्रधान-

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। हमने जो पूछा वह तो बताया नहीं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, यही जवाब है। माननीय अतुल प्रधान जी जो आपने पूछा वही उन्होंने बताया। मैं आपका प्रश्न पढ़ रहा हूँ। आपका प्रश्न यह है कि जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालयों में कितने-कितने डॉक्टर हैं ? आपने जो पूछा है वही यह बता रहे हैं। आपने यही पूछा है प्रश्न में।

श्री अतुल प्रधान-

मैंने अनुपूरक पूछा है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक में भी आपने यही पूछा है कि कितने डॉक्टर्स हैं और कितने डॉक्टर्स नहीं हैं।

श्री अतुल प्रधान-

मैंने इनसे ये पूछा कि जबसे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तबसे आपने अब तक कितने विज्ञापन निकाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के और जो विज्ञापन निकाला उनमें से कितने आपके पास डॉक्टर आये।

श्री अध्यक्ष-

अब उसकी सूचना तो नहीं होगी। जो आपने पूछा वो बता रहे हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी आपके पास कोई सूचना हो तो बताइये।

श्री अतुल प्रधान-

मैं बता रहा हूँ कि कुल 12 आए हैं।

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश जी, आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं, आपका डॉक्टरी से क्या मतलब ?

श्री ब्रजेश पाठक-

भर्ती के स्रोतों के बारे में अतुल जी ने पूछा है। मैं बता रहा हूँ।

श्री अतुल प्रधान-

मैंने विज्ञापन के बारे में पूछा है। आप यह बता दीजिये कि आपने अपने कार्यकाल में कितने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती निकाली और उसके सापेक्ष कितने डॉक्टर आये, बस आप यही बता दीजिये ?

श्री अध्यक्ष-

वही बता रहे हैं। आप उनको सुनिये।

श्री ब्रजेश पाठक-

अध्यक्ष जी यह सर्वविदित है कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में मेडिकल कालेजों की संख्या कम थी।

(श्री अतुल प्रधान के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

अतुल जी सुन लीजिये पूरी बात को, एक बार सुन तो लीजिये। अध्यक्ष जी, सुनना नहीं चाहते तो बतायेंगे कैसे ?

श्री अध्यक्ष-

अरे सुनो तो सही वह बता रहे हैं। अतुल प्रधान जी बैठो गुस्साओ नहीं। गुस्साओगे तो बी0पी0 बढ़ेगा और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा।

श्री ब्रजेश पाठक-

अध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है कि पूरे देश में चिकित्सकों की कमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कालेज खोलने पर काम किया है। एक चिकित्सक

बनने में एम0बी0बी0एस0 को साढ़े पांच साल और एम0डी0एम0एस0 को 8 साल मिनिमम लगता है। हमारी सरकार नये भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ ग्रोथ इंजन के रूप में पूरे देश में उभर कर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, वह यही कह रहे हैं कि डॉक्टर 8 साल पढ़ेगा तभी भर्ती होगा। जब डॉक्टर ही नहीं बनेगा तब भर्ती कहां से कर देंगे।

(श्री अतुल प्रधान के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

आप बैठिये। 8 साल से पहले डाक्टर थोड़े ही बन जायेगा। डॉक्टर बनने में टाइम लगेगा, पढ़ाई करनी पड़ती है।

देश के सरकारी अस्पतालों के लिए आवंटित एन0एच0एम0 तथा राज्य बजट के सापेक्ष खरीददारी के मानक विषयक

***3-श्री राम सिंह पटेल (अनुपस्थित)-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा सरकारी अस्पतालों के लिए एन0एच0एम0 व राज्य बजट के मद में प्राप्त बजट आवंटन के सापेक्ष खरीददारी हेतु मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो उक्त मानक क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मानक विपरीत खरीददारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके माध्यम से जनहित में आवश्यकतानुसार गुणवत्तायुक्त सामग्री एवं सेवाओं का क्रय किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अतुल प्रधान-

अध्यक्ष जी, मैं यह सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने कितने डॉक्टरों का विज्ञापन निकाला, जबसे आप मंत्री हैं और जो विज्ञापन निकला उसमें आपने कितने डॉक्टरों की भर्ती की, बस इतना बता दीजिये ?

श्री अध्यक्ष-

अरे वही बता रहे हैं। आप उनको सुनिये।

श्री ब्रजेश पाठक-

इन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए रिवर्स बिडिंग पहली बार उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें सारा जवाब आ गया है।

श्री ब्रजेश पाठक-

वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से हमने भर्ती किया है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, जब उन्होंने पूरा ओपेन कर दिया है कि कितने डॉक्टर आये हैं तो अब आपको क्या चाहिए ?

श्री ब्रजेश पाठक-

अध्यक्ष जी, एल0-2 लेवल पर हम लोग भर्ती कर रहे हैं और उम्र सीमा 62 से 65 पहली बार हम लोगों ने की है। केवल इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि नये मेडिकल कालेज वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कालेज की तर्ज पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

जिस समय माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने बताया कि हम लोगों ने एकदम ओपेन कर दिया है कि जो भी डाक्टर्स आते हैं हम रिवर्स बिडिंग के आधार पर भर्ती कर रहे हैं। हमारे पास जितनी वैकेंसी हैं उसके ऊपर जो डाक्टर आयेंगे, तभी भर्ती होंगे। जैसे देश में उन्होंने बताया कि पूरा डॉक्टर को क्वालीफाई करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन होने में या डी0एम0 बनने में टाइम लगता है। जो डाक्टर्स आयेंगे, उनकी भर्ती के लिए ओपेन है। जितने भी डाक्टर्स उपलब्ध हैं, सारे लिये जा रहे हैं उसमें कोई बंदिश नहीं लगायी जा रही है, न ही किसी डॉक्टर को मना किया जा रहा है इसलिए जितने भी डाक्टर्स आयेंगे, उन सबको भर्ती किया जायेगा। मैं दवा लेने के लिए जा रहा हूँ। जो प्रश्न मा0 सदस्य करेंगे उसका मा0 मंत्री जी उत्तर देंगे फिर आप एक अनुपूरक कर लीजिएगा। अपने स्पेसिफिक प्रश्न के ऊपर रहियेगा। अगर कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा तो नेता प्रतिपक्ष पूछ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष को हमेशा पूछने का अधिकार है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरणों की स्थापना विषयक

***4-श्री अनिल प्रधान, श्री स्वामी ओउ्मवेश तथा डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एम0आर0आई0 मशीन और अन्य चिकित्सा उपकरणों की स्थापना तथा इन उपकरणों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के 958 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 128 प्रकार के उपकरण स्वीकृत किये जा चुके हैं। 68 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पूर्व से ही अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध हैं तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 81 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में ई-वाउचर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा प्रदान की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एम0आर0आई0 का प्राविधान नहीं है।

वर्तमान में लागू शासनादेश दिनांक 04-03-2016 के मानकानुसार प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों की उपलब्ध सूची के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एम0आर0आई0 मशीन अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनिल प्रधान-

धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार, हम सभी आपके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अनुपूरक पूछने का मौका मिला है। मैं जनपद चित्रकूट से आता हूँ, वहाँ की जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बना कर भेजा है। मेरा चित्रकूट जिला आकांक्षी जिला है। उत्तर प्रदेश के आठ जिले आकांक्षी जिले की श्रेणी में हैं। हमारे जिले में जो संयुक्त जिला अस्पताल है उसकी हालत बहुत खराब है। वहाँ के अस्पताल में तीन महीनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहाँ पर टैंकरों के माध्यम से पानी दिलाया जा रहा है।

(इसी मध्य पूर्वाह्न 11 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जो सवाल है वह पूछें।

श्री अनिल प्रधान-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, सवाल पर ही आ रहे हैं। तेज बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता है, सुनने की भी आदत डालिये।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अपना प्रश्न पूछें।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में ढाई साल में मा0 मंत्री जी ने एक झूठ का पुलिंदा पूरे उत्तर प्रदेश की मेडिकल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिया है, उस पर मैं मा0 मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। चित्रकूट आकांक्षी जिला है, वह केवल देखने के लिए आकांक्षी है या हमारे जिले को कोई सुविधा भी मिलेगी। वहाँ पर 200 बेड का अस्पताल बना है, संयुक्त जिला अस्पताल है, वहाँ पर डाक्टरों की कमी है। वहाँ पर हड्डी के ऑपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर पूरे साल में सैकड़ों बहनों की मौतें प्रसव के दौरान होती हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आपने सवाल पूछ लिया है, मा0 मंत्री जी उसका उत्तर दे दें।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। क्या सरकार वहाँ पर जो डाक्टरों की कमी है उसको दूर करने का काम करेगी। पूरे प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पी0जी0आई0 या अन्य अस्पतालों में जाँच कराने के लिए नम्बर लगेगा, फिर जाँच रिपोर्ट आयेगी उसमें एक डेढ़ महीने का समय लग जाता है, क्या उसके लिए कोई स्थायी प्रक्रिया करके कैंसर के मरीजों को लाभ देने का काम करेंगे। जो 108 और 102 में आपका कहना है कि बहुत जल्दी एम्बुलेंस पहुँच जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आप अपना सवाल सीधे-सीधे पूछें।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा अन्तिम सवाल है जो मेरी आशा बहू कार्य करती हैं क्या उनका मानदेय बढ़ाने का काम सरकार करेगी ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन्होंने जो सवाल पूछा है, वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सी0एच0सी0 पर क्या-क्या इक्विपमेंट हैं उसके बारे में है और इन्होंने जो अनुपूरक पूछा है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर लिख कर मुझसे पूछेंगे तो मैं इनको सूचना दिलवा दूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी इनकी जो सूचनाएँ हैं वह इनके पास पहुँचा दीजिए।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चिकित्सा उपकरण के सम्बन्ध में ही सवाल पूछ रहा हूँ। पूरे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जो चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, जो कमजोर जिले हैं उन पर पूरी चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराने का काम करेंगे अगर करेंगे तो कब तक करेंगे ?

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के 958 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगभग 128 प्रकार के उपकरण स्वीकृत किये जा चुके हैं और लग भी रहे हैं। इसके अलावा 68 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहाँ पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनें उपलब्ध हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कुल 81 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षित स्वास्थ्य अभियान पी0एम0एस0ए0 के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा प्रदान करने के लिए निजी अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों को ई-रूपी अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा प्रदान की गयी है। ऐसे पूरे प्रदेश में हमारे 1701 निजी अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र हैं, जिनको हम लोगों ने इसमें इनपैनल्ड किया है। मुझे यह बताने में खुशी का भी अनुभव हो रहा है कि पिछले वर्ष हम लोगों ने 10 लाख 47 हजार 871 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड हेतु ई-उपचार वाउचर उपलब्ध कराया है और इतने लोगों को इससे फायदा मिला है। वर्तमान में मानक अनुसार प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए उपलब्ध सूची के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एम0आर0आई0 मशीन अनुमन्य नहीं है, शासनादेश दिनांक 30-05-2018 की प्रति भी मैं आपको दिलवा दूँगा। बाकी तो लगभग सारा जवाब आ गया है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय ज्वलन्त प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही मा0 मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे से मा0 मुख्य मंत्री जी ने बिजनौर में बाढ़ की क्या स्थिति है पूछा था, तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने गर्दन हिलाकर मेरी बात स्वीकार कर ली, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। महोदय ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या ऐसी भयानक है। यदि मैं अपने शब्दों में भावनात्मक रूप से इसका व्याख्यान करूं तो आप

अपनी आंखों के आँसू रोक नहीं पाओगे, इतनी गम्भीर समस्या है। गांव में सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर वहाँ पर मशीनें हैं तो उनको कोई चलाने वाला नहीं है और चलाने वाला है तो मशीन नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मा0 स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करें कि प्रदेश में कितनी सी0एच0सी0 और कितनी पी0एच0सी0 हैं और कितनी सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में अल्ट्रासाउण्ड मशीन व एम0आर0आई0 मशीनें हैं ? तथा कितने सी0एच0सी0 पी0एच0सी0 में अल्ट्रासाउण्ड मशीन नहीं हैं ? मा0 उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील स्तर पर सम्पूर्ण प्रदेश में अल्ट्रासाउण्ड, एम0आर0आई0 मशीनें स्थापित करने की कृपा करेंगे ? क्या उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 में डॉक्टर व अल्ट्रासाउण्ड, टेक्नीशियन और एम0आर0आई0 टेक्नीशियन हैं या नहीं हैं ? धन्यवाद।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

इस सवाल का जवाब पहले ही दिया जा चुका है, पूरे प्रदेश में 958 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और इन सबमें लगभग 128 प्रकार के उपकरण हैं, आप कहें तो सारे उपकरण की पूरी सूची मैं यहां पर पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता-

आप इन्हें एम0आर0आई0 और अल्ट्रासाउण्ड के बारे में उत्तर दें।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

हमारे 68 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जिनमें अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध है और साथ-साथ जो मैंने एक योजना बताई जिसमें 1701 पूरे प्रदेश में ऐसे प्राइवेट अल्ट्रासाउण्ड के क्लीनिक हैं, जिनको हमने इसमें इनपैनल्ड किया है और उसके माध्यम से हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, 10 लाख से अधिक महिलाएं, अब तक उसका लाभ उठा चुकी हैं। यह मैं पहले भी बता चुका हूँ।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें अनुपूरक करने का अवसर दिया। मान्यवर, आज हम सब विधान सभा के मानसून सत्र में बैठे हैं। आज शुरू में डॉ0 रागिनी ने जो प्रश्न लगाया था, वह आज मानव जीवन को लेकर उत्तर प्रदेश और देश की सबसे बड़ी समस्या है। संयोग अच्छा है कि मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, मा0 उप मुख्य मंत्री जी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वह भी बैठे हैं। मा0 उप मुख्य मंत्री जी से जब हम प्रश्न पूछने के लिए खड़े होते हैं, तो हम सिर्फ आपकी आलोचना करने के लिए नहीं खड़े होते हैं। हमारा, विपक्ष का नैतिक दायित्व भी है कि हम जिस परिवेश से निकल करके या अन्य मा0 सदस्य भी जिस परिवेश से निकलकर सदन में आये हैं, सरकार के समक्ष उन बातों को रखें और उनका सकारात्मक परिणाम जनता को मिले। मान्यवर, अगर हम आज

उत्तर प्रदेश की तरफ देखें, तो स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी बदहाली के दौर से गुजर रही हैं। अभी हाल ही में देश और दुनिया की जो संस्थाएं हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि 45 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो गलत दवाओं के कारण या गलत राय के कारण बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और जब तक आप उनकी जाँच प्राइमरी लेवल पर करने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक आये दिन मा0 मुख्य मंत्री जी का विवेकाधीन कोष एक बड़ी मात्रा में उनके इलाज पर खर्च हो रहा है और देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश के अन्दर कैंसर जैसी घातक बीमारी आज अपना पांव पसारती जा रही है। जब आप एस0जी0पी0जी0आई0, आर0एम0एल0, के0जी0एम0यू0 की समीक्षा करेंगे, तो नई उम्र के 18 से 25 वर्ष के बच्चों की जो किडनी व लीवर खराब हो रहा है, वह युवा आज कहीं न कहीं गलत दवाइयों और गलत राय के कारण इसकी चपेट में आ रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपका विभाग या आप प्रयास नहीं कर रहे हैं.....

श्री अधिष्ठाता-

आप प्रश्न पूछिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, जनता इसको सीधे देख रही है। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

आपने विषय की भूमिका बना ली है। अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, मैं तो आलोचना कर नहीं रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप प्रश्न पूछिए, तो समाधान हो जायेगा।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, यह उसी से सम्बन्धित है, आप रिपोर्ट मंगा लीजिए। मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष, जो स्वयं मा0 मुख्य मंत्री जी देखते हैं, तो सबसे ज्यादा इन घातक बीमारियों या असाध्य बीमारियों पर आप धन देने का काम रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आप इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लीजिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, आप इतनी जल्दी में हैं, लोग देख रहे हैं। स्वास्थ्य जैसे गम्भीर प्रश्न पर आप सुनना नहीं चाह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, हम बिल्कुल जल्दी में नहीं हैं। आपका जो विषय आया है, वह गम्भीर है। आप सीधा प्रश्न पूछ लीजिए, तो समाधान हो जायेगा। प्रश्नकाल में और मा0 सदस्यों को भी समय देना है, इसलिए आप सीधे प्रश्न पूछिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, हम यहाँ चर्चा के लिए भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा प्रश्न लगाकर चले जाएं। मा0 मुख्य मंत्री जी की उपलब्धता का हम लाभ भी लेना चाहते हैं। हम सब सदस्य उसी परिवेश से आए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप सीधे प्रश्न पूछिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, खासकर पूर्वांचल आज भयंकर कैंसर, किडनी, लीवर जैसे बीमारी से जूझ रहा है। डब्ल्यू0एच0ओ0 के अतिरिक्त एक दूसरी रिपोर्ट और आयी है, जिसके बारे में हमें एथेंटिक नहीं पता, उसने कहा कि हमारे संस्थाओं में जो डॉक्टर पोस्ट हैं, उनकी गलत राय के कारण काफी लोग बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं। मान्यवर, जब आप प्राइमरी लेवल पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनें या जाँच उपलब्ध नहीं कराएंगे व पैथालॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं करेंगे, तो आपका जो लक्ष्य है, वह नहीं पूर्ण हो सकता है। आप आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख देने की बात करते हैं। आप मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से रिपोर्ट मंगा लें, तो 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपये गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए दिये जा रहे हैं। हम सब भी अपने विधायक निधि से देते हैं। हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव जी ने भी अभी 25 लाख रुपये दिए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि आज अगर आप देखें, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज संस्थान ओवरलोडेड हैं। अगर आज ऑपरेशन की जरूरत है, तो इन संस्थानों में डाक्टर 6-6 माह की ऑपरेशन की तारीख दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप प्रश्न पूछिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, आप सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता आपको देख रही है। आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें बोलने से रोक रहे हैं। एक तो मा0 उप मुख्य मंत्री जी हमें ऐसा डांटते हैं कि जैसे हम निजी बातों के लिए खड़े हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया प्रश्न पूछ लें। अन्य सभी सदस्यों का समय आप ले रहे हैं।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपको भी मैंने कई बार प्रश्न उठाते देखा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत शालीनता से उत्तर देते थे, लेकिन जनता के हित में हम आपकी डांट भी सहने को तैयार हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालयों पर अगर आप डायलिसिस की सुविधा, जाँच की सुविधा, विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा बढ़ा देंगे तो जो ग्रामीण इलाका आज गम्भीर बीमारियों की चपेट में आ रहा है, वह उससे बच सकता है। हमारे अतरौलिया में एक 100 बेड का अस्पताल है, आप उसकी मॉनीटरिंग कर लें, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, संत कबीरनगर तक वहाँ पर मरीज आते हैं। वहाँ पर प्रतिदिन 1000, 1200 की ओ0पी0डी0 होती है। जितने प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, क्या आप वहाँ अल्ट्रासाउण्ड, पैथोलॉजी, जाँच की सुविधा उपलब्ध करायेंगे ? क्या जिन जगहों पर डायलिसिस की सुविधा नहीं है, वहाँ पर डायलिसिस की सुविधा बढ़ाकर लाभ देने का काम करेंगे ? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। सात-आठ मिनट का भाषण कर गये, मेरी यह समझ में नहीं आया कि सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में लीवर, किडनी, कैंसर कहां से आ गया ?

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे बोलने का प्रयास करने पर)

अब आप लोग सुन लें, बार-बार बीच में बोलने लगते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में कौन-कौन से उपकरण अनुमन्य हैं, मैं आपको उसकी लिस्ट भिजवा दूंगा और उत्तर प्रदेश के हर सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में जो-जो उपकरण अनुमन्य हैं, सबके सब 100 प्रतिशत वहाँ पर उपलब्ध हैं। मैं आप तीनों सदस्यों को लिस्ट भिजवा दूंगा।

प्रदेश में विधवा पेंशन आवेदकों को समयबद्ध तरीके से विधवा पेंशन दिलाए जाने विषयक

***5-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधवा पेंशन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उसके सापेक्ष कितनी विधवाओं को विधवा पेंशन स्वीकृत की गयी है ? क्या सरकार शेष विधवा पेंशन आवेदकों को समयबद्ध विधवा पेंशन दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार बढ़ती महँगाई के दृष्टिगत विधवा पेंशन की धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती बेबी रानी मौर्य)-

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत कुल 4,51,692 आवेदन प्राप्त हुए तथा इन सभी लाभार्थियों को निराश्रित महिला पेंशन स्वीकृत की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत कोई भी आवेदन शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन की धनराशि बढ़ाया जाना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ। एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आपने अनुपूरक पूछने का मुझे अवसर दिया है। हमारी संस्कृति में स्त्री का सर्वोच्च महत्व है। यही कहा जाता है कि नारी तो नारायणी है। नारी इस समाज की एक आदर्श शिल्पकार है। नारी को साक्षात् त्रिदेव का अवतार भी कहा गया है। नारी जन गायत्री है, इसलिए ब्रह्मा है। पालनहार है, इसलिए विष्णु है और रक्षक है, इसलिए शिव का स्वरूप भी है। अगर एक स्त्री में यशोदा का वात्सल्य है, माता सबरी का प्रेम है तो उसमें दुर्गा का तेज भी है। आज इस आधी आबादी के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए इस समाज के अन्तिम छोर पर खड़ी उस बेबस महिला का प्रश्न मैंने सदन में रखा है, जिसका साथ परिस्थितियों ने और ईश्वर ने भी नहीं दिया। सरकार भी उसका संज्ञान नहीं ले रही है। महंगाई आज आसमान छू रही है। आज फ्रूट और ड्राई फ्रूट तो छोड़ दीजिए, सब्जी, रोटी और नमक भी थाली से गायब होता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं यह जानना चाहती हूँ कि जो निराश्रित विधवा पेंशन है, जो कुल 1000 रुपये निर्धारित है। मैं मानती हूँ कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने उसको पिछले समय बढ़ाया भी था पर यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि अपने संकल्प-पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में इसे 1500 निर्धारित करने की घोषणा भी की थी। हम सब

सदस्य जब गांव के गरीब परिवार में जाते हैं तो झोपड़ी की ओट में जो सबसे पीछे कमजोर महिला खड़ी होती है, वह इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उसके पीछे उसका आँचल पकड़े उसके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। कैसे एक हजार रुपये में वह अपना और अपने बच्चों का पालन करे। मैं आपके माध्यम से हमारी बाल कल्याण मंत्री जी बहुत ही संवेदनशील मंत्री हैं, इनका बड़ा ही राजनीतिक करियर रहा है। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को सुशोभित भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस गम्भीर विषय पर संवेदनशील विषय पर और यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं। इस पूरी समस्या का संज्ञान लेंगे। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार जैसा कि उसने घोषणा की थी इस धनराशि को एक हजार रुपये से बढ़ाकर पन्द्रह सौ रुपये करने की योजना है सरकार के पास ? दूसरा प्रश्न यह है जोकि महत्वपूर्ण विषय है कि जो विधवा स्त्री है अमूमन गांव में वह उतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं। वह जो एप्लाई करती हैं पेंशन के लिए, उसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं। इसकी वजह से उनको पेंशन मिलने में समय बहुत लग जाता है। क्या उन जटिलताओं को सरकार और सरल करेगी। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या मेरी जो जानकारी है लगभग इकतीस लाख अट्ठाइस हजार निराश्रित महिलाओं को, विधवाओं को पेंशन मिल रही है। क्या इनके अलावा प्रदेश में और भी जितनी निराश्रित विधवा महिलाएं हैं क्या उनको सूचीबद्ध करके समय निर्धारित करके उन सबको संकलित करेंगे। यह मेरा तीसरा प्रश्न है और एक सुझाव भी है कि मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, बहुत संवेदनशील हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इन निराश्रित महिलाओं को पेंशन के साथ-साथ एक-एक सिलाई मशीन भी दें ताकि इसके अतिरिक्त, पेंशन के अतिरिक्त, वह अपने जीविकोपार्जन के लिए वह कुछ संसाधन और जुटा पायें यह मेरा सुझाव है।

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मोना जी ने जो प्रश्न किया है जो मेरे पास लिखित में आया है मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। बाकी जो इन्होंने प्रश्न किये हैं उनको बाद में देख लेंगे। अभी जो इनका प्रश्न है कि क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधवा पेंशन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उसके सापेक्ष कितनी विधवाओं को विधवा पेंशन स्वीकृत की गयी है ? इसमें मेरा उत्तर यह है कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत कुल 4,51,692 आवेदन प्राप्त हुए तथा इन सभी लाभार्थियों को निराश्रित महिला पेंशन स्वीकृत की गयी है। जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यही है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने यह भी पूछा है, चूँकि माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आप ही ने यह वादा किया था कि इसको एक हजार रुपये से बढ़ाकर पन्द्रह सौ रुपये करेंगे। आज आप भी यहां पर मौजूद हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं, माननीय वित्त मंत्री जी भी हैं, क्या यह बताएंगे कि इसको एक हजार रुपये से पन्द्रह सौ

रुपये सरकार बढ़ाएगी। क्या इस पर सरकार विचार करेगी, मैं यह जानना चाहती हूँ। जो प्रश्न मैंने पूछा था अगर आप देखें माननीय मंत्री जी कि क्या सरकार शेष विधवा पेंशन आवेदकों को समयबद्ध विधवा पेंशन दिलायेगी ? इसका जो जवाब आया है मैं मानती हूँ कि वह संवेदनशीलता से कहीं परे है। इसका जवाब सुन लें माननीय अधिष्ठाता महोदय कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत कोई भी आवेदन शेष नहीं है। क्या इस जवाब से यह माना जाए कि आज की तारीख में.....

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। यह बड़ा ही गम्भीर और संवेदनशील विषय है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीया सदस्य, देखिए आपका जवाब मैंने भी पढ़ा है इसमें सकारात्मक बात तो यह है कि जितने आवेदन आए थे शत-प्रतिशत उनको पूरा कर दिया गया है। अब माननीय मंत्री जी एक जो उत्तर यह पूछ रही हैं कि क्या हम इसमें धनराशि बढ़ाने पर विचार करेंगे ? आप इसका उत्तर दे दीजिए।

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नहीं अभी तो कोई भी ऐसा विचार नहीं है।

प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों को मानक के अनुसार पूर्ण क्षमता से संचालित करने विषयक

***6-श्री अभय सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 2017 से 2023 तक कितने नए मेडिकल कालेज स्थापित किए गए हैं तथा उक्त में से कितने मेडिकल कालेज पूर्ण क्षमता से संचालित हो रहे हैं ? क्या सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों को मानक के अनुसार पूर्ण क्षमता से संचालित करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक कुल 17 नये मेडिकल कालेज स्थापित किए गए हैं (छायाप्रति संलग्न)[†]। उक्त समस्त मेडिकल कालेज पूर्ण क्षमता से संचालित हो रहे हैं।

---

† देखिए नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-233 पर।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन0एम0सी0) के द्वारा निर्धारित नीति/मानकों को पूर्ण क्षमता से चलाये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन0एम0सी0) के द्वारा निर्धारित नीति/मानकों के अनुसार। प्रश्न नहीं उठता।

संलग्नक

क्र0	राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज, उ0प्र0	आरम्भ वर्ष
1	डा0 आर0एम0एल0आई0एम0एस0, लखनऊ	2017
2	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	2019
3	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा	2019
4	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या	2019
5	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती	2019
6	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच	2019
7	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद	2019
8	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर	2019
9	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर	2021
10	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर	2021
11	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर	2021
12	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया	2021
13	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़	2021
14	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर	2021
15	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा	2021
16	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई	2021
17	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर	2021

श्री अभय सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का हमें अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको धन्यवाद। हम सबसे पहले सरकार की संवेदनशीलता के लिये सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जो डायलिसिस सिर्फ 05 जिलों में होती थी, 06 जिलों में होती थी आज 75 जिलों में हो रही है तथा गाँव में रहने वाले मजदूर और किसान को उसका लाभ मिल रहा है। इसके लिये मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम यह भी कहना चाहते हैं कि देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है जो डाक्टरों को 05 लाख रुपये इन्सेन्टिव देकर काम करने के लिये प्रोत्साहित कर रहा है, इसके लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 चिकित्सा मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। आपने हमें

इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत-सी ऐसी चीज हैं जिनका जवाब उत्तर में आ चुका है। हम उत्तर से सन्तुष्ट हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, धन्यवाद। अब अगला प्रश्न संख्या-07 मा0 सदस्य श्री समरपाल सिंह जी का है।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में महंगी दवाइयों के नाम पर मरीज के आर्थिक शोषण रोकने के सम्बन्ध में

***7-श्री समरपाल सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को महंगी ब्राण्डेड दवाइयां लिखे जाने के कारण मरीज के आर्थिक शोषण को रोकने के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

प्रदेश के समस्त सरकारी अस्पतालों में आवश्यक औषधि सूची (जेनेरिक) में उपलब्ध औषधियाँ यू0पी0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा जनपदीय ड्रग वेयर हाउस के माध्यम से निरन्तर आपूर्ति की जाती हैं। शासनादेश दिनांक 23-08-2018, दिनांक 22-01-2021 एवं दिनांक 02-06-2023 द्वारा सरकारी चिकित्सकों को जेनेरिक दवाओं के नाम से ही प्रिसक्रिप्शन लिखने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री समरपाल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये अपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा मा0 उप मुख्य मंत्री जी से प्रश्न था कि अस्पतालों में ब्राण्डेड दवाओं की ब्रिकी पर क्या सरकार रोक लगायेगी ? आये दिन मरीज परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर जितने मा0 सदस्य तथा मा0 मंत्री महोदय बैठे हैं उन सभी को पता है कि सरकारी अस्पतालों में ब्राण्डेड दवाइयाँ बिक रही हैं और सारे डाक्टर जबरदस्ती ब्राण्डेड दवाइयाँ लिख रहे हैं और तो और जिस भव्य इमारत में हम लोग बैठे हैं उसके नीचे जो अस्पताल चलता है उसके डाक्टर भी बाहर से दवाइयाँ लिखते हैं। जब यह हालात हैं तो गरीब का कैसे भला होगा ? अभी कल-परसों मैं और नवाब साहब ट्रेन से आ रहे थे तो एक लाचार आदमी अपने बच्चे को लिये खड़ा था। उसके पास दवाइयों के लिये पैसे नहीं थे और उसका बच्चा बीमार था, इस पर हम लोगों ने उसकी कुछ मदद की। इन हालातों को सुधारने के लिये चिकित्सा और दवाई पर तो सरकार को ध्यान देना ही चाहिये। यह दोनों चीजें तो फ्री ही होनी चाहिये। मैं अभी

कल लखनऊ में अखबार में पढ़ रहा था कि ब्लड प्रेशर और बुखार की दवाई के रेट बढ़ा दिये गये जो सामान्य दवाइयाँ हैं। सरकार गरीबों के साथ क्या करना चाहती है ? क्या सरकार उनको इलाज भी नहीं दे सकती है ? मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी प्राइवेट डाक्टर हैं उन सबको बाहर से ब्राण्डेड दवाइयाँ लिखने के लिये सख्ती से प्रतिबन्धित किया जाये और सरकारी अस्पतालों के अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके अन्दर भी जेनेरिक दवाइयों के स्टोर खोले जायें। मा0 मुख्य मंत्री जी, आपके आदेशों को कोई नहीं टाल सकता और यह स्वास्थ्य का मामला है। मुझे पता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात तो कोई नहीं मानेगा, इसलिये आप ही स्वास्थ्य व्यवस्था का संज्ञान ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप सीधे प्रश्न पूछें। एक-दूसरे पर इस तरह से कटाक्ष करने से विषय की गरिमा कम हो जायेगी।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि सभी जगह जेनेरिक दवाइयों के स्टोर खोले जायें और उनके माध्यम से इनकी बिक्री की जाये। प्रदेश में जो महंगी ब्राण्डेड दवाइयाँ बिक रही हैं उनकी बिक्री पर रोक लगायी जाये। मा0 मुख्य मंत्री जी, आपको शायद ध्यान होगा कि मुरादाबाद की आपकी समीक्षा बैठक में मैंने भी अमरोहा से आपसे रूबरू होकर कहा था कि एक डाक्टर दीपक वर्मा हैं। वह चार साल-छः साल से ट्रान्सफर होकर आजमगढ़ चले गये और नौगाँव में रहते हैं। आपने अधिकारियों से पूछा था कि क्या यह सत्य है तो उन्होंने कहा कि यह सत्य है। आपने उसे तीन दिन बाद हटवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह आज फिर वहीं आ गये हैं और इसमें न तो सी0एम0ओ0 की गलती है और न ही डाक्टरों की गलती है। मैं चाहूँगा कि प्रशासनिक अमला लगाकर उसको वहाँ से हटाया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, धन्यवाद। मा0 मंत्री जी।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अधिष्ठाता जी, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि का निःशुल्क इलाज देने के साथ-साथ उच्च कोटि की निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान करने के लिये सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक औषधि सूची उपलब्ध करायी है। इसके अलावा मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के द्वारा जनपद स्तर पर ड्रग वेयर हाउस के माध्यम से निरन्तर हम दवाइयों की आपूर्ति कर रहे हैं। शासनादेश दिनांक 23-08-2018, 22-01-2021 तथा 02-06-2023 द्वारा चिकित्सकों को जेनेरिक दवाओं के नाम से ही प्रिसक्रिप्शन लिखने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है कि लोगों को अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मिले, जो हमारे जिला अस्पताल हैं वहाँ पर 294 प्रकार की

दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं जो कि निःशुल्क दी जाती हैं। सी0एच0सी0 पर 190 प्रकार की दवाईयाँ रहती हैं जो कि सभी मरीजों को निःशुल्क दी जाती हैं। पी0एच0सी0 स्तर पर 120 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 हजार की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र आयुष्मान आरोग्य मन्दिर भी खोलने का काम किया है। जिसमें 58 प्रकार की दवाईयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सभी जिला अस्पतालों में, सी0एच0सी0 पर हमारी योजना है कि हम जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करायें, उसके लिए भारत सरकार के सहयोग से हम जेनेरिक स्टोर खोलते हैं और लोगों को इसके लिए काउंसिलिंग करने के लिए लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के बीच में भी जाते हैं कि वह लोग जेनेरिक दवाई ही खरीदें जिससे कि उनके पैसे भी बचें और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करें।

श्री महबूब अली-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य ने सीधा सा सवाल किया था, जिसमें एक पर्टिकुलर जगह की जाँच कराने एवं एक डाक्टर से पीछा छुड़ाने की मांग की है, उसका जवाब नहीं आया है।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य का सवाल इस विषय से सम्बन्धित नहीं था। यदि मा0 सदस्य इस सम्बन्ध में हमें पत्र लिखेंगे और उसमें अनुशासनहीनता पाई जाएगी तो सरकार अवश्य उसकी जाँच कराएगी।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 समरपाल जी आप मा0 मंत्री जी को पत्र लिख दीजिएगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब आप मेडिकल कालेज बना रहे थे तो उसमें प्रोविजन था कि आप 500 या 1000 बेड का एक अस्पताल अलग बनायेंगे। लेकिन वह न बनाकर जिला अस्पतालों को उससे सम्बद्ध कर दिया, उसी को आधार बनाकर आपने मेडिकल कालेज बना दिया। अब जो जिला अस्पताल मेडिकल कालेज से सम्बद्ध हो गये हैं उसमें क्या आप व्यवस्था करेंगे कि वहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ मिलें एवं निःशुल्क जाँच हो। क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है ?

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 नेता विपक्ष का चूँकि यह पहला सवाल है, इसलिए मैं उनका पूरा सम्मान करते हुए बताना चाहता हूँ, पूरे सदन को बताना चाहता हूँ और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि जिन जिला अस्पतालों को मेडिकल कालेज में परिवर्तित किया गया है, चिकित्सा शिक्षा विभाग में हस्तानान्तरित किया गया है, उन सभी जिला अस्पतालों में पूर्व की भाँति निःशुल्क सेवायें जारी हैं और जारी रहेंगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

आपने कहा था कि यदि निःशुल्क दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं तो इस सम्बन्ध में जाँच करवायेंगे।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यदि ऐसी कोई स्पेसिफिक शिकायत है कि यह सुविधा जिला अस्पतालों में पहले निःशुल्क मिल रही थी, अब पैसे लिए जा रहे हैं तो आप हमें पत्र लिखें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वह याद करेंगे।

प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्डों में संशोधन का प्रावधान तथा प्रक्रिया विषयक

***8-श्रीमती पिंकी सिंह तथा श्री पंकज पटेल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत बने कार्डों में परिवार के सदस्यों के नाम बढ़ाने, घटाने अथवा संशोधित करने का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत परिवार के सदस्यों के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, पत्नी, ऐसे माता/पिता जिनके पुत्र का नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना- 2011 (SECC-2011) की मूल सूची में पूर्व से सम्मिलित है तथा पति, माता/पिता जिनकी पुत्री का नाम SECC-2011 की मूल सूची में पूर्व से सम्मिलित है, को भी जोड़ा जा सकता है।

यदि SECC-2011 की मूल सूची में केवल एक ही व्यक्ति का नाम हो एवं उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो उक्त सम्बन्धों के आधार पर नाम जोड़ा जा सकता है।

उक्त के अनुसार सदस्यों को जोड़े जाने के लिये सरकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र एवं दत्तक प्रमाण-पत्र, राशनकार्ड, SECC-2011 की मूल सूची में अंकित सदस्य की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण-पत्र व जोड़े जाने वाले नये सदस्य के साथ सम्बन्ध साबित करने हेतु आवश्यक अभिलेख को अपलोड करते हुये जोड़ा जा सकता है। जहाँ तक परिवार के सदस्यों का नाम घटाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत इलाज से पूर्व लाभार्थियों का बॉयोमेट्रिक आधार ई-के0वाई0सी0 से पहचान किये जाने की अनिवार्यता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की हकीकत पर

आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि किस तरह से आज भारत में लगभग 17 प्रतिशत परिवार अपने घरेलू बजट से 1/10वां भाग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय तरीके से खर्च करता है और कहीं न कहीं वह कर्ज के तले ढकेल दिया जाता है। किस तरीके से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 19 से 24 प्रतिशत से अधिक परिवार अपने स्वास्थ्य वित्तीय योजनाओं के लिए, अपने स्वास्थ्य के वित्तीय खर्च के लिए कर्ज में डूबा हुआ है। यहां इस योजना का आशय यह था कि ऐसे परिवारों को जो गरीब तबका, जो कहीं न कहीं पैसों के आभाव में स्वास्थ्य की सुविधायें नहीं ले पा रहा है ऐसे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना था। लेकिन इस योजना का लाभ उनको पूर्णतः नहीं मिल रहा है और इसका खूब प्रचार-प्रसार प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अभी मा0 विधायक जी ने प्रश्न पूछा तो हमारे मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जो सबसे ज्यादा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यों को बनाने वाला राज्य है इस पर उन्होंने बड़ी तेजी से पीठ थपथपाने का काम किया है।

यहां पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है चूँकि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और जनपद गोरखपुर की मैं बात करूं तो हाल ही में जनपद गोरखपुर में एक ऐसा परिवार जहाँ 5 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है और उनको किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिला। उनका कोई कार्ड नहीं बनवाया गया। इसी तरीके से नेशनल हास्पिटल गोरखपुर में एक शैलेश पटेल जी हैं उनके द्वारा जब उस कार्ड का उपयोग किया जाता है तो अस्पताल द्वारा उनके इलाज को बीच में रोक कर उनसे पैसे की डिमाण्ड की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी को इस हकीकत का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि कई बार मात्र मात्राओं की त्रुटि की वजह से लोगों के कार्ड नहीं बन पाये। जब लोगों के कार्ड नहीं बन पाये तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से यह बात कहता है कि आप द्वारा सबसे ज्यादा कार्ड धारक हैं। जबकि वे सुविधा पाने में कहीं न कहीं रह जाते हैं।

क्या किसी निश्चित सीमा तक व्याकरण या लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्ड से वंचित लोगों को कार्ड दिलाने का काम सरकार सुनिश्चित करेगी। मेरा दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि बहुत से लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें अभी तक इसका लाभ मिल रहा था। उन लाभार्थियों के उस भुगतान के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किये गये हैं ? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कहीं न कहीं एक समस्या यह आती है कि इलाज के लिए कोई कार्ड धारक प्राइवेट अस्पताल तक जाता है तो प्राइवेट अस्पताल पहुंचने पर उसको यह कह कर वापस कर दिया जाता है कि हमारे पास बेड नहीं है। कारण केवल यह नहीं होता कारण यह भी होता है कि कई प्राइवेट अस्पतालों के 10 करोड़ कहीं 15 करोड़ का भुगतान सरकार द्वारा नहीं मिल पाता है। इसके लिए क्या आपके द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा जिससे ऐसे अस्पतालों का सुनिश्चित सीमा तक भुगतान हो सके और जिसकी

वजह से किसी आयुष्मान कार्डधारक को अपने इलाज को बीच में ही छोड़ने का काम न हो। मैं माननीय मंत्री जी से आखिर में यह प्रश्न करना चाहूंगी कि ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ पर आयुष्मान कार्डधारक का इलाज चल रहा होता है और उसे बीच में किसी टैक्निकल कमी के कारण रोक दिया जाता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या ऐसे प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही करेगी ?

श्री पंकज पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रश्न का जो जवाब आया है वह बहुत स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर बहुत सारा भ्रम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है लेकिन इस योजना को जिसके लिये बनाया गया है उनको कहीं न कहीं अनदेखा किया जा रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस योजना के अन्तर्गत जिन परिवारों की संख्या-6 या उससे ज्यादा है उनको लिया गया है। जबकि 1 से 5 की संख्या वालों को छोड़ दिया गया है। क्या सरकार ऐसे परिवारों से जिसमें 1 से 5 यूनिट के सदस्य हैं क्या सरकार उनको गरीब नहीं मानती है ?

श्री अधिष्ठाता-

आपका प्रश्न यह है कि 1 से 5 यूनिट वालों का कार्ड बनेगा या नहीं ?

श्री पंकज पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि पात्र ग्रहस्थी में एक से पांच यूनिट तक के परिवार वालों को क्या इस योजना में जोड़ने पर विचार किया जायेगा या नहीं ? दूसरा इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपये इलाज के लिये दिया जाता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि किसी परिवार में किसी का इलाज हुआ तीन या चार लाख रुपये इलाज में खर्च हो गये फिर अगर उसको 5 या 6 लाख रुपये की जरूरत पड़ती है तो वह कहाँ से इलाज करायेगा। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कि सरकार द्वारा पांच लाख प्रति परिवार को इलाज के लिए दिया जाता है क्या उसे बढ़ाने पर विचार करेगी या नहीं करेगी ?

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आपके 6 अनुपूरक हो गये हैं। इन सभी का उत्तर तो आने दीजिए। जब तक उत्तर नहीं आयेगा आगे मत पूछिए। यहां प्रश्न की आपत्ति नहीं है। पहले जो आपने प्रश्न किये हैं, उन सभी के उत्तर आने दीजिए। ऐसे नहीं हो पायेगा आपके 6 प्रश्न आ चुके हैं। मा0 मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए।

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो पहले पूछा है कि मृतक जो है उसका भी नाम आयुष्मान कार्ड में दर्ज है क्या उसको रोक सकते हैं। आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक जमाना है बायोमैट्रिक लगाने के बाद ही लाभार्थी लाभ ले पायेगा। इसमें बगैर बायोमैट्रिक के कोई भी लाभ मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा सवाल जो अस्पताल में भुगतान में देरी है। मान्यवर, भुगतान में देरी प्रक्रिया की वजह से हो सकती है हम इसे दिखवाते हैं। इसमें भुगतान की देरी न हो इसको हम सुनिश्चित करेंगे। यह चिन्ता हम स्वीकार करते हैं। हम अधिकारियों को आज ही निर्देश देंगे कि किसी भी स्थिति में यदि किसी अस्पताल ने ठीक से बिल प्रस्तुत किया है तो उसके भुगतान में देरी न की जाये। तीसरा जो सवाल है कि त्रुटि कार्डों में है अगर आधार कार्ड में कुछ नाम गलत लिखा है और जो आपका आयुष्मान भारत कार्ड गलत बन गया है तो उसका सुधार करा लें सुधार की पूरी गुंजाइश है। इसके लिए पोर्टल खुला हुआ है। त्रुटिपूर्ण कार्ड से बीमारी के इलाज के बारे में आपने जो कहा है इसके बारे में हम पता करेंगे और हो सकता होगा तो हम उसे भी एलाऊ करेंगे। हमारी पहली चिन्ता है कि हम सभी गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था दें। जहाँ तक हमारे दूसरे मा0 सदस्य का सवाल है कि सभी लाभार्थियों को जो पांच यूनिट से कम बनाने के लिए कहा है। इस पर हम काम करेंगे फिर आपको इसके बारे में बतायेंगे। आपने जो आगे पूछा है तो हम बताना चाहते हैं और सभी मा0 सदस्य जानते हैं कि मा0 प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और इस योजना को गरीबों के लिए लेकर आये हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में तो गरीबों को चवन्नी नहीं मिलती थी। हमारी सरकार में पांच लाख रुपये दिये जा रहे है इसका तो आप लोग धन्यवाद करिए। हम आपकी भावनाओं से अवगत हुए है बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

इससे स्पष्ट उत्तर नहीं आ सकता था और मा0 उप मुख्य मंत्री जी ने दो तो आश्वासन दे दिये हैं।

प्रदेश के मेडिकल एवं पैरामेडिकल कोर्स में आरक्षित सीटों का कोटा पूर्ण करने विषयक

***9-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत मेडिकल एवं पैरामेडिकल कोर्सों में कितनी सीटें एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के लिए आरक्षित हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के अल्प आय वर्ग के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का आरक्षित सीटों पर प्रवेश पूर्ण नहीं हो पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या आरक्षित सीटों का कोटा पूर्ण करने के लिए शून्य शुल्क पर प्रवेश करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

शैक्षणिक सत्र 2023-24 के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षित सीटों का विवरण निम्नवत है :-

स्नातक (एम0बी0बी0एस0)

अनुसूचित जाति-856

अनुसूचित जनजाति-77

पिछड़ा वर्ग-827

स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा)

अनुसूचित जाति-159

अनुसूचित जनजाति-15

पिछड़ा वर्ग-203

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित प्रदेश में राजकीय मेडिकल कालेजों के सत्र 2023-24 हेतु विभिन्न डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में कुल 5865 सीटों के सापेक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आरक्षित सीटों का विवरण निम्नवत है :-

अनुसूचित जाति-1232

अनुसूचित जनजाति-117

पिछड़ा वर्ग-1584

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम की उपलब्ध स्टेट कोटे की सीटों पर करायी जाने वाली काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट कम विकल्प के आधार पर आवंटन के पश्चात् कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय शासनादेश संख्या-2240/71-3-2020-328/92, दिनांक 20-08-2010 के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। उक्त शासनादेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आरक्षित श्रेणी के छात्रों के ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) सामान्य वर्ग के छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) की आधी (50 प्रतिशत) होगी। उक्त शासनादेश दिनांक 20-08-2010 के आधार पर एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के अभ्यर्थियों से प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क 9000/- प्रतिवर्ष (स्नातक) तथा शिक्षण शुल्क 12,000/- प्रतिवर्ष (स्नातकोत्तर) से लिया जाता है।

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित प्रदेश में राजकीय मेडिकल कालेजों के विभिन्न डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट कम विकल्प के आधार पर आवंटन के पश्चात् राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय शासनादेश संख्या-303849/2023/71-1001 (099)/610/2021 पार्ट (1), दिनांक 19-04-2023 के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मेडिकल कालेज और पैरामेडिकल कालेज में जो आरक्षित सीटें हैं वह कितनी है और क्या उसमें सीटें भरी जा रही हैं। क्या गरीबों को, एस0सी0, एस0टी0 को निःशुल्क प्रवेश दिलायेंगे। मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि मेडिकल कालेज में अनुसूचित जाति की 856 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 77 सीटे हैं और पिछड़ा वर्ग की 827 सीटे हैं। राजकीय कालेजों में सीटों की संख्या-4303 है इसके सापेक्ष 903 होना चाहिए था और एस0टी0 का 64 होना चाहिए था। पिछड़े वर्ग की जो सीटें आपने दी थीं वह 827 दी हैं आप रिकार्ड दिखवा लीजिए 27 प्रतिशत के सापेक्ष यह 1183 सीटे होनी चाहिए थी। इसी तरीके से जो पैरामेडिकल कालेज है 10 गुना से लेकर 40 गुना सरकारी से प्राइवेट कालेज ज्यादा हैं लेकिन आपने सरकारी कालेजों में ही हमारी आरक्षण की सीमा लागू की है। प्राइवेट कालेज ज्यादा हैं तो गरीबों को उसमें शिक्षा का मौका नहीं मिल रहा है। क्या मा0 मंत्री जी संविधान की मंशा के अनुच्छेद 45-46 के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पैरामेडिकल व मेडिकल कालेजों में शून्य शुल्क पर प्रवेश कराने का काम करेंगे ? दूसरा मा0 मंत्री जी क्या सरकारी कालेजों की भाँति प्राइवेट मेडिकल कालेज और पैरामेडिकल कालेज में आरक्षण की व्यवस्था लागू करेंगे ?

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, हम नियमों के अनुसार पूरी तरह से आरक्षण उपलब्ध करा रहे हैं। नियमों में कोई हेर-फेर नहीं करेंगे। शत-प्रतिशत आरक्षण लागू होगा यह सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी है।

(इसी मध्य अपराह्न 12 बजकर 19 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि पैरामेडिकल और मेडिकल के जो प्राइवेट कालेज हैं क्या उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करेंगे ?

श्री बृजेश पाठक-

संविधान के अनुसार जो भी व्यवस्था है उसे शत-प्रतिशत लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त होता है।†

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को मिलने वाले मानदेय की विसंगतियों को दूर करने विषयक

***10-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रथम बैच को मानदेय 20000 रुपये प्रतिमाह द्वितीय बैच को 15000 रुपये प्रतिमाह तथा तृतीय बैच को 20500 रुपये प्रतिमाह मानदेय एवं 15000 रुपये पी0बी0आई0 प्रतिमाह दिया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त विसंगति को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

सभी कार्मिकों को अपने विज्ञापन के अनुसार वेतन मिल रहा है और वार्षिक वृद्धि भी मिल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में ट्रामा सेंटर की स्थापना तथा न्यूरोलॉजी चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

***11-श्री अखिलेश-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों के जिला अस्पतालों में ट्रामा सेन्टर स्थापित हैं तथा कितने जिला अस्पतालों में ट्रामा सेन्टर स्थापित नहीं हैं तथा उक्त में से कितनों में न्यूरोलॉजी चिकित्सक नियुक्त हैं ? क्या सरकार जिन अस्पतालों में ट्रामा सेन्टर नहीं है, वहाँ ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराते हुए न्यूरोलॉजी चिकित्सक की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

वर्तमान में प्रदेश के 15 निम्न जिला चिकित्सालयों में ट्रामा सेन्टर स्थापित व संचालित हैं :-

1-जिला चिकित्सालय बाराबंकी,

2-जिला संयुक्त चिकित्सालय गाजियाबाद,

3-जिला चिकित्सालय उरई, जालौन,

4-जिला चिकित्सालय बस्ती,

5-जिला संयुक्त चिकित्सालय कन्नौज,

---

† नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-09 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

6-मा0 काशीराम संयुक्त चिकित्सालय कानपुर नगर,
7-सेठ बलदेव दास जिला चिकित्सालय सहारनपुर,
8-जिला चिकित्सालय बलिया,
9-तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय प्रयागराज,
10-मण्डलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़,
11-जिला चिकित्सालय बांदा,
12-डॉ0 अम्बेडकर जिला संयुक्त चिकित्सालय इटावा,
13-जिला चिकित्सालय उन्नाव,
14-पंडित दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय वाराणसी,
15-पंडित दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय मुरादाबाद,

जिला चिकित्सालय से पृथक इकाइयों पर 19 ट्रामा सेन्टर स्थापित हैं। शेष जिला चिकित्सालयों में ट्रामा सेन्टर स्थापति नहीं हैं मानकानुसार न्यूरोलॉजी चिकित्सक का पद सृजित नहीं है।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में ट्रामा के मरीजों का समुचित इलाज किया जाता हैं जहाँ पर अस्थि रोग विशेषज्ञ, निश्चेतक जनरल सर्जन तथा आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं जिनके द्वारा ट्रामा के मरीजों का समुचित आवश्यकता/विशेषज्ञतानुसार इलाज किया जाता हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छुट्टा जानवरों के हमलों में मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहयोग तथा सरकारी नौकरी दिलाने विषयक

***12-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छुट्टा पशुओं (साँड़ों) के हमले में मृतकों के पीडित परिवारों को आर्थिक सहयोग कर सरकारी नौकरी दिलाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन, दुग्ध विकास एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

जी नहीं।

उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना शासनादेश राजस्व अनुभाग-11 संख्या-586/एक-11-2022-4 (जी)/2015, दिनांक 13-10-2022 के प्रस्तर-4 में प्रदेश में सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित करते हुए रु0 4.00 लाख राहत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के साथ बढ़ते यौन शोषण के रोकथाम विषयक

***13-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-**

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के साथ बढ़ते जा रहे यौन शोषण के रोकथाम हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिर्धारित मिशन शक्ति एवं मिशन वात्सल्य का तथा राज्य सरकार द्वारा विविध योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं :-

1-181 महिला हेल्पलाइन-महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण हेतु 181 महिला हेल्पलाइन संचालित की जाती है इस हेल्पलाइन को वर्ष 2020-21 में 112 केन्द्रीकृत कॉल सेन्टर लखनऊ के साथ समेकित करते हुये संचालन किया जा रहा है। अभी तक योजना के अन्तर्गत 7.17 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गयी है।

2-वन स्टॉप सेन्टर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को समस्त आवश्यक सेवायें जैसे पीड़िता महिला को अल्पप्रवास (05 दिवस), चिकित्सकीय सहायता, परामर्शी सेवायें, विधिक सहायता आदि एक ही छत की नीचे प्रदान की जाती हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में वन स्टॉप सेन्टरों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक प्रदेश के वन स्टाप सेन्टर्स को कुल 1.82 लाख केस सन्दर्भित किये गये हैं।

3-चाइल्ड हेल्पलाइन-किशोर न्याय/बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) की धारा-2(25) के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में चाइल्ड हेल्पलाइन (सी0एच0एल0) सेवाओं को, संकटग्रस्त बच्चों के लिए चौबीस घण्टे की आपातकालीन आउटरीच सेवा के रूप में संचालित किया जा रहा है।

4-राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पीड़ित महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वासन हेतु 08 महिला शरणालय, 01 संरक्षण गृह, 01 मानसिक मन्दित महिलाओं हेतु प्रकोष्ठ का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 300 महिलायें निवासरत हैं। वृन्दावन में निराश्रित महिलाओं के पुनर्वासन तथा जीवन-यापन में सुधार हेतु 1000 महिलाओं की आवासीय क्षमता के आश्रय सदन कृष्ण कुटीर का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

5-उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सशक्तीकरण व सम्मान के उद्देश्यों के साथ मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत 28 विभागों के समन्वय से व्यापक जनजागरूकता अभियान का संचालन अक्टूबर, 2020 से 04 चरणों में किया गया है। महिला कल्याण विभाग द्वारा लगभग 09 करोड़ व्यक्तियों तक पहुँचकर महिलाओं तथा बच्चों हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं तथा कानूनों के बारे में संवेदनशील किया गया है।

6-निराश्रित महिला पेंशन योजना- इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को रु0 1000 प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में कुल 33.54 लाख महिलाओं को पेंशन दी गयी है।

7-रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को

रु0 10.00 लाख तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 8,999 महिलाओं तथा बालिकाओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति धनराशि दी गयी है।

8-मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक/बालिकाओं जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोरोना से इतर कारणों से हो गयी है। ऐसे बालक/बालिकाओं को सुरक्षा, संरक्षण तथा शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रतिमाह रु0 2500/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 47234 बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुपात में बेड एवं अन्य मेडिकल सुविधाओं विषयक

***14-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुपात में बेड एवं अन्य मेडिकल सुविधाओं का अभाव होने के कारण मरीजों का इलाज सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार ने मरीजों के बेहतर इलाज हेतु समुचित मेडिकल सुविधा हेतु कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जी हां।

उक्त कार्य योजना में निम्नलिखित परियोजना सम्मिलित है :-

(1) प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के सापेक्ष विभागान्तर्गत जिला चिकित्सालयों/ चिकित्सा इकाइयों के उच्चीकरण तथा सुदृढ़ीकरण व नये चिकित्सालयों का निर्माण कराया जा रहा है। विगत 05 वर्षों में विभागान्तर्गत 22 नये चिकित्सालय (50/100/300 शैय्यायुक्त) तथा 05 ट्रामा सेंटर की स्थापना/संचालन किया गया है।

(2) प्रदेश के 75 जनपदों के 71 जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।

(3) प्रदेश के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने हेतु पी0पी0पी0 मोड पर 75 हीमोडायलिसिस यूनिट संचालित हैं।

(4) प्रदेश के 02 जनपदों में एम0आर0आई0 मशीन की सुविधा उपलब्ध है।

(5) प्रदेश के 45 जनपदों में ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट क्रियाशील/संचालित है।

(6) वर्तमान में प्रदेश में 108 जिला स्तरीय चिकित्सालय तथा 261 विशिष्ट चिकित्सालय स्थापित एवं संचालित हैं। चिकित्सालयों के उच्चीकरण हेतु आयुष्मान भारत

इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी0एम0-अभीम), चौदहवें वित्त आयोग स्वास्थ्य ग्रान्ट वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक एवं इमरजेन्सी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज फेज-2 परियोजना है।

(7) पी0एम0-अभीम योजना के अन्तर्गत 74 सी0सी0वी0 (क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लाक) 50/100 शैय्या का संचालन।

(8) ई-रूपी बाउचर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा प्रदान की जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हिरासत में महिला कैदियों के साथ दुष्कर्म की घटित घटनाओं को रोकने विषयक

***15-श्री महबूब अली-**

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 2017-2023 तक हिरासत (पुलिस/सुधार गृहों) में कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं प्रकाश में आयी हैं ? क्या सरकार आरोपियों को दी गई सजा का विवरण सदन के पटल पर रखते हुये बतायेगी कि हिरासत में दुष्कर्म जैसी जघन्य अपराध को पूर्ण रूप से रोकने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की गौशालाओं में संरक्षित गौ-वंश की टैगिंग तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण विषयक

***16-श्री मौ0 फहीम इरफान-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल गौ-वंश की संख्या एवं गौशालाओं में संरक्षित गौ-वंश की संख्या कितनी है ? क्या सरकार प्रदेश में स्थित गौशालाओं में पलने वाले गौ-वंश का टैगिंग से लेकर मृत्यु तक नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने और वजन दर्ज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? क्या सरकार विगत पांच वर्षों में उक्त गौशालाओं में मृत हुए गौ-वंश की संख्या बताएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

20वीं पशु गणना वर्ष 2019 के अनुसार प्रदेश में कुल गौ-वंश की संख्या 190.20 लाख है। प्रदेश में 7504 अस्थायी/स्थायी गौ-आश्रय स्थलों में कुल 1167581 गौ-वंश संरक्षित हैं।

गौ-आश्रय पोर्टल पर गौ-आश्रय स्थलवार संरक्षित गौ-वंश का टैग नम्बर सहित विवरण उपलब्ध है। पोर्टल पर स्वास्थ्य परीक्षण/निरीक्षण दर्ज करने की भी व्यवस्था है।

गौ-वंश के वजन उनके आकार यथा लम्बाई एवं बाडी गर्थ के आधार पर आगणित किया जाता है।

विगत 05 वर्षों में गौ-आश्रय स्थलों में कुल 130924 गौ-वंशों की मृत्यु हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छुट्टा जानवरों से हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने विषयक

***17-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौ-वंश आश्रमों में बन्द पशुओं के विभिन्न कारणों से मरने एवं क्षेत्र में छुट्टा घूम रहे जानवरों का अलग-अलग विवरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा ब्लाक स्तर पर तैयार किया गया है ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी को सौपी गयी है ? क्या यह सही है कि भूख से गौ-वंश आश्रमों में तथा छुट्टा घूम रहे अन्ना जानवर सड़कों पर वाहनों से टकराकर प्रतिदिन हजारों की संख्या में दुर्घटनाएं कर रहे हैं एवं स्वयं मर रहे हैं ? क्या सरकार उक्त की जिम्मेदारी निर्धारित करने एवं छुट्टा जानवरों से हो रही सड़क दुर्घटनाओं तथा गौ-आश्रमों में मौतों को रोकने के लिए कोई ठोस योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

विकास खण्ड स्तर पर निराश्रित गौ-वंश की संख्या का डाटा संकलित किया जाता है।

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5 (53)/2018, दिनांक 02-01-2019 में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौ-वंश के संचालन, प्रबन्धन व भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों यथा- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में संचालित गौ-आश्रय स्थलों में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान तथा शहरी क्षेत्र में संचालित गौ-आश्रय स्थलों में अधिशासी अधिकारी नगर निकाय/नगर पालिका को संरक्षित निराश्रित गौ-वंशों की व्यवस्था का दायित्व दिया गया है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति गठित है। गौ-आश्रय स्थलों का सम्पूर्ण विवरण गौ-आश्रय पोर्टल पर दर्ज है तथा निरीक्षण आख्यायें पोर्टल पर नियमित रूप से दर्ज की जाती हैं।

जी नहीं।

प्रदेश की समस्त गौशालाओं में गौ-वंश के भरण-पोषण एवं संरक्षण के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। संरक्षित गौ-वंशों की वृद्धावस्था, रुग्णता एवं उपचार के अधीन होने के परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से मृत्यु होती है। शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5 (53)/2018, दिनांक 02-01-2019 में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौ-वंश के

संचालन, प्रबन्धन व भरण-पोषण के लिये नीति प्रख्यापित है। साथ ही निराश्रित गौ-वंशों के संरक्षण हेतु समय-समय पर शासनादेश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान पेंशन राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

***18-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकतंत्र सेनानी जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा 2017 से रुपये 20 हजार सम्मान पेंशन राशि दी जा रही है को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

शासनादेश संख्या-16/2018/1498जेड/6-सा-3-2018-11आई0जी0आर0एस0/2017, दिनांक-11 जुलाई, 2018 द्वारा लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि रु0 20,000/- की जा चुकी है। सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तैनात आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाये जाने विषयक

***19-श्री महेन्द्र नाथ यादव-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तैनात आशा बहुओं के कार्यों के महत्व के दृष्टिगत उनका मानदेय को बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

- समय-समय पर सरकार द्वारा आशा बहुओं को प्राप्त धनराशि बढ़ायी गयी है।
- आशा बहुओं को विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों में किये गये कार्यों के सापेक्ष निर्धारित प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2018 में आशा बहू को नियमित गतिविधियों हेतु देय प्रतिपूर्ति राशि रु0 1000/- से बढ़ाकर रु0 2000/- प्रति आशा बहू प्रति माह किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त आशा बहुओं को वर्ष 2022 से राज्य बजट से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि रु0 750/- से बढाकर रु0 1500/- प्रति आशा बहू प्रतिमाह किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में प्रति आशा बहू को प्रति माह रु0 3500/- प्राप्त हो रहा है।
- इसके अतिरिक्त आशा बहुओं की प्रतिपूर्ति धनराशि में अन्य गतिविधियों यथा महिला नसबन्दी, टीकाकरण से सम्बन्धित कार्य एवं पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल आदि के फलस्वरूप नियमित वृद्धि की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में, जो आशा बहू

औसत भुगतान रु0 2306/- प्रति आशा बहू प्रति माह था, वह वर्तमान में बढ़कर लगभग रु0 6000/- से 8000/- हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिकित्सकों द्वारा सिजेरियन/सी सेक्शन प्रसव के स्थान पर सामान्य प्रसव के लिए कारगर उपाय करने विषयक

***20-डॉ0 पल्लवी पटेल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी/निजी अस्पतालों में सामान्य प्रसव के स्थान पर सिजेरियन/सी सेक्शन प्रसव में वृद्धि हो रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अस्तपतालों में सामान्य प्रसव के स्थान पर सिजेरियन/सी सेक्शन प्रसव में वृद्धि में क्या कारण हैं ? क्या सरकार डाक्टरों द्वारा सिजेरियन/सी सेक्शन प्रसव के स्थान पर सामान्य प्रसव के लिए कारगर उपाय करने हेतु कोई ठोस नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

पूर्व में आवश्यक संसाधनों के अभाव में सिजेरियन/सी सेक्शन कम होते थे। वर्तमान में इन सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण सामान्य प्रसव के साथ-साथ यथावश्यकता सिजेरियन/सी सेक्शन में भी वृद्धि हो रही है।

सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में 5593 प्रसव केन्द्र क्रियाशील हैं जो कि ग्राम पंचायत से जनपद स्तर तक विस्तारित हैं। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में 250 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिन्हित कर प्रसव केन्द्र के रूप में क्रियाशील करने हेतु सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में पशुपालन विभाग में कार्यरत पशुमित्रों के मासिक मानदेय तथा दुर्घटना बीमा की योजना के सम्बन्ध में

1-डॉ0 रागिनी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशुपालन विभाग में कार्यरत पशुमित्रों के मासिक मानदेय की व्यवस्था का विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बताएगी पशुमित्रों के लिए दुर्घटना बीमा की कोई योजना लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश में पशुपालन विभाग में कार्यरत पशुमित्रों के मासिक मानदेय की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

पशुमित्रों/मैत्री को स्थापित किये जाने की योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर संचालित है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नेशनवाइड आर्टिफीशियल इन्सेमिनेशन प्रोग्राम (एन0ए0आई0पी0) अन्तर्गत कार्यरत पशुमित्रों/मैत्री द्वारा कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण एवं संतति आदि से सम्बन्धित कार्य किया जाता है। कृत कार्यों को भारत पशुधन पोर्टल पर फीडिंग के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू है।

जी नहीं।

राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत पशुमित्रों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था/प्राविधान नहीं है।

प्रदेश में आवारा पशुओं से हुई दुर्घटना में जनहानि तथा उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने विषयक

2-श्री अतुल प्रधान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017-2024 तक आवारा सांड़ों से दुर्घटना के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के परिवारों को सरकार द्वारा कितनी आर्थिक मदद की गयी है एवं कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष परिवार को मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

वर्ष 2018-19 से जनवरी, 2024 तक प्रदेश में निराश्रित पशुओं/गौ-वंशों के हमलों में घायल होने से 117 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

राजस्व अनुभाग-11 के पत्र संख्या-586/ एक-11-2022-4 (जी)/2015, दिनांक 13-10-2022 में आपदाओं के अतिरिक्त प्रदेश में सांड़ व वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत मृतकों के परिवार को रु0 4.00 लाख की सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

निराश्रित पशुओं/गौवंशों के हमलों की घटना में मृत 100 व्यक्तियों के आश्रितों को 04 लाख प्रति व्यक्ति को सहायता राशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के स्तर से उपलब्ध करा दी गयी है। शेष 17 मृतकों के आश्रितों को विभिन्न कारणों से धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

अवसर नहीं है।

सम्बन्धित मृतक के आश्रितों द्वारा शव का पोस्टमार्टम न कराये जाने के कारण नियमानुसार सहायता राशि देय नहीं है।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एक्स-रे मशीन संचालित करने हेतु स्टाफ की उपलब्धता के सम्बन्ध में

3-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एक्स-रे मशीन व एम0आर0आई0 मशीन आदि उपकरण उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी केन्द्रों पर उक्त उपकरणों की स्थापना तथा उन्हें सुचारू रूप से संचालित करने हेतु स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के 958 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकानुसार उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। 68 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पूर्व से ही अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध है। वर्तमान में ई-रूपी बाउचर्स के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 508 एक्स-रे मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (केयर पोर्टल) पर उपलब्ध हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एम0आर0आई0 का प्राविधान नहीं है। शासनादेश दिनांक 04-03-2016 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यंत्रों के मानक के अनुसार अल्ट्रासाउण्ड, एक्स-रे मशीन व एम0आर0आई0 की स्थापना का प्राविधान नहीं है। ई-रूपी बाउचर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा प्रदान की जा रही है। उपकरणों की स्थापना एवं संचालन ये नियमित एवं सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों द्वारा छुट्टा जानवरों से अपनी फसलों को बचाने हेतु ठोस नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में

4-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छुट्टा जानवरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों द्वारा खेतों में लगाये जाने वाले कंटीले और ब्लेड वाले लोहे के तारों का उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है ? क्या सरकार किसानों की फसलों को छुट्टा जानवरों से बचाने के लिए कोई ठोस नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या 2627/सैंतीस-1-2022, दिनांक 21-09-2022 द्वारा पशु क्रूरता रोके जाने एवं किसानों द्वारा उपयोग किये जाने वाले ब्लेड वाले/कंटीले तारों का उपयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

शासनादेश संख्या 4324/सैंतीस-2-2018-5 (53)/2018, दिनांक 02-01-2019 में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौ-वंश के संचालन व भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों यथा- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों में अस्थाई गौ-वंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। इस प्रकार निराश्रित गौ-वंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु सरकार द्वारा ठोस एवं सार्थक योजनायें चलाई जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के लोगों का सरकारी व निजी अस्पतालों में महंगी ब्रांडेड दवाओं के नाम पर हो रहे आर्थिक शोषण के सम्बन्ध में

5-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लोगों का सरकारी व निजी अस्पतालों में महंगी ब्रांडेड दवाओं के नाम पर हो रहे आर्थिक शोषण से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार आम जनता को सस्ती और अच्छी दवाई उपलब्ध कराने हेतु अस्पतालों में जेनेरिक दवाएं सॉल्ट के नाम सहित लिखने और उनकी उपलब्धता रेट लिस्ट सहित सुनिश्चित कराने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय मेडिकल कालेजों एवं उससे सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षा संवर्गीय स्टाफ नर्सों का पदोन्नति विषयक

6-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय मेडिकल कालेजों एवं उससे सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षा संवर्गीय स्टाफ नर्सों का पदोन्नति में दिनांक 20 अगस्त, 2009 से तैनात संवर्गीय स्टाफ नर्सों का प्रमोशन करके उक्त दिनांक के बाद से तैनाती वाले संवर्गीय स्टाफ नर्सों की मानक विपरीत पदोन्नति की गई है ? क्या सरकार उक्त विसंगति को दूर करते हुए उक्त कार्मिकों की सेवा नियमावली सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

राजकीय मेडिकल कालेजों एवं उससे सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षा संवर्गीय स्टाफ नर्सों की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश राजकीय सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-1/2017/24, दिनांक 03-01-2018 के

द्वारा ज्येष्ठता सूची जारी की गयी है। उक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर ही पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है। पदोन्नति की कार्यवाही मानक विपरीत नही की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ स्थित सगड़ी विधान सभा क्षेत्र के सेवरी माता मन्दिर स्थल का जीर्णोद्धार कराए जाने हेतु

7-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेवरी सतना में माता सेवरी जी का पौराणिक स्थल का जीर्णोद्धार सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं, यह संक्रमणीय भूमि पर स्थित है। धर्मार्थ कार्य विभाग में संक्रमणीय भूमि पर स्थित मन्दिरों/पौराणिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कतिपय समाज के लोगों को ताल-तलैया के पट्टे के सम्बन्ध में

8-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निषाद, मल्लाह, केवट, बिन्द, कश्यप समाज के लोगों के जीविकोपार्जन हेतु प्रदेश में रोजगार सृजित कर कितने लोगों को रोजगार दिया गया तथा कितने लोगों को ताल-तलैया के पट्टे दिये गये हैं ? क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य मंत्री (डॉ0 संजय निषाद)-

प्रदेश में निषाद, मल्लाह, केवट, बिन्द, कश्यप समाज के लोगों के जीविकोपार्जन हेतु प्रदेश मे रोजगार सृजित कर 147494 लोगों को रोजगार दिया गया तथा 45463 लोगों को ताल-तलैया के पट्टे दिए गए हैं। जनपदवार सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत चिकित्सकों के स्थानान्तरण की नीति के विवरण के सम्बन्ध में

9-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत चिकित्सकों के स्थानान्तरण सम्बन्धित कोई नीति प्राख्यापित की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

नोट :-† देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-234-236 पर

क्या सरकार बतायेगी कि नीति का उल्लंघन कर स्थानान्तरण करने की दशा में जिम्मेदार पर कोई विधिक कार्रवाई का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पृथक से कोई नीति निर्गत नहीु की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के ब्लाक रेउसा में सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट का समस्त देयकों का भुगतान करने विषयक

10-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के ब्लाक रेउसा के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय करसा में तैनात अरुपण कुमार मिश्रा, फार्मासिस्ट दिनांक 31-12-2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि देयकों यथा भविष्य निधि, एरियर, बीमा, उपार्जित अवकाश, एरियर पुनः निर्धारण वेतनमान का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु')-

जी हाँ।

जनपद सीतापुर के ब्लाक रेउसा के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, करसा में श्री अरुपण कुमार मिश्रा नहीं, बल्कि श्री अरूण कुमार मिश्रा फार्मासिस्ट के पद पर तैनात थे, जो दिनांक-31-12-2023 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हैं।

भविष्य निधि का 90 प्रतिशत, उपार्जित अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन व पेंशन के राशिकरण का भुगतान श्री अरूण कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट को कर दिया गया है।

सामूहिक बीमा के भुगतान हेतु देयक प्रपत्र कोषागार में दिनांक-22-07-2024 को प्रस्तुत किया गया है।

एरियर पुनः निर्धारण वेतनमान तथा 10 प्रतिशत भविष्य निधि के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

1-भविष्य निधि 90 प्रतिशत- दिनांक 24-07-2024 को।

2-उपार्जित अवकाश नकदीकरण-दिनांक 17-05-2024 को।

3-ग्रेच्युटी, पेंशन, पेंशन का राशिकरण-दिनांक 01-01-2024 को।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर में तैनात कतिपय चिकित्सा अधिकारी के स्थानान्तरण के विषयक

11-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख-7 नं-211363, दिनांक 30-01-24 जो जनपद रामपुर में 19 वर्षों से स्थानान्तरण नीति के विपरीत तैनात कतिपय चिकित्सा अधिकारी के स्थानांतरण के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

पत्रांक ख-7 नं-211363 प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि 30-01-2024 के स्थान पर तिथि 31-01-2024 है।

उक्त पत्र के माध्यम से मा0 सदस्य द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 09-05-1997 के तहत प्रश्नगत शिकायती प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु मा0 सदस्य से उनके पत्र संख्या-ख-7 नं-211363, दिनांक 31-01-2024 उनके द्वारा हस्ताक्षरित है अथवा नहीं, शिकायतों के सम्बन्ध में उनका संतोष हो गया है अथवा नहीं, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध शासन के पत्र दिनांक 15-03-2024 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 21-05-2024 व 03-07-2024 के माध्यम से किया गया है। वांछित सूचना अब तक अप्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र को सुदृढ़ करने विषयक

12-श्री निर्मल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के ब्लाक सकरन स्थित महाराजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र को सुदृढ़ कर क्षेत्रीय जनता को उच्च स्वास्थ्य सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में स्थित अमेना झील के सौन्दर्यीकरण विषयक

13-श्री जय कुमार सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के ग्राम सभा अमेना अन्तर्गत 100 बीघा क्षेत्रफल में स्थित अमेना झील का सौन्दर्यीकरण कर उक्त को पर्यटन स्थल सरकार घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

पर्यटन विभाग द्वारा झील का सौन्दर्यीकरण का कार्य नहीं कराया जाता है तथा किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का प्राविधान पर्यटन विभाग में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय, सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में डाक्टर्स एवं स्टाफ के स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में

14-श्री जय कुमार सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय, सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में डाक्टर्स एवं स्टाफ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद फतेहपुर के जिला चिकित्सालय (मेडिकल कालेज), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत 329 पदों के सापेक्ष 215 पद भरे तथा 114 पद रिक्त हैं।

इसी प्रकार अन्य स्टाफ के कुल स्वीकृत 543 पदों के सापेक्ष 432 पद भरे तथा 111 पद रिक्त हैं।

चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति एवं तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो चिकित्सकों एवं स्टाफ की आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश मे छः यूनिट से कम यूनिट वाले राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड बनवाने विषयक

15-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छः अथवा छः से अधिक यूनिट वाले राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड जारी किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार छः यूनिट से कम यूनिट वाले राशन कार्ड धारकों को छः या छः से अधिक यूनिट वाले राशन कार्ड धारकों की भाँति आयुष्मान कार्ड जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत परिवारों का चयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इस

योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 1.31 करोड़ परिवारों एवं उनके सदस्यों को पात्रता सूची में सम्मिलित करते हुये डाटा को स्थिर किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान कराने विषयक

16-श्री मनीष असीजा-

क्या राजनैतिक पेन्शन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली मासिक पेंशन कितनी है ? क्या सरकार बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार अधिकांश लोकतंत्र सेनानियों की आयु 65 वर्ष से ऊपर हो जाने के कारण बीमारियों के इलाज आदि के लिये समस्त लोकतंत्र सेनानियों को अनिवार्य रूप से आयुष्मान कार्ड प्रदान कराने की योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

नहीं है।

लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान राशि रु0 20,000/- है। सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फ़िरोज़ाबाद में 200 शैय्या के चिकित्सालय भवन विषयक

17-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के 200 शैय्या अस्पताल भवन को न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर क्रियाशील किये जाने हेतु अतिरिक्त मदों (जो स्वीकृत नहीं) का विस्तृत आगणन रु0 489.68 लाख धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक एफजेडडी/2022/38, दिनांक 08-04-2023 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

शासन के पत्र दिनांक 29-05-2024 द्वारा प्रधानाचार्य से कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में राजकीय बाल गृह (बालक) के भवन निर्माण विषयक

18-श्री मनीष असीजा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद फिरोजाबाद में राजकीय बाल गृह (बालक) के भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि, प्रारम्भिक व सहायक प्लान तथा आगणन का प्रस्ताव जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 एवं निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का प्रेषित प्रस्ताव लम्बित है, क्या सरकार लम्बे समय से लम्बित राजकीय बाल गृह (बालक) के निर्माण हेतु धनावंटन कराते हुये निर्माण आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग के पास संवासियों के बेहतर आवासन एवं संरक्षण हेतु उपयुक्त गृह एवं संसाधन उपलब्ध हैं।

जनपद जौनपुर के सदर अस्पताल में स्वीकृत पदों के सापेक्ष चिकित्सक की तैनाती विषयक

19-श्री जगदीश नरायण-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के सदर अस्पताल में कुल कितने चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद जौनपुर के सदर अस्पताल में चिकित्सकों के कुल 26 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 23 चिकित्सक कार्यरत हैं।

सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्र0-सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	लेवल
1	2	3	4
नियमित			
1	डा0 ओम प्रकाश सिंह	सर्जन	लेवल-4
2	डा0 शारदा प्रसाद तिवारी		लेवल-4

नोट :-† देखिए नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-237 पर।

1	2	3	4
3	डा0 सैफ हुसैन खान		लेवल-3
4	डा0 दीपशिखा दुवारा	नेत्र	लेवल-2
5	डा0 शिवदेव कुमार रजक		लेवल-2
6	डा0 एस0पी0 अग्रवाल	आर्थोपेडिक	लेवल-4
7	डा0 संजय कनौजिया		लेवल-4
8	डा0 वीरेन्द्र कुमार सोनकर	फौरेंसिक	लेवल-3
9	डा0 शायन दास	पैथालॉजिस्ट	लेवल-2
10	डा0 नरेन्द्र कुमार	निश्चेतक	लेवल-4
11	डा0 राम नगीना राम	बाल रोग	लेवल-3
12	डा0 अमरदीप	चर्मरोग	लेवल-2
13	डा0 मनोरमा यादव	माइक्रोबायोलॉजिस्ट	लेवल-1
संविदा/सम्बद्ध/वॉक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से			
14	डा0 अशोक कुमार यादव	फिजिशियन	लेवल-1 नियमित (सम्बद्ध)
15	डा0 मानसी उपाध्याय	दंत शल्यक	लेवल-1 नियमित (सम्बद्ध)
16	डा0 इश्तियाक अहमद		राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा)
17	डा0 सलमान अंसारी	ई0एम0ओ0	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा)
18	डा0 शशांक यादव	एन0आर0सी0	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा)
19	डा0 प्रभात सिंह	जिडियाट्रीक	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा)
20	डा0 कृष्ण कुमार पाण्डेय	एन0सी0डी0	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा)
21	डा0 शेष कुमार मिश्रा	नेत्र सर्जन	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा)
22	डा0 सलिल श्रीवास्तव	बाल रोग	वॉक-इन-इण्टरव्यू
23	डा0 निधि श्रीवास्तव	ई0एन0टी0 सर्जन	वॉक-इन-इण्टरव्यू

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में 100 शैय्यायुक्त अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में

20-श्री सर्वेश सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला अस्पताल की भाँति प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100 शैय्यायुक्त अस्पताल बनवाने पर सरकार विचार करेगी ? क्या

सरकार जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में आम-जनमानस की परेशानियों को देखते हुए 100 शैय्यायुक्त अस्पताल की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश में जिला अस्पताल की भाँति प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100 शैय्यायुक्त अस्पताल बनाने की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद के तहसील सिरसागंज के अन्तर्गत सिरसागंज में 30 शैय्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। ई0सी0आर0पी0-2 योजनान्तर्गत 20 शैय्या का अतिरिक्त वार्ड स्थापित एवं क्रियाशील है। इस प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरसागंज में कुल 50 शैय्या विधिवत् स्थापित एवं क्रियाशील है। तहसील सिरसागंज से लगभग 09 किमी0 पर 100 शैय्या का संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद स्थापित एवं क्रियाशील है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कठफोरी 14 किमी0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुसैनपुर बैलुआ 10 किमी0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मदनपुर 06 किमी0, तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अरांव 15 किमी0 की दूरी पर स्थापित एवं संचालित है, जिससे आम-जनमानस को चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरसागंज में एक्स-रे, एन0सी0डी0, डिलेवरी, पैथालॉजी, दन्त चिकित्सा, क्षयरोग, ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित व प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अन्तर्गत चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 06-05-2017 के अनुसार प्रदेश में चिकित्सकीय/पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के दृष्टिगत विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न किये जाने तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है। अतएव विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय बनाये जाने का अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में आवारा पशुओं के हमलों की समस्या के निराकरण विषयक

21-डॉ0 अजय कुमार-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 अप्रैल, 2023 से 26 फरवरी, 2024 तक प्रदेश में आवारा पशुओं के हमलों के कारण कितने प्रदेशवासी घायल हुए और कितनों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार ने आवारा पशुओं से हमलों की घटना रोकने की योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

01 अप्रैल, 2023 से 26 फरवरी, 2024 तक प्रदेश में निराश्रित पशुओं/गौ-वंशों के हमलों में घायल होने से 63 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

उपर्युक्तानुसार।

जी हां।

शासनादेश संख्या-4324/ सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौ-वंश के संचालन, प्रबन्धन व भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है।

सम्प्रति प्रदेश में 7504 अस्थायी/स्थायी गौ-आश्रय स्थलों में कुल 1167581 गौ-वंश संरक्षित हैं। उक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्य मंत्री सहभागिता योजना के अन्तर्गत 221171 गौ-वंश सुपुर्दगी में दिये गये हैं। साथ ही निराश्रित गौ-वंश को शत-प्रतिशत संरक्षित किये जाने हेतु दिनांक 01-11-2023 से दिनांक 15-02-2024 तक विशेष अभियान चलाया गया।

इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा बेसहरा/निराश्रित गौ-वंशों के संरक्षण के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार ठोस एवं सार्थक योजनाएं बनायी गयी हैं, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं में पर्याप्त कमी आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिलाए जाने हेतु पर्यटन सर्किट में व्यय की गई धनराशि की जानकारी के सम्बन्ध में

22-श्री महबूब अली-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पर्यटन सर्किट हैं ? क्या सरकार विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सर्किटवार व्यय की गयी धनराशि (मदों सहित) का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हाँ।

प्रदेश में कुल 12 पर्यटन सर्किट हैं, जो कि निम्नवत् हैं :-

1-रामायण सर्किट

2-कृष्ण-बृज सर्किट

3-बुद्धिष्ट सर्किट

4-महाभारत सर्किट

5-शक्तिपीठ सर्किट

6-आध्यात्मिक सर्किट

7-सूफी-कबीर सर्किट

8-जैन सर्किट

9-बुन्देलखण्ड सर्किट

10-वाइल्ड लाइफ एवं ईको टूरिज्म सर्किट

11-क्रॉफ्ट सर्किट

12-स्वतंत्रता सर्किट

जी नहीं।

पर्यटन विभाग में बजट का व्यय मद के अनुसार किया जाता है। विभाग में सर्किटवार बजट का प्राविधान नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चालू कराने विषयक

23-डॉ0 अजय कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के किनारे बसे टांडा गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने से क्षेत्रवासियों को इलाज में परेशानी हो रही है ? क्या सरकार उक्त ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र छपरौली के यमुना किनारे बसे गाँव टांडा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छपरौली 06 किमी0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किरठल 08 किमी0 की दूरी पर स्थित है, जिससे क्षेत्रीय जनता को चिकित्सकीय सुविधायें प्रदान की जा रही है।

शासनादेश दिनांक 11-02-2014 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु मानकानुसार 30,000 की जनसंख्या निर्धारित है, किन्तु गाँव टांडा की जनसंख्या 5058 है। अतएव मानक पूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 06-05-2017 के अनुसार प्रदेश में चिकित्सकीय/पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के दृष्टिगत विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न किये जाने तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है। अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण कराने विषयक

24-श्री सर्वेश सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में ट्रॉमा सेण्टर नहीं होने की स्थिति में सड़क दुर्घटना में घायलों को 40 किलोमीटर

दूर फिरोजाबाद लेकर जाना पड़ता है, जिससे घायल अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में ट्रॉमा सेण्टर का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में ट्रामा सेण्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की ट्रामा केयर गाइड लाइन के अनुसार 02 निकटवर्ती ट्रॉमा सेण्टरों के मध्य 100 किमी0 की न्यूनतम दूरी निर्धारित है।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर के ग्राम सभा फतेहपुर नसीरपुर में एक पशु अस्पताल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में

25-श्री सर्वेश सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के ब्लाक मदनपुर की ग्राम सभा फतेहपुर नसीरपुर में किसानों के जानवरों के स्वास्थ्य हेतु पशु अस्पताल का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में पशुओं की संख्या के दृष्टिगत 05 पशु चिकित्सालय संचालित हैं, जिनके द्वारा क्षेत्र के सभी ग्रामों को पशु चिकित्सा सुविधा एवं अन्य विभागीय योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मोबाइल वेटनरी यूनिट (एम0वी0यू0) के माध्यम से पशु पालकों के द्वार तक पशु चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लाक की स्थापना किये जाने विषयक

26-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गम्भीर रोग से पीड़ित गरीब रोगियों को प्रदेश एवं देश के बड़े अस्पतालों में उपचार कराने हेतु दूरी ज्यादा होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पडता है ? क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत

हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लाक की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

वर्तमान में प्रदेश में 108 जिला स्तरीय चिकित्सालय तथा 261 विशिष्ट चिकित्सालय स्थापित एवं संचालित हैं, जहाँ पर गम्भीर रोगों से पीड़ित गरीब रोगियों को उपचारित किया जाता है।

जी हाँ।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं एस0एन0एम0 चिकित्सालय फिरोजाबाद में 100 शैय्या का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लाक का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में राजकीय अस्पतालों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने विषयक

27-श्री सर्वेश सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज अन्तर्गत किन राजकीय अस्पतालों में महिला प्रसव या ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के अस्पतालों को चिन्हित कर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कठफोरी, वलीपुर, भाडरी, सलेमपुर, गडसान, भनूपुरा, सैफपुर, गुरैया सोयलपुर तथा हुसैनपुर बैजुआ पर प्रसव की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए0एन0एम0 की तैनाती कर दी गयी है, जिससे प्रसव की सुविधा उपलब्ध हो सके।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के एरच नगर में बेतवा नदी के मढ़िया घाट पर पक्का घाट एवं पर्यटन स्थल बनवाने विषयक

28-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के एरच नगर में बेतवा नदी के मढ़िया घाट पर पक्का घाट एवं पर्यटन स्थल बनवाकर पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थली को विकसित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक-7 सं0 208941, दिनांक 04 सितम्बर, 2023 प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हाँ।

जनपद झाँसी के मढ़िया घाट का सौन्दर्यीकरण एवं घाट के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-09/2024/आई/77/001-41-1002-001-303-2023-N-1765380, दिनांक 19-01-2024 द्वारा धनराशि रु0 465.71 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रश्नगत परियोजना के कार्य दिनांक 16-03-2024 से प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के बड़ौत नगर में 100 बेड के चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में

29-डॉ0 अजय कुमार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक : 193/आ0स0/2023, दिनाँक 29-05-2023, जो कि जनपद बागपत के बड़ौत नगर में 100 बेड के चिकित्सालय की स्थापना विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

शासनादेश दिनांक 06-05-2017 के अनुसार प्रदेश में विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न किये जाने तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत जनपद बागपत के बड़ौत नगर में 100 बेड के चिकित्सालय की स्थापना किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद बागपत के नगर पालिका बड़ौत में 30 शैय्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। नगर पालिका बड़ौत से लगभग 06 किमी0 की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिजरौल व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बावली लगभग 12 किमी0 की दूरी पर 100 शैय्या जिला संयुक्त चिकित्सालय, बागपत तथा बड़ौत नगर के सन्निकट हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर, जौनमाना, ढिकाना, शाहपुर बडौली, गुराना, वाजिदपुर, लौहडडा, महावतपुर, रूस्तुमपुर, मलकपुर तथा लॉयन संचालित हैं, जिससे क्षेत्रीय जनमानस को चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के सामुदायिक केन्द्र जय प्रकाश नगर पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टाफ की नियुक्ति किये जाने विषयक

30-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जय प्रकाश नगर पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं है, जिससे मरीजों को इलाज में परेशानी होती है ? क्या सरकार उक्त केन्द्र पर मानकानुसार स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जय प्रकाश नगर में उपलब्धता के अनुसार तैनाती है, जिससे जनमानस को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त चिकित्सालय पर तैनात मानव संसाधन का विवरण निम्नवत् है :-

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
डाक्टर	05	02	03
चीफ फार्मासिस्ट	01	01	00
फार्मासिस्ट	03	02	01
लैब टेक्नीशियन	01	00	01
एक्स-रे टेक्नीशियन	01	00	01
डार्करूम सहायक	01	00	01
स्टाफ नर्स	03	03	00
वरिष्ठ सहायक	01	00	01
चतुर्थ श्रेणी	06	06	00

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुरातत्व महत्व के स्थलों को संरक्षित करने विषयक

31-श्री महबूब अली-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुरातत्व महत्व के स्थलों को संरक्षित कर पर्यटन महत्व की सूची में शामिल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

प्रदेश में पुरातत्व महत्व के स्थलों को संरक्षित किये जाने का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग/राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान व के0जी0एम0यू0 में प्रतिनियुक्ति विषयक

32-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान व के0जी0एम0यू0 में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विगत वर्ष में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (लेवल-11) के पद पर निकले विज्ञापन में लेवल-6 (ग्रेड पे-4200) पर 8 वर्ष व लेवल-10 (ग्रेड पे-5400) पर 5 साल का अनुभव मांगा गया था ? क्या सकार के संज्ञान में है कि उक्त विज्ञापन में शासन व प्रशासन में कार्यरत ग्रेड पे-4600 व 4800 के कार्मिकों हेतु उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु कोई वर्ष उल्लेख नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त विज्ञापन में ग्रेड पे-4600 व 4800 पर कार्यरत कार्मिकों हेतु वर्ष का अनुभव का उल्लेख करते हुये केन्द्र सरकार के तर्ज पर सम्मिलित करके संशोधित विज्ञापन निकालने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

जी नहीं।

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ एवं किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु वर्ष का उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में कार्यरत चिकित्सकों के स्थानान्तरण विषयक

33-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत चिकित्सकों के स्थानान्तरण सम्बन्धित कोई नीति प्राख्यापित की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि नीति का उल्लंघन कर स्थानान्तरण करने की दशा में जिम्मेदार पर कोई विधिक कार्रवाई का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पृथक से कोई नीति निर्गत नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कतिपय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने विषयक

34-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान व के0जी0एम0यू0, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इन्स्टीट्यूट में प्रतिनियुक्ति से भरने हेतु भर्ती नियम (प्रतिनियुक्ति) को केन्द्र सरकार के तर्ज पर अद्यतन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

एस0जी0पी0जी0आई0, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, के0जी0एम0यू0 तथा कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ द्वारा समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित चयन की कार्यवाही की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर में आयुष्मान योजना के तहत चयनित पात्रों की जानकारी विषयक

35-श्री पंकज पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में आयुष्मान के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के चयन का लक्ष्य जनवरी, 2023 तक निर्धारित है ? क्या सरकार बतायेगी कि लक्ष्य के अनुरूप कितने लोगों का चयन किया गया है तथा कितने लोगों का चयन किया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पात्रता सूची में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 (SECC-2011) के अन्तर्गत चिन्हित परिवारों एवं मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान की पात्रता सूची में 2011 की पात्रता सूची से वंचित पात्र परिवारों एवं अन्त्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को सम्मिलित किया गया है। उक्त के क्रम में निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले जनपद जौनपुर के 3,14,149 परिवारों (13,34,398 लाभार्थियों) का नाम पात्रता सूची में सम्मिलित किया गया है।

जनपद-जौनपुर में आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले 3,14,149 परिवारों (13,34,398 लाभार्थियों) का नाम पात्रता सूची में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान तक जनपद जौनपुर में चयनित 3,14,149 परिवारों के सापेक्ष दिनांक 01-07-2024 तक 2,35,617 परिवारों (11,29,532 लाभार्थियों) को आयुष्मान कार्ड जारी किये जा चुके हैं एवं शेष परिवारों के आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान के माध्यम से सतत् रूप से बनाये जा रहे हैं।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान में निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले समस्त परिवारों को सम्मिलित करते हुये डाटाबेस को स्थिर किया जा चुका है एवं नये परिवारों को उक्त योजना की पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, किन्तु नये लाभार्थी परिवारों/समूहों को मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के माध्यम से जोड़ा जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय, सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में डाक्टर्स एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति विषयक

36-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय, सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में डाक्टर्स एवं स्टाफ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद फतेहपुर के जिला चिकित्सालय (मेडिकल कालेज), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत 329 पदों के सापेक्ष 215 पद भरे तथा 114 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार अन्य स्टाफ के कुल स्वीकृत 543 पदों के सापेक्ष 432 पद भरे तथा 111 पद रिक्त हैं। चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति एवं तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 मशीनें उपलब्ध कराने विषयक

37-डा0 वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 की मशीनों की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को इलाज कराने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 मशीनों से वंचित जिला अस्पतालों में उक्त की व्यवस्था कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जिला चिकित्सालय, गाजीपुर में पी0पी0पी0 मोड पर सी0टी0 स्कैन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के 71 जनपदों में सी0टी0 स्कैन की निःशुल्क सेवायें उपलब्ध हैं। शेष 04 जनपदों यथा-एटा, सन्तरविदासनगर (भदोही), प्रतापगढ़ एवं मिर्जापुर में निःशुल्क सी0टी0 स्कैन की स्थापना प्रक्रियाधीन है। प्रदेश के 02 जनपदों में विभागीय एम0आर0आई0 मशीनों की सुविधा टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज एवं यू0एच0एम0 जिला पुरुष चिकित्सालय (उर्सला), कानपुर में उपलब्ध है। ई0सी0आर0पी0 फेस-2 योजना के अन्तर्गत 09 जनपदों आजमगढ़, बांदा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोण्डा, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर में एम0आर0आई0 मशीन का क्रय प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में शेष जनपदों में एम0आर0आई0 स्थापित करने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती में वि0 ख0 सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम पडरिया दत्तू में आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के निर्माण विषयक

38-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के वि0 ख0 सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम पडरिया दत्तू में आयुष्मान आरोग्य मन्दिर का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

उपकेन्द्रों की स्थापना भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 5000 की ग्रामीण जनसंख्या तथा विषम क्षेत्रों में 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र के निर्धारित मानक के आधार पर की जाती है। ग्राम पडरिया दत्तू ग्राम पंचायत मुडबरा का राजस्व ग्राम है, जिसकी वर्तमान में जनसंख्या लगभग 574 है, जो आयुष्मान आरोग्य मन्दिर सिसवा बरूवार के अन्तर्गत आच्छादित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोज़ाबाद में बालगृह के निजी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में

39-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोज़ाबाद में बालगृह के निजी भवन का निर्माण कार्य समयावधि निर्धारित कर सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग के पास संवासियों के बेहतर आवासन एवं संरक्षण हेतु उपयुक्त गृह एवं संसाधन उपलब्ध है। निजी भवन का निर्माण राज्य सरकार द्वारा कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रदेश में सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार स्टाफ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

40-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार स्टाफ व टेक्नीशियन की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 में की गयी व्यवस्था के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों/सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों के 2532 पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन भेजा जा चुका है। समय-समय पर पुनर्नियोजन, वाक्-इन-इण्टरव्यू, एन0एच0एम0 संविदा/रिवर्स बिडिंग के माध्यम से सामान्य/विशेष चिकित्साधिकारियों की भर्ती कर उपलब्धता के आधार पर पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर तैनाती की जाती है।

उपचारिकाओं के रिक्त 1169 पदों पर चयन की कार्यवाही मा0 लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

एक्स-रे टेक्नीशिन के रिक्त 382 पदों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जा चुका है।

वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक से प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु लगभग 700 कार्मिकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, शीघ्र ही पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कर लगभग 660 कार्मिकों की तैनाती लैब टेक्नीशियन के पद पर की जायेगी।

फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है, मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुपालन में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लिपिक संवर्ग के पद स्वीकृत नहीं हैं। प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लिपिक संवर्ग की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जाती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 के परिधिगत् लिपिक संवर्ग में रिक्त 1148 कनिष्ठ सहायक की भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ में प्रक्रियाधीन है। उक्त के अतिरिक्त वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 08-09-2010 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी की उपलब्धता आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

नियुक्ति एवं तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो कि समय-समय पर उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार स्टाफ एवं टेक्नीशियन की नियुक्ति व तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बैरिया में राजकीय महिला चिकित्सालय बलिहार में जाँच उपकरण, दवाओं व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने विषयक

41-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय बलिहार में जाँच उपकरण, दवाओं एवं अन्य

चिकित्सीय सामग्री की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

राजकीय महिला चिकित्सालय, बलिहार का भवन निष्प्रयोज्य है। राजकीय महिला चिकित्सालय, बलिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटवा के अन्तर्गत आता है। राजकीय महिला चिकित्सालय, बलिहार के परिसर से सटे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर संचालित है, जहाँ दवा, जाँच तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं, जिससे क्षेत्रीय जनमानस को चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। एक्स-रे टेक्नीशिन के रिक्त 382 पदों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में बालिकाओं को सुरक्षा प्रशिक्षण दिलाये जाने विषयक

42-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश की बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना प्रदेश में लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कुल कितनी बालिकाओं को सुरक्षा प्रशिक्षण दिलाया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली दिनांक 06-02-2015 से प्रदेश के समस्त जनपदों में एक साथ प्रवर्तन में है इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है :-

(क) कोष नियमावली में चिन्हित अपराधों के अन्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकओं को आई0पी0सी0 की धाराओं यथा-326क, 376क, 376ख, 376ग, 304बी एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा-4, 6 व 14 एवं आई0पी0सी0 की धारा-302 के साथ पठित पॉक्सो अधिनियम की धारा-4/6 के तहत कोष नियमावली, 2015 में निहित प्राविधानानुसार रु0 1,00,000/- से रु0 10,00,000/- तक क्षतिपूर्ति धनराशि की पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे पीड़िता/उसके परिजन के बैंक खाते में प्रदान की जाती है। साथ-साथ यदि परिस्थितिवश ऐसा अपेक्षित हो, ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण-पोषण एवं शिक्षा के लिये भी किया जाना प्राविधानित है।

(ख) इस कोष का उपयोग ऐसी महिलाओं/बालिकाओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिये जो हिंसा की प्रत्यक्ष शिकार नहीं हैं, किन्तु जिन्हें दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण चिकित्सीय शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है, के लिए भी किया जाना प्राविधानित है।

उक्त योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के बैरिया में राजकीय चिकित्सालय बलिहार पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष महिला डाक्टर व अन्य तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति विषयक

43-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया स्थित राजकीय चिकित्सालय बलिहार पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष महिला डाक्टर व अन्य तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति न होने के कारण महिला मरीजों को समुचित इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है ? क्या सरकार स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया स्थित राजकीय चिकित्सालय बलिहार में चिकित्सक एवं तकनीकी स्टाफ की स्थिति निम्नवत् है :-

चिकित्सक के स्वीकृत पद-01 के सापेक्ष 01 महिला चिकित्सक तैनात है। फार्मासिस्ट के स्वीकृत पद-02 के सापेक्ष-01 फार्मासिस्ट तैनात है। चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पद-03 के सापेक्ष-03 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक तैनात हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक

44-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 की मशीनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 मशीनों से वंचित जिला अस्पतालों में उक्त की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है।

वर्तमान में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 मशीन की सुविधा का प्राविधान नहीं है। प्रदेश के 71 जनपदों में सी0टी0 स्कैन की निःशुल्क सेवायें उपलब्ध हैं। शेष 04 जनपदों यथा-एटा, सन्तरविदासनगर (भदोही), प्रतापगढ़ एवं मिर्जापुर में निःशुल्क सी0टी0 स्कैन की स्थापना प्रक्रियाधीन है। प्रदेश के 02 जनपदों में विभागीय एम0आर0आई0 मशीनों की सुविधा टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज एवं यू0एच0एम0 जिला पुरुष चिकित्सालय (उर्सला), कानपुर में उपलब्ध है। ई0सी0आर0पी0 फेस-2 योजना के अन्तर्गत 09 जनपदों में आजमगढ़, बांदा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोण्डा, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर में एम0आर0आई0 मशीन का क्रय प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर में जंगीपुर के संयुक्त चिकित्सालय में उपचार हेतु उपकरण, जनरल सर्जन एवं स्टाफ आदि का विवरण देने विषयक

45-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में संयुक्त चिकित्सालय में बर्न यूनिट भवन निर्मित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त चिकित्सालय में उपचार हेतु उपकरण, जनरल सर्जन एवं स्टाफ आदि सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में संयुक्त चिकित्सालय स्थापित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत चिकित्सालयों में अधोमानक दवाएं उपलब्ध कराये जाने विषयक

46-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में मेडिकल सप्लाईज अन्तर्गत आपूर्ति की गई एकलोफैनिक दर्द निवारक दवा के घटिया होने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद गाजीपुर में स्थित जनपदीय ड्रग वेयर हाउस में स्टैण्डर्ड क्वालिटी औषधि एसीक्लोफिनेक दर्द निवारक दवा की आपूर्ति की गयी है। इस दवा का कोई भी औषधि बैच जांचोपरान्त घटिया/अधोमानक नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के आयुर्वेदिक अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सकों की तैनाती करने विषयक

47-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित हैं ? क्या सरकार आयुर्वेदिक अस्पतालों में मरीजों की संख्या के अनुपात में मानकानुसार भवन, डाक्टर व दवाइयां आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

जी हाँ।

प्रदेश में 2111 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय वर्तमान में स्थापित/संचालित हैं।

प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में मानकानुसार चिकित्साधिकारी को तैनात किया जा रहा है।

प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में औषधि की आपूर्ति की जाती है।

प्रदेश के ऐसे चिकित्सालय, जहाँ मानकानुसार भूमि उपलब्ध हो गयी है, वहाँ पर मानकानुसार केन्द्रांश/राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से भवन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सम्भल में जननी सुरक्षा योजना से जुड़ी जानकारी विषयक

48-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सम्भल में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में ब्लाकवार कितने लाभार्थियों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपदवार

उक्त योजना हेतु कितनी धनराशि बजट में निर्धारित की गई तथा 31 जनवरी 2024 तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

जनपद सम्भल में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में ब्लाकवार किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	ब्लाक	2021-22		2022-23	
		लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की गई धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की गयी धनराशि
1	बहजोई	2515	3470200	3243	4507800
2	बनियाखेडा	3519	4822200	4485	6081000
3	गुन्नौर	2180	2944800	2975	4086600
4	जुनावई	2448	3427200	2355	3297000
5	असमोली	192	1668800	1108	1551200
6	पवांसा	1335	1869000	1395	1953000
7	रजपुरा	2276	3186400	2897	4048200
8	सम्भल	5810	7848400	6040	8137600
	कुल योग (रु0)	21275	29237000	24498	33662400

विवरण संलग्न†।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना मे संचालित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विगत तीन वर्षों हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

49-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र जसराना में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विगत तीन वित्तीय वर्षों में केन्द्रवार कितनी धनराशि अवंटित हुई तथा उक्त के सापेक्ष कितनी धनराशि केन्द्रवार किस मद मे व्यय हुई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिए नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-238-239 पर।

श्री ब्रजेश पाठक-

जिला फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र जसराना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एका, जसराना एवं खैरगढ़ क्रियाशील है। प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विगत 03 वित्तीय वर्षों में आवंटित एवं व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रुपये में)

क्र0-सं0	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	विगत 03 वित्तीय वर्षों में आवंटित धनराशि	विगत 03 वित्तीय वर्षों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि
1	2	3	4
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एका	7,26,66,01	4,49,23,326
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसराना	6,33,65,741	4,12,78,561.810
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरगढ़	6,82,46,367	4,49,84,298.280

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विगत 03 वित्तीय वर्षों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के मदवार विवरण की सूची संलग्न† है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीपर व वार्डब्वाय की तैनाती विषयक

50-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीपर एवं वार्डब्वाय की तैनाती न होने के कारण इलाज के लिए भर्ती मरीजों को असुविधा होती है ? क्या सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीपर एवं वार्डब्वाय की तैनाती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

वर्तमान में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 08-09-2010 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के सम्बन्ध में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था विद्यमान है, जिसमें स्वीपर एवं वार्डब्वाय भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गई।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्तियां करने विषयक

51-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पतालों, सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 में चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित अन्य कार्मिकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार किसी निश्चित अवधि में स्वीकृत पदों पर डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों सहित अन्य कर्मियों की शत-प्रतिशत तैनाती कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल स्वीकृत 19659 पदों के सापेक्ष 14794 चिकित्सक तैनात हैं तथा वर्तमान में 4865 पद रिक्त हैं। अन्य कार्मिकों में उपचारिका के कुल स्वीकृत 8113 पदों के सापेक्ष 5297 पद भरे एवं 2816 पद रिक्त हैं तथा पैरामेडिकल संवर्ग के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 14309 पदों के सापेक्ष 10992 भरे एवं 3317 पद रिक्त हैं।

चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व अन्य कार्मिकों की नियुक्ति एवं तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली स्थित मां कैला देवी मन्दिर को पर्यटक स्थल बनाने विषयक

52-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली के अन्तर्गत स्थित ऐतिहासिक मां कैला देवी मन्दिर ग्राम मुजाहिदपुर को पर्यटक स्थल घोषित कर उक्त स्थान पर जन-सुविधाएं विकसित करने हेतु सरकार विशेष अनुदान जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

उ0प्र0 पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है। उक्त स्थल हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-302/2024/760/41-1-2024-001-सी0एन0-1795042-2024, दिनांक 07-03-2024 द्वारा रु0 124.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रश्नगत

प्रायोजना के अन्तर्गत यात्री शेड, पाथ-वे, फ्लोरिंग, स्टोन बेंच, डस्टबिन, साईनेज, टॉयलेट ब्लॉक, वॉटर कूलर कार्य कराया जाना है।

गठित अनुबन्ध के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं लोक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ की जिलावार सूची उपलब्ध कराये जाने विषयक

53-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं लोक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी है ? क्या सरकार उक्त की सूची जिलावार पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत 19659 पदों के सापेक्ष 4990 पद रिक्त हैं।

इसी प्रकार नर्सिंग स्टाफ के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल स्वीकृत 12657 पदों के सापेक्ष 6616 पद रिक्त हैं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से 14155 नर्सिंग स्टाफ (संविदा) तैनात हैं।

सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड में एम्स की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में

54-श्री अनिल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एम्स की स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

एम्स की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

नोट :-† देखिये नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ संख्या-240-241 पर।

प्रदेश में 01 अप्रैल, 2017 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक खाद्य पदार्थों में मिलावट मामले प्रकाश में आने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

55-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2017 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक खाद्य पदार्थों में मिलावट के कितने मामले प्रकाश में आये तथा कितने दोषियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

01 अप्रैल, 2017 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक खाद्य पदार्थों में मिलावट के कुल 78,764 मामले प्रकाश में आये, जिसमें अर्थदण्ड से सम्बन्धित कुल 73076 वाद मा0 न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय में दायर किये गये। मा0 न्यायालय द्वारा 49061 वादों को निर्णीत करते हुए रुपये 1,82,21,17,511/- (रुपये एक अरब बयासी करोड़ इक्कीस लाख सत्रह हजार पाँच सौ ग्यारह मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। शेष 24015 वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन हैं।

उक्त के अतिरिक्त कारावास एवं अर्थदण्ड से सम्बन्धित कुल 8,884 वाद मा0 न्यायिक न्यायालय में दायर किये गये हैं, जिसमें 1369 वादों को निर्णीत करते हुए 520 खाद्य कारोबारकर्ताओं को कारावास से दण्डित किया गया है तथा रुपये 1,00,18,100 /- (रुपये एक करोड़ अट्ठारह हजार एक सौ मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है एवं शेष 7515 वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज में स्वास्थ्य सूचना प्रबन्धन प्रणाली लागू करने की निर्धारित समय-सीमा विषयक

56-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज में स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एच0आई0एम0एस0) लागू करने की समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एच0एम0आई0एस0) वर्तमान में लागू एवं क्रियाशील है। स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एच0एम0आई0एस0) के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में विभिन्न मॉड्यूल्स वर्तमान में जैसे कि रजिस्ट्रेशन (ओ0पी0डी0 और इमरजेन्सी), ए0डी0टी0 (एडमिशन,

डिस्चार्ज और ट्रांसफर), बिलिंग, ई-प्रिसक्रिप्शन, ई-डिस्चार्ज, ऑनलाइन डिजिटल पेमेन्ट, एल0आई0एस0, ब्लड बैंक, एम0आर0डी0, मोबाइल एप्लीकेशन क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा कर्मचारियों को समान पद के सापेक्ष समान वेतन का पदानुसार विवरण उपलब्ध कराने विषयक

57-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियुक्त वर्तमान में कुल कितने संविदा कर्मचारियों को समान पद के सापेक्ष समान वेतन दिया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का पदानुसार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत सभी कार्मिकों को अपने विज्ञापन के अनुसार वेतन मिल रहा है और वार्षिक वृद्धि भी मिल रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में महिलाओं को लाभान्वित करायी जा रही योजनाओं की जानकारी विषयक

58-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में किन-किन ब्लाकों में कितनी-कितनी महिलाओं को किन-किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

प्रदेश में महिलाओं के उत्थान हेतु महिला कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1-मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना।

2-निराश्रित महिला पेंशन योजना।

3-हब फॉर इम्पावरमेंट।

4-वन स्टॉप सेंटर।

5-181 महिला हेल्पलाइन।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में संचालित योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्डों का नाम	मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना में लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	निराश्रित महिला पेंशन योजना में लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	हब फार इम्पावरमेन्ट द्वारा किये गये कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या	वन स्टॉप सेन्टर बलिया	राजकीय महिला शरणालय
					वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद बलिया में कुल 34 महिलाओं की वन स्टॉप सेन्टर योजना द्वारा सहायता प्रदान की गयी।	जनपद में संचालित नहीं
1	बैरिया	1228	2716	1710		
2	बेलहर	1601	1842	1232		
3	मुरली छपरा	1023	2210	1487		
4	रेवती	754	2053	1994		
	टोटल	4606	8821	6423		

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक

59-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के आर्थिक स्थिति से कमजोर पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे बच्चों की देख-रेख के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र मजरों (टोलों) में खोलने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सर्वे कराकर ऐसे मजरे जो राजस्व ग्रामों से अधिक दूरी पर हैं, आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

विधान सभा क्षेत्र बैरिया के मुरलीछपरा और बैरिया विकास खण्ड के सभी राजस्व ग्राम में क्रमशः 134 एवं 160 आंगनबाड़ी केन्द्र से आच्छादित हैं। पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे बच्चों की देख-रेख के लिए मजरे एवं टोलों में आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2010 में विकास खण्ड मुरलीछपरा में 41 एवं बैरिया में 44 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति के सापेक्ष मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र उक्त विकास खण्डों के मजरों एवं टोलों में संचालित हो रहे हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत विकास खण्ड मुरलीछपरा में कुल 175 एवं विकास खण्ड बैरिया में 204 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डाक्टर्स एवं स्टाफ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

60-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डाक्टर्स एवं स्टाफ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

होम्योपैथिक विभाग-

- होम्योपैथिक डाक्टर्स के 43 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 40 पद भरे हैं, तथा 03 पद रिक्त हैं।
- होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के स्वीकृत 43 पदों के सापेक्ष 33 पद भरे हैं तथा 10 पद रिक्त हैं।
- होम्योपैथिक के अन्तर्गत समूह 'घ' के 52 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 39 पद भरे है, तथा 13 पद रिक्त हैं।

आयुर्वेद विभाग-

क्र0	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद		रिक्त
			नियमित	आउटसोर्सिंग/ संविदा	
1	चिकित्साधिकारी	26	25	-	01
2	चीफ फार्मासिस्ट	03	02	-	01
3	फार्मासिस्ट	23	08	-	15
4	सिस्टर	02	01	-	01
5	स्टाफ नर्स	09	04	-	05
6	चतुर्थ श्रेणी	55	33	05	17

डाक्टर्स व स्टाफ के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही सम्बन्धित आयोगों द्वारा की जायेगी, अतः समय का निर्धारण विभाग स्तर से किया जाना सम्भव नहीं है। समूह 'घ' के रिक्त पदों को यथाशीघ्र आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

61-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-203 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में सेक्स वर्कर के रूप में चिन्हित महिलाओं को पुनर्वासित करने विषयक

62-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कितनी महिलाएं सेक्स वर्कर के रूप में चिन्हित की गयी हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इनको पुनर्वासित करने की वर्तमान में कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

महिला कल्याण विभाग द्वारा सेक्स वर्कर के चिन्हांकन का कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रेस्क्यू की गई पीड़ित महिलाओं को जनपद आगरा में संचालित राजकीय संरक्षण गृह (महिला) में आवासित कराये जाने की व्यवस्था है। उक्त गृह में महिलाओं को निःशुल्क भरण-पोषण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण आदि प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी स्थित सुन्दरलाल अस्पताल में खून की जाँच प्राइवेट हाथों में सौंपने विषयक

63-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी स्थित सुन्दरलाल अस्पताल में खून की जाँच का काम प्राइवेट लैब को सौंपने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त कार्य प्राइवेट लैब के हाथों में सौंपने के प्रमुख तथ्य सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद की जिला स्वास्थ्य समिति मे ई0एस0आई0 एवं ई0पी0एफ0 से सम्बन्धित

64-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद के अधीन कार्यरत् मानव संसाधन प्राप्त करने वाली एजेसी ठेका कर्मियों को प्रत्येक माह ई0एस0आई0 एवं ई0पी0एफ0 का लाभ दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कितने कर्मचारियों को वर्तमान में उक्त लाभ मिल रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

कुल 110 एजेंसी के कर्मियों को ई0एस0आई0 एवं ई0पी0एफ0 का लाभ दिया जा रहा है। सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में स्वास्थ्य उपकेन्द्र बनाने की योजना विषयक

65-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्माण किये जा रहे 386 नए स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को बनाने की सरकार कोई समय सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में स्वास्थ्य उपकेन्द्र बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

स्वीकृत उपकेन्द्रों का निर्माण लागत के सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि उपलब्ध होने की स्थिति में एम0ओ0यू0 निष्पादन की तिथि से 5.5 माह निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत 18 नग स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का भवन निर्माण प्रस्तावित है, जिसके भवन निर्माण हेतु लागत के सापेक्ष स्वीकृत प्रथम किस्त की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नोट :-† देखिए नत्थी (च) आगे पृष्ठ संख्या-242-244 पर।

जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत कटघर स्थित मन्दिर का जीर्णोद्धार कराने विषयक

66-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत कटघर लालगंज वार्ड नं0-1 हनुमानगढ़ी में मदन यादव के घर के सामने स्थित भोले बाबा का मन्दिर जीर्ण-शीर्ष अवस्था में है ? क्या सरकार उक्त का सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मन्दिर निजी स्वामित्व में है। निजी स्वामित्व के मन्दिरों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण की सम्प्रति कोई नीति नहीं है।

सरकारी अस्पतालों में प्रसूता एवं रोगियों को वितरित होने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने विषयक

67-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूता और रोगियों को वितरित होने वाले भोजन की गुणवत्ता व उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र है ? यदि हां, तो उक्त भोजन की विगत 3 वर्षों में समीक्षा और निगरानी हेतु किए गए प्रयासों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

- समस्त राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे0एस0एस0के0) के अन्तर्गत प्रसूताओं हेतु निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
- भोजन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु समय सारिणी एवं मेन्यू निर्धारित है, जिसके अनुसार जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर व्यवस्थित किया जाता है, जिसे चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रतिदिन सत्यापित किया जाता है।
- उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों, राज्य, मण्डल एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर भ्रमण के दौरान भोजन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता परखते हुए समीक्षा की जाती है।

प्रदेश के 127 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों हेतु निःशुल्क भोजन की व्यवस्था जून, 2023 से प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

संतुलित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने हेतु जागरूकता अभियान चलाने विषयक

68-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रापिक्स के शोध अनुसार प्रदेश के ग्रामीण परिवारों में प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बजाय कार्बोहाइड्रेट और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों के ज्यादा उपयोग की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अन्तर को कम करने हेतु कोई जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

विभिन्न संस्थानों के शोध के उपरान्त शासन द्वारा समग्र रूप से नीतियाँ बनायी जाती हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अलग दिन अलग रंग की चादर इस्तेमाल करने विषयक

69-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद सहित प्रदेश के जिला अस्पतालों में सोमवार को नीला, मंगलवार को नारंगी, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को गुलाबी, शनिवार को बादामी और रविवार को सफेद रंग की चादर मरीजों के बेड पर बिछाए जाने का नियम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नियम का शत-प्रतिशत अमल कराके नियम का पालन न करने वाले कर्मियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों/स्वास्थ्य इकाइयों में वार/दिन के अनुसार शैय्या की चादर का रंग अलग-अलग है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वार	रंग
1	सोमवार	सफेद
2	मंगलवार	नारंगी/पीच
3	बुधवार	हरा
4	बृहस्पतिवार	पीला
5	शुक्रवार	पिंक/हल्का नीला
6	शनिवार	गहरा नीला/बैगनी
7	रविवार	लाल/भूरा/अन्य

उक्त के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र दिनांक 21-06-2024 द्वारा समस्त परिधिगत् अधिकारियों को दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रकरण में नियन्त्रक परिधिगत् अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ई0सी0जी0 टेक्नीशियन संवर्ग की सेवा नियमावली में शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी संशोधन की जानकारी के सम्बन्ध में

70-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन समिति 1997-99 के आधार पर मुख्य सचिव की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय तथा शासनादेश संख्या-541/5-7-2010-आठ-130/06, दिनांक 16 जुलाई, 2010 के क्रम में प्रदेश में ई0सी0जी0 टेक्नीशियन संवर्ग की सेवा नियमावली में शैक्षिक अर्हता के नियम को संशोधित किया गया है ? यदि हां, तो कब तथा उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महानिदेशालय के पत्र दिनांक 16-10-2023 द्वारा वेतन समिति 1997-99 के आधार पर मुख्य सचिव की संस्तुतियों पर निर्णयों के क्रम में शैक्षिक अर्हता में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। उक्त के क्रम में महानिदेशालय द्वारा ई0सी0जी0 टेक्नीशियन की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के टड़ियाँव में स्थित नवनिर्मित अस्पताल को चालू करने के सम्बन्ध में

71-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के टड़ियाँव में 100 बेड का अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल को समय-सीमा निर्धारित कर संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद-मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के टड़ियांव में 100 बेड का अस्पताल संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन स्थित प्राचीन कोलकी देई माता मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में

72-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मधुबन के नगर पंचयात मधुबन के वार्ड 14 भरथिया में प्राचीन एवं पौराणिक कोलकी देई माता जी का मन्दिर है ? क्या सरकार मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तथा उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

उक्त मन्दिर पर एक वर्ष में लगभग 15000 पर्यटकों का आवागमन होता है। पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-47/2022/आई/139629/41-1099/2/2022/13(सा0)/2022, दिनांक 10-02-2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स के अनुसार उक्त मन्दिर पर्यटन विकास कार्य कराये जाने के मानकों को पूर्ण न करने के कारण उक्त मन्दिर का पर्यटन विकास पर्यटन विभाग से नहीं कराया जा सकता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत लाभार्थियों के विवरण के सम्बन्ध में

73-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत 07 मार्च, 2022 से 03 मार्च, 2024 तक उक्त योजना में किन लाभार्थियों को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार लाभार्थियों के नाम, पता, ब्लाक का नाम तथा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 संजय कुमार निषाद-

विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत 64 लाभार्थियों को उप योजना यथा निजी भूमि पर तालाब निर्माण, बायोफ्लाक पाण्ड निर्माण, साइकिल विद आइसबाक्स, इन्सुलेटेड वैन इत्यादि के माध्यम से विभिन्न उप योजनाओं में अनुदान देकर लाभान्वित किया गया।

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में 64 लाभार्थियों का नाम, पता, ब्लाक व धनराशि रु0 2 करोड़ 64 लाख परियोजना लागत की परियोजनाओं का विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कालेज में खराब पड़ी डिजिटल एक्स-रे मशीन को ठीक कराने विषयक

74-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कालेज में डिजिटल एक्स-रे मशीन खराब होने के कारण टी0बी0 के मरीजों को प्राइवेट केन्द्रों पर जाँच करानी पड़ती है ? क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज की डिजिटल एक्स-रे मशीन को ठीक करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में फसल बर्बाद कर रहे आवारा पशुओं से निजात दिलाने विषयक

75-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं ? क्या सरकार ने आवारा पशुओं से निजात दिलाने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 द्वारा अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थल की स्थापना एवं संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। उक्त नीति के अन्तर्गत अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थलों के संचालन, प्रबंधन व उनमें संरक्षित गौ-वंश के भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों द्वारा किया जा रहा है। अग्रेतर शासनादेश संख्या-261/सैंतीस-2-2018-5 (53)/2018, दिनांक 28-01-2019 के माध्यम से गौ-आश्रय स्थलों में निराश्रित गौ-वंशों के भरण-पोषण हेतु परामर्शी निर्देश एवं मानक निर्धारित किये गये हैं।

नोट :-† देखिए नत्थी (छ) आगे पृष्ठ संख्या-245-247 पर।

शासनादेश संख्या-2818/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018टी0सी0, दिनांक 01-09-2018 तथा शासनादेश संख्या-91/सैंतीस-2-2018-5 (2)/2018 टी0सी0, दिनांक 11-01-2019 द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में रु0 120.00 लाख प्रति केन्द्र से बढ़ाकर रु0 160.12 लाख प्रति केन्द्र कर दिया गया है।

शासनादेश संख्या-2275/ सैंतीस-2-2018-5 (53)/2018, दिनांक 20-09-2023 द्वारा गौ-आश्रय स्थलों/केन्द्रों में संरक्षित गौ-वंश एवं मा0 मुख्य मंत्री निराश्रित/बेसहारा गौ-वंश सहभागिता योजना एवं कुपोषित परिवारों को गाय उपलब्ध कराये जाने की योजना के अन्तर्गत गौ-वंश के भरण-पोषण हेतु उपलब्ध करायी जा रही धनराशि रु0 30/- प्रति गौ-वंश प्रतिदिन को बढ़ाकर रु0 50/- प्रति गौ-वंश प्रतिदिन कर दिया गया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों के भरण-पोषण की धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 द्वारा किया जा रहा है।

शासनादेश संख्या-1706/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018टी0सी0-6, दिनांक 17-07-2023 के माध्यम से निराश्रित गौ-वंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गौ-आश्रय स्थलवार माईक्रो मैनेजमेंट के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

निराश्रित गौ-वंश को शत-प्रतिशत सरंक्षित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2562/सैंतीस-2-2023-5(53)/2018 टी0सी0-5, दिनांक 31-10-2023 द्वारा दिनांक 01-11-2023 से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान को अन्तिम रूप से दिनांक 15-02-2024 तक बढ़ाया गया है। जनपद-फिरोजाबाद में कुल 71 गौ-आश्रय स्थलों में कुल 10853 गौ-वंशों को संरक्षित करा जा चुका है।

इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा बेसहरा गौ-वंशों के संरक्षण के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार ठोस एवं सार्थक योजनाएं बनायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जसराना में पॉलीक्लीनिक संचालित किये जाने विषयक

76-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में मरीजो के समुचित इलाज हेतु पॉलीक्लीनिक खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में मरीजों के समुचित इलाज हेतु 30 शैय्या एम0सी0एच0 विंग, जसराना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसराना (30 शैय्या) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एका निर्मित एवं क्रियाशील है।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसराना के अन्तर्गत 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एका के अन्तर्गत न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरगढ़ के अन्तर्गत 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित एवं क्रियाशील हैं, जिनसे मरीजों को पॉलीक्लीनिक की भाँति समुचित इलाज एवं उपचार प्रदान किया जा रहा है।

शासनादेश दिनांक 06-05-2017 के अनुसार प्रदेश में विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न किये जाने तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

प्रदेश में कार्यरत आशा वर्करों को चतुर्थ श्रेणी कर्मी के रूप में समायोजित करने विषयक

77-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा वर्करों को चतुर्थ श्रेणी कर्मी के रूप में समायोजित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

आशा एक मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकत्री है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार आशाओं को उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है।

आशाओं को नियमित गतिविधियों के साथ ही विभिन्न मदों में भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश के सभी सचिवालय कर्मचारियों/अधिकारियों के चश्मे का बिल की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में

78-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी सचिवालय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा कम्प्यूटर पर 8 से 10 घण्टे कार्य करने से उनकी आँखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिस कारण अल्प समय में मायोपिया रोग से पीड़ित हो रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्मिकों को डाक्टर की सलाह पर चश्मा लगाने पर उन्हें चश्मा क्रय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के चश्मे का बिल का प्रतिपूर्ति चश्मे में लगने वाले लेन्स की कीमत के आधार पर लागू करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के सभी सचिवालय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा कम्प्यूटर पर 8 से 10 घण्टे कार्य करने से उनकी आँखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण मायोपिया रोग से पीड़ित कोई भी मरीज सचिवालय डिस्पेन्सरी में अभी तक नहीं आये हैं।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के आलोक में सचिवालय के कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके उपचारी चिकित्सक द्वारा परामर्श दिये गये चश्में के बिलों का सक्षम परीक्षणकर्ता द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रतिपूर्ति की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

79-डॉ0 पल्लवी पटेल-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-202 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद कौशाम्बी के जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स आदि पृथक करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

80-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जनपद कौशाम्बी के जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स आदि पृथक करने की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जनपद कौशाम्बी के जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स आदि पृथक करने की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में ब्लड कम्पोनेन्ट सप्रेसेशन यूनिट से सम्बन्धित उपकरण स्थापित है। प्रश्नगत यूनिट को क्रियाशील/संचालित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में स्थित श्री बुद्धेश्वर महादेव मन्दिर के देख-रेख हेतु कमेटी बनाये जाने विषयक

81-श्री अरमान खान-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र स्थित श्री बुद्धेश्वर महादेव मन्दिर पर कुल कितनी लागत से कराया गया तथा किस निधि (सांसद/विधायक/अन्य सरकारी निधि) से विकास कार्य हुए ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मन्दिर की देख-रेख एवं संचालन हेतु कोई समिति तथा सरकार द्वारा कोई रिसीवर नियुक्त है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त स्थल की देख-रेख एवं प्रभावी संचालन तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता की जाँच हेतु स्थानीय जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए कोई कमेटी बनाने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

श्री बुद्धेश्वर महादेव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-251/2023/आई/293476/001-41-1002-001-120-2022, दिनांक 25-03-2023 द्वारा रु0 216.33 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में रु0 108.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-627/2023/4176/41-2023/001-CN-1658052-2023, दिनांक 18-09-2023 द्वारा द्वितीय/अन्तिम किस्त के रूप में रु0 107.59 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

उक्त कार्य उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त धनराशि से कराये गये।

श्री बुद्धेश्वर महादेव मन्दिर की देख-रेख एवं संचालन दो समितियों (1) बुद्धेश्वर विकास महासभा, उ0प्र0 लखनऊ एवं (2) बुद्धेश्वर महादेव मन्दिर प्रबन्ध समिति, सीता वनबास रोड ऋषि आश्रम, आलमनगर, लखनऊ द्वारा किया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है।

श्री बुद्धेश्वर महादेव मन्दिर की देख-रेख एवं प्रभावी संचालन तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता की जाँच हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को तथा परियोजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की टी0ए0सी0 जाँच हेतु मण्डलायुक्त, लखनऊ को निर्देशित किया गया है। अन्य कमेटी बनाया जाना विचाराधीन नही है।

उपरोक्तानुसार।

सेवानिवृत्त चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की पूर्ववर्ती सेवाओं को जोड़कर परिणामी लाभ जारी किये जाने के सम्बन्ध में

82-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0सी0 कटियार सेवानिवृत्त हार्टिकल्चरिस्ट एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ सहित अन्य कर्मचारियों की पूर्ववर्ती सेवाओं को जोड़कर परिणामी लाभ जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं तो उक्त के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के पत्र दिनांक 24-06-2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि औपचारिकताओं की पूर्ति न होने के कारण प्रकरण में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के ज़िला अस्पतालों में हड्डी जोड़ने के रॉड, स्क्रू, नेल, प्लेट उपलब्ध कराये जाने विषयक

83-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में हड्डी जोड़ने के लिए आवश्यक रॉड, स्क्रू, नेल, प्लेट आदि की निःशुल्क उपलब्धता कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र दिनांक 17-08-2023 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को गरीब मरीजों को जो आयुष्मान योजना, राज्य कर्मचारी कैशलेस अथवा अन्य किसी योजना से आच्छादित नहीं हैं और उन्हें जीवन रक्षार्थ जटिल आर्थोपेडिक सर्जरी की आवश्यकता है और जिन्हें सर्जरी के लिये नेल, रॉड, वॉयर या अन्य आर्थोपेडिक सर्जरी से सम्बन्धित कंज्यूमेबल की आवश्यकता है, उन्हें यथा सम्भव कंज्यूमेबल को अपने पास उपलब्ध औषधि/कंज्यूमेबल मद से स्थानीय स्तर पर क्रय कर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में स्थित मेडिकल कालेज में मरीजों के जाँच एवं इलाज हेतु नयी एम0आर0आई0, सीटी स्कैन, एवं डिजिटल एक्स-रे (नवीनतम) मशीनें उपलब्ध कराकर इमरजेंसी के पास लगवाये जाने विषयक

84-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी स्थित मेडिकल कालेज में मरीजों के जाँच एवं इलाज हेतु नई एम0आर0आई0, सीटी स्कैन एवं डिजिटल एक्स-रे मशीनें उपलब्ध कराकर इमरजेंसी के पास लगवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-271975, दिनांक 26 फरवरी, 2024 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में मरीजों के उपचार हेतु एक नई एम0आर0आई0 मशीन क्रय किये जाने हेतु ई0सी0आर0पी0-2 के अन्तर्गत उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रय की प्रक्रिया गतिमान है। मेडिकल कालेज में उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 29-05-2024 को एक नई सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित करायी गयी है, जो क्रियाशील है तथा 01 नग सी0टी0 स्कैन मशीन पूर्व से ही स्थापित एवं क्रियाशील है। मेडिकल कालेज में 02 डिजिटल एक्स-रे मशीन स्थापित एवं क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के मेडिकल कालेज में एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक

85-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के मेडिकल कालेज में एम0आर0आई0 जाँच की सुविधा न होने के कारण मरीजों को बाहर से महंगे दामों पर जाँच करवानी पड़ती है ? क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज में एम0आर0आई0 मशीन की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती से सम्बद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली बस्ती में वर्तमान में एम0आर0आई0 मशीन स्थापित नहीं है। ई0सी0आर0पी0-2 योजनान्तर्गत उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एम0आर0आई0 मशीन के क्रय करने की प्रक्रिया प्रचलित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के मेडिकल कालेज में अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा सुचारु रूप से उपलब्ध कराये जाने विषयक

86-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के मेडिकल कालेज में अल्ट्रासाउण्ड के लिए मरीजों को एक महीने से लेकर दो महीने के बाद का समय दिया जा रहा है, जिस कारण जरूरतमन्द लोगों को बाहर से महंगे दामों पर अल्ट्रासाउण्ड करवाना पड़ रहा है ? क्या सरकार बस्ती मेडिकल कालेज में त्वरित एवं सुचारु रूप से अल्ट्रासाउण्ड के लिए व्यवस्था करेगी ?

श्री ब्रजेश पाठक-

महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती से सम्बद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली बस्ती में रेडियोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउण्ड मशीन क्रियाशील है। प्रतिदिन 100 से अधिक मरीजों का अल्ट्रासाउण्ड किया जाता है। मरीजों की संख्या अधिक होने पर अगली तिथि नियत की जाती है। चिकित्सालय में एक और अल्ट्रासाउण्ड मशीन को क्रय किये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी कैन्सर संस्थान का जाँच केन्द्र संचालित किये जाने विषयक

87-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में कैन्सर की स्क्रीनिंग हेतु कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैन्सर संस्थान का जाँच केन्द्र खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के 6845 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों पर विद्युत संयोजन का कार्य कराये जाने विषयक

88-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित 6845 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों पर विद्युत संयोजन कराये जाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

वर्तमान में 16293 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों पर विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज में अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं रेडियोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ाये जाने विषयक

89-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज में मरीजों को अल्ट्रासाउण्ड कराने हेतु 02 माह से अधिक की प्रतीक्षा अवधि की दिनांक दी जा रही है ? क्या सरकार मरीजों की संख्या के सापेक्ष उनके समुचित त्वरित इलाज हेतु उक्त मेडिकल कालेज में अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं रेडियोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ायेगी ?

श्री ब्रजेश पाठक-

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में वर्तमान में 05 अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित और क्रियाशील हैं। चिकित्सा महाविद्यालय में 01 रेडियोलॉजिस्ट (सीनियर

रेजीडेन्ट) कार्यरत हैं तथा प्रतिदिन 150 से अधिक मरीजों के अल्ट्रासाउण्ड किये जा रहे हैं। वर्तमान में रेडियोलॉजिस्ट तैनात है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के मण्डलीय जिला अस्पताल में आधुनिक आपरेशन थियेटर के निर्माण कार्य विषयक

90-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के मण्डलीय जिला अस्पताल में आधुनिक आपरेशन थिएटर का निर्माण कार्य अधूरा होने से मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद आजमगढ़ के मण्डलीय जिला चिकित्सालय में वित्तीय वर्ष 2009-10 में एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत स्वीकृत आधुनिक आपरेशन थिएटर (मॉडुलर ओ0टी0) सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित होने के कारण अधूरा है। चिकित्सालय में 05 अन्य ओ0टी0 पूर्णतः क्रियाशील हैं, जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है।

प्रकरण सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित व मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में कुपोषित महिलाओं एवं बच्चों की संख्या एवं उसे दूर करने की योजना सम्बन्धी जानकारी

91-श्री जै किशन साहू-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में कुपोषित महिलाओं और बच्चों की वर्तमान में संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा चलायी जा रही कुपोषण दूर करने की कोई योजना प्रचलित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

कुपोषित महिलाओं की संख्या-582 तथा कुपोषित बच्चों की संख्या-13784 है।

प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु निम्न योजनायें/कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं :-

1-अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम

2-एस0ए0जी0 योजना

3-ग्रोथ मानीटरिंग डिवाइसेज

4-सम्भव अभियान

5-पोषण पाठशाला अभियान

6-ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता पोषण दिवस

7-समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन

8-पोषण माह एवं पोषण पखवारा का आयोजन

आवश्यकता नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्डों में विधवा पेंशन से लाभान्वित महिलाओं की सूची उपलब्ध कराये जाने विषयक

92-श्री जै किशन साहू-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्डों में विधवा पेंशन के कितने आवेदन पत्र पंजीकृत तथा पंजीकृत आवेदनों के सापेक्ष वर्तमान में कितनी विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही तथा कितने आवेदन शेष हैं। क्या सरकार शेष आवेदकों को विधवा पेंशन से लाभान्वित कराकर उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के विकास खण्डों में कुल 63,126 आवेदन पंजीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 63,126 को वर्तमान में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त हो रही है। निराश्रित महिला पेंशन हेतु 509 आवेदन स्वीकृति हेतु अवशेष हैं जो विकास खण्ड/नगर पालिका/नगर पंचायत पर सत्यापन हेतु लम्बित हैं। शेष आवेदकों की सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण कर पेंशन नियमानुसार प्रदान की जायेगी। सूची सदन में रखे जाने का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने विषयक

93-श्री जै किशन साहू

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आम जनता को इलाज हेतु उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद गाजीपुर के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लि0, के स्थानीय वेयरहाउस द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली जीवन रक्षक आवश्यक औषधियों की समुचित व्यवस्था पहले से है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के अस्पतालों से निकले बायोमेडिकल कचरे का सुरक्षित निस्तारण विषयक

94-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के सुरक्षित निस्तारण हेतु कोई विशेष योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विगत पांच वर्षों में उक्त हेतु किए गए प्रयासों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे का निस्तारण प्रदेश में स्थापित कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट नियम-2016 में निहित प्राविधानों तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

जनपद मुरादाबाद अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी में बाल रोग विशेषज्ञ समेत समस्त पदों पर नियुक्तियाँ करने विषयक

95-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी में डॉक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या सरकार उक्त सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र पर बाल रोग विशेषज्ञ सहित समस्त पदों पर तनौती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद मुरादाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी पर चिकित्साधिकारियों के 05 एवं 01 दन्त शल्यक का पद स्वीकृत है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी एवं 30 शैय्या युक्त एम0सी0एच0 विंग बिलारी एक ही परिसर में स्थित है तथा दोनों क्रियाशील हैं। जहाँ पर डा0 हरीश चन्द्रा, चिकित्सा अधीक्षक/बाल रोग विशेषज्ञ, डा0 श्वेताम्बरी त्यागी, एम0बी0बी0एस0, डा0 मौनाजिर इमाम एम0बी0बी0एस0, डा0 सचिन कुमार दन्त शल्यक तैनात हैं। डा0 प्रीत पाल सिंह सलूजा जनरल सर्जन, डा0 रेशमा कुरैशी (ई-मॉक प्रशिक्षण प्राप्त) स्त्री रोग विशेषज्ञ, डा0 दुर्गेश्वर प्रसाद (एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण प्राप्त निश्चेतक) तैनात हैं। दोनों चिकित्सा संस्थान एक ही परिसर में स्थित होने के कारण चिकित्सकों से संयुक्त रूप से कार्य लिया जा रहा है। सभी चिकित्साधिकारियों द्वारा उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप चिकित्सीय सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर खाद्यान्न वितरण में ठेकेदार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में

96-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में हॉट-कुक्ड मील योजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों हेतु माह नवम्बर/दिसम्बर, 2023 में उस्का बाजार क्षेत्र हेतु आवंटित खाद्यान्न 144.21 कुन्तल गेहूँ का उठान परिवहन ठेकेदार मेसर्स सूर्यांश ट्रान्सपोर्ट द्वारा दिनांक 22-11-2023 को किया गया, परन्तु आर0एफ0सी0 और अधिकारियों/ठेकेदार की मिली-भगत से उक्त खाद्यान्न का लाभार्थियों में वितरण नहीं कराया गया ? क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जिला कार्यक्रम अधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या-409, दिनांक 24-07-2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी, उस्का बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी, सिद्धार्थनगर को अवगत कराया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों हेतु हॉट-कुक्ड मील उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक गेहूँ एवं चावल सम्बन्धित ग्राम के कोटेदार के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्राप्त कराया जाना था, विभागीय समीक्षा के दौरान कार्यकत्रियों द्वारा यह बताया गया कि कोटेदार द्वारा मात्र चावल दिया गया है, गेहूँ प्राप्त नहीं कराया गया।

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के आदेश संख्या-1332 दिनांक 29-02-2024 द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) की अध्यक्षता में जिला पूर्ति अधिकारी सिद्धार्थनगर एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी की टीम गठित कर प्रकरण की जाँच करायी गयी। संयुक्त टीम की जाँच आख्या दिनांक 05-03-2024 के दृष्टिगत सम्बन्धित ठेकेदार मेसर्स सूर्यांश ट्रान्सपोर्ट हैण्डलिंग व परिवहन (सिंगल स्टेज) ठेकेदार पता ग्राम हरिपुर बढया रोड, बरहटा गांव के सामने नगर पंचायत पीपीगंज जनपद गोरखपुर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा कार्यालय-पत्र संख्या-1381, दिनांक 13-03-2024 द्वारा आयुक्त, मण्डल बस्ती को पत्र प्रेषित किया गया। प्रकरण में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक बस्ती, सम्भाग बस्ती द्वारा निर्णय लेते हुये कार्यालय-पत्र संख्या-3196, दिनांक 21-03-2024 द्वारा मेसर्स सूर्यांश ट्रान्सपोर्ट हैण्डलिंग व परिवहन (सिंगल स्टेज) ठेकेदार पता ग्राम हरिपुर बढया रोड, बरहटा गांव के सामने नगर पंचायत पीपीगंज जनपद गोरखपुर के विरुद्ध जमानत धनराशि रुपये 9,40,000.00 की 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 4,70,000.00 शासन के पक्ष में जब्त किया गया तथा कार्यालय-पत्र संख्या-750, दिनांक 05-06-2024 द्वारा उक्त परिवहन ठेकेदार को निलम्बित करते हुये निरस्त किया गया तथा फर्म द्वारा ब्लाक उस्का बाजार हेतु खाद्य विभाग में जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि को जब्त करते हुये आगामी 05 वर्षों हेतु हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदार मेसर्स सूर्यांश ट्रांसपोर्ट पता ग्राम हरिपुर बढया रोड, बरहटा गांव के सामने नगर पंचायत पीपीगंज जनपद गोरखपुर की फर्म को खाद्य विभाग से 'डिबार' करते हुए 'ब्लैक लिस्ट' कर दिया गया है।

उक्त प्रकरण पर कार्यवाही खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा की जानी थी, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक बस्ती सम्भाग बस्ती के आदेश संख्या-750, दिनांक 05-06-2024 द्वारा कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में आयुष्मान भवः योजना के गोल्डेन कार्ड बनाये जाने हेतु जागरूक कराने विषयक

97-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में आयुष्मान भवः योजना के अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड बनाने के तहसीलवार वर्ष 2023-24 के तय लक्ष्य क्या हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त तय लक्ष्यों के सापेक्ष वर्तमान तक तहसीलवार कितने गोल्डेन कार्ड बनाये जा चुके हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अधिक से अधिक संख्या में पात्र लोगों के गोल्डेन कार्ड बनाये जाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवधि में तहसीलवार भ्रमण किये गये गाँवों की सूची स्वास्थ्य विभाग की टीम का विवरण दिनांक सहित सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद फिरोजाबाद की समस्त तहसीलों में आयुष्मान कार्ड हेतु लक्षित परिवारों की संख्या 1.87 लाख है। इन परिवारों के सापेक्ष कुल 7.65 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

जनपद फिरोजाबाद की समस्त तहसीलों हेतु लक्षित 1.87 लाख परिवारों के सापेक्ष दिनांक 01-07-2024 तक 1.24 लाख परिवारों के 5.86 लाख सदस्यों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

अवशेष पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु विशेष अभियान के माध्यम से सतत् रूप से कार्यवाही की जा रही है।

आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु विशेष अभियान के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद की समस्त सरकारी राशन कार्ड वितरण की दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कैम्प लगाये गये हैं। इन कैम्पों में प्रतिभाग हेतु पात्र लाभार्थियों को जागरूक किये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर/ए0एन0एम0 का सहयोग लिया गया है। कार्ड बनाये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के पंचायत सहायकों, खाद्य एवं रसद विभाग के राशन कार्ड डीलरों एवं अन्य विभागों के स्थानीय कर्मचारियों का सहयोग लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज की खराब हेल्थ ए0टी0एम0 मशीन व लिफ्ट ठीक कराने विषयक

98-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज में स्थापित हेल्थ ए0टी0एम0 मशीन तथा 100 शैय्या अस्पताल की लिफ्ट वर्तमान में खराब होने से मरीजों को असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त की मरम्मत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित हेल्थ ए0टी0एम0 मशीन रोगी हित में क्रियाशील है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के 100 शैय्या अस्पताल में स्थापित दोनों लिफ्ट क्रियाशील हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को लायल्टी बोनस देने विषयक

99-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को लायल्टी बोनस देने पर रोक लगाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त रोक को हटा कर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को पुनः लायल्टी बोनस देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को रु0 4800/- वेतनमान दिये जाने विषयक

100-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्य राज्यों की भाँति प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को रुपये 4800/- वेतनमान देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की तैनाती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर की जाती है। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय दिये जाने का प्राविधान है।

कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, लखनऊ को एस0जी0पी0जी0आई0 के समान दर्जा देने विषयक

101-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत उनके समुचित इलाज हेतु कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, लखनऊ में एस0जी0पी0जी0आई0 के समान सुविधा उपलब्ध कराकर सरकार उक्त संस्थान को एस0जी0पी0जी0आई0 के समान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी, नहीं।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में विभिन्न गम्भीर रोगों से ग्रसित मरीजों को अति विशिष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ चिकित्सा विज्ञान के

उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों का अध्यापन भी किया जाता है, जबकि कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ में कैंसर रोग की अति विशिष्ट चिकित्सा की जाती है। इस प्रकार संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ से भिन्न है।

जनपद बलिया के बैरिया में पशु चिकित्सालय में डाक्टरों को नियुक्त करने विषयक

102-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कितने पशु चिकित्सालय हैं तथा उनमें सृजित पदों के सापेक्ष कितने डाक्टर वर्तमान में तैनात हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार जनहित में शेष डाक्टरों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में 10 पशु चिकित्सालय हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	पशु चिकित्सालयों का नाम
1	बैरिया
2	करमानपुर
3	लोकधाम
4	मुरलीछपरा
5	लालगंज
6	जयप्रकाश नगर
7	मून छपरा
8	गंगा उसपार (नौरंगा)
9	रामपुरदीघार
10	बाबूबेल

उक्त पशु चिकित्सालयों में सृजित पदों के सापेक्ष 02 पशु चिकित्साधिकारी तैनात हैं एवं 08 पशु चिकित्साधिकारी के पद रिक्त हैं। वर्तमान में रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार स्थानीय व्यवस्थान्तर्गत निकटस्थ पदस्थ/कार्यरत पशु चिकित्साधिकारियों को प्रदान कर कार्य सम्पादित कराया जा रहा है।

जी हाँ।

पशु चिकित्साधिकारी संवर्ग में विभिन्न पदों पर सेवानिवृति व पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। पशु चिकित्साधिकारियों के रिक्त 27 एवं 397 अर्थात् कुल मिलाकर 424 पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अधियाचन उ0प्र0, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है, जिसमें 27 पद विज्ञापित हो चुके हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आगरा स्थित ताजमहल से आय एवं उसके संरक्षण की जानकारी विषयक

103-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल से विगत पांच वर्षों में कितनी आमदनी हुई है ? क्या सरकार उक्त इमारत के संरक्षण हेतु उसके मीनारों से गिर रहे काले पत्थरों की पट्टियों को रोकने हेतु किये गये उपायों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

प्रकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से सम्बन्धित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के स्थानान्तरण विषयक

104-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया वर्तमान में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रक्रिया शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

लागू नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नियुक्त आशा वर्करों को स्वास्थ्य बीमा लाभ दिये जाने विषयक

105-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नियुक्त आशा वर्करों के हितों की रक्षा हेतु उन्हें स्वास्थ्य बीमा लाभ दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन एवं दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त ग्रामीण एवं शहरी आशा एवं आशा संगिनियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिये आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत आयु सीमा 18 से 70 वर्ष है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में रु0 436/- प्रति व्यक्ति/प्रतिवर्ष की दर से तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रु0 20/- प्रति व्यक्ति/प्रतिवर्ष की दर से बीमा हेतु आवश्यक प्रीमियम की धनराशि का भुगतान ग्रामीण एवं शहरी आशा एवं आशा संगिनियों को बीमा हेतु आवंटित धनराशि से दिया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त ग्रामीण एवं शहरी आशा एवं आशा संगिनियों को आच्छादित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा एवं इन्श्योरेन्स कराने विषयक

106-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत तैनात संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा तथा इन्श्योरेन्स के लाभ से आच्छादित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में राजकीय पशु चिकित्सालय में डाक्टर एवं उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में

107-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में कितने राजकीय पशु चिकित्सालय हैं तथा उक्त में से कितने डाक्टर एवं उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालयों पर मानक के अनुसार पशु चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में कुल 07 पशु चिकित्सालय संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	पशु चिकित्सालयों का नाम	उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/ पशु चिकित्साधिकारी
1	बिन्दकी	पदस्थ
2	जोनिहा	पदस्थ
3	मलवां	पदस्थ
4	गोपालगंज	पदस्थ
5	डीघ	पदस्थ
6	भदबा	पदस्थ
7	दमापुर	पदस्थ

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में कुल 07 पशु चिकित्सालय हैं, जिसके सापेक्ष 07 पशु चिकित्साधिकारी तैनात हैं। उक्त पशु अस्पतालों में दवा, वैक्सीन एवं उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था है तथा पशुओं का उपचार समुचित रूप से किया जा रहा है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एण्टीवेनम, एण्टी रैबीज का इन्जेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

108-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्पदंश के मरीज को शीघ्र उपचार के लिए एण्टीवेनम तथा एण्टी रैबीज के इन्जेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों में संचालित औषधि भण्डार गृहों के द्वारा एण्टी स्नेक वेनम एवं एण्टी रैबीज दवा की उपलब्धता

सुनिश्चित करायी जाती है, जहाँ से सम्बन्धित परिधिगत चिकित्सा इकाइयां जिला चिकित्सालय/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 द्वारा आवश्यकतानुसार उक्त औषधि प्राप्त की जाती है।

दिनांक 05-07-2024 तक जनपद फतेहपुर के जनपदीय औषधि भण्डार में सर्पदंश की औषधि एण्टी स्नेक वेनम 882 वॉयल एवं दिनांक 08-07-2024 को ए0आर0वी0 5620 वॉयल उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के रमना, लालबाग क्षेत्र में स्थित प्राचीन भोले बाबा मंन्दिर के जीर्णोद्धार और सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में

109-श्री अरमान खान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के रमना, लालबाग क्षेत्र में स्थित प्राचीन भोले बाबा मन्दिर जीर्ण-शीर्ण हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मन्दिर का जीर्णोद्धार और सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं, यह सामान्य स्थिति में है तथा निजी भूमि पर स्थित है। निजी भूमि पर स्थित मन्दिरों के जीर्णोद्धार की सम्प्रति कोई नीति भी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के बुद्धेश्वर में स्थित श्री बाबा बुद्धेश्वर महादेव मंन्दिर से सम्बन्धित विषयक

110-श्री अरमान खान-

क्या पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के बुद्धेश्वर स्थित श्री बाबा बुद्धेश्वर महादेव मन्दिर परिसर में क्षेत्रीय विधायक की विधायक निधि से भगवान श्री महादेव की विशालकाय प्रतिमा लगाने व मन्दिर के नियुक्त रिसीवर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

पर्यटन विभाग द्वारा मन्दिर के नियुक्त रिसीवर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी करने का कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मत्स्य पकड़ने के लिए लाइसेंस की जानकारी विषयक

111-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मत्स्य पकड़ने हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता है ? यदि हाँ, तो जनपद बस्ती में वर्तमान में मत्स्य पकड़ने के लिए कितने लाइसेंस निर्गत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि विगत पांच वर्षों में बिना लाइसेंस के मत्स्य पकड़ने पर कितने लोगों को दण्डित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय कुमार निषाद-

प्रदेश में मत्स्य पकड़ने हेतु लाइसेंस की कोई अनिवार्यता नहीं है। मत्स्य पकड़ने हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता न होने के कारण जनपद बस्ती में मत्स्य पकड़ने हेतु किसी को भी लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गौशालाओं में गौ-वंश की मृत्यु के कारण एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

112-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित निजी एवं सरकारी गौशालाओं में 01 अप्रैल, 2018 से 31 दिसम्बर, 2023 के मध्य कितने गौ-वंश की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार ने गौ-वंश की गौशालाओं में हो रही मृत्यु को रोकने के कोई उपाय किये हैं ? यदि हाँ, तो उसके विवरण सहित गौवंशों की मृत्यु के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध विगत पांच वर्षों में की गयी कार्रवाई के जिलेवार आंकड़े सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश में स्थित सरकारी गौशालाओं में 01 अप्रैल, 2018 से 31 दिसम्बर, 2023 के मध्य कुल 103632 गोवंशों की मृत्यु हुयी है। निजी गौशालाओं में संरक्षित गौ-वंश की मृत्यु की सूचना का संकलन विभाग स्तर पर नहीं किया जाता।

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस -2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 द्वारा निराश्रित गोवंशों के संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु नीति निर्धारित की गयी है। नीति के अन्तर्गत कुल 7504 अस्थायी/स्थायी गौ-आश्रय स्थलों में कुल 11,67,581 गौ-वंश संरक्षित कर उनका भरण-पोषण किया जा रहा है एवं मा0 मुख्य मंत्री सहभागिता योजना के अन्तर्गत 1,42,671 गौ-वंश सुपुर्दगी में दिये गये हैं। नीति के प्रस्तर संख्या-3.8.3 में संरक्षित गौ-वंश के स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, कृमिनाशक दवापान, बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान के साथ-साथ मृत पशुओं का शव परीक्षण इत्यादि का कार्य पूर्णतः निःशुल्क (लेवी से मुक्त) किये जाने का प्राविधान है। साथ ही अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थलों के संचालन, प्रबन्धन व उनमें

संरक्षित गौ-वंश के भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों द्वारा किया जा रहा है।

शासनादेश संख्या-2275/सैंतीस-2-2023-5(53)/2018, दिनांक 20-09-2023 द्वारा संरक्षित निराश्रित गौ-वंश के भरण-पोषण हेतु दी जा रही अनुदान धनराशि रु0 30/- प्रति गौ-वंश प्रतिदिन को बढ़ाकर रु0 50/- प्रति गौ-वंश प्रतिदिन कर दिया गया है।

शासनादेश संख्या-1706/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018टी0सी0-6, दिनांक 17-07-2023 के माध्यम से निराश्रित गौ-वंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गौ-आश्रय स्थल वार माईक्रो मैनेजमेंट के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

सरकारी गौशालाओं में गौ-वंशों की मृत्यु के सम्बन्ध में उत्तरदायी/दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित कराई गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी मेडिकल कालेज का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानकों के अनुरूप सुसज्जित कराये जाने विषयक

113-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने मेडिकल कालेज संचालित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त समस्त मेडिकल कालेज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानकों के अनुसार सुसज्जित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार किसी निश्चित अवधि में अधूरे मानक वाले मेडिकल कालेजों में मानक पूरे कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश में 58 मेडिकल कालेज संचालित हैं। उक्त के अतिरिक्त 07 चिकित्सा संस्थाएँ भी संचालित हैं। इस प्रकार कुल 65 मेडिकल कालेज/संस्थाएँ संचालित हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानकों की पूर्ति के आधार पर ही आयोग द्वारा मेडिकल कालेजों को एल0ओ0पी0 निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के कछला माँ भागीरथी घाट को पर्यटन के रूप विकसित करने विषयक

114-श्री हरीश चन्द्र-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के कछला माँ भागीरथी घाट को पर्यटन के रूप में सरकार विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

कछला गंगा घाट के पर्यटन विकास कार्य कराये जाने हेतु राज्य योजना वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, बदायूँ के पत्रांक- 856/रा0यो0 कछला गंगा घाट/2022 दिनांक 27-01-2023 के द्वारा धनराशि रु0 19.45 करोड़ का आगणन प्राप्त हुआ था, जिसे पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1625/41-2023-29 (बजट)/2023, दिनांक 24-04-2023 द्वारा नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्त पोषण हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये अंतरित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर में बिना मानक के निजी एम्बुलेंस के संचालन के सम्बन्ध में

115-श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में बिना मानक के निजी एम्बुलेंस एल0एल0आर0 अस्पताल परिसर में अवैध रूप से संचालित है यदि हाँ, तो क्या सरकार निजी एम्बुलेंस संचालकों के खिलाफ अभियान चला कर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर में पशु अस्पताल में डाक्टर व अन्य स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में

116-श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में कितने पशु अस्पताल संचालित हैं एवं उनमें डाक्टर व अन्य स्टाफ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति कर पशु चिकित्सालयों को सुचारू रूप से संचालित कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

जनपद कानपुर नगर में 31 पशु चिकित्सालय संचालित हैं। उक्त पशु चिकित्सालयों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् हैं :-

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	03	00
पशु चिकित्साधिकारी	28	02
वे0फार्मा0	31	15
ड्रेसर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	93	37

जनपद कानपुर नगर में रिक्त पदों पर स्थानीय व्यवस्था अन्तर्गत निकटस्थ/पदस्थ पशु चिकित्साधिकारियों/वेटनरी फार्मासिस्टों/ड्रेसर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। पशु चिकित्साधिकारी संवर्ग में विभिन्न पदों पर सेवानिवृति व पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। पशु चिकित्साधिकारियों के रिक्त 27 एवं 397 अर्थात् कुल मिलाकर 424 पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अधियाचन उ0प्र0, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है, जिसमें 27 पद विज्ञापित हो चुके हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट की सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियमावली प्रख्यापित होने के उपरान्त नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर शासन द्वारा रोक लगायी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत पांडुनगर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक

117-श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत पांडु नगर में वर्ष 2007 से निर्माणाधीन तथा वर्ष 2016 में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला शिलान्यास के उपरान्त से निर्माण कार्य अपूर्ण हैं जिससे उक्त अस्पताल सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार उक्त अस्पताल का निर्माण कार्य समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

उक्त अस्पताल राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं है। यह परियोजना पूर्णतः कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अतः भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के विषय में जानकारी के सम्बन्ध में

118-श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त में से कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय की व्यवस्था है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत कुल 2134 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। विभागीय 306 आंगनबाड़ी भवनों में शौचालय निर्मित है। 942 प्राथमिक विधालयों के परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्मित है। 376 पंचायत भवन एवं मिलन केन्द्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में निर्मित शौचालय तथा किराए के भवन में 510 शौचालय इस प्रकार कुल 2134 केन्द्रों पर शौचालय संचालित है। आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद के अधीन कार्यरत संविदाकर्मियों की ई0एस0आई0 नम्बर के साथ लाभ प्राप्त कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने विषयक

119-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद के अधीन कार्यरत संविदाकर्मियों को प्रत्येक माह ई0एस0आई0 का लाभ अनुमन्य हैं ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को उक्त लाभ वर्तमान में मिल रहा है ? क्या सरकार उक्त लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश निर्गत नहीं है।

जिला स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद के अधीन कार्यरत संविदाकर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने विषयक

120-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में जिला स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद के अधीन कार्यरत संविदाकर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत

05 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ देय है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को वर्तमान में उक्त लाभ मिल रहा है ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जिला स्वास्थ्य समिति, फिरोजाबाद के अधीन कार्यरत् संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 05 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जिला स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद के अधीन कार्यरत संविदाकर्मी के मरणोपरांत अनुदान राशि की शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने विषयक

121-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में जिला स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद के अधीन कार्यरत संविदाकर्मी के सेवाकाल में मृत्यु पर कितनी अनुदान राशि देय है ? क्या सरकार उक्त से सम्बन्धित शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत समस्त जनपदों में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों हेतु ग्रुप टर्म लाइफ इन्श्योरेंस में अधिकतम रु0 30 लाख तक का लाभ देय है। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या-209/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0/2024-25/2326, दिनांक 24-07-2024 की छायाप्रति संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर मण्डल के जिला चिकित्सालयों में माइयोकार्डियल इन्फरेक्शन (एम0आई0) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक

122-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहारनपुर मण्डल के जिला चिकित्सालयों में माइयोकार्डियल इन्फरेक्शन हेतु आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी रोगियों को उपलब्ध कराई जाती है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त चिकित्सालयों में

नोट :-† देखिए नत्थी (ज) आगे पृष्ठ संख्या-248-251 पर।

कार्डियक विशेषज्ञ व उससे सम्बन्धित टी0एम0टी0, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आदि सुविधाओं की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

सहारनपुर मण्डल के जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में माइयोकार्डियल इन्फारेक्शन से सम्बन्धित रोगी (जिसको छाती में दर्द की शिकायत है) को आकस्मिक विभाग में लाया जाता है तथा लक्षण के आधार पर चिकित्सालय में आकस्मिक चिकित्साधिकारी द्वारा सर्वप्रथम ई0सी0जी0 किया जाता है तथा मरीज को डिस्प्रीन, क्लोपिडेरोल, अर्टोवास्टिन, एनोक्सापेरिन व आवश्यकतानुसार बीटाब्लोकर एवं पेनकिलर इत्यादि दवायें दी जाती हैं। ई0सी0जी0 के आधार पर चिकित्सक द्वारा डायग्नोसिस बनाकर मरीज को हायर सेन्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाता है। हृदय रोग विशेषज्ञ तथा न्यूरो सर्जरी के चिकित्सक टर्शियरी केयर (Tertiary Care) की श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के चिकित्सक मेडिकल कालेज में उपलब्ध होते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के सरकारी व निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना का लाभ उपलब्ध कराने हेतु हेल्प डेस्क स्थापित किये जाने विषयक

123-श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड का लाभ आम जनता को सुलभ कराने हेतु सरकारी व निजी अस्पतालों में हेल्प डेस्क की स्थापना कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड का लाभ आम जनता को सुलभ कराने हेतु सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में हेल्प डेस्क कियोस्क की स्थापना हेतु स्टेट नोडल अधिकारी, ए0बी0पी0एम0जे0ए0वाई0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 07-02-2023 के माध्यम से समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके क्रम में सूचीबद्ध निजी व सरकारी चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सालय परिसर में योजना के लाभार्थियों को योजना का लाभ सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हेल्प डेस्क-कियोस्क की स्थापना की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न नगरों के सरकारी अस्पतालों में प्रसव बाद मिलने वाले जननी सुरक्षा लाभ योजना के सम्बन्ध में

124-श्री अरमान खान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्रदेश के विभिन्न नगरों के सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद कुल कितने महिला

लाभार्थियों के उक्त योजना अन्तर्गत आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त के सापेक्ष कितने लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया गया तथा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में उक्त योजना अन्तर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कुल कितने लाभार्थियों के खाते में रकम ट्रान्सफर कर दी गई एवं कितने लाभार्थियों का भुगतान शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जिन आवेदकों/लाभार्थियों का भुगतान शेष हैं, उक्त में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उक्त भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्रदेश के विभिन्न नगरों के सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद कुल महिला लाभार्थियों की संख्या व भुगतान किये गये लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	कुल लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या जिनके खाते में रकम ट्रांसफर की गई	अवशेष लाभार्थियों की संख्या
2022-23	2421088	2100438	320650
2023-24	2568228	2280249	287979

जिन आवेदकों/लाभार्थियों का भुगतान शेष है, उक्त में विलम्ब के निम्नवत् कारण हैं :-

- लाभार्थी के नाम से बैंक खाता उपलब्ध न कराया जाना।
- जिन लाभार्थियों द्वारा बैंक विवरण उपलब्ध कराया जाता है उनका मिलान न हो पाना।
- प्रसव उपरान्त लाभार्थी बिना विवरण उपलब्ध कराये घर को चले जाते हैं, जिसके कारण भुगतान में विलम्ब होता है।

जिस लाभार्थी का भुगतान शेष रह जाता है, उसके भुगतान हेतु उक्त राशि को कमिटेड रूप में संरक्षित कर लिया जाता है। लाभार्थी द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने पर तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मानकों के अनुरूप डॉक्टरों के नियुक्ति कराए जाने के सम्बन्ध में

125-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना के बाद डेंगू महामारी के इलाज हेतु पश्चिम उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी के कारण मरीजों को इलाज नहीं मिल पाने से मरीजों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार पी0एच0सी0, सी0एच0सी0

में डाक्टरों की कमी को पूरा करने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। प्रदेश के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती, पुनर्नियोजन, वाक इन इन्टरव्यू, एन0एच0एम0 संविदा/रिवर्स बिडिंग के माध्यम से सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती कर उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी मेडिकल कालेज/एस0जी0पी0जी0आई0 में हेल्पलाइन विंग स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

126-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गम्भीर मरीजों के त्वरित इलाज के लिए प्रत्येक मेडिकल कालेजों तथा एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में हेल्पलाइन विंग बनाकर गम्भीर मरीजों की भर्ती कराने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

के0जी0एम0यू0, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ तथा कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ में हेल्पलाइन विंग संचालित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया में मत्स्य पालन हेतु संचालित योजनाओं को सभी मत्स्य पालकों हेतु उपलब्ध कराये जाने विषयक

127-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में मत्स्य पालन की कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं तथा वर्ष 2022-23 में उक्त योजनाओं का लाभ प्रदान करने का लक्ष्य क्या था एवं लक्ष्य के सापेक्ष कितने मत्स्य पालकों को योजना का लाभ मिला है ? क्या सरकार शेष मत्स्य पालकों को उक्त योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय कुमार निषाद-

जनपद बलिया में मत्स्य पालन की निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं-

1- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

2-मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

3-निषादराज बोट सब्सिडी योजना

4-मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना

1-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना वर्ष 2022-23					
क्र0 सं0	योजना	लक्ष्य		पूर्ति	
		लाभार्थी सं0	क्षेत्र0 हे0	लाभार्थी सं0	क्षेत्र0 हे0
1	निजी तालाब निर्माण	08	3.30	08	3.30
2	वायोफ्लाक पाण्ड	01	0.10	01	0.10
3	साइकिल विथ आइस बाक्स	06	-	06	-
4	बैकयार्ड	02	-	02	-
2-मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना वर्ष 2022-23					
क्र0 सं0	योजना	लक्ष्य		पूर्ति	
		लाभार्थी सं0	क्षेत्र0 हे0	लाभार्थी सं0	क्षेत्र0 हे0
1	ग्राम सभा पट्टे के तालाबों में निवेश	11	6.80	11	6.80

बजट व्यवस्था न होने के कारण वर्ष 2022-23 में निषादराज बोट सब्सिडी योजना एवं मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना का लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाया था। उपरोक्त प्राप्त लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य आवेदकों (मत्स्य पालकों) का आवेदन-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में 100 बेड के निर्माणाधीन अस्पताल को जनहित में शीघ्र पूर्ण कराकर शुरू कराये जाने विषयक

128-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया में निर्माणाधीन 100 बेड का अस्पताल को सरकार समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण कराकर संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में दवा आपूर्तिकर्ता कम्पनियों की जानकारी विषयक

129-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में दवा आपूर्ति का ठेका लेने वाली वर्तमान में कम्पनियां कौन-कौन सी हैं ? क्या सरकार ने उक्त कम्पनियों द्वारा मांग अथवा अनुबन्ध के अनुरूप दवाओं की आपूर्ति किये जाने की नीति बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ में वर्तमान में दवा आपूर्ति का ठेका लेने वाली कम्पनियों की संख्या-116 है। कम्पनियों की सूची संलग्न† है। जी हां। दवाओं की आपूर्ति एवं उपार्जन से सम्बन्धित ड्रग प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जनपदों में सरकारी मेडिकल कालेजों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

130-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन से जिले में सरकारी मेडिकल कालेज संचालित हैं ? क्या सरकार किसी निश्चित अवधि तक शेष जिलों में भी सरकारी मेडिकल कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के 27 जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, झाँसी, गोरखपुर, बाँदा, बदायूँ, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, फतेहपुर, मीरजापुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, एटा, देवरिया एवं जौनपुर में संचालित हैं।

केन्द्र सहायतित योजना, फेज-3 के अन्तर्गत प्रदेश के 14 जनपदों यथा-अमेठी, सुल्तानपुर, गोण्डा, पीलीभीत, कौशाम्बी, कुशीनगर, बिजनौर, औरैया, ललितपुर, कानपुर देहात,

---

नोट :-† देखिए नत्थी (झ) आगे पृष्ठ संख्या-252-254 पर।

सोनभद्र, चन्दौली, लखीमपुर खीरी, बुलन्दशहर में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है।

प्रदेश के 16 असेवित जनपदों यथा-बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, सन्तकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती जहाँ पर राजकीय एवं निजी क्षेत्र की संस्था का कोई मेडिकल कालेज स्थापित नहीं है, में पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। शेष अन्य जनपदों में सरकारी मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर में जेनेरिक दवा के मेडिकल स्टोर के संचालन के सम्बन्ध में

131-श्री जगदीश नारायण-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में सरकारी जेनेरिक दवाओं के मेडिकल स्टोर संचालित हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

जनपद जौनपुर में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में 04 जन-औषधि केन्द्र संचालित हैं, जिनके अन्तर्गत सस्ती दरों पर गुणवत्तायुक्त सरकारी जेनेरिक दवाओं की बिक्री की जाती है। जनपद जौनपुर में संचालित मेडिकल स्टोर की सूची निम्नवत् है :-

1-जिला चिकित्सालय, जौनपुर।

2-जिला महिला चिकित्सालय, जौनपुर।

3-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुजानपुर।

4-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहगंज।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पशु चिकित्सालयों को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में

132-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पशु चिकित्सालयों को उच्चीकृत करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं। जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कुल 10 पशु चिकित्सालय संचालित हैं, जो विभागीय मानक के अनुरूप हैं। अतः विधान सभा क्षेत्र बैरिया में संचालित पशु चिकित्सालयों को उच्चीकृत किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद बलिया में कुपोषित महिलाओं एवं बच्चों हेतु योजनाओं की जानकारी के सम्बन्ध में

133-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बलिया में कुपोषित महिलाओं और बच्चों की वर्तमान में संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि कुपोषण दूर करने के लिए कोई योजना संचालित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

कुपोषित महिलाओं की संख्या-502 तथा कुपोषित बच्चों की संख्या-9736 है। प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु निम्न योजनाएं/कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं :-

1-अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम।

2-एस0ए0जी0 योजना।

3-ग्रोथ मानिटरिंग डिवाइसेज।

4-सम्भव अभियान।

5-पोषण पाठशाला अभियान।

6-ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता पोषण दिवस।

7-समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन।

8-पोषण माह एवं पोषण पखवारा का आयोजन।

आवश्यकता नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी के सम्बन्ध में

134-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा बी0सी0जी0 टेक्नीशियन संवर्ग को समाप्त कर अन्य संवर्ग में विलय किये जाने के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने विषयक श्री अशोक कुमार रावत, सांसद लोक सभा मिश्रिख, हरदोई का पत्र दिनांक 06 मई, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ। महानिदेशालय के पत्र दिनांक 21-11-2023 द्वारा महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा बी0सी0जी0 टेक्नीशियन को उपयोगी मानते हुए अधियाचन प्रेषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर महानिदेशालय स्तर से अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के कालपी नगर में ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व के स्थल को सुरक्षित कर सौन्दर्यीकरण का कार्य कराने विषयक

135-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कालपी नगर के ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व के स्थलों को संरक्षित तथा सौन्दर्यीकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद जालौन के महर्षि वेद व्यास मन्दिर परिसर में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-53/2024/5790/001-41-2-2023-522 (बजट)/2023, दिनांक 19-02-2024 द्वारा धनराशि रु0 85.44 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। कालपी नगर के ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व के सम्बन्धित स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक होने के कारण प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत आते हैं। प्राचीन एवं संरक्षित स्मारकों के जीर्णोद्धार/संरक्षण/विकास का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। उक्त कार्य पर्यटन विभाग के कार्य क्षेत्रान्तर्गत नहीं आता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में राजकीय पशु चिकित्सालय में मानक के अनुसार चिकित्सा की व्यवस्था करने विषयक

136-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में कितने राजकीय पशु चिकित्सालय हैं तथा कितने चिकित्सालयों में चिकित्सकों व उपकरणों की व्यवस्था उपलब्ध है ? क्या सरकार उपरोक्त केन्द्रों पर मानक के अनुसार पशु चिकित्सकों की तैनाती व उपकरणों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां, जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में पशु चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	पशु चिकित्सालयों का नाम	चिकित्सकों का नाम	पदनाम	तैनात/ अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1	कदौरा	डा0 अखिलेश त्रिपाठी	पशु चिकित्साधिकारी	अतिरिक्त प्रभार

1	2	3	4	5
2	कालपी	डा0 अखिलेश त्रिपाठी	उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	तैनात
3	आटा	डा0 अखिलेश कुमार सिंह	पशु चिकित्साधिकारी	तैनात
4	महेवा	डा0 बालेन्द्र सिंह	पशु चिकित्साधिकारी	तैनात
5	न्यामतपुर	डा0 सतीश चन्द्र	पशु चिकित्साधिकारी	तैनात
6	बाबई	डा0 गौरव	पशु चिकित्साधिकारी	तैनात
7	कुठौन्द	डा0 रवि कुमार	पशु चिकित्साधिकारी	तैनात

उपरोक्त 07 पशु चिकित्सालयों में 06 पशु चिकित्साधिकारी पदस्थ हैं तथा 01 पर अतिरिक्त प्रभार है। उपरोक्त सभी पशु चिकित्सालयों में उपकरणों की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। जी हां। पशु चिकित्साधिकारी संवर्ग में विभिन्न पदों पर सेवानिवृति व पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। पशु चिकित्साधिकारियों के रिक्त 27 एवं 397 अर्थात् कुल मिलाकर 424 पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अधियाचन उ0प्र0, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है, जिसमें 27 पद विज्ञापित हो चुके हैं। उक्त अस्पतालों में दवा, वैक्सीन एवं उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था है तथा पशुओं का उपचार समुचित रूप से किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की जानकारी के सम्बन्ध में

137-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्तियों को जिला अस्पतालों से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विगत 5 वर्षों के दौरान उक्त हेतु जिला अस्पतालवार जारी किए गए स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रों की संख्या सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त कार्य किसी भी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किया जा सकता है।

जनपद झांसी के धसान नदी पर तपोभूमि विश्वामित्र की जन्म स्थली तक पक्की सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक

138-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गुरसराय के ग्राम गढ़ा में धसान नदी पर तपोभूमि विश्वामित्र की जन्म स्थली एवं अन्य मन्दिरों तक आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पक्की सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-208940, दिनांक 04 सितम्बर, 2023 प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। प्रकरण में जिलाधिकारी, झांसी से शासन के पत्र संख्या-1/554277/2024, दिनांक 03-05-2024 द्वारा आख्या मांगी गयी थी। जिलाधिकारी, झांसी द्वारा अपने पत्र संख्या-1436/धर्मार्थ मार्ग प्रस्ताव/2024-25, दिनांक 02-07-2024 द्वारा 34 मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं विकास का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उक्त मार्ग भी सम्मिलित है। धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु शासनादेश दिनांक 23-04-2024 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर उक्त मार्ग के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने विषयक

139-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आम-जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार जनहित में उक्त केन्द्रों पर दवाओं की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ई0डी0एल0 सूची के अनुसार 194 प्रकार की दवायें व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ई0डी0एल0 सूची के अनुसार 90 प्रकार की दवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के जय प्रकाश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाँच मशीनें एवं दवायें उपलब्ध कराये जाने विषयक

140-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया स्थित जय प्रकाश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाँच मशीनों के न होने व दवाओं के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को इलाज में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्र पर मरीजों की जाँच के उपकरण लगवाने तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया स्थित जय प्रकाश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यक दवायें एवं जाँच मशीनें (हेल्थ ए0टी0एम0, एक्स-रे मशीन, एलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, यूरिन एनालाइजर, कौगूलेशन, ई0एस0आर0 एम्बुलेंस) उपलब्ध हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत गौशालाओं में मवेशियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

141-डा0 वीरेन्द्र यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत गौशालाओं में मवेशियों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण जानवर की भूख-प्यास के कारण मृत्यु हो जाती है ? क्या सरकार आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए कोई ठोस नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद-गाजीपुर में 54 अस्थायी गो-आश्रय स्थल, 01 कांजी हाउस, 02 कान्हा गौशाला एवं 03 वृहद् गौ-संरक्षण संचालित हैं, जिनमें 11151 गौ-वंश संरक्षित हैं। उक्त समस्त गौशालाओं में गौ-वंश के भरण-पोषण एवं संरक्षण के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। शासनादेश संख्या-2275/सैंतीस-2-2023-5 (53)/2018, दिनांक 20-09-2023 द्वारा संरक्षित निराश्रित गौ-वंश के भरण-पोषण हेतु दी जा रही अनुदान धनराशि रु0 30/- प्रति गौ-वंश प्रतिदिन को बढ़ाकर रु0 50/- प्रति गौ-वंश प्रतिदिन कर दिया गया है। शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौ-वंश के संचालन, प्रबन्धन व भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर

निकायों में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वीकृत पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में

142-डा0 वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वीकृत पदों पर तैनाती करने की कोई योजना है तथा केन्द्र पर स्वीकृति के सापेक्ष वर्तमान में कितने कर्मचारी तैनात हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद गाजीपुर में 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 63 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। जिनमें स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1	चिकित्साधिकारी (लेवल-1/2/3)	152	94	58
2	चीफ फार्मासिस्ट	13	13	00
3	फार्मासिस्ट	105	70	35
4	लैब टेक्नीशियन	30	30	00
5	एक्स-रे टेक्नीशियन	18	10	08
6	डार्करूम सहायक	13	13	00
7	उपचारिका	74	46	28
8	डेन्टल सर्जन	14	14	00
9	डेन्टल हाइजिनिस्ट	14	09	05
10	स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला	531	410	121
11	स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष	170	28	142
12	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला	80	06	74
13	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष	112	41	71
14	जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी	1	0	1

1	2	3	4	5
15	उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी	2	2	0
16	सहायक अपर शोध अधिकारी	21	04	17
17	पी0एच0एम0	1	0	1
18	डी0पी0एच0एम0	1	0	1
19	आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर	1	1	0
20	रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	1	0	1
21	एल0ए0	44	44	00
22	चतुर्थ श्रेणी	279	141	138
23	वाहन चालक	47	23	24
24	एन0एम0ए0	82	12	70
25	एम0एम0एस0	18	15	03
26	आप्टोमेट्रिस्ट	15	10	05
27	लिपिक	66	49	17
28	स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी	17	05	12

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल मुरादाबाद स्थित आई0सी0यू0 यूनिट में स्टाफ की तैनाती करने विषयक

143-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल मुरादाबाद की एम0सी0 एच0 विंग के आई0सी0यू0 यूनिट में विगत तीन वर्ष से स्टाफ की तैनाती नहीं होने से स्थापित वेंटीलेटर संचालित नहीं होने की जानकारी सरकार को है ? क्या सरकार जिला अस्पताल मुरादाबाद की आई0सी0यू0 यूनिट में स्टाफ तैनात करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जिला चिकित्सालय (महिला), मुरादाबाद के एम0सी0एच0 विंग में आई0सी0यू0 यूनिट स्थापित नहीं है, अपितु उक्त चिकित्सालय के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एस0एन0सी0यू0) में पीडियाट्रिक वेंटीलेटर संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत बेवा में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय बनाने के सम्बन्ध में

144-श्रीमती सैय्यदा खातून-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत बेवा में संचालित सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेवा 30 शैय्यायुक्त चिकित्सालय है, जहाँ पर प्रतिमाह लगभग 5000 ओ0पी0डी0, 1200 आई0पी0डी0, 600 इमरजेन्सी ओ0पी0डी0 एवं प्रसव की संख्या-100 है। चिकित्सालय के अधीन नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या-9 व उपकेन्द्रों की संख्या-45 है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेवा से माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर की दूरी लगभग 60 किमी0 है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस को चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 06-05-2017 के अनुसार प्रदेश में चिकित्सकीय/पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के दृष्टिगत विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न किये जाने तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है। अतः सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय बनाये जाने का अवसर नहीं है।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों के प्राचार्य एवं अन्य पदों की नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु नवीन नेशनल मेडिकल कमीशन (एन0एम0सी0) के मानदण्ड के सम्बन्ध में

145-श्रीमती सैय्यदा खातून-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में प्राचार्य/संकाय/चिकित्सा अधीक्षकों की नियुक्ति एवम् पदोन्नति के लिए नवीन नेशनल मेडिकल कमीशन एन0एम0सी0 के मानदण्ड क्या हैं ? क्या सरकार ने प्रदेश में समस्त चरण-1, चरण-2, चरण-3 मेडिकल कालेजों में नियुक्ति में एकरूपता की नीति बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 14-02-2022 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2022 में प्राचार्य/संकाय/चिकित्सा अधीक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिये मानदण्ड निर्धारित है, जो कि एन0एम0सी0 की साइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनएमसी.ओआरजी.इन) पर अवलोकनीय है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में पर्याप्त डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में

146-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय मैनपुरी में मानकानुसार डाक्टर की तैनाती न होने के कारण मरीजों को असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त अस्पताल में मानकानुसार डाक्टरों की तैनाती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति एवं तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है। चिकित्सकों की नियुक्ति सीधी भर्ती, एन0एच0एम0, पुनर्योजन तथा वॉक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से की जाती है। चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत लम्बित आयुष्मान कार्ड के निस्तारण के सम्बन्ध में

147-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत लाखों की संख्या में आयुष्मान कार्ड लम्बित होने से जरूरतमन्दों को इलाज नहीं मिल पा रहा है ? क्या सरकार गरीबों के हित में लम्बित आयुष्मान कार्डों का निस्तारण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

जी हाँ।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों का आधार आधारित बॉयोमैट्रिक ई-के0वाई0सी0 के माध्यम से विवरण मिलान के पश्चात् तत्काल आयुष्मान कार्ड निर्गत किये जाने का प्राविधान है। किन्हीं कारणों से यदि आधार ई-के0वाई0सी0 के पश्चात् विवरण का मिलान नहीं हो पाता है, तो कार्ड लम्बित हो जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में लाभार्थियों को इलाज की आवश्यकता होती है। उनमें तत्काल कार्यवाही करते हुये प्रकरण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करते हुये समस्या का समाधान किया जाता है एवं लाभार्थी का योजनान्तर्गत इलाज सुनिश्चित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी में कैंसर अस्पताल की स्थापना विषयक

148-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत कौशाम्बी में कैंसर अस्पताल की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद कौशाम्बी में कैंसर अस्पताल की स्थापना किये जाने की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधायें (कैंसर टर्शरी केयर यूनिट लेवल-3) मेडिकल कालेज स्तर की सुविधा है। जनपद कौशाम्बी में कैंसर के मरीजों के समुचित इलाज हेतु मेडिकल कालेज को सन्दर्भित कर दिया जाता है, जहाँ पर कैंसर विशेषज्ञ द्वारा इलाज किया जाता है।

कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, लखनऊ में एस0जी0पी0जी0आई0 की भाँति सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने विषयक

149-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, लखनऊ में एस0जी0पी0जी0आई0 की भांति सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उक्त संस्थान को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के समकक्ष दर्जा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में विभिन्न गम्भीर रोगों से ग्रसित मरीजों को अति विशिष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ चिकित्सा विज्ञान के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों का अध्यापन भी किया जाता है, जबकि कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ में कैंसर रोग की अति विशिष्ट चिकित्सा की जाती है। इस प्रकार संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ से भिन्न है।

जनपद बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर व भुआल छपरा नौरंगा में रिक्त पदों पर डाक्टरों की नियुक्ति विषयक

150-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर व भुआल छपरा नौरंगा में कितने डाक्टरों के पद सृजित हैं और वर्तमान समय में कितने डाक्टर कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर डाक्टरों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीनगर में चिकित्साधिकारी के 01 स्वीकृत पद के सापेक्ष 01 चिकित्सक कार्यरत हैं तथा प्रा0स्वा0 केन्द्र, भुआल छपरा नौरंगा में चिकित्साधिकारी के 01 स्वीकृत पद के सापेक्ष 01 चिकित्सक कार्यरत है। चिकित्सक का कोई पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी में गुरुसराय के ग्राम गुढ़ा में धसान नदी पर तपोभूमि विश्वामित्र की जन्म स्थली तक एवं अन्य मन्दिरों के मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

151-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में गुरुसराय के ग्राम गुढ़ा में धसान नदी पर तपोभूमि विश्वामित्र की जन्म स्थली तक एवं अन्य मन्दिरों तक मार्ग निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र क-7 सं0-208902, दिनांक 28 जुलाई, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के एरच में श्री भक्त प्रहलाद जी सहित भगवान नृसिंह जी की प्रतिमा स्थापित कराये जाने विषयक

152-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एरच में श्री भक्त प्रहलाद जी सहित भगवान नृसिंह जी की प्रतिमा स्थापित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक

07 सितम्बर, 2022 एवं अध्यक्ष श्री भक्त प्रहलाद, जन-कल्याण संस्थान, झांसी के अनुरोध के सन्दर्भ में निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं0 : 2680/स0नि0-25 (2)/2021-22, दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 द्वारा जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी से 10 बिन्दुओं पर संस्तुति मांगी गयी है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, झांसी के पत्र द्वारा प्राप्त आख्या के क्रम में प्रश्नगत मूर्तियों के निर्माण हेतु कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीज की मृत्यु होने पर शवों को उनके घर भेजने हेतु परिजनों को धनराशि भेजने की व्यवस्था किये जाने विषयक

153-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में मरीज की मृत्यु होने पर मरीज के शव को उसके घर तक पहुँचाने के लिए एक निश्चित धनराशि उसके परिजन के खाते में ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। सरकारी चिकित्सालयों में भर्ती मरीज की मृत्यु होने पर आवश्यकतानुसार मृत शरीर को जनपद में उसके घर तक पहुँचाने के लिए शव वाहन प्रत्येक जनपद में जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है, जिन्हें परिजनों के आग्रह पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। परिजनों के खाते में धनराशि भेजने की व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बे में पोस्टमार्टम हाउस की स्थापना कराये जाने विषयक

154-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बे में पोस्टमार्टम हाउस की स्थापना कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद झाँसी में 02 पोस्टमार्टम हाउस स्थापित एवं संचालित हैं, जहाँ पर पोस्टमार्टम का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। एक पोस्टमार्टम हाउस तहसील मऊरानीपुर में गुरुसराय कस्बे से 55 किमी0 तथा दूसरा पोस्टमार्टम हाउस मेडिकल कालेज, झाँसी में गुरुसराय कस्बे से लगभग 70 किमी0 की दूरी पर स्थित है। उक्त के दृष्टिगत वर्तमान में जनपद झाँसी के गुरुसराय कस्बे में पोस्टमार्टम हाउस की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पोस्टमार्टम के कार्य को 24 घण्टे कराये जाने विषयक

155-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पोस्टमार्टम कार्य को 24 घण्टे कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

शासनादेश दिनांक 23-11-2021 द्वारा सूर्यास्त के उपरान्त पोस्टमार्टम का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके क्रम में कुछ परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार 24 घण्टे पोस्टमार्टम किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गाय के गोबर/मूत्र से गोबर गैस संयत्र संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में

156-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गाय के गोबर/ मूत्र से प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से गोबर गैस संयंत्र संचालित करवाने की व्यवस्था करते हुए गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में लाने की कोई नीति बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह

जी हाँ। शासनादेश संख्या-261/सैंतीस-2-2019-5 (53)/18, दिनांक 28-01-2019 में गौ-आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु गाय के गोबर/गौ-मूत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पाद यथा-गमले, धूपबत्ती, गौ पेन्ट, पंचगव्य का निर्माण किये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-467/सैंतीस-2-2023-5(53)/18, दिनांक 22-02-2023 के माध्यम से उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अधीन गौ-वंश आश्रय स्थलों में सी0बी0जी0 संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से गोबर गैस संयंत्र संचालित करवाने की व्यवस्था करते हुए गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में लाने की नीति बनाये जाने का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज को एम्स का दर्जा देने के सम्बन्ध में

157-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झाँसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज को एम्स के रूप में विकसित करने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

महरानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज को एम्स के रूप में विकसित किये जाने की कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानार।

प्रदेश में गौशालाओं में गौ-वंशों की मृत्यु के सम्बन्ध में

158-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित गौशालाओं में प्रायः गाय एवं गौ-वंश मर रहे हैं ? क्या सरकार ने उक्त की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं। प्रदेश में संचालित समस्त गौ-आश्रय स्थलों में सामान्यतः वृद्ध, अस्वस्थ/बीमार एवं उपचाराधीन गौ-वंश की मृत्यु होती है। जी हां। शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5 (53)/2018, दिनांक 02-01-2019 द्वारा निराश्रित गौ-वंशों के संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु नीति निर्धारित की गयी है। नीति के अन्तर्गत कुल 7504 अस्थायी/स्थायी गौ-आश्रय स्थलों में कुल 11,67,581 गौ-वंश संरक्षित कर उनका भरण-पोषण किया जा रहा है एवं मा0 मुख्य मंत्री सहभागिता योजना के अन्तर्गत 1,42,671 गौ-वंश सुपुर्दगी में दिये गये हैं। उक्त नीति के प्रस्तर संख्या-3.8.3 में संरक्षित गौ-वंश के स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, कृमिनाशक दवापान, बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान के साथ-साथ मृत पशुओं का शव परीक्षण इत्यादि का कार्य पूर्णतः निःशुल्क (लेवी से मुक्त) किये जाने का प्राविधान है। शासनादेश संख्या-1706/सैंतीस-2-2018-5 (53)/2018 टी0सी0-6, दिनांक 17-07-2023 के माध्यम से निराश्रित गौ-वंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गो आश्रय स्थलवार माइक्रो मैनेजमेंट के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश संख्या-2275/सैंतीस-2-2023-5 (53)/2018, दिनांक 20-09-2023 द्वारा संरक्षित निराश्रित गौ-वंश के भरण-पोषण हेतु दी जा रही अनुदान धनराशि रु0 30/- प्रति गौ-वंश प्रतिदिन को बढ़ाकर रु0 50/- प्रति गौ-वंश प्रतिदिन कर दिया गया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों के भरण-पोषण की धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 द्वारा किया जा रहा है। साथ ही निराश्रित गौ-वंश को शत-प्रतिशत संरक्षित किये जाने हेतु दिनांक 01-11-2023 से दिनांक 15-02-2024 तक विशेष अभियान चलाया गया है। इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा बेसहरा गौ-वंशों के संरक्षण के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार ठोस एवं सार्थक योजनाएं बनायी गयी हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने विषयक

159-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ट्रामा सेन्टर स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया से लगभग 35 से 40 किमी0 की दूरी पर जिला चिकित्सालय, बलिया में ट्रामा सेन्टर स्थापित एवं संचालित है। भारत सरकार की ट्रामा केयर गाइडलाइन के अनुसार 02 निकटवर्ती ट्रामा सेन्टरों के मध्य 100 किमी0 की न्यूनतम दूरी निर्धारित है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 06-05-2017 के अनुसार प्रदेश में चिकित्सकीय/पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के दृष्टिगत विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न किये जाने तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

प्रदेश में निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों में क्लास रूम, हॉस्टल, सीनियर डॉक्टर के आवास की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में

160-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में एक ही स्थान पर ओ0पी0डी0 एवं विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित ऑपरेशन, इलाज, नए विद्यार्थियों के लिए क्लास रूम, हॉस्टल, सीनियर डॉक्टर के लिए आवास आदि की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

अवगत कराना है कि निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में ओ0पी0डी0 एवं विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित ऑपरेशन, इलाज, नए विद्यार्थियों के लिए क्लास रूम, हॉस्टल, सीनियर डॉक्टर के लिए आवास आदि की व्यवस्था नेशनल मेडिकल कमीशन (एन0एम0सी0) के मानकों के अनुसार ही व्यवस्थित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कैंसर/किडनी/हार्ट के मरीजों को आयुष्मान कार्ड जारी किये जाने विषयक

161-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कैंसर/किडनी/हार्ट के मरीजों को आयुष्मान कार्ड जारी किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-7 नं0-08101, दिनांक 22 अगस्त, 2022 अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

उक्त पत्र के क्रम में चिकित्सा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-वी0आई0पी0-65/पांच-1-2022, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 द्वारा मा0 सदस्य को यह अवगत कराया गया है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभार्थी समूह पूर्व निर्धारित मानकों पर निर्धारित है, उक्त मानकों के अनुसार लाभार्थियों का चयन करते हुये डाटाबेस स्थिर किया जा चुका है, जिसमें वर्तमान स्थिति में किसी नये समूह को सम्मिलित किया जाना प्राविधानित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत कैंसर/किडनी/हार्ट के मरीजों के इलाज का प्राविधान है और तत्समय तक उक्त बीमारियों से ग्रसित 68,423 मरीजों को योजनान्तर्गत निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया है, जिसके 1,90,373 दावे प्रस्तुत हुये हैं।

प्रदेश में स्थापित गौ-आश्रयों में चारे की निरन्तर आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में

162-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित गौ-आश्रयों में चारे की व्यवस्था की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही निश्चित की गयी है ? यदि हां, तो किस अधिकारी की ? क्या यह सही है कि चारे की धनराशि समय पर न पहुंचने से चारे के अभाव में भूख से जानवर मर भी जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गौ-आश्रयों में चारे की निरन्तरता बनाये रखने के लिए समुचित प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ। शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 द्वारा अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौ-वंश के संचालन, प्रबन्धन व भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में संचालित गौ-आश्रय स्थलों में ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान तथा शहरी क्षेत्र में संचालित गौ-आश्रय स्थलों में अधिशासी अधिकारी नगर निकाय/नगर पालिका को संरक्षित निराश्रित गोवंशों के भरण-पोषण हेतु चारे की व्यवस्था/दायित्व निर्धारित किया गया है। जी नहीं। शासनादेश संख्या-2275/सैंतीस

-2-2023-5(53)/2018, दिनांक 20-09-2023 द्वारा संरक्षित निराश्रित गौ-वंश के भरण-पोषण हेतु दी जा रही अनुदान धनराशि रु0 30/- प्रति गौ-वंश प्रतिदिन को बढ़ाकर रु0 50/- प्रति गौ-वंश प्रतिदिन दिया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों के भरण-पोषण की धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 द्वारा किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में कुल 2176 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हरे चारे की बुआई कराई जा रही है। वर्ष पर्यन्त गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गौ-वंश के भरण-पोषण हेतु भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 1,71,79,630.20 कुन्तल भूसा संग्रहीत किया गया है। जनपदों में चारे की समुचित उपलब्धता/आपूर्ति एवं निरन्तरता बनाये रखने हेतु भूसा एवं साइलेज के टेण्डर किये गये हैं।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों की पूर्व सेवाओं को जोड़े जाने हेतु शासन को आख्या प्रेषित न किये जाने विषयक

163-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1395089/2023, अनुस्मारक-पत्र सं0-1430916/2023, जो कि एस0जी0 पी0जी0आई0 में कार्यरत कर्मचारियों की पूर्व सेवाओं के जोड़ने से सम्बन्धित प्रकरण की आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त प्रकरण में एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा वर्तमान तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ? क्या सरकार एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा जवाब न देने वाले दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए पीड़ित कर्मचारियों की पूर्व सेवाओं को जोड़ते हुए परिणामी लाभ सरकार दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के पत्र दिनांक 24-06-2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति न होने के कारण प्रकरण में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के पशु चिकित्सालयों को उच्चीकृत किये जाने विषयक

164-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के पशु चिकित्सालयों को उच्चीकृत करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कुल 10 पशु चिकित्सालय संचालित हैं, जो विभागीय मानक के अनुरूप हैं। अतः विधान सभा क्षेत्र बैरिया में संचालित पशु चिकित्सालयों को उच्चीकृत किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के सभी सी0एच0सी0, पी0एच0सी0, अर्बन सेण्टर में फर्नीचर की उपलब्धता विषयक

165-डॉ0 वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय स्टोर इन्चार्ज द्वारा जनपद के सभी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0, अर्बन सेंटर तथा कार्यालय में कुर्सी, मेज, अलमारी, रैक अलमारी, टब, बाल्टी, स्टूल तथा अन्य किस-किस सामान की खरीददारी दिनांक 01-04-2020 से 31-03-2024 तक की गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 व अर्बन सेन्टर में पूर्ण फर्नीचर न होने के कारण असुविधा हो रही है ? क्या सरकार सभी सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 व अर्बन सेन्टर में फर्नीचर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

दिनांक 01-04-2020 से 31-03-2024 तक जनपद शाहजहाँपुर के सभी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0, अर्बन सेन्टर तथा कार्यालय में कुर्सी, मेज, अलमारी, रैक अलमारी, टब, बाल्टी, स्टूल सहित चिकित्सालयों तथा कार्यालय में प्रयोग होने वाले फर्नीचर/सामग्री का क्रय किया गया है। उपरोक्तानुसार उपलब्धता है। समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुसार फर्नीचर/सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0जी0आर0एस0 संख्या-18152230156133 पर कृत कार्यवाही की जानकारी के सम्बन्ध में

166-डॉ0 वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का आई0जी0आर0एस0 संख्या-18152230156133 जो जनपद शाहजहांपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के जूनियर इंजीनियर के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ। आई0जी0आर0एस0 संख्या-18152230156133 से सम्बन्धित मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 03-08-2023 प्राप्त हुआ है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढिया रंगीन की सुविधाओं एवं अधूरे निर्माण को कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किये जाने

का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढिया रंगीन में विभिन्न कार्यों हेतु रुपये 49,13,029.00 की धनराशि आवंटित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जिलों में जिला अस्पतालों की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में

167-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला अस्पताल की व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार जिन जिलों में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, उनको चिहिन्त कर जिला अस्पताल स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

वर्तमान में प्रदेश में 108 जिला स्तरीय चिकित्सालय तथा 261 विशिष्ट चिकित्सालय स्थापित एवं संचालित हैं। (सूची संलग्न)† उपरोक्तानुसार प्रदेश के 27 जनपदों के जिला स्तरीय चिकित्सालयों को चिकित्सा शिक्षा के अधीन स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा चुका है, जहाँ पर आम-जन को जिला चिकित्सालय से उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। इन जनपदों में जिला चिकित्सालय की स्थापना किये जाने की उक्त स्वशासी वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मेडिकल कालेज के द्वारा भी जनता का चिकित्सा उपचार किया जाता है।

जनपद शाहजहांपुर में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय की जांच के सम्बन्ध में

168-डा0 वीर विक्रम सिंह-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का आई0जी0आर0एस0 मुख्य मंत्री सन्दर्भ संख्या-18150230104361, दिनांक 09-05-2023 जो जनपद शाहजहांपुर में आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग चिकित्सालय बन्द रहने की जांच के सम्बन्ध में था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

आई0जी0आर0एस0 (जनसुनवाई शिकायत सन्दर्भ) संख्या-18150230104361 (समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उ0प्र0) के माध्यम मा0 वीर विक्रम सिंह (प्रिन्स), विधायक, कटरा, शाहजहाँपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-09-06-2023 (जो कदाचित प्रश्न में दिनांक 09-05-2023 अंकित हो गया है) के माध्यम से जनपद शाहजहाँपुर के सभी आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय अधिकतर बन्द रहने की शिकायत हेतु नामित जाँच अधिकारी डा0 सुदीप सहाय बेदार, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत द्वारा शीघ्र जाँच कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। मा0 विधायक द्वारा की गयी

नोट :-† देखिए नत्थी (ञ) आगे पृष्ठ संख्या-255-266 पर।

शिकायत के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-240/डीएयूओ-2446/1978/सामान्य, अधि0, दिनांक 22-06-2023 द्वारा प्रकरण की जाँच हेतु डा0 सुदीप सहाय बेदार, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत को प्रकरण की जाँच करते हुए यथाशीघ्र जाँच रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में जाँच अधिकारी डा0 सुदीप सहाय बेदार, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत द्वारा जाँच के उपरान्त अपने पत्र दिनांक 16-08-2023 द्वारा जाँच आख्या निदेशक, आयुर्वेद सेवायें को उपलब्ध करायी गयी। उक्त जाँच रिपोर्ट में जाँच अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया कि निरीक्षण में साफ-सफाई के अतिरिक्त कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गयी (जाँच रिपोर्ट संलग्न† है)। श्री वीर विक्रम सिंह (प्रिन्स), मा0 सदस्य, विधान सभा, कटरा, शाहजहाँपुर द्वारा पुनः आई0जी0आर0एस0 संख्या-18150230252549 के माध्यम से अपने पत्र दिनांक 29-11-2023 द्वारा आई0जी0आर0एस0 संख्या-18150230104361 का उल्लेख करते हुए प्रकरण के सम्बन्ध में आयुर्वेद विभाग के किसी अन्य उच्च अधिकारी के माध्यम से जाँच कराये जाने का अनुरोध किया गया। मा0 विधायक द्वारा किये गये उक्त अनुरोध के क्रम में निदेशक, आयुर्वेद सेवायें के आदेश संख्या-489/18ए-411/2016, अधि0, दिनांक 08-02-2024 द्वारा डा0 जुगल किशोर राना, उप निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 को प्रकरण की जाँच सम्पादित किये जाने हेतु पुनः जाँच अधिकारी नामित किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा दिनांक 19-02-2024 को जाँच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसके अनुसार जाँच अधिकारी द्वारा दिनांक 16-02-2024 को जनपद शाहजहाँपुर के 05 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों क्रमशः वीरसिंहपुर, तिलहर, रामपुर दक्षिणी, मीरानपुर कटरा तथा मा0 विधायक जी के गाँव में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, डभौरा (शाह) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उक्त सभी चिकित्सालय खुले पाये गये एवं उक्त चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्टाफ उपस्थित पाये गये। ग्रामवासियों तथा ग्राम प्रधान द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि उक्त चिकित्सालय खुलते हैं तथा आने वाले रोगियों का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार औषधि वितरण किया जाता है (जाँच रिपोर्ट संलग्न† है)।

जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या के परिप्रेक्ष्य में जन-सुनवाई शिकायत सन्दर्भ संख्या-18150230252549 तथा संख्या-18150230104361 निक्षेपित हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर के स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति विषयक

169-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर के स्वीकृत पदों के सापेक्ष

---

† छापी नहीं गई।

वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्ति कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत 19659 पदों के सापेक्ष 14794 पद भरे हुए हैं, [इसमें नियमित, वॉक-इन-इन्टरव्यू, पुनर्योजन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा) चिकित्सक सम्मिलित हैं] तथा वर्तमान में 4865 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। प्रदेश में चिकित्सकों की नियुक्ति एवं तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो चिकित्सकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है। चिकित्सकों की नियुक्ति सीधी भर्ती, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा), पुनर्योजन तथा वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मत्स्य पालन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने विषयक

170-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मत्स्य पालन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय कुमार निषाद-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई मत्स्य नीति घोषित नहीं की गई है, परन्तु मत्स्य पालन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एवं राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना एवं मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना प्रारम्भ की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति विषयक

171-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में डाक्टरों/सर्जन के कितने पद स्वीकृत हैं व स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में कितने डाक्टर कार्यरत हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त रिक्त पदों पर डाक्टर की नियुक्ति न होने तथा उक्त चिकित्सालय के किसी भी विशेषज्ञ डाक्टर से पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिससे ओ0पी0डी0 के संचालन में बाधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ में चिकित्सकों के कुल 85 स्वीकृत पदों के सापेक्ष सभी पद भरे हुए हैं। जी नहीं। चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों की माह के 10 दिवसों में रोस्टर के अनुसार पोस्टमार्टम ड्यूटी लगायी जाती है। उक्त दिवसों में ओ0पी0डी0 निर्बाध रूप से संचालित होती है तथा मरीजों का समुचित चिकित्सा उपचार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वीकृत पदों विषयक

172-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने कर्मचारी तैनात तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार स्वीकृत पदों के सापेक्ष कर्मचारी की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्रों में कुल 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। जिसमें तैनात कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :-

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
डाक्टर	106	69	37
चीफ फार्मासिस्ट	12	13	01
फार्मासिस्ट	45	32	13
लैब टेक्नीशियन	20	16	04
एक्स-रे टेक्नीशियन	19	09	10
डार्करूम सहायक	19	12	07
उपचारिक	58	48	10
वरिष्ठ सहायक	19	17	02

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बैरिया में पशु अस्पतालों में दवाओं की व्यवस्था करने विषयक

173-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पशु अस्पतालों में दवाओं की समुचित व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित समस्त पशु चिकित्सालयों पर सभी आवश्यक दवाएं समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में पशु अस्पतालों में चिकित्सकों तथा दवाओं की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में

174-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में पशु अस्पतालों में चिकित्सकों तथा दवाओं की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को पशु इलाज कराने में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त अस्पताल में चिकित्सकों एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत कुल 06 पशु चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें से 05 पशु चिकित्सालयों पर पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	कार्यरत चिकित्सकों का नाम	पशु चिकित्सालय का नाम
1	डा0 अश्विनी कुमार सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदर, गाजीपुर
2	डा0 रजनीश कुमार, पशु चिकित्साधिकारी	करण्डा, गाजीपुर
3	डा0 जर्नादन यादव, पशु चिकित्साधिकारी	चोचकपुर, गाजीपुर
4	डा0 संजय सिंह, पशु चिकित्साधिकारी	बड़सरा, गाजीपुर

क्र0-सं0	कार्यरत चिकित्सकों का नाम	पशु चिकित्सालय का नाम
5	डा0 विवेक कुमार, पशु चिकित्साधिकारी	नन्दगंज, गाजीपुर
6	डा0 रजनीश कुमार, पशु चिकित्साधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)	मैनपुर, गाजीपुर

रिक्त पशु चिकित्सालय पर स्थानीय व्यवस्था अन्तर्गत निकटस्थ/पदस्थ पशु चिकित्सा अधिकारियों से कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। उपरोक्तानुसार पशु चिकित्सालयों में दवा, वैक्सीन एवं उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था है तथा समुचित रूप से पशुओं का उपचार किया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त एम0वी0यू0 के माध्यम से भी पशुचिकित्सा की सेवायें प्रदान की जा रही हैं। जी हां, पशु चिकित्साधिकारी संवर्ग में विभिन्न पदों पर सेवानिवृति व पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। पशु चिकित्साधिकारियों के रिक्त 27 एवं 397 अर्थात् कुल मिलाकर 424 पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अधियाचन उ0प्र0, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है, जिसमें 27 पद विज्ञापित हो चुके है। उक्त अस्पतालों में दवा, वैक्सीन एवं उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था है तथा पशुओं का उपचार समुचित रूप से किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ट्रामा सेण्टर स्थापित करके पूर्ण क्षमता से संचालित करने के सम्बन्ध में

175-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ट्रामा सेण्टर स्थापित है ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के कुल 46 जनपदों में चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग के अधीन ट्रामा सेण्टर स्थापित हैं। प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग के 42 ट्रामा सेण्टर क्रियाशील हैं तथा शेष 04 ट्रामा सेण्टर में मानव संसाधन की तैनाती प्रक्रियाधीन है। (सूची संलग्न)† जिला चिकित्सालयों में ट्रामा सेण्टर की स्थापना कराये जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न मेडिकल कालेजों में भी ट्रामा सेण्टर क्रियाशील है

प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती करने विषयक

176-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद

नोट :-† देखिए नत्थी (ट) आगे पृष्ठ संख्या-267-268 पर।

रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

जी हाँ। स्वीकृत पदों के सापेक्ष होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची संलग्न है। जी हाँ। उक्त पदों की कार्यवाही सम्बन्धित आयोगों द्वारा की जाती है, अतः समय का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों की फसलों को छुट्टा जानवरों से बचाने विषयक

177-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छुट्टा जानवरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों द्वारा खेतों में लगाए गये कंटीले और ब्लेड वाले लोहे के तार को प्रतिबन्धित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की फसलों की छुट्टा जानवरों से बचाने के लिए कोई ठोस एवं सार्थक नीति बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ। शासनादेश संख्या-2627/सैंतीस-1-2022, दिनांक 21-09-2022 के माध्यम से पशु क्रूरता रोके जाने एवं किसानों द्वारा उपयोग किये जाने वाले ब्लेड वाले/ कंटीले तारों का उपयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। किसानों की फसलों को निराश्रित गौ-वंशों से बचाने के लिए शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5 (53)/2018, दिनांक 02-01-2019 में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौ-वंश के संचालन व भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों, अस्थाई गौ-वंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। इस प्रकार निराश्रित गौ-वंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु सरकार द्वारा ठोस एवं सार्थक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डेंगू आदि बुखार की वजह से मृत्यु का आंकड़ा सदन के पटल पर रखे जाने विषयक

178-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जुलाई, 2023 से लेकर दिनांक 27-01-2024 तक डेंगू आदि बुखार की वजह से हुई मृत्यु का कोई आँकड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

प्रदेश में जुलाई, 2023 से लेकर दिनांक 27-01-2024 तक डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया व जे0ई0 में बुखार की वजह से हुई मृत्यु का विवरण निम्नवत् है :-

रोग का नाम	मृतकों की संख्या
डेंगू	36
मलेरिया	00
चिकनगुनिया	00
जे0ई0	00

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में कुपोषित महिलाओं और बच्चों की संख्या तथा कुपोषण से दूर करने की योजनाओं के विवरण के सम्बन्ध में

179-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में कुपोषित महिलाओं और बच्चों की वर्तमान में संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि कुपोषण दूर करने हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं संचालित की गई हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

कुपोषित महिलाओं की संख्या-502 तथा कुपोषित बच्चों की संख्या-9736 है। प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु निम्न योजनाएं/कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं :-

1-अनुपुरक पुष्टाहार कार्यक्रम।

2-एस0ए0जी0 योजना।

3-ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेज।

4-सम्भव अभियान।

5-पोषण पाठशाला अभियान।

6-ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता पोषण दिवस।

7-समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन।

8-पोषण माह एवं पोषण पखवारा का आयोजन।

आवश्यकता नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के नगर क्षेत्र में प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होम और लैब को अग्निशमन विभाग, प्रदूषण और स्वास्थ्य विभाग से मान्यता/एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में

180-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के नगर क्षेत्र में किन-किन प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होमों और लैब को अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग से मान्यता/एन0ओ0सी0 प्रमाण-पत्र दिए गए हैं ? क्या सरकार मानकों की शर्तें पूरी न करने वाले अस्पतालों/नर्सिंग होमों को चिन्हित करने का अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित किसी प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होम और लैब को किसी प्रकार की मान्यता/एन0ओ0सी0 प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होम और लैब का केवल पंजीकरण किया जाता है। जनपद के जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर अवैध रूप से संचालित अस्पतालों/नर्सिंग होम के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छुट्टा जानवरों से हो रही सड़क दुर्घटनाओं एवं गौ-आश्रयों में मौतों को रोकने के लिए कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

181-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौ-वंश आश्रयों में बन्द पशुओं, आश्रयों में विभिन्न कारणों से मरने वाले एवं क्षेत्र में छुट्टा घूम रहे जानवरों का अलग-अलग विवरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा ब्लॉक स्तर पर तैयार किया गया है ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी को सौंपी गयी है ? क्या यह सही है कि भूख से आश्रयों में तथा छुट्टा घूम रहे अन्ना जानवर सड़कों पर वाहनों से टकराकर प्रतिदिन हजारों की संख्या में दुर्घटनाएं कर रहे हैं एवं स्वयं मर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए छुट्टा जानवरों से हो रही सड़क दुर्घटनाओं एवं गौ-आश्रयों में पशुओं की मौतों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ। विकास खण्ड स्तर पर सूचना संकलित की जाती है। शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02-01-2019 में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौ-वंश के संचालन, प्रबन्धन व भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों

यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। शासनादेश में विभिन्न विभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों का दायित्व निर्धारण किया गया है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति गठित है। जी नहीं। शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5 (53)/2018, दिनांक 02-01-2019 द्वारा निराश्रित गौ-वंशों के संरक्षण एवं भरण-पोषण निर्धारित किया गया है। सम्प्रति प्रदेश में 7504 अस्थायी/स्थायी गौ-आश्रय स्थलों में कुल 1167581 गौ-वंश संरक्षित कर उनका भरण-पोषण किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्य मंत्री सहभागिता योजना के अन्तर्गत 221171 गौ-वंश सुपुर्दगी में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-188 सी0एम0/सैंतीस-2-2023, दिनांक 23-08-2023 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निराश्रित गौवंशों का आवागमन नियंत्रित किये जाने हेतु प्रदेश के जिलाधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित पेट्रोलिंग करने एवं कैचमेंट एरिया गौ-आश्रय स्थलों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नदियों के किनारे सरकारी भूमि पर गौ-आश्रय बनवाने के सम्बन्ध में

182-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छुट्टा जानवरों के संरक्षण हेतु नदियों के किनारे सरकारी भूमि पर गौ-आश्रय बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं। नदियों के किनारे गौ-आश्रय स्थलों का निर्माण निराश्रित गौवंशों के संरक्षण हेतु सुरक्षित तथा पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप उचित नहीं है। साथ ही नदियों के किनारे सरकारी भूमि पर जलभराव/सम्भावित बाढ़ तथा कटान के दृष्टिगत उक्त भूमि पर गौ-आश्रय स्थल की स्थापना का अवसर नहीं है।

प्रदेश में देशी नस्लों की गायों के विकास/सम्वर्धन हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

183-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में देशी नस्लों की गायों के विकास/सम्वर्धन हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश में देशी नस्लों यथा साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गिर एवं गंगातीरी के विकास/सम्वर्धन हेतु 'नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना' प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 से

संचालित है। नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्य मंत्री स्वदेशी गौ-सम्वर्धन योजना एवं मुख्य मंत्री प्रगतिशील पशु पालक प्रोत्साहन योजना वर्तमान में संचालित है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में देशी नस्लों की गायों के विकास/सम्वर्धन हेतु वर्तमान में गौवंशीय पशुओं में वर्गीकृत (सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग हेतु विशेष कार्य-योजना लागू है। साथ ही प्रदेश में भारतीय मूल के गौवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं सम्वर्धन हेतु राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र क्रियाशील है।

साथ ही चकगंजरिया स्थित निबलेट प्रक्षेत्र (बाराबंकी) में भ्रूण प्रत्यारोपण एवं आई0वी0एफ0 तकनीक द्वारा साहीवाल, गंगातीरी एवं गिर गायों में उच्च जनन क्षमता की संतति की प्राप्ति हेतु योजना लागू है। वाराणसी में भारत सरकार द्वारा एन0 डी0 एस0/ एन0 डी0 डी0 बी0 (एन0 डी0 डी0 बी0 डेयरी सर्विसेज, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड) के सहयोग से गिर प्रजाति के सम्वर्धन हेतु योजना लागू है। प्रदेश के राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों पर अलग-अलग देसी गौवंशीय प्रजाति का संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकास कार्यक्रम संचालित है। आराजी लाइन्स प्रक्षेत्र, वाराणसी पर गंगातीरी के संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकास हेतु नवीन स्वीकृत योजना एन0 डी0 एस0 : एन0 डी0 डी0 बी0 (एन0 डी0 डी0 बी0 डेयरी सर्विसेज, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड) के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही क्रमित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश एवं जनपद बलिया में महिलाओं को लाभान्वित करायी जा रही योजनाओं के विवरण से सम्बन्धित

184-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में महिलाओं के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में किन-किन ब्लाकों में कितनी महिलाओं को किन-किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेबी रानी मौर्य-

प्रदेश में महिलाओं के उत्थान हेतु महिला कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1-मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना।

2-निराश्रित महिला पेंशन योजना।

3-हब फॉर इम्पावरमेंट।

4-वन स्टॉप सेण्टर।

5-181 महिला हेल्पलाइन।

6-कृष्ण कुटीर आश्रय सदन।

7-महिला शरणालय, संरक्षण गृह।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में संचालित योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्डों का नाम	मुख्य मंत्री वन्य सुमंगला योजना में लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	निराश्रित महिला पेंशन योजना में लाभार्थियों की संख्या	हब फॉर इम्पावरमेंट द्वारा किये गये कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या	वन स्टाप सेण्टर बलिया	कृष्ण कुटीर आश्रय सदनसेवा राजकीय महिला शरणालय
1	बैरिया	1228	2716	1710	वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद बलिया में कुल-34 महिलाओं को वन स्टॉप सेण्टर योजना द्वारा सहायता प्रदान की गई।	जनपद में संचालित नहीं।
2	बेलहरी	1601	1842	1232		
3	मुरली छपरा	1023	2210	1487		
4	रेवती	754	2053	1994		
	टोटल	4406	8821	6423		

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गौ-आश्रयों में गौ-मूत्र/गोबर से संचालित गैस प्लाण्ट लगाकर सी0एन0जी0 का उत्पादन करने की कार्य योजना विषयक

185-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौ-आश्रयों में गौ-मूत्र/गोबर संचालित गैस प्लाण्ट लगाकर सी0एन0जी0 का उत्पादन करने हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ। शासनादेश संख्या-467/सैंतीस-2-2023-5 (53)/22, दिनांक 22-02-2023 द्वारा उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 का प्रख्यापन किया गया है, जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 सरकार के अधीन पशु पालन विभाग द्वारा राजकीय पशु आश्रय स्थलों में उपलब्ध भूमि तथा गोबर की उपलब्धता हेतु दीर्घकालीन संविदा के सम्पादन द्वारा सतत् योजनान्तर्गत चयनित एल0ओ0आई0 होल्डर्स के माध्यम से सी0बी0जी0 संयंत्रों की स्थापना में सहयोग किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 पर महिला डाक्टरों/चिकित्सकों की नियुक्ति विषयक

186-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कतिपय पी0एच0सी0/ सी0एच0सी0 स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला डाक्टरों की नियुक्ति न होने से प्रसव में महिलाओं को जोखिम उठाना पड़ता है ? क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला डाक्टरों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। प्रदेश के पी0एच0सी0/ सी0एच0सी0 स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता के आधार पर पुरुष/महिला चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रसव में महिलाओं को समुचित चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में निजी अस्पतालों की नर्सों को सरकारी अस्पताल की नर्सों के समान वेतन व सुविधाएं देने विषयक

187-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों को सरकारी अस्पताल की नर्सों के समान वेतन व सुविधाएं दिये जाने की कोई नीति सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

निजी क्षेत्र के नर्सिंग अस्पतालों पर सरकार का वित्तीय नियंत्रण नहीं है।

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों में डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के सम्बन्ध में

188-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त से सम्बन्धित शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ। भारत सरकार के सन्दर्भित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-10 (36)/2016-एन0आर0एच0एम0-1, दिनांक 22-07-2016 की छायाप्रति संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-† देखिए नत्थी (ठ) आगे पृष्ठ संख्या-269 पर।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अन्य अस्पताल में भर्ती किये जाने के रिकार्ड के सम्बन्ध में

189-इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दूसरे बड़े अस्पतालों में रेफर किये जाने का रिकार्ड रखा जाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपदवार मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर किये जाने का अद्यतन रिकार्ड सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ। सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दूसरे बड़े अस्पतालों में रेफर किये जाने का रिकार्ड जनपदवार परिधिगत् चिकित्सा इकाइयों में रखा जाता है, जिसकी सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश मे गौ-आश्रयों की रख-रखाव के लिए मानदेय/संविदा के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति विषयक

190-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्मित गौ-आश्रयों के रख-रखाव के लिए मानदेय/संविदा पर कार्मिकों की नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5 (53)/2018, दिनांक 02-01-2019 में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौ-वंश के संचालन, प्रबन्धन व भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों में अस्थायी गौ-वंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। शासनादेश के अनुसार गौ-आश्रय स्थलों में गौ-वंशों के रख-रखाव हेतु कार्मिकों की व्यवस्था का दायित्व सम्बन्धित स्थानीय निकाय यथा-ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम का है।

नोट :-† देखिए नत्थी (ड) आगे पृष्ठ संख्या-270-271 पर।

प्रदेश में पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में डॉक्टरों/चिकित्सकों की नियुक्ति करने विषयक

191-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में डाक्टरों की कमी के कारण चिकित्सा सेवायें बाधित हो रही हैं और मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल रहा है ? क्या सरकार उक्त अस्पतालों में मानकानुसार डाक्टरों की नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। प्रदेश के पी0एच0सी0/ सी0एच0सी0 केन्द्रों में उपलब्धता के आधार पर तैनात सामान्य/ विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों द्वारा मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में संचालित 108 व 102 एम्बुलेन्स की स्थिति की जानकारी के सम्बन्ध में

192-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित 108 व 102 नम्बर की कितनी एम्बुलेन्स वर्तमान में खराब हैं और कितनी चालू हालत में हैं ? क्या सरकार की जानकारी में है कि कतिपय मरीजों की आवश्यकता पर एम्बुलेन्स निश्चित स्थान पर नहीं पहुँच पाती है ? क्या सरकार मरीज के पास एम्बुलेंस की पहुँच सुनिश्चित कराये जाने की ठोस कार्य योजना बनाएगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां। प्रदेश में 108 ई0एम0टी0एस0 एम्बुलेन्स सेवा के अन्तर्गत संचालित समस्त 2200 एम्बुलेन्स एवं 102 एम्बुलेन्स सेवा के अन्तर्गत संचालित समस्त 2270 एम्बुलेन्स वर्तमान में चालू अवस्था में हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर में गौशालाओं को सघन रूप से छायादार वृक्षों से आच्छादित कराये जाने के सम्बन्ध में

193-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में कितनी गौशालायें हैं एवं कितनी गौशालायें छायादार वृक्षों से सघन रूप से आच्छादित हैं ? क्या सरकार समस्त

गौशालाओं में छायादार वृक्षों का सघन वृक्षारोपण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

वर्तमान में जनपद फतेहपुर में 289 गौ-आश्रय स्थल स्थित हैं, जिनमें 23812 गौ-वंश संरक्षित किये गये हैं। इन सभी गौ-आश्रय स्थलों में छायादार वृक्षों का पौधारोपण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जी हाँ। माह जुलाई, 2024 में समस्त गौ-आश्रय स्थलों में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

194-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई ठोस कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु कोई ठोस नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां। वर्तमान में पशुओं में नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि किये जाने हेतु उ0प्र0 पशु प्रजनन नीति-2018 क्रियान्वित है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना अन्तर्गत गाय एवं भैसों में उच्च गुणवत्तायुक्त अति हिमीकृत वीर्य के माध्यम से निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं से नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा लगभग 90 प्रतिशत उच्च गुणवत्तायुक्त बछियों का उत्पादन कर नस्ल सुधार किया जा रहा है। नस्ल सुधार कर उत्पन्न मादा संतति द्वारा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि में सहयोग किया जा रहा है। साथ ही शासनादेश संख्या-652/सैंतीस-2-2023-1(49)/2017, दिनांक 31-03-2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु सेक्स्ड सीमेन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष प्रति गर्भाधान को रु0 300 प्रति पशु से घटाकर रु0 100 प्रति पशु निर्धारित किया गया है।

उत्तर प्रदेश में स्वदेशी नस्लों यथा साहीवाल, थारपारकर, हरियाना, गिर एवं गंगातीरी के सम्वर्धन एवं विकास हेतु नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 से संचालित है। नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्य मंत्री स्वदेशी गौ सम्वर्धन योजना एवं मुख्य मंत्री प्रगतिशील पशु पालक प्रोत्साहत योजना संचालित है, जिनके माध्यम से पशुपालकों को अत्यधिक दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में पशु अस्पतालों में चिकित्सकों तथा दवाओं की समुचित व्यवस्था विषयक

195-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के पशु अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती तथा दवाओं की समुचित व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत कुल 04 पशु चिकित्सालय संचालित हैं, जो निम्नवत् हैं :-

क्र0-सं0	कार्यरत अधिकारी का नाम	पशु चिकित्सालय का नाम
1	डा0 हसनैन अंसारी, पशु चिकित्साधिकारी	जंगीपुर, गाजीपुर
2	डा0 हसनैन अंसारी, पशु चिकित्साधिकारी	अतिरिक्त प्रभार-सुभाखरपुर, गाजीपुर
3	डा0 गुरुदेव मौर्य, पशु चिकित्साधिकारी	बिरनो, गाजीपुर
4	डा0 गौरव द्विवेदी, पशु चिकित्साधिकारी	अतिरिक्त प्रभार-ताड़ीघाट, गाजीपुर

रिक्त पशु चिकित्सालय पर स्थानीय व्यवस्था अन्तर्गत निकटस्थ/पदस्थ पशु चिकित्सा अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार प्रदत्त कर कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। उक्त पशु अस्पतालों में दवा, वैक्सीन आदि की समुचित व्यवस्था है तथा पशुओं का उपचार समुचित रूप से किया जा रहा है। पशु चिकित्साधिकारी संवर्ग में विभिन्न पदों पर सेवानिवृत्ति व पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। पशु चिकित्साधिकारियों के रिक्त 27 एवं 397 अर्थात् कुल मिलाकर 424 पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अधियाचन उ0प्र0, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है, जिसमें 27 पद विज्ञापित हो चुके हैं। उक्त अस्पतालों में दवा, वैक्सीन आदि की समुचित व्यवस्था है तथा पशुओं का उपचार समुचित रूप से किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के सी0एच0सी0 में डॉक्टरों की नियुक्ति विषयक

196-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के सी0एच0सी0 केन्द्र नगीना एवं किरतपुर तथा स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने केन्द्रों पर डाक्टर्स की मानक के अनुसार तैनाती नहीं है ? क्या

सरकार उक्त केन्द्रों पर मानक के अनुसार शत प्रतिशत डॉक्टरों की तैनाती कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद बिजनौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगीना पर चिकित्साधिकारियों के दन्त शल्यक सहित 06 पद सृजित हैं, के सापेक्ष 04 चिकित्साधिकारी नियमित एवं 01 संविदा के चिकित्साधिकारी तैनात है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरतपुर में दन्त शल्यक सहित स्वीकृत 06 पदों के सापेक्ष 03 चिकित्साधिकारी नियमित एवं 02 संविदा के चिकित्साधिकारी तैनात हैं, स्वास्थ्य केन्द्रों (उप केन्द्रों) पर केवल ए0एन0एम0 की तैनाती की जाती है। स्वास्थ्य केन्द्रों (उप केन्द्रों) पर चिकित्सकों की तैनाती का कोई प्राविधान नहीं है। उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 में की गयी व्यवस्था के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों/सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों के 2532 पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन शासन के पत्र दिनांक 19-02-2024 द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष चिकित्सकों की तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है, जो आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुरूप मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने विषयक

197-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुपात में बेड एवं अन्य मेडिकल सुविधाओं का अभाव होने के कारण मरीजो का इलाज सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार ने वर्ष 2024-25 में मेडिकल सुविधा हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक व उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी नहीं। मरीजों का इलाज सुचारु रूप से हो रहा है। वर्तमान में जिला चिकित्सालयों के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है। चिकित्सालयों के उच्चीकरण हेतु आयुष्मान भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी0एम0-अभीम) वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 एवं चौदहवें वित्त आयोग स्वास्थ्य ग्राण्ट वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तथा इमरजेंसी कोविड रेस्पान्स पैकेज फेज-2 (ई0सी0आर0पी0-2) परियोजना प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में फ़ार्मासिस्ट, चिकित्सकों एवं बुनियादी चिकित्सीय उपकरणों की जानकारी के सम्बन्ध में

198-श्री कमाल अख्तर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कितने डाक्टर एवं फार्मासिस्ट कार्यरत हैं एवं कितने अस्पतालों में एम0 आर0 आई, सी0टी0 स्कैन एवं अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में फार्मासिस्ट की भर्ती करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के 11123 नियमित, 347 चिकित्सक पुनर्योजन से, 900 परामर्शी चिकित्सक वॉक-इन-इण्टरव्यू से तथा एन0एच0एम0 द्वारा संविदा/रिवर्स बिडिंग के माध्यम से 2299 चिकित्सक कार्यरत हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल 14669 चिकित्सक कार्यरत हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत 6244 फार्मासिस्ट कार्यरत हैं।

1-प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन 02 जनपदों [टी0बी0सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज एवं यू0एच0एम0 जिला पुरुष चिकित्सालय (उर्सला), कानपुर] में एम0 आर0आई0 मशीनों की सुविधा उपलब्ध है।

2-प्रदेश के 75 जनपदों के 71 जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।

3-प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध है तथा प्रदेश के 78 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार। फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुपालन में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में इटवा तहसील मुख्यालय पर बने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का नव निर्माण कराये जाने विषयक

199-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की इटवा तहसील मुख्यालय पर बने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर होने के कारण आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त भवन का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ।

जी हाँ। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेन्स की व्यवस्था कराने विषयक

200-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेन्स की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां। शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में 102 नेशनल एम्बुलेन्स सेवा के अन्तर्गत कुल 2270 एम्बुलेन्स एवं 108 एम्बुलेन्स सेवा के अन्तर्गत कुल 2200 एम्बुलेन्स प्रदेश की विभिन्न सी0एच0सी0, पी0एच0सी0, जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों पर केस लोड के आधार पर तैनात (डिप्लाय) की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आयुष अस्पतालों हेतु निजी भवन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

201-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ऐसे आयुष हॉस्पिटल जो किराए के भवनों में संचालित हैं, उक्त अस्पतालों के निजी भवन स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

जी हाँ। किराये के भवनों में संचालित चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि प्राप्त कर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता एवं राज्य बजट (जिला योजना) से भवन निर्माण कराये जाने हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 सदस्यगण को आज उनके जन्म-दिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 जुलाई, 2024 को दो माननीय सदस्यों का बर्थ-डे है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की माननीय सदस्य श्रीमती मारिया अली, निर्वाचन क्षेत्र मटेरा, जिला बहराइच से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित हुई हैं। आपके पिता का नाम श्री आरिफ अली है। आपका जन्म दिनांक 29 जुलाई, 1984 को कानपुर में हुआ था। आपने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री हिमांशु यादव निर्वाचन क्षेत्र शेखूपुर, जिला बदायूँ समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित हुये हैं। आपके पिता का नाम श्री आशीष यादव है। आपका जन्म दिनांक 29 जुलाई, 1993 को ग्राम मानपुर बदायूँ में हुआ था। आपने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

[12:21] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 जुलाई, 2024 को नियम-301 के अन्तर्गत 30 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री संदीप सिंह की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में चकबन्दी कराए जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डॉ0 अमित सिंह चौहान की जनपद अयोध्या के तहसील बीकापुर के ग्राम सभा मुकीमपुर में निर्मित राजकीय महाविद्यालय बीकापुर के भवन में स्नातक, परास्नातक के संचालन के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना ई0 सचिन यादव उर्फ जखई की 132 के0वी0 जसराना उपकेन्द्र से निकलने वाले 33 के0वी0 पाढम फीडर पर रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराने विषयक है, चौथी सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की जनपद लखनऊ में स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन 65 एम0आई0जी0 कालोनी के आवास में बाउण्ड्री बनाए जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री स्वामी ओउ्मवेश की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में बिजनौर-नूरपुर मार्ग से शरीफपुर होते हुए ताहरपुर तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की प्रदेश के स्टाम्प विक्रेताओं को समान कमीशन दिलाए जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री पंकज पटेल की जनपद जौनपुर के मुँगराबादशाहपुर में बरईपार से सुजानगंज तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री आशु मलिक की जनपद सहारनपुर देहात के अन्तर्गत रपटा पुल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री राम सिंह पटेल की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पीथापुर में मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के ग्राम भौरा में कतिपय स्थान पर अण्डरपास बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री देवेन्द्र सिंह लोधी की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम गजरौला में किसानों की भूमि चिन्हित कराए जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना डॉ0 रागिनी की ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर मे पुनः चकबन्दी प्रक्रिया कराए जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में कतिपय पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में कतिपय बांध का निर्माण के पश्चात् मुआवजा दिलाए जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री रमेश जायसवाल की जनपद चन्दौली के बबुरी क्षेत्र में किसानों की सुविधा

हेतु नहर के निर्माण के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री राम अवतार सिंह की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री मोहन वर्मा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में उप निबंधक कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि दिए जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री प्रभाष कुमार की जनपद हरदोई के लोक निर्माण विभाग प्रथम के अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा किये गये कार्यों की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में कतिपय नालों की रि-मॉडलिंग कराए जाने के सम्बन्ध में है तथा बीसवीं सूचना श्री संग्राम सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना में जर्जर पशु अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएँ पढ़ी हुई मानी गईं।)

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री अतुल प्रधान, श्री नफीस अहमद, श्री अनिल प्रधान, श्री कमाल अख्तर, श्री मौ0 फहीम इरफान, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री प्रेमसागर पटेल, श्री बेदी तथा श्री मुकेश चन्द्र वर्मा।

जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में चकबन्दी कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संदीप सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मेजा तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-धरावल, पकरी सेवार, बिसहिजन कला, नरवर चौकठा, कठौली, समहन, तहसील-मेजा के आदि ग्राम पंचायतों के चकबन्दी न होने से ग्राम पंचायतों का विकास व लोगों को आने-जाने के चकमार्ग व आम रास्ता न होने से अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण ग्रामीणो में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त ग्राम पंचायतों की चकबन्दी कराये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के तहसील बीकापुर के ग्राम सभा मुकीमपुर में निर्मित राजकीय महाविद्यालय बीकापुर के भवन में स्नातक, परास्नातक के संचालन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमित सिंह चौहान-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद-अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीन राजकीय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महाविद्यालय बीकापुर की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसका भवन, बाउण्ड्रीवाल, पानी की टंकी, पम्प आदि पिछले वर्ष बनकर तैयार हो गया है, किन्तु स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं का संचालन नहीं हो रहा है। नवनिर्मित भवन में डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा कक्षाओं के संचालन न होने से छात्रों को पठन-पाठन हेतु दूर जाना पड़ता है। छात्रों की असुविधा दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य होना आवश्यक है। प्रश्नगत समस्या के समाधान हेतु स्थानीय शासन, प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया, किन्तु इसका समाधान नहीं हो सक। सादर अनुरोध है कि छात्रों के हितों को देखते हुए नवनिर्मित भवन, राजकीय महाविद्यालय बीकापुर में वर्तमान सत्र में शिक्षण प्रारम्भ कराना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना स्थित 132 के0वी0 जसराना उपकेन्द्र से निकलने वाले 33 के0वी0 पाढम फीडर पर रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस आवश्यक विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना स्थित 132 के0 वी0 जसराना उपकेन्द्र से निकलने वाले 33 के0वी0 पाढम फीडर अति भारित होने के कारण रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वर्तमान में फीडर पर 05 एम0टी0ए0 के 02 ट्रान्सफार्मर स्थापित हैं। प्रति ट्रान्सफार्मरों से 250 एम्पियर निकालने की क्षमता है। किन्तु एक ट्रान्सफार्मर से 450 एम्पियर भार एवं दूसरे पर 500 एम्पियर भार है। रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति न होने के कारण किसानों/ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। क्योंकि किसानों की धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पा रहा है। किसानों की फसलें सूख रही हैं।

पाढम फीडर पर 10 एम0टी0ए0 के 02 ट्रान्सफार्मरों की आवश्यकता है। अतः पाढम फीडर पर 10 एम0टी0ए0 के 02 ट्रान्सफार्मर उपलब्ध कराये जायें एवं ट्रान्सफार्मरों के हिसाब से विद्युत इनकमिंग भी सुचारु की जाये।

अतः आपके माध्यम से इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये चर्चा कराये जाने एवं पाढम फीडर पर 10 एम0टी0ए0 के 02 ट्रान्सफार्मरों की उपलब्धता कराने/ रोस्टर के अनुसार विधुत आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ में स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन 65 एम0आई0जी0 कालोनी के आवास में बाउण्ड्री बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती पल्लवी पटेल-

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में अति महत्वपूर्ण विषय लाना चाहती हूँ कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन 65 एम0आई0जी0, सेक्टर-ई, अलीगंज स्थित कालोनी में बाहरी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दीवाल/बाड़ न होने के कारण आवारा पशु, कुत्ते आदि घुस जाते हैं, जिस कारण आवास में रखी वस्तुओं एवं बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाड़ न होने के कारण आवारा पशुओं, कुत्तों से कभी भी कोई गम्भीर दुर्घटना घटित हो सकती है। उक्त आवास में बाहरी दीवाल/बाड़ का कार्य किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करती हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में बिजनौर-नूरपुर मार्ग से शरीफपुर होते हुए ताहरपुर तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ। मेरे जनपद की विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के बिजनौर-नूरपूर मार्ग से शरीफपुर होते हुए ताहरपुर तक का मार्ग जो इस समय बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इस मार्ग पर गहरे-गहरे गडढे होने के कारण आये दिन दुर्घटना हो रही है। इस मार्ग से आवागमन बिल्कुल बाधित हो रहा है, मार्ग खराब होने के कारण यहां के किसान, व्यापारियों, आम नागरिकों, छात्रों को बहुत कठिनाई होती है। अतः इस मार्ग की विशेष मरम्मत कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के स्टाम्प विक्रेताओं को समान कमीशन दिलाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की और दिलाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में लगभग एक लाख से अधिक स्टाम्प विक्रेता हैं। जब जनरल स्टाम्प के द्वारा विक्रय किया जाता था तो वेन्डरों को एक प्रतिशत कमीशन मिलता था, लेकिन वर्ष 2021 से ई-स्टाम्प विक्री व्यवस्था चालू होने के बाद स्टाम्प वेन्डरों को एक लाख रुपये स्टाम्प विक्री पर मात्र 92 रुपये प्राप्त होते हैं तथा स्टाम्प स्टाक होल्डिंग विक्रेताओं को एक लाख रुपये में रु0 660 मिलते हैं। जबकि सामान्य कार्य का सामान्य कमीशन के आधार पर स्टाक होल्डरों की भाँति प्रदेश के स्टाम्प विक्रेता को भी समान कमीशन दिया जाना चाहिए, जबकि उत्तराखण्ड एवं पंजाब सरकार स्टाम्प विक्रेताओं को एक प्रतिशत कमीशन अतिरिक्त देती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से स्टाम्प होल्डरों की भाँति स्टाम्प विक्रेताओं को भी सामान्य कमीशन दिये जाने हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के मुँगराबादशाहपुर में बरईपार से सुजानगंज तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज पटेल-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बरईपार से सुजानगंज तक का सड़क मार्ग बहुत ही सँकरा है। उक्त मार्ग में दो मन्दिर (गौरीशंकर व घसीटा महादेव) होने के कारण आवागमन अत्यधिक होता है। क्षेत्रवासियों को सावन के महीने में कई घण्टों के जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। उक्त सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिस कारणवश क्षेत्रवासियों में काफी रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर देहात के अन्तर्गत रपटा पुल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशु मलिक-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ, जनपद-सहारनपुर देहात के ब्लाक पुवांरका के ग्राम मुगल माजरा से ग्राम कुसैनी तक नागादेव नदी पर तथा ग्राम कुतुबपुर कुसैनी से मुगल माजरा व लखनौती-सुन्दहेड़ी नागादेव नदी पर पुल न होने से क्षेत्रवासियों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बरसात के दिनों में स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है, जिस कारणवश क्षेत्र में काफी रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त स्थानों पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पीथापुर में मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह पटेल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय पर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद प्रतापगढ़ के मेरे विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पीथापुर में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ब्रह्मदेव यादव के घर से लाल जी यादव के घर तक 200 मी0 का रास्ता हुत ही जर्जर है। उक्त मार्ग में कई गड्ढे हो गये हैं, जिस कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बरसात के दिनों में भी स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है जिस कारण क्षेत्रवासियों में काफी रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के ग्राम भौरा में कतिपय स्थान पर अण्डरपास बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मीराज सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के ब्लॉक-सिकन्दराबाद के ग्राम भौरा में श्मशान घाट स्थित है। गांव से श्मशान घाट तक जाने के लिए रेल की पटरी के नीचे बने साइफन के माध्यम से जाना पड़ता है। गांव से श्मशान घाट जाने के लिए रेल पटरी से नीचे जो छोटी साइफन बनी हुई है, जिसमें जलभराव रहता है। इस कारण से इस स्थान पर एक अण्डरपास बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम गजरौला में किसानों की भूमि चिन्हित कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना में गाँव गजरौला मे गंगा नदी में किसानों की लगभग कई हजार बीघा जमीन गंगा में चली गई है, जिससे किसानों को फसल का लाभ नहीं मिल रहा है, लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, किसानों की समस्याओं को देखते हुए ग्राम गजरौला व ग्राम मवई के तथा कई ग्रामों के किसानों की समस्या को देखते हुए किसानों की भूमि का चिन्हित कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः माननीय सदन से अनुरोध है कि किसानों की समस्या को देखते हुए गजरौला गंगा नदी के पास किसानों की भूमि को चिन्हित कराने की कृपा करें।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर में पुनः चकबन्दी प्रक्रिया कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 रागिनी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर की चकबन्दी प्रक्रिया विगत 38 वर्षों से चल रही है, ग्राम पंचायत की चकबन्दी प्रक्रिया का गजट धारा-4(2) क का प्रकाशन 1988 ई0 में हुआ था, पहली बार आकार-पत्र-5 (पाँच फार्म) का वितरण सन् 1992 में हुआ था। पुरानी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली होने के कारण धारा-8, 9 की प्रक्रिया 2015 में निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत की चकबन्दी प्रक्रिया पुनः 6 (1) करके रिमांड किया गया। इसके पश्चात् पुनः प्राथमिक स्तर का कार्य तरमीन, पडताल एवं मालियत का कार्य सम्पन्न होने के पश्चात ग्राम पंचायत की चकबन्दी प्रक्रिया चकबन्दी अधिकारी (सी0ओ0) स्तर पर वर्तमान समय में चल रही है। किन्तु इस स्तर पर अधिकारी द्वारा बहुत शिथिलता बरती जा रही है, कास्तकारें का दाखिल खारिज, वरासत, वसीहत नामा आदि कार्य में बहुत शिथिलता बरती जा रही है। ग्राम पंचायत की जनता को रास्ता, सड़क, चकरोड, नाली, खड़न्जा आदि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से ग्राम पंचायत की जनता क्षुब्ध एवं नाराज रहती है।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय, लोक महत्व के तात्कालिक एवं सुनिश्चित विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त ग्राम पंचायत में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में कतिपय पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ, मेरी विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम दूधली से भनेडा के बीच पड़ने वाली छोईया नदी पर पुल न होने की वजह से देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी यहां के लोगों को आज भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उक्त मार्ग पर पड़ने वाली छोईया नदी पर बॉक्स कल्वर्ट (पुल) की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः इस जनहित के अति अविलम्बनीय, लोक महत्व के मामले को औचित्य प्रश्न के रूप में सदन के संज्ञान में लाते हुए ग्राम दूधली से भनेडा के बीच पड़ने वाली छोईया नदी पर पुल बनवाने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में कतिपय बांध के निर्माण के पश्चात् मुआवजा दिलाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-02 नकुड़ क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग के द्वारा यमुना-नदी के किनारे कृषकों की भूमि अधिग्रहीत कर ननियारी-टोडरपुर बांध निर्मित है, जिसका मुआवजा कुछ कृषकों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे कृषक मुआवजा दिलाये जाने हेतु प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कृषक हित में ऐसे कृषकों को मुआवजा दिलाया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कृषक हित में ननियारी-टोडरपुर बांध में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा रहित कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के बबुरी क्षेत्र में किसानों की सुविधा हेतु नहर के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश जायसवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) में बबुरी से चन्दौली वाले क्षेत्र में बहुत सारे किसानों की बहुत सारी जमीन पानी के अभाव में असिंचित रहती है, वहाँ पानी की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। बबुरी से चन्दौली के बीच में सुचारु रूप से एक नई नहर की योजना जो नारायणपुर लिफ्ट कैनाल से जोड़कर हो जाती या कोई और रास्ते से नहर लायी जाती तो वर्षों से किसानों द्वारा की जा रही मांग की प्रतिपूर्ति हो जाती और पानी के अभाव में नहीं हो पा रही खेतों की सिंचाई पूरी हो जाती।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अवतार सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर (बिजनौर) की नगर पालिका नूरपुर के वार्ड सं0-25 के अन्तर्गत साबिर के घर से मौ0 नासिर के घर तक लम्बाई लगभग 300 मीटर जिस पर मान्यता प्राप्त विद्यालय 'मौलाना अब्दुल कलाम आजाद' स्कूल संचालित है। रास्ता अत्यन्त खराब व कच्चा है, पानी का जलभराव रहता है, जिस कारण आवागमन बाधित है और जन-जीवन प्रभावित हो रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार से वक्तव्य कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में उप निबन्धक कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहन वर्मा-

[मान्यवर, जिलाधिकारी, कुशीनगर के द्वारा राजस्व आयुक्त एवं सचिव को प्रेषित-पत्र दिनांक 04 अगस्त, 2023 पत्रांक संख्या-293/भूमि सुधार सहा0-2023 जिसके माध्यम से यह अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम हाटा, तप्पा-बछौली, तहसील-हाटा स्थित गाटा संख्या-188 रकबा 0.7050 हे0 अभिलेख में थाना के नाम से श्रेणी 6-2 में अंकित है, के दक्षिण पूरब कोने पर 2257.89 वर्गफुट भूमि पर उप निबन्धक कार्यालय का भवन निर्मित होकर संचालित होता था, जो वर्तमान में जर्जर होकर अनुपयुक्त है। राजस्व अभिलेखों के आधार पर यद्यपि कार्यालय उप निबन्धक, हाटा जो वर्ष 1907 से संचालित है, के निर्मित भाग की भूमि कतिपय कारणों से निबन्धन विभाग के नाम दर्ज नहीं हो सकी है। महानिरीक्षक निबन्धन, उ0 प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या-2971, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 द्वारा उक्त भूमि विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। आज उप निबन्धक कार्यालय, हाटा तहसील मुख्यालय से लगभग 04 किमी0 दूर स्थित किराये के मकान से संचालित हो रहा है जिसके चलते क्षेत्रीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उप निबन्धक भवन के निर्माण होने से सम्पूर्ण तहसीलवासियों को सहूलियत मिलेगी। जिसके बाबत मैंने राजस्व आयुक्त एवं सचिव से दिनांक 08 अगस्त, 2023 को मिलकर तथा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को पत्र लिखकर कई बार अवगत कराया। क्षुब्ध होकर मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित करते हुए पत्र लिखा, जिसका आई0जी0आर0एस0 नम्बर-18157230252918 है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु राजस्व अनुभाग-6 प्रेषित किया जा चुका है, किन्तु एक साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ मामला है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के लोक निर्माण विभाग प्रथम के अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा किये गये कार्यों की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभाष कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद हरदोई के लोक निर्माण विभाग प्रथम में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता श्री सुमन्त कुमार एवं सहायक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभियन्ता श्री जी0 एन0 सिंह द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित निविदाओं को अपने चहेतों को आवंटित कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उदाहरणार्थ हरदोई से साण्डी मार्ग पर 07 किमी0 का लेपन कार्य तथा नसीरपुर से सादुल्लापुर व अमलोखा से सिपइया तक तथा अन्य मार्ग का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं किया गया है, जिसकी जाँच होनी आवश्यक है।

अतः मैं सदन के माध्यम से जनपद हरदोई के लोक निर्माण विभाग प्रथम में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता श्री सुमन्त कुमार एवं सहायक अभियन्ता श्री जी0 एन0 सिंह द्वारा मार्गों के निविदाओं में तथा निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में कतिपय नालों की रि-मॉडलिंग कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश्वर सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ जो कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) घोषित की गई है, जिसमें किला मोहम्मदी ड्रेन विधान सभा क्षेत्र की जल निकासी की मुख्य ड्रेन है, जिसकी रि-मॉडलिंग की कार्य योजना एवं वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। उक्त ड्रेन से सम्बद्ध निम्नलिखित 07 प्रमुख मार्गों से सरोजनीनगर क्षेत्र की जल निकासी होती है, किन्तु इनमें जल निकासी की पर्याप्त क्षमता सुलभ नहीं है।

1-अवध चौराहे से पकरी पुल-गीतापल्ली चौराहे के समीप पुलिया तक।

2-ट्रैफिक पार्क से कृष्णानगर ट्रान्सपोर्ट नगर होते हुए सेक्टर-एन तक।

3-भदरुख से शुरू होकर सालेहनगर होते हुए सैनिक कालोनी होते हुए रतन खण्ड में दो नाले मिलकर सेक्टर-एन चौराहे तक।

4-रेलवे पटरी के दक्षिण में ट्रान्सपोर्ट नगर से औरंगाबाद खालसा होते हुए रेलवे पुल के पास तक।

5-बेहसा से बिजनौर के पास शहीद पथ से दूसरी ओर तक।

6-एयरपोर्ट से किला मोहम्मदी ड्रेन तक।

7-ओमेक्स सिटी से पुलिस चौकी के पास तक।

अतएव उक्त नालों की वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप रि-मॉडलिंग कराये जाने हेतु परियोजना गठित कर कार्य कराया जाना व्यापक जनहित में आवश्यक है।

अतएव मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना में जर्जर पशु अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 संग्राम सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत समस्त जर्जर पशु अस्पतालों का निर्माण कार्य एवं सुचारु रूप से संचालित कराया जाना नितान्त आवश्यक है। पशु अस्पताल जर्जर होने के कारण आये दिन क्षेत्र के पशुओं का उपचार नहीं हो पा रहा है ऐसी स्थिति में क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

[12:23] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29-07-2024 को नियम-300 के अन्तर्गत चार सूचनाएँ प्राप्त हुईं और चारों सूचनाएँ अग्राह्य हैं।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मैने भी इसमें एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ। माननीय रविदास मेहरोत्रा जी ने विधान सभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह अट्ठारहवीं विधान सभा चल रही है और अट्ठारहवीं विधान सभा में उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु विगत सत्र में श्री रविदास मेहरोत्रा जी के द्वारा ही सेम विषय के ऊपर अपनी बात रखी गई थी। उन परिस्थितियों में आज तक कोई परिवर्तन नहीं है इसलिए यह सूचना अस्वीकार है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, कृपया मुझे दो मिनट के लिए सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपको पिछली बार सुन तो चुके हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने ही इसे पिछली बार रखा था।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, नई बात ही है। आपने पिछली बार कहा था कि अगला सदन जब होगा तो उससे पहले चुनाव हो जायेगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं कहा था मैंने।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये आपने यही कहा था।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। उपाध्यक्ष के चुनाव के सन्दर्भ में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-01 सन् 2024) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-02 सन् 2024) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2024†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-03 सन् 2024) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-04 सन् 2024) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) अध्यादेश, 2024†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-05 सन् 2024) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-06 सन् 2024) को सदन के पटल पर रखता

उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश, 2024†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-07 सन् 2024) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश विशेष विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2024†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विशेष विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-08 सन् 2024) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2024†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-09 सन् 2024) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवां संशोधन) अध्यादेश, 2024†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2024) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2024†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2024) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2024) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 की उपधारा (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज का वार्षिक प्रतिवेदन, 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित)†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज का वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित)†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 को बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा-45 की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा (वार्षिक लेखा) एवं महालेखाकार द्वारा सम्पादित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा (वार्षिक लेखा) एवं महालेखाकार द्वारा सम्पादित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 को उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 फरवरी, 2024 को वापस प्राप्त हो गया।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 फरवरी, 2024 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 फरवरी, 2024 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 फरवरी, 2024 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 फरवरी, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 फरवरी, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 फरवरी, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 फरवरी, 2024 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 फरवरी, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 फरवरी, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 फरवरी, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 फरवरी, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2024 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2024 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-22 व 23 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-24

[12:33] याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

जो मा0 सदस्यगण उपस्थित हैं उनकी याचिकाएँ उपस्थित की गयी मानी जायेंगी।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका††

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर के नगर ललितपुर में पंचमुखी हनुमान जी के मन्दिर के पास शहजाद नदी पर क्षतिग्रस्त सेतु का पुनर्निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)††

श्री विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड दुद्धी में कनहर नदी पर अमवार स्थित कनहर बांध सिंचाई परियोजना से प्रभावित

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गई।

परिवारों को मुआवजा एवं पुनर्वास कराए जाने के सम्बन्ध में श्री निरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका व्यपगत हुई।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम तेहरा से गाजीपुर पच्चड़ सम्पर्क मार्ग तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत तहसील बिलारी के ग्राम नूरुद्दीनपुर गंज को सड़क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री नीलकमल, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अकोला के ग्राम कराहरा से कदमखण्डी मन्दिर तक कच्चे मार्ग को पक्का बनाने के सम्बन्ध में श्री पुष्कर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के एका मुस्तफाबाद मुख्य मार्ग, काली मन्दिर के समीप से बड़े जखई महाराज मन्दिर तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर एवं रामदास मन्दिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुन्यजैन व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय कूकनगर ग्रन्ट नव निर्माण/वित्तीय स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कप्तान श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ में सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल कालेज चक्रपान में जांच सम्बन्धी यंत्र एक्स-रे, एम0आर0आई0 मशीन, अल्ट्रासाउण्ड आदि सुविधाएं एवं मेडिकल कालेज की मरम्मत व निर्माण के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत बाढ़ में क्षतिग्रस्त रम्मपुरा तिराहा से चौसरहदो पट्टी तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीशंकर मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका व्यपगत हुई।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के मेजा विकास खण्ड क्षेत्र माण्डा की ग्राम पंचायत डण्डपानपुर में सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री अभिषेक मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र के नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत फूलबाग चौराहे से मछली मोहाल होते हुए नयागांव पूर्व तक की नाली और सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मो0 जावेद खान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

डा0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

डा0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत लावां सुभाखरपुर, रायपुर, रामपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना-नहटौर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर राठी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के ग्राम गोरपुरा विकास खण्ड गुरसराय में लखेरी नदी एवं सिकन्दरा-समथर-दमोह सड़क मार्ग-131 के चितगुवाँ के पास छतिग्रस्त सेतु का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र खरे व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राकेश कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राकेश कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में भगवानपुर-खादर हज्जीडिहवा-पचोहा सम्पर्क मार्ग पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बजरंग यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विकास खण्ड जगदीशपुर की ग्राम पंचायत गाईमऊ से पूरे बंधाई तक 500 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र सिह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र सिह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत लखावटी स्याना गढ़ रोड से नहर की पटरी वाया परवाना से जहागीराबाद औरंगाबाद रोड तक 09 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर एवं गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर एवं गोण्डा से प्रवाहित कुआनो नदी की सिल्ट सफाई का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विन्धेश्वरी प्रसाद व अन्य की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा दाउदपुर में पतुलकीनहर से अइर्लहां बस्ती कटाहित खास तक पिच रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत ग्राम कयामपुर से ग्राम बलवाखेड़ी तक 03 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जब्बार राणा व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत घसारा पुल से खेरा मार्ग तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के बारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लघु डाल नहर पर 50 क्यूसिक क्षमता का पम्प स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चंचल द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा-धरम्मरपुर (कटरिया) में श्यामलाल यादव के घर से शिवराम यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशीष यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री बावन सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री बावन सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के ब्लाक रूपईडीह के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोचवाँ के ग्राम जयरामपुरवा प्रा0 स्कूल के पीछे से लक्ष्मणपुरवा होते हुए भैरमपुर सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री ललित कुमार मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मूलचन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री मूलचन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम निनावली जागीर के पास पहूँज नदी के दोनों किनारों पर टावर पोल लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री शेरसिंह राठौर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ब्लाक-बिछिया के ग्राम सभा तारगांव का मजरा-मानधाताखेड़ा में ग्राम पंचायत द्वारा अधूरे इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद खीरी की विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में एन0एच0-730 ए, मोहमदी पुवायां रोड से शाहपुर राजा मियाँपुर कालोनी होते हुए नवनिर्मित जमुनिया घाट पुल से गुजरकर रेहरिया शंकरपुर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम भरोसे वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत टिकटगढ़ रजवहा की साफ-सफाई व हेड से टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री समीर अहमद व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के रसिन बांध से बरूआ बांध लिंक नहर का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

---

† छापी नहीं गई।

श्री जनार्दन सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के कूरेभार और बरौसा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम गायघाट पिच रोड से पश्चिम अम्बेडकर पार्क तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार यादव, निवासी जनपद बस्ती की याचिका व्यपगत हुई।

[12:38] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 जुलाई, 2024 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 29 जुलाई, 2024 से दिनांक 02 अगस्त, 2024 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 31 जुलाई, 2024 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायें।

2-दिनांक 01 अगस्त, 2024 को नियम-56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें।

3-दिनांक 02 अगस्त, 2024 को नियम-103 के अन्तर्गत गत सत्र के चर्चाधीन एवं प्रस्तुतिकरण हेतु ग्राह्य प्रस्ताव ले लिये जायें।

दिनांक 29 जुलाई, 2024 से दिनांक 02 अगस्त, 2024 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जुलाई, 2024

29 सोमवार 1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

2-विधायी कार्य।

---

† छापी नहीं गई।

जुलाई, 2024

30 मंगलवार 1-विधायी कार्य।

2-**12:20 बजे अपराह्न**

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

31 बुधवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2-विधायी कार्य।

3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

अगस्त, 2024

01 गुरुवार 1-वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

02 शुक्रवार 1-विधायी कार्य।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफरिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफरिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-26 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-27

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2024†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

---

† दिनांक 21 अगस्त, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हुत सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

† दिनांक 21 अगस्त, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024†

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 21 अगस्त, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

[12:44] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 06 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएँ चयनित की गईं। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा, शेष सूचनाएँ अस्वीकार हुईं।

---

† दिनांक 21 अगस्त, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

पहली सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय, डॉ0 संग्राम यादव, श्री ओम प्रकाश और श्री पंकज कुमार मलिक की प्रदेश में बदहाल विद्युत व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री कमाल अख्तर, डॉ0 आर0के0 वर्मा, श्री आशू मलिक, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री पंकज पटेल और श्री अनिल प्रधान की प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती तथा जल गये ट्रान्सफार्मर समय से न बदले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पहले हम प्रदेश में बदहाल विद्युत व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सुन लेंगे, फिर उसके बाद श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी की जो प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती तथा जल गये ट्रान्सफार्मर समय से न बदले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना है, सुनेंगे। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बोलने के लिए मुझे जो नाम दिए गए हैं, उसमें डॉ0 आर0के0 वर्मा, श्री कमाल अख्तर, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री ओम प्रकाश सिंह के नाम हैं। यह 04 लोग पहली सूचना पर बोलेंगे।

[12:46] विपक्ष द्वारा मा0 अध्यक्ष के स्वास्थ्य हेतु शुभकामना एवं नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी शुभकामना सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मुझे मालूम हुआ कि आपकी तबियत बहुत खराब रही और अब ठीक हुए हैं। तन्दुरूस्ती कम हुई है। आप ठीक रहें, हमारे लिए आप बहुत अनमोल चीज हैं। आप अपना ख्याल रखें और हमारा भी ख्याल रखें।

श्री अध्यक्ष-

थैंक यू।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, दूसरी चीज यह कि हमारे अध्यक्ष जो पहले यहाँ पर नेता विरोधी दल थे, वह अब पार्लियामेण्ट चले गये और उनकी जगह माता प्रसाद पाण्डेय जी आए हैं। एक और साहब थे जो आपको बार-बार परेशान किया करते थे, वह भी हट गये, उनकी जगह कमाल अख्तर साहब आ गए। अधिष्ठाता मण्डल में भी आपके सहयोग के लिए महबूब अली साहब आ गये। मैं इन लोगों के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सुबह बैठते ही इन लोगों के बारे में बोला था। आप उस समय नहीं थे।

श्री इकबाल महमूद-

ठीक है, मान्यवर, मैं उस समय नहीं था, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

जब आप न हुआ करें तो पड़ोसी से पूछ लिया करें।

(सदस्य श्री महबूब अली के कुछ कहने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो पूरे हाउस के महबूब हैं। यह तो बहुत पुराने हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसके बारे में अनुपमा जी ने बहुत अच्छी तरीके से बता भी दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इनके बाल यहीं सफेद हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

अभी कहाँ सफेद हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अरे वह केमिकल लगा लें, अलग बात है।

(सदस्य श्री महबूब अली के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे सर, सफेद नहीं है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं ?

श्री महबूब अली-

मान्यवर, यह पूरा सदन आपके स्वास्थ्य को लेकर गम्भीर है और हर हालत में जितना भी हो सकता है आप अपने आराम का ख्याल रखें, सदन तो आपके दिशा-निर्देश पर कहीं से भी बैठ कर चल सकता है। लेकिन वर्तमान में आपकी सेहत दुरूस्त रहना सारे सदन के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, मैं तो इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये करते हैं या नहीं। हमारे इनके बहुत पुराने किस्से है। (हँसी)

श्री अध्यक्ष-

यहाँ सारे मत बताइयेगा। (हँसी)

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम तो आपको अक्सर विश करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार होली पर आप हमारे शाहजहाँपुर में जरूर आयें। हम यह जरूर चाहेंगे। अब देखिए, नवाब साहब ने जो बात कही, आपको तो यह पूरा सदन देख रहा है, यह अलग बात है कि आप केमिकल लगा लो लेकिन इसी हाउस में आपके बाल सफेद हुए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि तर्जुबा बहुत है, बहुत तर्जुबा है।

(किसी सदस्य ने कहा कि इस पर एक शेर सुना दीजिए)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या शेर सुनायें ?

श्री अध्यक्ष-

काले बालों पर कुछ सुना दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

एक शायर ने कहा था, जब उससे बार-बार आग्रह किया गया-

हम तो सुबह से बैठे हैं, बार-बार आग्रह करने से कि
''मुफ्त में शेर सुनाने को, मैं नहीं कायल,
एक कप चाय पिलाओ, तो गज़ल अर्ज करूं।''

श्री स्वामी ओउमवेश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रार्थना किया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। मैंने महर्षि दयानन्द की तस्वीर लगाने के लिए कहा था, लेकिन आपने अभी तक नहीं लगवाया है।

श्री अध्यक्ष-

मैं तस्वीर लगवाने के लिए उचित स्थान देख रहा हूँ।

श्री इकबाल महमूद-

मुझे बहुत अच्छा लगा कि खन्ना जी ने त्यौहार के लिए लिखा है कि आप आए और हमारे साथ होली खेलें। मैं चाहता हूँ कि मेरी और इनकी होली हर बार साथ हो और हम एक-दूसरे से गले मिलकर होली मिलें और इसकी एक मिसाल कायम करे और कोई भी इस चीज को घृणा की दृष्टि से न देखे।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ (क्रमागत)

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत विद्युत कटौती और जर्जर विद्युत व्यवस्था जैसे अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। महोदय, अघोषित विद्युत कटौती की वजह से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, जहाँ पर सरकार ने पहले वायदा किया था कि ग्रामीणांचल में 18 घण्टे और तहसील मुख्यालयों पर 20 घण्टे, जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराने का काम करेंगे। आज इस बात को बताते हुए और इस सदन में रखते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि ग्रामीणांचल में 6 घण्टे से लेकर 8 घण्टे तक विद्युत की आपूर्ति हो रही है। तहसील मुख्यालयों में 8 घण्टे से लेकर के 10 घण्टे की विद्युत आपूर्ति हो रही है

और जिला मुख्यालयों पर 10 घण्टे से लेकर के 12 घण्टे की विद्युत आपूर्ति हो रही है जिससे जनमानस में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मान्यवर, आज किसान बेहाल है उसकी फसल सिंचाई के अभाव में सूख रही है। किसान जब अपना निजी पम्पिंग सेट चलाकर के अपने खेत के लिए रवाना होता है और खेत में पहुंचने से पहले ही रास्ते में बिजली गुल हो जाती है। मान्यवर, आज आलम तो यह है कि वैवाहिक कार्यक्रमों में वर और वधू का जोड़ा वर माला डालने के लिए तैयार होता है तो पता चलता है कि बिजली गुल हो गई है और बाराती भी भोजन का निवाला हाथ में लिए होते हैं कि पता चलता है कि बिजली गुल हो गई है।

आज देश के कर्णधार नवनिहाल बच्चे जो अपने वजन से ज्यादा किताबों और कापियों का बोझ उठाकर के घर पहुंचते हैं और सोचते है कि पंखे, ए0सी0, कुलर या ए0सी0 की हवा मिलेगी और पहुंचते ही पता चलता है कि बिजली गुल हो गई है। आज के जो हालात हैं उससे व्यापारी परेशान है और किसानों कि फसल बर्बाद हुई जा रही है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इस बदहाल व्यवस्था को देखा, महाकुंभ की समीक्षा जब आप प्रयागराज में कर रहे थे और आपने जब सुनिश्चित कराना चाहा कि महाकुंभ में चौबीस घण्टे निर्वाध विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए और तब तक पता चला कि शहर वालों की बिजली गुल हो गई है। मान्यवर, आज के जो हालात हैं उसमें एक बदलाव जरूर आया है कि विद्युत व्यवस्था को लेकर के जनमानस में नाखुशी है, त्राहि-त्राहि है, नाराजगी है, लेकिन विद्युत विभाग की बिजली विजिलेंस टीम की बल्ले-बल्ले है, वह सुपर मैन की तरह से जब कभी रात के अंधेरे में किसी भी उपभोक्ता के घर में छापा डाल देते है, जब घरों में पुरुष नहीं होता, महिलाएं और बच्चे ही अकेले घर में होते हैं, उस वक्त भी विजीलेंस की टीम छापा डालकर के उनका उत्पीड़न करने का काम करती है, दिन भर में अगर सौ उपभोक्ताओं को विद्युत चोरी के मामले में थाने ले जाया जाता है तो 80 परसेण्ट लोगों से वसूली करके उनको वापस भेज दिया जाता है। और 20 परसेण्ट लोग जो वसूली का पैसा नहीं दे पाते, उन पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का काम किया जाता है। मान्यवर, इसलिए आज यह सरकार जो प्रचार करने का काम करती है कि हम 18 घण्टे, 20 घण्टे और 24 घण्टे बिजली मुहैया कराने का काम कर रहे हैं तो हमको यह समझ में नहीं आता कि उनका यह आँकड़ा कहाँ से आता है, उनका डाटा कहाँ से आता है ? आज इस विद्युत कटौती से आम जनमानस में इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। आज यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र में चिकित्सा की बात हो रही है तो मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि अघोषित विद्युत कटौती की वजह से बड़े-बड़े अस्पतालों में बहुत सारे अनावश्यक उपकरण लगाने पड़ते हैं। अगर कहीं पर सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 सुविधा है तो वहाँ पर यू0पी0एस0, जेनरेटर और सर्वो जैसे महंगे उपकरण लगाने की वजह से आम नागरिकों की चिकित्सा सुविधा भी महंगी हो जाती है।

मान्यवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज आम उपभोक्ता बहुत परेशान है क्योंकि स्मार्ट मीटर की रीडिंग बहुत फास्ट चल रही है। मैं इसको लेकर एक नजीर देना चाहूँगा कि जनपद प्रयागराज के मऊआईमा क्षेत्र की बटहा ग्राम पंचायत में विजिलेंस

टीम ने एक बस्ती से 27 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का काम किया था और उसमें से कुछ लोगों को बाद में बुला कर उनसे वसूली करके मामले को खत्म करने का काम किया। मेरा कहना है कि आज जिस उपभोक्ता के पास केवल एक कमरे का घर है, उस उपभोक्ता को तीन साल के लिए तीन लाख पचास हजार रुपये बिल देने का काम किया गया है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगवाते हैं तो उनको कम से कम यह सुविधा मिलनी चाहिए कि वे अपने मीटर की रीडिंग का परीक्षण कराने की एक पारदर्शी व्यवस्था का लाभ उठा सकें। मान्यवर, आज जो सरकार के पास आँकड़ा आता है, वह आँकड़ा ऑनलाइन होना चाहिए। मेरा कहना है कि इन सरकारी आंकड़ों के लिए जितने भी इक्विपमेण्ट्स लगे हैं, जिसके जरिए सरकारी तंत्र अनुश्रवण करने का काम करता है, डाटा इकट्ठा करने का काम करता है, इसके लिए जो भी उपकरण, मॉडेम और डिवाइस के रूप में लगे हैं तो उसमें से शहरों के 80 परसेण्ट उपकरण खराब हैं और ग्रामीण क्षेत्र में वे उपकरण 100 परसेण्ट खराब हैं। मेरी यह समझ में नहीं आता कि विद्युत आपूर्ति का यह आँकड़ा सरकार के पास कहाँ से आता है ? मान्यवर, इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि यह जो मैनिपुलेटेड रिपोर्ट भेजी जाती है, जो भी आँकड़ा भेजा जाता है तो आज उसका परीक्षण कराने की जरूरत है जिससे हम आम नागरिकों को वास्तव में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का काम कर सकें। दूसरी बात, आज लोग लोकल फॉल्ट से बहुत परेशान हैं क्योंकि जो विद्युत केबिलें लगी हैं, उसकी गुणवत्ता बहुत खराब है। आज जो केबिल्स बदली जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता भी बहुत खराब है क्योंकि जो केबिल छः महीने पहले लगी थी, आज उसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। आज ट्रांसफॉर्मर ओवर लोडेड हैं, फीडर ओवर लोडेड हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं है। मान्यवर, अगर सरकार द्वारा उस पर फोकस करके फीडर को ठीक कराने का काम किया जाएगा और ओवर लोडेड ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वृद्धि या उन पर सेकेण्ड पॉइण्ट कराने का काम किया जाएगा तो किसानों को, आम नागरिकों को सुविधा मुहैया हो सकेगी। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि आप इसमें पूरे एक घण्टे की चर्चा करा लें जिससे इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बातें आ जाएँ, सबके क्षेत्रों की बातें भी आ जाएँ कि आज ग्रामीण अंचल में, तहसील मुख्यालयों पर और जिला मुख्यालयों पर कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति हो रही है ? मा0 अधिष्ठाता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इसी मध्य अपराह्न 12 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पीठासीन हुए)

***श्री मो0 कमाल अख्तर-**

आपने बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर नियम-56 के अन्तर्गत मुझे बोलने का मौका दिया। आज जहाँ तक सवाल है बिजली का तो जीवन के लिए जिस तरह हवा और पानी की जरूरत है, उसी तरह आज बिजली है बल्कि बिजली उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिजली के जरिए होते हैं। सरकार ने इस बार दावा किया और मौसम विभाग ने पहले ही अनुमानित कर दिया था कि इस साल गरमी बहुत पड़ने वाली है। इस बार टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक गया और उसके बाद की स्थिति तो ज्यादा बुरी हो गई लेकिन जो सरकार के दावे थे कि हम लोग मुख्यालयों पर 22 घण्टे और किसानों को 10 घण्टे बिजली देने का काम करेंगे तो सरकार ने जो वादा किया था, सरकार उसमें पूरी तरह से नाकाम निकली। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि रिवैम्प योजना के अन्तर्गत जो बंच केबिल पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर डाले जा रहे हैं, लाइनें बदली जा रही हैं। उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि वह केबिल पड़ने के बाद अभी से लाइनें खराब हो रही हैं जबकि उनको पड़े हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। खुद मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसकी समीक्षा की है और उन्होंने कहा कि इसमें जो कम्पनी है उसकी जरूर इस बात के लिए जाँच होनी चाहिए कि जो बंच केबिल पड़ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है ? दूसरा हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के गाँवों के अन्दर 11 हजार की लाइन बिछी हुई है, उसके नीचे जो गार्डनिंग लगी हुई थी वह भी पिछले 10-12 साल में इतनी खराब हो गई है कि हजारों दुर्घटनायें हो गई हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर मिरजापुर गाँव पड़ता है वहाँ पर अभी एक नौजवान की मृत्यु 11 हजार की लाइन की वजह से हुई। मैं अनुरोध करूँगा मा0 मंत्री जी से कि यह जो आप सारी लाइनों के ऊपर केबिल डालने का काम कर रहे हैं तो जो गाँवों के अन्दर 11 हजार की लाइन है यदि उसको भी बदल दिया जाएगा तो हजारों लोगों की जो जान चली गई और आगे भी जाने का खतरा है उन लाइनों को बदलने के बाद निश्चित तौर पर हजारों लोगों की जान बचायी जा सकती है। आपने बड़ी घोषणा की कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था करेंगे लेकिन आलम यह है कि जब वह कनेक्शन लेने जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि पहले 2023 से पूर्व का जो बकाया है उसकी एन0ओ0सी0 लेकर आइये तब हम आप लोगों को कनेक्शन देंगे। उनके ऊपर मीटर और लगा दिया जा रहा है, इससे यह बात साबित हो रही है कि सरकार अपनी कहीं हुई बात से पलट रही है।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ कि जो सारे उत्तर प्रदेश की समस्या है, मेरे क्षेत्र की भी यह समस्या है कि सरकार के द्वारा 100 से अधिक नगरपालिका, नगर पंचायतों का या तो विस्तार किया गया या नई नगर पंचायतें बनाई गईं। बहुत सारे गरीब आदमी ऐसे हैं जो कि ठेला लगाने वाले, खुमचा लगाने वाले या दूसरे काम करने वाले लोग हैं। वह अपनी पूरी जमीन गाँव की बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, व्यापार के लिए, शहर के अन्दर जाकर बस गए हैं। मैं उन कालोनाइजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने कालोनियाँ बसाई हैं। उनके लिए नियम अलग है लेकिन बहुत सारे गरीब लोगों ने अपनी सम्पत्ति बेचकर घर बनाये लेकिन अब जब वह कनेक्शन लेने जाते हैं तो उनको इस्टीमेट बनाकर थमा दिया जाता है कि आपको 2 लाख जमा करना पड़ेगा तब कनेक्शन मिलेगा, आपको 1 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा, तब कनेक्शन मिलेगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम हर आदमी के घर में रोशनी करना चाहते हैं, हम हर आदमी के घर को विद्युत कनेक्शन देना चाहते हैं और दूसरी तरफ इतने

साल के बाद भी बीसों साल पुरानी कॉलोनियाँ है उन नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं के अन्दर विद्युत व्यवस्था, विद्युतीकरण नहीं किया गया। मैं कहूँगा मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे है और मा0 मंत्री जी भी सदन के अन्दर हैं यदि कोई योजना या स्कीम बनाकर उन कालोनियों का विद्युतीकरण कर दिया जाए जहाँ पर गरीब लोग बसते हैं तो निश्चित तौर पर उन हजारों या लाखों की तादाद में गरीब लोगों को कनेक्शन मिल जाएगा और आपका यह कहना है कि हम हर घर रोशनी पहुँचाना चाहते हैं वह बात सत्य साबित हो सकती है।

जहाँ तक सवाल है मीटर रीडिंग लेने वालों का वह पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर प्राइवेट लोग या आउटसोर्सिंग पर रखे गए हैं लेकिन हालत यह है कि मीटर रीडिंग के नाम पर बुरी तरह से पूरे विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यदि मीटर रीडिंग घटानी है तो पैसा लेकर मीटर रीडिंग घटा दी जाती है और उसके बाद जब मीटर के अन्दर उसकी रीडिंग स्टोर हो जाती है और बाद में जब अधिक बिल आता है तो उपभोक्ता के ऊपर बड़ा संकट आ जाता है और बिल सही कराने के नाम पर उससे वसूली का काम किया जाता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो सरकार का दावा था कि हम लोगों को सस्ती और अच्छी बिजली देने का काम करेंगे। ट्रान्सफार्मर फुंक जाते हैं तो कहते हैं कि 24 घण्टे में बदलेंगे लेकिन जब तक चंदा लेकर लाइनमैन को नहीं दिया जाएगा, जे0ई0 को नहीं दे दिया जाएगा तब तक ट्रान्सफार्मर नहीं बदलेगा। 5-5 दिनों के बाद ट्रान्सफार्मर बदले जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जोकि बिजली की बदहाली से सम्बन्धित है इसमें लोगों को बोलने का मौका दिया जाए और सदन की कार्यवाही को रोककर इस विषय पर कम-से-कम दो घण्टे की चर्चा करायी जाए।

***श्री दुर्गा प्रसाद यादव-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। बिजली विभाग का विषय, जो सदन में आया हुआ है, यह बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि बिजली से सभी लोग जुड़े हुए हैं। इस समय किसान परेशान है। नहरों में पानी नहीं है। आज भी पूरे प्रदेश की स्थिति यही है कि नहरों में पानी नहीं है, किसान परेशान है और उन लोगों की फसलों की रोपाई नहीं हो पायी है। जब ट्रान्सफार्मर जल जाता है तो महीनों तक ट्रान्सफार्मर बदला नहीं जाता है। पुराने तार जो टूट जाते हैं, वह उतनी संख्या में, चूँकि अभी बदल रहे है परन्तु पूरे तार नहीं बदले गये हैं। मेरा कहना है कि यह जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और गम्भीर मामला है, इसलिए ट्रान्सफार्मर की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। जो ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं, वह महीनों तक बदले नहीं जाते हैं। सरकार की एक व्यवस्था है कि कैसे बिजली विभाग को दुरुस्त करें। चूँकि सभी लोग बिजली पर निर्भर हैं इसलिए बिजली की समस्या को दूर किया जाये। 7 घण्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों को मिलती है, अगर शहर की स्थिति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ले लीजिए तो 5 मिनट आयी फिर 5 मिनट में कट गयी। वही हाल देहात का है और वही हाल शहर के हैं। हम चाहते हैं कि इसमें बजट दिया जाये और सरकार अधिकारियों के कहने पर कि अभी बिजनेस प्लान बनेगा, उनके पास पैसा नहीं है, चाहता हूँ कि इसमें बजट दिया जाये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा यही कहना है कि जो किसानों की फसलों की रोपाई का मामला है चूँकि इस समय नहरों में पानी नहीं है तो उनको पूरा पानी दिया जाये और जो ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं, उसमें सरकार निर्देशित करें कि जल्दी ट्रान्सफार्मर को बदल कर नया ट्रान्सफार्मर वहाँ लगाने का काम करें और ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ा दें। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली विभाग को किस तरह से हम दुरुस्त करें ताकि किसान तक उसका लाभ मिल सके। मा0 मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं कहना चाहूंगा कि यह गम्भीर विषय भी है और बिजली विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग भी है।

दूसरी बात कि जो बिजली का बिल आता है, उसमें मान लीजिए कि अगर घर का बिल 2-3 सौ रुपये का आया तो दूसरे महीने वही बिल 2 हजार हो जायेगा। किसान परेशान है। जो बिजली के कर्मचारी हैं, यह गरीब के घर जाकर उनका तार काट देते हैं कि आपने अभी तक बिजली का बिल नहीं जमा किया। ऐसी अनेक तरह की समस्याएं हैं। हम मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि गरीब तबके के लोगों ने आपको वोट देने का काम किया था, सिर्फ बातों से नहीं आप उनको काम करके दिखाने का काम करें। जो उनके बिल मनमाने तरीके से आ रहे हैं, उसकी जाँच करवायें और जाँच कराकर बिजली बिल को माफ कराने का काम करें, तभी किसान खुशहाली की तरफ जायेगा। आज तक इस तरह की कोई योजना किसानों के हितों के लिए नहीं आयी है। सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने बराबर कहा है कि हम किसानों को दुगना मूल्य बढ़ा कर देने का काम करेंगे पर दोगुना की बात छोड़िये, आज मंहगाई चरम सीमा पर हो गयी है, सभी लोग परेशान हैं। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बिजली की कमी को दुरूस्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

दुर्गा यादव जी, वैसे ही आपको ज्यादा समय दे दिया है। अभी और भी माननीय सदस्य हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

कई मकानों के ऊपर से बिजली का तार जा रहा है जिससे प्रायः दुर्घटनाएं हो रही हैं। सरकार से कोई निर्देश होना चाहिए कि जिन मकानों के ऊपर से बिजली का तार जा रहा है उसको हटवाया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ये विषय कमाल अख्तर जी लाये हैं। धन्यवाद।

***श्री ओम प्रकाश-**

माननीय अधिष्ठाता जी, नियम-56 में बड़ा गम्भीर विषय है। इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्वलंत समस्या बिजली की है। आज माननीय नेता सदन भी हैं, बिजली मंत्री जी भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं और यह गम्भीर विषय भी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब बयान दें तो कम-से-कम ये बतायें कि सिस्टम इम्प्रूवमेंट में स्पेशल लाइन में आपने 33/11 के0वी0, 132 और 400 के अब तक कितने सब-स्टेशन 2017 से चलाने का काम किया है और कम-से-कम ये तो जरूर बता दें कि जब से आप मंत्री बने हैं तब से 33/11 के0वी0 सब स्टेशन में आपने कितना काम किया है क्योंकि माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसाकि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि बिजली की सुचारु व्यवस्था 18 घण्टा, 20 घण्टा, 24 घण्टा। हालात क्या हैं, दुर्गा जी ने अपनी बोल-चाल की भाषा में कहा कि बिजली आ भी रही है तो आधा घण्टा, 10 मिनट, फिर चली गयी, फिर आयी, फिर चली गयी। ये बिजलिया देवी हो गयी है, कब आयेगी, कब जायेगी। माननीय मंत्री जी कोई विरोध की वजह से नहीं, ये नहीं कि मैं आपकी कटुता के लिए या आपकी बुराई के लिए आया हूँ। आज पक्ष और विपक्ष दोनों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां 14 रिफ्ट कैनाले हैं व दो बड़े रिफ्ट कैनाल हैं। आप पता कर लीजिये कि बिजली की अव्यवस्था की वजह से हमारी तरफ अभी तक कोई रोपाई नहीं हो पायी है। धूप अलग है, सूखा का प्रकोप अलग है और बिजली की वजह से आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में। खासकर आप कल बलिया गये थे, मैंने आज पेपर में देखा। आप इस व्यवस्था में कम-से-कम ये जरूर बताने का काम करें कि आपने लोड कितना बढ़ाया। आप पता कर लीजिये जो मेरे पास रिपोर्ट है कि 43 परसेंट उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में 6462.90 मेगावाट हाइड्रो और थर्मल दोनों का था। फिर 3 परसेंट बढ़ा। फिर वो आ गया 665900 मेगावाट। आप जानते हैं जैसाकि कमाल साहब ने कहा कि डिमाण्ड बढ़ी है। जब डिमाण्ड बढ़ी है, माननीय नेता सदन बैठे हैं मैं चाहूंगा कि यदि आपसे न हो तो नेता सदन से कहें, दिल्ली से बात हो, हमें अतिरिक्त ऊर्जा मिले। आप पता कर लीजिये कि आपके यहां केबिल की जो स्थिति है, हमारे यहां 3 ठेकेदार आकर चले गये। एक अशोक बिल्ट वाला आया, एल0एन0टी0 वाला आया अब कार्बो आया। तीनों का उस डिविजन से कोई सामंजस्य नहीं है। मेरे यहां ये हालत है कि सभी माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि किसानों ने प्राइवेट ट्यूबवेलों के लिए पैसा जमा किया हुआ है लेकिन किसानों को सामान नहीं मिल पा रहा है।

माननीय नेता सदन, आप पता कर लीजिए, बनारस मण्डल में कल चंदौली में पहली बार 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर आया है। पूरे बनारस मण्डल के स्टोर में 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर नहीं है। जितने हमारे यहाँ 7-8, 33/11 के0वी0 के सब-स्टेशन है, वह 5 एम0वी0ए0 से 10 एम0वी0ए0, 10 एम0वी0ए0 से 5 एम0वी0ए0, फिर 5 टू 5 करने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। माननीय मंत्री जी, ऐसा लगता है कि बिजली विभाग की जो स्थिति है, वह आपके कंट्रोल के बाहर है। आपने हर जिले में विजिलेंस ऑफिस बना दिया है। अब विजिलेंस ऑफिस बिजली तो पैदा नहीं करेगा। उसे केवल आमदनी का धन्धा बना लिया गया है। मैं माननीय नेता सदन से चाहूँगा कि आप इसकी समीक्षा करिये कि विजिलेंस वाले कितने गलत और कितने सही को पकड़ रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है ?

श्री अधिष्ठाता-

ओम प्रकाश जी, कृपा करके एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। लोड पर जो ट्रान्सफार्मर है, मैं वह अभी सदन के पटल पर रख दे रहा हूँ। 15 से 28 के बीच में गाजीपुर के पास के स्थानों का मैं पटल पर भिजवा दे रहा हूँ। 400 ट्रान्सफार्मर्स केवल 14 दिनों में जले हैं। आप बलिया गये थे, मऊ तो रोज जाते हैं, थोड़ा गाजीपुर होकर चले आये होते, समीक्षा कर लेते। आपके जो एस0ई0 है, ट्रान्सफर-पोस्टिंग में जिसका टर्म पूरा नहीं है, उसका ट्रान्सफर कर रहे हैं। लेकिन जिसका पूरा हो गया है, उसका ट्रान्सफर नहीं कर रहे है। बिजली की जो स्थिति है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शिफ्टिंग में पता कर लीजिए, ओवरलोड की एक गम्भीर समस्या आपके सामने है। दूसरा, हमारे साथियों ने कहा कि किसी फार्म के लिए नलकूपों का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। यह सही बात है, मैंने भी इस सन्दर्भ में कहा है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जरूर चाहूँगा कि आप तत्काल ऐसे समय में जब विद्युत की बहुत गम्भीर समस्या है तो इसको आप देखें। उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है। यहाँ दो फसलें होती हैं। कहीं-कहीं एक ही फसल होती है। हमारा किसान अभाव में है। हमारा किसान कमजोर है, गरीब है। खेती कौन करता है ? माननीय मंत्री जी, आप तो गुजरात मॉडल से आये हैं, आपको मालूम ही नहीं है, यह गुजरात नहीं है, यह उत्तर प्रदेश है। जवानी में गुजरात चले गये, बुढ़ापे में आये हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप समीक्षा करिये, जिला-वाइज करिये, आपने चार-चार जोन बनाये हैं। आप अपने एम0डी0 (ओ0) को बुलाकर कहिए, अगर मेरी बात गलत हो, माननीय नेता सदन भी बैठे हैं, आप जो कहेंगे, हम उस सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरता से सोचें। नेता विरोधी दल ने और सभी विधायकों ने बिजली की गम्भीर समस्या पर जो कहा है, उस पर बैठक करने की जरूरत है, बात उठाने की जरूरत है क्योंकि बिजली एक गम्भीर समस्या बनी हुई है।

श्री अधिष्ठता-

धन्यवाद। आप वरिष्ठ हैं, इसलिए इतना लम्बा समय दे दिया। अब माननीय पंकज मलिक जी बोल लें।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, शायद सदन के संज्ञान में न हो, विभाग आपके पास है, आप इसे देख रहे हैं, लेकिन यह स्थिति है। आप संविदा पर लाइनमैन को 10 हजार रुपये पर रखे हुए हैं, लेकिन ठेकेदार उसे 8 हजार देता है। वह लखनऊ में भी 8 हजार है, बनारस में भी 8 हजार है, गाजीपुर में भी 8 हजार है, बलिया में भी 8 हजार है, मऊ में भी 8 हजार है। लाइन-फॉल्ट होती है तो कोई आदमी साइकिल से नहीं जाता है, मोटर साइकिल से जाता है। 11 हजार के फीडर 14 किमी0, 18 किमी0 पर बने होते हैं। कोई लाइनमैन जाने के बाद दोहन ही करेगा और दोहन हो रहा है। जो आपने लाइनमैन को आउटसोर्सिंग पर रखने की व्यवस्था की है, उसकी भी समीक्षा हो क्योंकि उनका 3- 3 महीने तक वेतन ही नहीं मिल रहा है। जब वेतन नहीं मिल रहा है तो लाइनमैन भी बेलगाम है, जो चाहता है, वह करता है, जो चाहेगा, वह करेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप विश्वास ही नहीं करेंगे, रात में 02 बजे बिजली कट गई और हमने 04 बजे नीचे उतर कर लोगों से कहा कि बिजली ठीक कराओ। मेरे वहाँ ही बिजली नहीं है। जब लखनऊ में बिजली की यह स्थिति है तो और जगह क्या स्थिति होगी ?

श्री अधिष्ठाता-

आपकी पूरी बात आ गई है।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे जरूर निवेदन करूँगा कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाये और मैं यह पटल पर रख दे रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप भेज दीजिए।

श्री ओम प्रकाश-

मैं जरूर चाहूँगा कि शिफ्टिंग पर भी जरूर व्यवस्था हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम-56 पर बिजली के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए हम आपके बहुत आभारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खास कर हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में पहले जब कोई धार्मिक आयोजन होता था तो बिजली की व्यवस्थायें बहुत अच्छी रहती थीं। इस बार चाहे मोहरम रहा हो, चाहे कांवड़ यात्रा चल रही हो, मेरी जानकारी में आया था कि पहले 24 घण्टे बिजली वहाँ पर रहती थी। अब स्थिति यह है कि बिजली की बहुत कमी है। वहाँ पर थोड़ी-थोड़ी देर में फाल्ट होते रहते हैं। अभी हमारी विधान में कूकड़ा मण्डी एक जगह है, कूकड़ा मण्डी में बिजली चली गयी और लगभग वहाँ पर दो दिन बाद बिजली आयी। मैंने वहाँ पर अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास बिजली की कमी

नहीं है, लेकिन सुविधायें पूरी नहीं है। मान्यवर, बिजली का बहुत बुरा हाल है। देहात क्षेत्र में चाहे किसान हों, नौजवान हों, चाहे खेलने का समय हो, चाहे पढ़ाई का समय हो बिजली की कमी है। अगर एक ट्रान्सफार्मर फुंक जाता है तो दो दिन में बदला जाता है। आदेश यह है कि ट्रान्सफार्मर फुंकते ही बिजली विभाग बदलवा करके देगा लेकिन कोई नहीं बदलवाता है। हम लोगों को फोन करते हैं, पहले वहाँ पर धक्के खाते हैं, उसके बाद ट्रान्सफार्मर बदला जाता है। बुनकरों के यहाँ या आम आदमी के यहाँ चले जाते हैं और जो उन्होंने कनेक्शन लिया है, दबाव बनाते हैं और घरेलू कनेक्शन दिखा करके उन पर जुर्माना कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। मा0 मंत्री जी इसकी जाँच करा लीजिए। वहाँ पर दिखवा लीजिए बिजली विभाग के लोग कितना उत्पात मचाये हुये हैं। हमारी विधान सभा क्षेत्र चरथावल और पीपलहेड़ा में बिजली वालों की गलती से दो की मौत हो गयी। एक चरथावल का हमारे त्यागी जी का बेटा जो लाइन मैन था, वह गरीब था, उसकी नौकरी के पैसे से उसके घर का खर्च चलता था। वह जब शटडाउन लेकर खम्भे पर काम कर रहा था तभी किसी ने बिजली चला दी और उसकी मौत हो गयी। वहाँ पर लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। धरने पर बैठने के बाद बिजली विभाग के लोग वहाँ पर आये, वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी मदद करने का काम किया था। ऐसे ही पीपलहेड़ा गाँव में हमारे ठाकुर साहब का बेटा जो अपने खेत में काम कर रहा था खम्भे में जो सपोर्ट के लिए लगा होता है उसमें करेंट आया, वह मर गया। मा0 मंत्री जी बार-बार फाल्ट होते इन फाल्ट से लोगों की जान जाती है उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि उनके परिवार के लिए आगे का जीवन सम्मान के साथ जी सकें, जो मदद हो सके और जितनी कमियाँ और खामियाँ हैं उनको दूर करने का काम होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में ट्रान्सफार्मर की बड़ी दिक्कत है। किसान जब कनेक्शन की बात करता है तो वह दफ्तरों के धक्के खाता है, उसे कनेक्शन मिल नहीं पाता है, चाहे उसकी फसल उजड़ जाये, सिंचाई कर नहीं पाता है। जब वह दफ्तरों में जाता है तो उससे अवैध वसूली की जाती है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। किसानों के घर नोटिस भेज दिया जबकि वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पर बिजली चल ही नहीं रही है। आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितने सब-स्टेशनों का हमारे यहाँ निर्माण किया गया है। हमारी विधान सभा क्षेत्र चरथावल और मुजफ्फरनगर शहर में बहुत सारे ट्रान्सफार्मर ऐसे हैं जो ओवर लोड की वजह से बार-बार फुंकते हैं, लेकिन बिजली विभाग के लोग कोई सुधार नहीं करते हैं। इस बार नई परम्परा हुई है कांवड़ के समय में खास तौर से जो कैंप लगाये जाते थे, बिजली विभाग का जे0ई0 जाता है, जाकर उनसे दबाव बनाता है, इसका कनेक्शन लो। वहाँ पर दो प्रतिशत लोगों ने भी कनेक्शन नहीं लिया होगा। बिजली विभाग के लोग वहाँ पर जा कर उनसे पैसे लेते हैं। मान्यवर वहाँ पर धर्म के नाम पर भी उगाही करने का काम कर रहे हैं।

एक बड़ी बात कि विजिलेंस की टीम के लोग सुबह चार बजे छापा मार देते हैं, इसका क्या मतलब है हम किसी दफ्तर में चार बजे नहीं जा सकते, घरों में माताएं-बहनें पूरा परिवार रहता है और विजिलेंस के लोग तीन बजे, चार बजे घुस जाते हैं छापा मारने के लिए इस पर

कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी जरूर करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत आभार।

नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने भी नोटिस दी थी, मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत कम समय लूँगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली की समस्या के बारे में माननीय सदस्यों ने पूरी बात रख दी है। मैं भी आपके माध्यम से एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। गाँवों में जहाँ जर्जर तार हैं उनको बदलने के लिए विभिन्न जिलों में कम्पनियाँ काम कर रही हैं और उनको लम्बी धनराशि इस काम के लिए दी गई है। अभी तक यह था कि मोटे तार लगा दिये जायेंगे तो उससे सुविधा होगी, लेकिन हमने खुद अपनी आँख से देखा कि आपका मोटा तार भी जल जा रहा है और जल कर गिर जा रहा है। मेरा कहना है कि कम्पनियाँ घटिया तार लगाकर आपकी बड़ी धनराशि का अपहरण करना चाहती हैं। माननीय मंत्री जी आप सिद्धार्थनगर गये थे, मैंने कोशिश की थी कि मैं आपसे मिल लूँ और यह समस्या आपके सामने रख दूँ। नई कम्पनी वाले जो आये हैं, उनको 1 अरब 76 करोड़ रुपया सरकार की ओर से नये तार और नये खम्भे लगाने का मिला है। आप इन तारों को कहां लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, इसकी एक सूची आप हम लोगों को दे दीजिये ताकि हम लोग भी उसे देख सकें। दिशा की बैठक में भी हमारे एमपी साहब ने निर्देश दिया था लेकिन आज तक नहीं पता चला कि वह कहां काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कुछ काम किये तो वह जल गया। माननीय मुख्य मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि इतनी बड़ी धनराशि जा रही है, इसलिए इसका सही उपयोग होना चाहिए। ये बड़ी कम्पनियाँ किसी प्रकार से ठेका पा गई होंगी, मैं नहीं जानता, लेकिन आप इस पर विशेष ध्यान दें कि ये घटिया तार न लगायें और सही ढंग से खम्भे खड़े करायें, इसकी आप जाँच करा लें, क्योंकि बहुत बड़ी रकम घोटाले के रूप में चली जा रही है, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, आप जवाब दे दें।

(सदस्य श्री कमाल अख्तर सहित विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपनी बात रखे जाने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण, आप बैठ जाएं, जिनका था उनका सुन लिया गया है, अब माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हो गये हैं, इसलिए कृपया बैठ जाएं।

ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोकतन्त्र के इतिहास में सबसे ज्यादा गर्मी इस बार पड़ी है, बरसात का समय तो हुआ, लेकिन बरसात भी अनियमित रूप से हो रही है यानी कि जहाँ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, उमस इतिहास में सबसे ज्यादा है। ऐसे समय में

बिजली विभाग, हमारे बिजली के कर्मचारी माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में दिन-रात मेहनत करके बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। मैं इस बात को सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि कहीं विद्युत आपूर्ति हो रही है, तो वह उत्तर प्रदेश में हो रही है। 30 हजार 618 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किसी भी राज्य में आज तक के इतिहास में नहीं की गई है। अभी तक महाराष्ट्र बिजली की आपूर्ति में नम्बर 1 हुआ करता था और पिछले कई महीने से हम लोग लगातार पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। मा0 वर्मा जी ने कहा था कि यह आँकड़े कहाँ से आते हैं, मैं यह कहना चाहूँगा कि जहाँ से आपके समय में आँकड़े आते थे, वहीं से हमारे समय में आ रहे हैं। आपके समय के आँकड़े भी मैं बताना चाहूँगा, माननीय अधिष्ठाता महोदय मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनके समय से ढाई गुना बिजली मा0 योगी जी दे रहे हैं और यह कहते हैं कि बिजली है ही नहीं। न ही गांव बढ़ा है, न प्रदेश बढ़ा, न किसान बढ़े और आप कहते हैं कि बिजली नहीं आ रही है। आपकी ही बनायी हुई संस्थाओं से हम आँकड़े ले रहे हैं, आपका वर्ष 2013-14 को जो अधिकतम लोड था वह था 12327 मेगावॉट और हमारा जो पिछले महीने का लोड है वह उसके ढाई गुने से भी ज्यादा 30600 मेगावाट है। आपने वर्ष 2013-14 में 81598 मिलियन यूनिट पूरे साल में सप्लाई की थी और उसका लगभग दोगुना हमने पिछले साल वर्ष 2023-24 में 1 लाख 47 हजार 701 यूनिट की सप्लाई की है और जितना आपने वर्ष 2013-14, वर्ष 2015-16 तीनों साल में सप्लाई किया था, उतना हमने जुलाई तक 63800 मिलियन यूनिट की सप्लाई कर दी है। तो आपका ढाई गुना बिजली हम दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा दिया और हम खराब दे रहे हैं।

दूसरी बात सुन लीजिए, आपने जो काम बाकी छोड़ा था लोगों तक बिजली पहुँचाने वाला, ऐसे लगभग डेढ़ लाख मजरे थे जिनकी तरफ आपने देखा ही नहीं था, आपने कुछ गाँवों पर ध्यान केन्द्रित किया था लेकिन यह मजरे लगभग 1 लाख 21 हजार अब विद्युतीकृत किए गए हैं, वर्ष 2017 के बाद किए गए हैं। उसमें भी हमने ईमानदारी से देखा कि क्या कुछ काम अभी भी बाकी रह गया है तो हमने इस साल भारत सरकार से गुज़ारिश करके लगभग 20503 मजरों के लिए 917 करोड़ रुपये की योजना मंजूर करवाई है और उनको हम बिजली देने का काम करने जा रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय किसानों को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, पहले तो मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का, मा0 वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा कि किसानों का जो बिजली का बिल था वह माफ कर दिया गया है। मैं पूरे राज्य के किसानों की और से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप किसानों के बड़े हितैषी हैं। मा0 पाण्डेय जी किसानों की बड़ी चिंता करते हैं। आपने वर्ष 2012-13 में कुल जो कनेक्शन दिए थे, उनकी संख्या सुन लीजिए और हम जो दे रहे हैं वह भी संख्या बताऊँगा। आपने वर्ष 2012-13 में जो कुल कनेक्शन किसानों को दिए थे वह 25,112 थे और प्रति माह जो आपने किसानों को कनेक्शन दिए थे, वह आँकड़ा 2093 है। अभी ओम प्रकाश जी ने कहा कि सामान नहीं मिलता है, लोग पैसा जमा कर देते हैं, आपने पूरे साल में 25,000 कनेक्शन दिए थे वर्ष 2012-13 में

25,000, वर्ष 2013-14 में 18,000 कनेक्शन, वर्ष 2014-15 में 34,000 कनेक्शन, वर्ष 2015-16 में 29,000 कनेक्शन दिए थे और हमने वर्ष 2022-23 में 70545 कनेक्शन दिए हैं। आपका तीन गुना चार गुना कनेक्शन हमने किसानों को दिया है। वर्ष 2023-24 में 63000 कनेक्शन हमने दिये हैं। आपने पूरे साल में जितने कनेक्शन दिये थे उतने हमने लगभग इन्हीं तीन महीने में दिया है। किसानों का बिल भी हमने माफ किया है, किसानों को अब पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है, आपको जानकारी दे दूँ कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो पहले 10 घण्टे की व्यवस्था थी, उसमें हम लोगों को छूट दी है कि बरसात कहीं-कहीं अनियमित रही है, कहीं-कहीं दिक्कत वाली रही है। इसलिए 10 घण्टे के बजाय 12 घण्टे करने की हमको छूट मिली है और हमने उसको लागू भी कर दिया है। इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, सदन की जानकारी के लिए मैं विनम्रतापूर्वक बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में किसानों को सबसे ज्यादा बिजली देने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। बाकी राज्यों का भी आँकड़ा हम बताना चाहते हैं। पंजाब में 8 घण्टे, हरियाणा में 8 घण्टे महाराष्ट्र में 9 घण्टे, गुजरात में 8 घण्टे राजस्थान में 6 से 7 घण्टे, तमिलनाडु में 9 घण्टे, आंध्र प्रदेश में 7 घण्टे, कर्नाटक में 7 घण्टे बिजली बिजली मिलती है, सिर्फ मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था, जो 10 घण्टे बिजली देता था। उत्तर प्रदेश 10 घण्टे देता था, अब उसको बढ़ाकर 12 घण्टे कर दिया गया है। आपने पूछा कि उपकेन्द्र कितने लगाये गये ? अगर कांग्रेस और सपा के लोगों ने अपनी सरकारों में उपकेन्द्र बहुत अच्छा लगाया होता, तो आज हमारी स्थिति यह नहीं होती। श्री ए0 के0 शर्मा या मुख्य मंत्री जी ने खम्भों पर चढ़कर तार ढीले नहीं किये हैं। आपने खराब तार लगाये थे, खराब काम करवाया था, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट नहीं किया था, इसलिए आज यह स्थिति प्रदेश को देखने के लिए मिल रही है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने जो स्पेशिफिक सवाल पूछा है, तो मोटा-मोटा बताना चाहूँगा कि जब वर्ष 2017-18 में राज्य को आपको उधर भेजने का सौभाग्य मिला, तो 35/11 के0वी0ए0 के जो उप केन्द्र थे, वह 4092 थे, लेकिन आज की स्थिति में 4560 हैं। लगभग 600 उप केन्द्रों की स्थापना की गयी है। 765 के0वी0ए0 का सबसे बड़ा सब-स्टेशन ट्रांसमिशन का माना जाता है, वह 65-70 साल में 4 लगाये गये थे, उनकी संख्या लगभग डबल करते हुए 7 कर दिया गया है। हमने 765 के0वी0ए0 के इसी 7 साल में 3 उप केन्द्र लगाये हैं। अब 400 के0वी0ए0 के ट्रांसमिशन का सुन लीजिए। वर्ष 2017-18 में मात्र 14 सब-स्टेशन ट्रांसमिशन के ऐसे थे, आज की तारीख में 39 सब-स्टेशन बना करके राज्य की जनता को अर्पित किये गये हैं। वर्ष 2017-18 में 920 के0वी0ए0 के ट्रांसमिशन 75 थे, आज की स्थिति में 166 हो गये हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने कहा कि बिजली की माँग बढ़ रही है। उत्पादन क्षमता 6000 के0वी0ए0 के आस-पास है। उसको बढ़ाने का क्या रोड मैप है ? उसको भी मैं बताना चाहूँगा। मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

किया था, उस समिट में एन0टी0पी0सी0 के साथ हमने ओबरा-डी में 800 मेगावाट की दो यूनिटें स्थापित करने का एम0ओ0यू0 किया था, मंत्रि-मण्डल ने मंजूरी दे दिया है और उस पर काम करना भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। उसी प्रकार अनपरा में 800 मेगावाट की दो यूनिटें लगाने के लिए एम0ओ0यू0 हो गया, मंत्रि-मण्डल की मंजूरी हो गयी, ज़मीन की व्यवस्था हो गयी और धरातल पर काम होना भी शुरू हो गया है। मेजा में 1800 मेगावाट की 3 यूनिटें लगायी हैं और हो सकता है कि इसकी संख्या हम 24 तक ले जाएं, उस पर भी काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है और हमने बाहर से और बिजली लेने के लिए, इर्द-गिर्द के कोयले की खदानों का उपयोग करते हुए नये पावर प्लाण्ट लगाने के लिए 1600 मेगावाट की निविदा भी जारी कर दिया है, उस पर भी काम हो रहा है। इसी तरह से 4000 मेगावाट के नये पावर प्लाण्ट लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल से कोल लिंकेज की माँग की है। मिल जाने पर उसकी भी निविदा लेकर आएंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस समय अपनी थर्मल पॉवर की जो उत्पादन क्षमता है, उससे दोगुना हम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 6000 की जगह 10600 मेगावाट का हमारा प्रोजेक्ट पाइप लाइन में और धरातल पर उतरने की तैयारी में है। इसी के साथ सोलर में भी हम लोग बहुत बड़ी क्षमता ऐड करने वाले हैं और बाहर से हम लोग सोलर की क्षमता का अनुबन्ध करके उसे खरीदने का काम करने जा रहे हैं। सोलर में हम लगभग 5000 मेगावाट की कैपेसिटी ऐड करने वाले हैं। विंड में 1300 मेगावाट, हाइड्रो में 5400 मेगावाट, पम्प स्टोरेज में लगभग 2500 मेगावाट की और थर्मल में जैसा मैंने कहा कि 10600 मेगावाट की क्षमता ऐड करने वाले हैं। इस प्रकार आने वाले 10 साल में हम लोग वर्तमान क्षमता की 5 गुना क्षमता बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहे है। एक और आँकड़ा ट्रान्सफार्मर का यहां पर जोर-शोर से माँगा गया है, इसलिए हम वह भी जरूर देना चाहेंगे। ट्रान्सफार्मर के बारे में यह कहा गया है कि वह बदले नहीं जाते हैं, बहुत खराब होते हैं, लेकिन मैं भी आपको बता दूँ कि इतनी भीषण गर्मी, बरसात व उमस के बावजूद भी बिजली की मांग ऐतिहासिक रूप से 30618 मेगावाट तक पहुँचने के बाद भी हमारे ट्रान्सफार्मर अनुरक्षण के कारण ट्रांसफार्मरों की जलने की जो गति थी, उसमें भारी कमी आयी है। आप इस बात को मानिये, सिर मत हिलाइये। आप लोग पीछे का भूल जाते हैं। आप यह भूल जाते हैं कि आप लोग केवल 12000 मेगावाट की सप्लाई करते थे। आप यह भूल जाते हैं कि आपकी किसानों को प्रतिमाह नलकूप कनेक्शन देने की जो गति थी, वह हमसे ढाई गुना कम थी। आप यह भूल जाते हैं कि आपके समय में जो उपकेन्द्र थे, उससे कई गुना हमने उपकेन्द्र बढ़ाये हैं। एक और आँकड़ा मैं आपको दे दूं।

(विपक्ष के सदस्य श्री ओम प्रकाश जी द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी को अपनी बात कह लेने दीजिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विपक्ष के मा0 सदस्य बोले हैं, हम लोगों ने भी सुना है। गाजीपुर की स्पेसिफिक बात मैं कर लूँगा, लेकिन आप ही ने आँकड़े मांगे थे, इसलिए मैं यह आंकड़े देना चाहूँगा। आपने पूछा था, मैने सब-स्टेशन का आँकड़ा तो दे दिया, लेकिन कुछ और जो हमारे छोटे उपकरण होते हैं, नये वितरक ट्रान्सफार्मर होते हैं, उनकी स्थापना के सम्बन्ध में भी बता दूँ। आपने अभी जिक्र किया कि केवल अपने समय का आँकड़ा बता दीजिए तो मैं अपने समय का ही बताये दे रहा हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी के समय का तो बहुत बड़ा आँकड़ा होगा, आप शायद सुनकर उसको पचा भी नहीं पायेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से पढ़ देता हूँ। 33/11 नये वितरक परिवर्तक स्थापना का जो काम हुआ है वह केवल 2 साल में जहाँ-जहाँ बड़ी क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगने थे, वह 30,40,000 के आस-पास लगे हैं, क्षमतावृद्धि 40,000 की गयी है। खम्भे आप गिन नहीं पायेंगे, आँकड़ा आप लिखकर पचा नहीं पायेंगे, जर्जर तारों वाले इतने ज्यादा खम्भे लगे हैं। लगभग 21 लाख 43981 खम्भे बदलकर उनको दुरुस्त किया गया है। मा0 नेता प्रतिपक्ष केबिल बदलने की बात कर रहे थे। केबिल बदलने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। मैं सिद्धार्थनगर का प्रभारी मंत्री हूँ और आपकी बात का मैंने संज्ञान लिया है। अगर कहीं कोई क्वालिटी में कमी हुई तो निश्चित रूप से उन कम्पनियों, उन व्यक्तियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जायेगी। इसमें कहीं कोई शंका रखने की बात नहीं है। एक बात और कहकर मैं अपनी बात पूरी करूँगा कि इस राज्य में जो बिजली की समस्या है, उसके ऐतिहासिक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण तो यह है कि 2017 के पहले की सरकारों में खासकर सामने बैठे वाले लोगों ने काम नहीं किया, जो काम किया उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं रखी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 13-14 हजार करोड़ की जिस योजना का आप लोगों ने उल्लेख किया आर0डी0एस0एस0 योजना का उसका काम चल रहा है, 5000 करोड़ बिजनेस प्लान का काम चल रहा है। इस साल भी बिजनेस प्लान का काम हमने मन्जूर कर दिया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कुछ लोगों ने नगर निकाय की चिंता भी किया, उनके लिए मैं बताऊं कि उनके लिए अलग से जो इन योजनाओं में काम हो रहा है वह तो हो ही रहा है, लेकिन हमने नगर विकास विभाग के बजट से बिजली विभाग को हमने एक हजार करोड़ रुपये दिया है। इससे नगरों की व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। ऐतिहासिक जो कारण है वह यह है कि सत्तर साल तक आपको बिजली की चिन्ता नहीं हुई। सत्तर साल तक आपको किसानों को बिजली कैसे मिलेगी उसकी चिंता आपने नहीं किया। जब जनता ने आपको वहाँ बैठा दिया तब आपके ज्ञान चक्षु जो हैं, वह खुलने लगे। एक तो ऐतिहासिक कारण यह है कि आपने काम नहीं किया। दूसरा एक ऐतिहासिक कारण यह है कि पीछे की सरकारों में बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि बहुत ही हाई कॉस्ट पी0पी0ए0 क्रय करके इस राज्य को हमेशा-हमेशा के लिए बिजली की दृष्टि से एक कड़ी में जकड़ दिया है। उसी कड़ी में आपकी सरकार में भी जो हाई कॉस्ट पी0पी0ए0 हुए हैं वह आपके संज्ञान में हैं।

जिनको बदलने का, जिनको रि-निगोशिएट करने का हमने प्रयास भी किया, लेकिन आप लोगों ने कानूनी बन्धन में पूरे राज्य को बांधा हुआ है। इस गलती का एहसास हमारे बार-बार कहने के बावजूद भी आप लोग नहीं कर पाते। तीसरी बात विजिलेंस की है, कल ही बलिया से एक फरियाद आई थी। तो एक जे0ई0 को हमने सस्पेन्ड किया है।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मैंने पहले भी कहा था कि यह बबूल आप लोगों ने ही लगाया हुआ है। उस बबूल को काटने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अब यह फैक्ट है कि बलिया में एक व्यक्ति से पैसे माँगने का एक केस मेरे संज्ञान में आया, और एक जे0ई0 को मैने सस्पेंड किया है। अगर आप लोग चाहें तो मैं रिकॉर्ड दिखा दूँ। आपको कल भेज दूँगा। तो यह बबूल आपने बोया था जिसे काटने का जिसे ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मानता हूँ कि बिजली में इस समय हमारा मैक्सिमम कार्य चल रहा है। जनता को आप सभी को और प्रदेश की किसानों को भरसक संतोष और भरसक बिजली मिले, हम इसके पूरे प्रयास में हैं माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश के युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया कि वह इंजीनियर थे या कौन थे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैंने एक यादव को सस्पेंड कर दिया। तो जाति के आधार पर ऐसा क्यों हो रहा है। आप यह बताते कि वह इंजीनियर थे और मैने उनको सस्पेंड किया। यह शब्द निकाल दिया जाए कार्यवाही से, यादव को सस्पेंड करने वाला शब्द कार्यवाही से निकलवा दीजिए। यह उचित नहीं है। एक बात और मा0 मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले आप बिजली प्रचुर मात्रा में दे रहे थे तो क्या कारण है कि आपको कटौती करने का निर्णय लेना पड़ा। क्या आपका अधिष्ठापित क्षमता से उत्पादन कम हो गया या सेंट्रल पूल से आपको बिजली नहीं मिल रही है। क्या कारण पड़ा कि आपको कटौती करने जरूरत पड़ी यह तो बता दीजिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली जैसा कि कहा गया कि बिजली जो दी जाती है उसमें 2021-22 की मैं अगर बात करूं तो उसमें 31 प्रतिशत का ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस जो बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल लॉस जो बोलते हैं वह होता था। स्वाभाविक बात है कि इकतीस प्वाइंट कुछ था, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा भी है। इकतीस से ऊपर था। इतना बड़ा लॉस के साथ किसी भी समस्या किसी भी तंत्र को, सिस्टम को, चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। हर यूनिट जो राज्य में सप्लाई होती है उस यूनिट पर बिजली विभाग को बिजली की

व्यवस्था तंत्र को घाटा होता है। यह भी आप लोगों का यह भी सुन लीजिए यह भी आप लोगों का एक इतिहास दिया हुआ है जो हमको तो लिगेसी में मिला है, एक लाख करोड़ रुपये के घाटे में बिजली विभाग चल रहा है। जितना भी हम एक यूनिट भी अगर जितनी बिजली देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें राज्य सरकार के पास जाना पड़ता है, राज्य सरकार हमको पैसा दे। उस व्यवस्था में हम लोग ज्यादा से ज्यादा बिजली देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। लोगों से वसूली के लिये बिजली विभाग की टीम जब जाती है तो कई बार वसूली के लिये लोगों से सख्ती भी करनी पड़ती है। इसलिये मैं इस सदन से अनुरोध, गुजारिश और प्रार्थना भी करूँगा की उसमें भी हमारा सहयोग करें और हम लोग वातावरण बनाने की कोशिश करें ताकि जितनी बिजली जाती है उतने का पैसा बिजली विभाग को मिलना शुरू हो जाये।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी, धन्यवाद।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि बिजली कटौती क्यों हो रही है ? क्या आपका उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से कम हो गया है अथवा सेन्ट्रल पूल से आपको बिजली नहीं मिल रही है, जिस कारण आपको बिजली कटौती करनी पड़ रही है। आप इसका कारण नहीं बता रहे हैं।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, हमारे पास बिजली की कमी नहीं है तथा सेन्ट्रल पूल से भी हमें बिजली पर्याप्त मिल रही है। आपके जमाने से शुरू हुई यह व्यवस्था है, रोस्टर की व्यवस्था है और उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने विपक्ष को सुना और मा0 मंत्री जी को भी सुना। यह विषय नियम-56 में नहीं आता है, मैं इसे अग्राहय करता हूँ। नियम-56 की अगली सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी की है। श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी।

मा0 सदस्यगण, अब आप लोग कृपया बैठ जायें। आपका विषय आ गया है। इस विषय पर पूरा डेढ़ घंटा चर्चा चली है।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य 'महंगी बिजली-महंगा पानी, बढ़ रही किसानों की परेशानी।', 'जनता सब जान चुकी। जुमलेबाजों को पहचान चुकी।' के नारे लिखी

हुयी तख्तियाँ लेकर सदन के वेल में आ गये और बिजली व्यवस्था ध्वस्त है। मंत्री जी मस्त हैं। बिजली पानी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, के नारे लगाने लगे, जिस कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। आप पहले सदन को व्यवस्थित करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्यगण, आप लोग वरिष्ठ हैं। आप लोग जो कर रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग कृपया अपने स्थानों पर जायें।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अधिष्ठाता जी, यह सुबह से ही तख्तियाँ बनवा कर लाये थे। यह घर से बनवा कर लाये थे। प्रदर्शन करने के लिये यह पहले से तैयार होकर आये हैं। मा0 मंत्री जी ने एक-एक बात का जवाब दिया और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसे बहुत गम्भीरता से लिया है। इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इसका कोई औचित्य भी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्यगण, यह जो आप लोग कर रहे हैं यह आप लोगों ने सुबह भी किया उसके बाद भी यह विषय पूरा डेढ़ घंटा चला है और आपकी तरफ से जिन लोगों के नाम दिये गये हैं उसके बावजूद भी और लोगों के नाम लिखे हैं। इसलिये आप लोग कृपा करके बैठ जायें। आप लोगों का विषय आ गया है। कांग्रेस की तरफ से भी, जो आपका सहयोगी दल है, उनका भी विषय नियम-56 में आ जाये तो अच्छा रहेगा। इसलिये आप सब लोग कांग्रेस का भी सहयोग करें, उन्होंने भी चुनाव में आपका सहयोग किया है। उनकी भी बात सुन ली जाये।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में खड़े होकर 'बिजली-पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है', 'बिजली व्यवस्था ध्वस्त है, मंत्री जी मस्त हैं' के नारे लगाते रहे।)

(इसी समय 01 बजकर 54 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, आपकी बात पूरी हो गयी हो तो आप लोग अपने स्थानों पर वापस जायें। मा0 मोना जी, यह लोग आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। मा0 नेता, कांग्रेस विधान मण्डल दल, अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ साथ हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष मेरा आपसे निवेदन है, कांग्रेस विधान मण्डल दल की नेता आदरणीय मोना जी को मैंने बोलने के लिए बुलाया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं या चले गये ? मा0 नेता प्रतिपक्ष मेरा एक निवेदन आप सुन लें, आपने सुबह भी यही करने का प्रयास किया था जो आप अभी कर रहे हैं। आप मेरा निवेदन सुन लें उसके बाद जो आप कहेंगे उस पर निर्णय करेंगे। सुबह भी आपने यही करने का प्रयास किया था लेकिन मेरे निवेदन पर आप वापस चले गये थे। आपको मालूम है कि आप इस आसन को सुशोभित कर चुके हैं। नियम-56 में ग्राह्यता पर बोलने के लिए एक या दो माननीय सदस्यों को अवसर दिया जाता है। लेकिन आपके कहने पर दो की जगह तीन, चार, पाँच, जितने लोगों को आपने कहा उनको बोलने का अवसर दिया गया। अगर चर्चा होती तो इतने ही लोग बोल पाते।

(वेल में उपस्थित किसी सदस्य के द्वारा बोला गया कि सरकार का उत्तर आ जाए)

सरकार आपकी मर्जी के हिसाब से उत्तर नहीं देगी। सरकार के उत्तर आप सन्तुष्ट हो सकते हैं या असन्तुष्ट हो सकते हैं। सरकार अपने हिसाब से जवाब देगी, आपके द्वारा लिखा हुआ जवाब सरकार नहीं देगी। आपका यह अधिकार है कि सरकार के जवाब से आप सन्तुष्ट हों या असन्तुष्ट हों। आपका सन्तुष्ट होना या असन्तुष्ट होना यह सरकार के जवाब के ऊपर निर्भर नहीं करता है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आपको पूरा अवसर दिया गया है। मा0 मनोज पारस जी कह रहे हैं कि दो घण्टे की चर्चा करा लें। डेढ़ घंटा तो आप ग्राह्यता पर बोल ही चुके है अब दो घण्टे की चर्चा की मांग कर रहे हैं। इतना समय तो मैं दे ही चुका हूँ जितने कि आप मांग कर रहे हैं। जितने समय की आप मांग कर रहे हैं उससे ज्यादा तो मैं ग्राह्यता पर आपको सुन चुका हूँ।

(वेल में उपस्थित सदस्यों के द्वारा बीच में बोलने का प्रयास करने पर)

पाँच या छः लोगों की बात नहीं है पूरा समय आप देख लीजिए। जितना समय आप मांग रहे हैं इससे ज्यादा समय मैंने ग्राह्यता पर दे दिया है अब आपको सन्तुष्ट होना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि आप कांग्रेस को बोलने नहीं देना चाहते और कांग्रेस को भी यह बात समझना चाहिए कि आप धीरे-धीरे आगे यही करेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जिस ढंग से अपनी बात रखी है उससे कई बातों का उन्होंने समुचित उत्तर नहीं दिया है और इधर-उधर घुमाते रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मा0 मंत्री जी को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

और आपको सन्तुष्ट करने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, जवाब तो सही आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

जवाब से आप सन्तुष्ट हों या असन्तुष्ट हों यह आप पर निर्भर करता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि हमने एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने कहा कि कल मैं बलिया गया और एक यादव को सस्पेंड कर दिया। इसका क्या मतलब है ? उनको कहना चाहिए कि हमने एक इंजीनियर को सस्पेंड किया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि आप बाद में उस इंजीनियर का नाम पूछेंगे इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, यह अपना स्पष्टीकरण दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप लिखकर दे दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 मोना जी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

किस बात के लिए खेद व्यक्त करें, मा0 मंत्री जी ने पहले ही बता दिया कि वह इंजीनियर हैं।

(इसी मध्य नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

मैं एक मिनट नेता प्रतिपक्ष की बात सुन लूँ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, समय दे दीजिए जिससे कि पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख सकें।

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राह्यता पर बोला गया। माननीय मंत्री जी आप इसमें एक घण्टा या दो घण्टा टाइम निश्चित कर देते जिससे कि वृहद् चर्चा हो जाती तो पक्ष-विपक्ष की सारी बातें आ जातीं। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। अब आप लोग बैठें। अब बात हो गयी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

बस इतनी ही माँग है कि चर्चा करा दीजिए। सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की अपनी-अपनी बात रख सकें। नियम-56 में चर्चा की बात होती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष नियम-56 में चर्चा की बात होती है। मैं 10 साल तक इन्तजार करता रहा आपसे सीखने के लिए कि कभी आपने नियम-56 पर चर्चा कराई होती तो मुझे रास्ता मिलता।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

ऐसा नहीं है। मैंने बहुत चर्चा कराई है।

श्री अध्यक्ष-

मेरा निवेदन है कि मैं उसको दिखवा लूँगा। अगर आपने चर्चा करवाई है तो आप लिखकर दे दें मैं चर्चा करवा दूंगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

हाँ आप तो सबसे ज्यादा उसके लिए लड़ते रहे हैं। मैं जानता हूँ। मुझे सब पता है।

श्री अध्यक्ष-

जी, धन्यवाद।

(एक सदस्य द्वारा यह कहने पर कि यादव को सस्पेण्ड किया है, इस बात पर माफी मांगे)

कोई भी जो गलत करेगा उसे सस्पेण्ड करेंगे चाहे यादव हो या महाना हों। अगर महाना भी नौकरी कर रहे हैं और गलत करेंगे तो उनको भी सस्पेण्ड किया जायेगा। बस अब आप लोग बैठें। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आपकी मर्जी से जवाब आयेगा क्या ? अब मोना जी आप अपनी बात शुरू करें। आप लोग प्लीज बैठें। नियम-51 लेकर मुझे हाउस को एडजर्न करना है। कल तक के लिए स्थगित करना पड़ेगा। आप लोग चलें। आपकी बात आ गयी। मेरा निवेदन है आप लोग बैठें। धन्यवाद। आप लोग इतने अच्छे हैं प्लीज बैठें।

(वेल में उपस्थित सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, हम बिजली की समस्या को लेकर वॉक आउट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत बढ़िया, धन्यवाद।

(नेता प्रतिपक्ष अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले कर गये)

आदरणीय नेता कांग्रेस 'मोना' जी को मैदान खाली मिल गया। आउट हो चुका है। मुकेश जी आप बाहर चलें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, इनकी जाने की इच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

तो ये पार्टी का विरोध करके बैठें। जो यहां बैठा है हम समझेंगे कि पार्टी के साथ नहीं है।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, आज नियम-56 में आपने इस प्रदेश की सबसे ज्वलन्त समस्या पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कहानी कुछ और है और विधान सभा में फॅसाना कुछ और सुनाया जा रहा है। आँकड़े कुछ हैं, पर जिस तरह से उनको सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है वह पूरी तरह से झूठ का पुलिन्दा है। क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आज बिजली का इन्तजार करते-करते किसान, नौजवान, छात्र सब परेशान हैं। जिस तरह से सरकार ने खोखले वायदे किये थे आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सदन में प्रस्तुत है। सरकार ने लगातार इसी सदन में 18, 20, 22 घण्टे बिजली के दावे किये थे। मैं यह जानना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 12 घण्टे बिजली आ रही है। पर माननीय मंत्री जी यह बताना भूल गये कि 12 घण्टे जो बिजली आ रही है वह लगातार कितने घण्टे आ रही है। आधे घण्टे से एक घण्टे भी लगातार बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में नही आ रही है। अघोषित कटौती और लो-वोल्टेज की वजह से पूरे प्रदेश में खासकर किसान परेशान है। माननीय मंत्री जी क्या इस बात से इन्कार करेंगे।

मा0 मंत्री जी, यह 30 हजार मेगावाट का जो पीक आवर में प्रदेश की मांग रही है क्या आपका विभाग उसको छू भी पाया है। क्या इस बात से इन्कार करेंगे कि जब आपूर्ति का समय पीक पर था, उस वक्त ऊँचाहार, ललितपुर, ओबरा ये तीनों यूनिट बाधित हो गयी थीं और लगभग 2020 मेगावाट बिजली उत्पादन कम हुआ था। क्या इस बात से इन्कार करेंगे कि इस साल की शुरुआत में मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया था कि इस बार अप्रत्याशित गर्मी पड़ेगी और हमने देखा भी कई जगह 50 डिग्री से ऊपर पारा गया और अनियमित वर्षा हुई, कहीं बाढ़, तो कही सूखा है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिर विभाग ने, सरकार ने जो प्रजेक्शन किये गये थे और प्रिडिक्शन थे मौसम विभाग ने उसके सापेक्ष कोई तैयारी क्यों नहीं करी। सबसे बड़ी बात है कि आज 16-17 प्रतिशत लाईन लॉस हो रहा है। आज पूरे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में बिजली आती है 10-15 मिनट और तत्काल ट्रान्सफार्मर भड़ाम से बजता है और जल जाता है और जब ट्रान्सफार्मर जलता है तो उसको बदलने में घण्टो नहीं हफ्तों लग जाते हैं रिप्लेसमेंट करने में। इसकी वजह क्या है आपकी जो रिपेयर वर्कशाप है वह जिला मुख्यालय पर है और जिला मुख्यालय अगर औसतन देखें तो वह 60-70 किलोमीटर दूर पड़ता है। उपभोक्ता ट्रैक्टर या पिकअप के माध्यम से वर्कशाप तक ले जाता है तो वर्कशाप में उससे कहा जाता हैं कि अभी आपको ट्रान्सफार्मर नहीं मिलेगा। दो-तीन बार वह चक्कर लगाता है तो बड़ी मुश्किल से ट्रान्सफार्मर मिलता है तब तक हफ्तों का समय बीत जाता है और सबसे ज्यादा क्षति किसी को होती है तो वह किसान की होती है। मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ और पहले भी मैंने कहा है जो वर्कशाप आपने जिला मुख्यालय पर बनाई है तो उसको तहसील मुख्यालय पर क्यो नहीं बना देते हो। अगर आप तहसील मुख्यालय पर बनायेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जायेगा। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र का आपको उदाहरण देना चाहती हूँ लालगंज तहसील मुख्यालय पर हमने वर्कशाप बनायी हुई है और आज मेरे ही विधान सभा क्षेत्र व अगल-बगल के विधान सभा क्षेत्र के भी ट्रान्सफार्मर वहीं से रिपेयर होकर जाते हैं। जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है। मैं चाहूंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन और डिसेन्ट्रलाइजेशन आप पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर इसको कराओ।

(इसी समय अपराह्न 02 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती अनुपमा जायसवाल पीठासीन हुईं)

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज जो सेकेण्ड प्वाइन्ट ट्रान्सफार्मर की जो रिक्वायरमेंट है जो पेण्डेंसी चली आ रही है वह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सेकेण्ड प्वाइंट इसलिए बनाये जाते थे कि जो विद्युत का लोड़ पड़ता है तो उसका लाइनलॉस कम हो जाये। इसलिए ही सेकेण्ड प्वाइन्ट बनाया जाता था लेकिन आज पेण्डेंसी इतनी है कि सेकेण्ड प्वाइन्ट बन ही नहीं रहे हैं। जिसका सीधा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वह उपभोक्ता को हो रहा है उपभोक्ता बिजली का बिल तो पूरा दे रहा है, लेकिन उसको बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त बिजली है। मैं जानना चाहती हूँ कि नार्दन ग्रिड जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है उसमें सरप्लस बिजली है तो जब वहाँ पर सरप्लस बिजली है तो हमने अपनी डिमॉण्ड देख करके हमने वहाँ से पर्याप्त बिजली क्यों नहीं खरीदी ? क्यों आज आपूर्ति पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? आज जो दूसरी सबसे बड़ी ऐतिहासिक वजह माननीय मंत्री जी बता रहे थे, तो मैं भी वह वजह बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से आज बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी वजह उसमें एक है कि उत्तर प्रदेश में केवल थर्मल पॉवर प्लान्ट्स हैं, वर्ष 2001 से पहले जब उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश एक राज्य था, तब हाइड्रो पॉवर प्लान्ट्स जो थे, उससे भी उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति होती थी। वर्ष 2001 में जब उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश विभाजित हुआ, उस वक्त केन्द्र में आपकी सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी आपकी

सरकार थी। आपने उस वक्त क्यों नहीं यह समझौता किया कि जब कभी भी उत्तर प्रदेश को एक्स्ट्रा बिजली की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तराखण्ड से दी जायेगी। जब हम वहाँ की नदियों का पानी ले रहे हैं, तो हम बिजली क्यों नहीं ले सकते ? अभी कुछ वर्ष पहले टिहरी का सबसे बड़ा हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट बना उस वक्त भी आपकी ही सरकार थी। उस वक्त आपने यह समझौता क्यों नहीं किया कि टिहरी का पानी तो हम लेंगे, पर उससे जो बिजली बनेगी वह भी लेंगे। यह कहीं न कहीं सरकार की राजनीतिक अदूरदर्शिता रही जिसका नतीजा और खामियाजा आज उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। मैं कह रही हूँ कि अभी भी आप अपनी गलती को सुधार लीजिये। माननीय मंत्री जी मैं स्पष्ट कहूंगी कि मुझे आपकी मंशा पर कोई सन्देह और सवाल नहीं है और न ही मा0 मुख्य मंत्री जी के विकास के मुद्दे पर है, पर मैं यह जरूर कहूंगी कि आज उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केन्द्र में आपकी सरकार है, उत्तराखण्ड में भी आपकी सरकार है, अभी भी गलती को सुधार लीजिये और पर्याप्त बिजली की व्यवस्था वहाँ से करिये ताकि उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश के किसान उससे लाभान्वित हो सकें। मैं अंत में एक चीज और कहूंगी कि आज बहुत सारी बातें माननीय नेता विरोधी दल ने कही हैं, जिनसे मैं अपने आप को सम्बद्ध करती हूँ। मैंने अभी कहीं पढ़ा है। अगर वह सूचना गलत हो, तो माननीय मंत्री जी उसे सुधार दें कि ग्रामीण क्षेत्र में जो नए बिजली कनेक्शन होने जा रहे हैं उनकी भी दर बढ़ने जा रही है। ऐसी जानकारी है कि 44 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 50 फीसदी जो औद्योगिक कनेक्शन हैं उसमें बढ़ोत्तरी होने जा रही है। यदि आप जनता को राहत नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम उन पर अतिरिक्त बोझ तो मत डालिये। अगर इस तरह की कोई रेकमेण्डेशन हुई है तो सरकार को तत्काल उसे रोक देना चाहिये।

आज किसान अनियमित वर्षा से सबसे ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा बिजली कटौती ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है क्योंकि वहाँ पर तार जर्जर हैं, लो-वोल्टेज है, ट्रान्सफार्मर समय पर नहीं बन पा रहे हैं, डीजल के दाम इतने ज्यादा है कि अगर वह अपने स्रोतों से उसकी सिंचाई भी करना चाहता है तो सीधे-सीधे उसकी फसल की लागत पर असर पड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और माननीय वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, पर मैं पूछुंगी कि आज जो सरकार की गलतियों के कारण, उसकी कमियों के कारण आज जो किसान पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जो उसकी फसल का नुकसान हो रहा है बिजली की आपूर्ति न होने के कारण तो क्या डबल इंजन की सरकार केन्द्र से किसानों के लिए कोई विशेष पैकेज की मांग करेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने एक घोषणा की थी। अभी माननीय मंत्री जी ने उस पर बात भी की, पर इस बात से इन्कार किया जाता है कि आपने जो फ्री बिजली कनेक्शन नलकूप के किसानों को देने की बात कही थी उसमें केवल 35.70 प्रतिशत किसानों ने आवेदन किए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्योंकि आपने जब घोषणा की थी तो कहा कि सभी किसानों को मिलेगा, पर जब आपने उसको क्रियान्वित किया तो आपने उसमें एक ऐसी कण्डीशन लगा दी जिसकी वजह से किसान उसका लाभ नहीं ले पा रहा है।

आपने कहा कि 2023 से पहले जिन किसानों का बकाया था और उन्होंने बकाया दे दिया है वही इससे लाभान्वित होंगे।

अधिष्ठाता महोदय, यह कहीं न कहीं यह किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आपने जब घोषणा की थी तो कहीं पर कोई कंडीशन नहीं लगाया था। आज आप वह कंडीशन लगा रहे हैं जिससे किसान लाभान्वित न हो। यह चुनावी जुमला था और जिस तरह से मीटर की रीडिंग आप लगा रहे हैं और जिस तरह से उस पर अवैध वसूली हो रही है यह किसी से छिपा नहीं है, भले ही इधर बैठे हुए सदस्य इस बात पर न बोलें, लेकिन जब अपने क्षेत्र में वह जाते हैं उनका हर कार्यकर्ता, हर गरीब वोटर उनसे यही समस्या कहता है कि उनके साथ बिजली विभाग की विजिलेंस टीम अवैध वसूली करती है। क्या सरकार इस बात से इनकार कर सकती है कि आज एक तरफ किसानों को सामान्य मिडिल क्लॉस गरीब मजदूरों को बिजली की आपूर्ति नहीं दे पा रहे है, लेकिन उन पर अतिरिक्त बोझ जरूर आप डालते चले जा रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना ही कहूंगी कि बिजली बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उस पर इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नींव है। आप उद्योग लाने की बात करते हैं। हम सब चाहते हैं कि यह प्रदेश आगे बढ़े। यहां के नौजवानों को रोजगार मिले। यहां पर नये उद्योग आएं पर कब आएंगे, कैसे आएंगे अगर आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे ? आज आपके पास डोमेस्टिक के लिए पूर्ति नहीं है तो उद्योग के लिए बिजली कहां से देंगे ? यह आपकी दूरदर्शिता दिखाता है कि साढ़े सात वर्ष बीत गये हैं। आप बिजली खरीद रहे हैं या जो पूराने पॉवर प्लाण्ट पिछली सरकारों ने बनाये थे जो कि ज्यादातर कांग्रेस की सरकार के बनाये हुए संयंत्र थे। साढ़े सात साल में आप एक भी यूनिट नई बिजली के लिए नये संयंत्र नहीं लगाये हैं। आप उद्योगों को कहां से बिजली देंगे ? आप ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहे हैं। आप नये-नये इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं ग्लोबल समिट कर रहे हैं। यह केवल कागजों में दर्ज रह जाएगा और फाइलें बंद हो जाएंगी। आप जब तक बिजली की उपयुक्त व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कोई उद्योग उत्तर प्रदेश की धरती पर आने वाला नहीं है। यह कोरा सपना है और सफेद झूठ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहूंगी क्योंकि वह बहुत ही परिपक्वता के साथ जवाब देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, जनता, कंज्यूमर उनको आप इस सदन में सही जवाब देंगे जिससे वह गुमराह न होने पाएं और नये संयत्र तत्काल अगर आपके पास बिजली नहीं है तो आप बिजली खरीदें और नये संयंत्र लगाने की तैयारी इस सदन में रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्या ने रीडिंग तथा कुछ और बातों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं यह कहना तो भूल ही गया था कि आप लोगों ने अपने-अपने समय में अगर उचित व्यवस्थाएँ की होतीं तो आज पूरे राज्य की व्यवस्था को यह दिन नहीं देखने पड़ते।

(कुछ विपक्षी सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान के मध्य)

अधिष्ठाता महोदय, यह लोग बोल चुके है और अब हमें बोलने का समय दिया जाए। हम लोगों ने बड़ी शान्ति से सुना है। आप लोगों ने इस राज्य में चार-चार बार सरकार चलाई है। अगर आपने सही काम किया होता यदि आपने अच्छे तार लगाए होते, अच्छे खम्भे लगाए होते, बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए होते तो आज यह समस्या नहीं होती और यह दिन नहीं देखने पड़ते।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर-शराबा उत्पन्न हो गया, शोर-शराबे के मध्य।)

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जहाँ तक कांग्रेस की बात है। कांग्रेस ने अपने 60-65 साल के समय में बिजली की इतनी बढ़िया व्यवस्था की थी कि यहाँ बैठे हुये ज्यादातर मा0 सदस्यों को याद होगा कि हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तेल की ढिबरी में किया है और उस समय कई बार मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता था तो घर में नीम का तेल जलाकर ढिबरी में पढ़ाई करते थे। मैं वर्ष 1980-81 से 1985-86 के समय की बात कर रहा हूँ। मैं प्रयागराज में पढ़ाई करता था। जब मैं गाँव जाता था और पढ़ने का मन करता था तो ढिबरी में पढ़ाई करता था। कांग्रेस के समय में यह व्यवस्था थी। आज मा0 मोदी जी की व्यवस्था के कारण भारत सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बन रहा है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान को बिजली एक्सपोर्ट करने की स्थिति में पहुँच चुका है। इसलिए कांग्रेस के काम और मोदी जी के काम की कोई तुलना नहीं है। चूँकि हमारे पूर्व वक्ता ने उस शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए मैं इस शब्द का उपयोग करता हूँ। तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है-झूठे देना झूठे लेना झूठे भोजन झूठ चबैना। आप लोग झूठ बोलते हैं कि हमने यह किया हमने वह किया, मोदी जी ने यह नहीं किया। आपका झूठ एक बार चल पड़ा, लेकिन जैसाकि आज सुबह हमारे वरिष्ठ नेतागण कह रहे थे कि आप लोगों ने जो झूठ की रेत की दीवार बनायी है वह बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है, बहुत जल्दी धराशायी होने वाली है। मैं बिजली की बात कर रहा हूँ। आपने यह कहा कि बिजली के संयंत्र नहीं लगाये जा रहे हैं। बिजली में खाली थर्मल पर हमारी ओवर डिपेंडेंसी है। हम हाइड्रो या सोलर का या रिन्युएबल का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने पहले के भाषण में भी कहा कि ओबरा-बी व डी पर 800 मेगावाट की दो यूनिटें, अनपरा-ई में 800 मेगावाट की दो यूनिटें, मेजा में 1800 मेगावाट की लगभग तीन यूनिटें लगभग वह 2400 मेगावाट चला जायेगा, लेकिन उसमें से अपने को 1800 मेगावाट मिलेगा। इस प्रकार आपके 60 साल में जितनी थर्मल कैपेसिटी उत्तर प्रदेश में लगी थी उतनी योगी जी के सात साल में लग गयी है और हमारे दो साल में लग गयी है। आपने पूछा था कि बाकी का क्या है। यह तो हम खुद लगाने जा रहे हैं। हमने टेण्डर भी किया हुआ है ऑलरेडी बिड-आउट कर दिया है। कोयले की जो हमारी खदानें हैं, उनके नजदीक में जो पावर प्लाण्ट लगाने की सम्भावनायें हैं उसके आधार पर अगर कोई प्राइवेट पार्टी आकर थर्मल पावर प्लाण्ट लगाना चाहती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। 1600 मेगावाट की

क्षमता हम उसमें ऐड करने वाले हैं। 4000 मेगावाट की और थर्मल कैपेसिटी ऐड करने के लिए हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि कृपा करके हमें कोयले की खदानें दीजिए। कोयले की लिंकेज दीजिए। हम चाहते हैं कि 4000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लाण्ट लगें। उसी प्रकार से सोलर में हमारी लगभग 6800 मेगावाट की अपनी परियोजनाएं जो हमने इन्वेस्टर समिट में साइन किया था वह धरातल पर उतरने लगी हैं। उसमें से लगभग 560 मेगावॉट के आस-पास सोलर प्लांट से उत्पादन शुरू हो गया है। 40 मेगावाट का अभी अयोध्या में शुरू हो गया है। इसमें से फ्लोटिंग सोलर की भी क्षमता शुरू हो गयी है और उसको बढ़ाते हुये 6800 लगभग 7000 मेगावाट के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। उसी प्रकार से हमारी हर घर सूर्य योजना के अन्तर्गत घरों में सोलर लगाकर बिजली पैदा करने की क्षमता को बढ़ाने में हम लोग दिन-रात लगे हुये हैं।

मान्यवर, मैं बता दूँ कि उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस है। आपने हाइड्रो के सम्बन्ध में खास बात की है कि हाइड्रो लग सकता है। हमने 4000 मेगावाट के हाइड्रो पॉवर की बिजली खरीदने के लिये ऑलरेडी व्यवस्थाएं कर दी हैं। हम ऐसे समय में आये हैं जब उत्तराखण्ड राज्य अलग हो चुका है। हमारे लिये वहां पर हाइड्रो लगाना सम्भव नहीं है, लेकिन अगर वहां पर हाइड्रो लगती है तो हमने उनसे बिजली लेने के लिये करार किया है। हमने ऑलरेडी 4000 मेगावाट के लिये बिडिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों मेंहम लगभग 7000 मेगावॉट की हाइड्रो पॉवर खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। एक अच्छा डेवलपमेंट वह हुआ है कि इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बात को बढ़ावा देने के लिये पी0एस0पी0 (पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट) की नीति बनाने के लिये बजट में बात कही गई है। उसमें लगभग 2500 मेगावॉट, बात यह है कि हम अगर 8000 या 10000 मेगावॉट का सोलर लगाते हैं तो हमारी दिन में खपत नहीं होती है, क्योंकि सोलर दिन में पैदा होती है और उसको कहीं न कहीं स्टोर करना पड़ता है। पम्प स्टोरेज एक बड़ी अच्छी टेक्निक निकलर सामने आई है उसमें भी काम कर रहे हैं। इस प्रकार थर्मल का 10600 मेगावाट आज की 6000 एवं 7000 मेगावाट की क्षमता के सामने 24800 लगभग 25000 मेगावाट की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सदन में कहा गया है कि दूरदर्शिता का अभाव है। मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बिजली 7 साल में और माननीय प्रधान मंत्री जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुआ है, चाहे थर्मल की कैपेसिटी लगाने का काम हो, चाहे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम हो या ट्रान्समिशन लाइनें लगाने का काम हो या डिस्ट्रीव्यूशन नेटवर्क को सुदृढ़ करने का काम हो। मैं एक और उदाहरण देकर अपनी बात पूरी करूंगा कि सदन में कहा गया कि कांग्रेस के जमाने में सपा के जमाने में मैंने मजरों का उदाहरण दे दिया था कि आपने मजरों तक खम्भा एवं तार नहीं पहुंचाया था बिजली देना छोड़ दीजिये। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि बिजली का जो कन्ज्यूमर बेस था वह आज की तारीख में लगभग 3.5 करोड़ कन्ज्यूमर बेस पहुंच गया है। पूरे देश में हम सबसे ज्यादा लोगों को बिजली मुहैया करा रहे हैं और आपके समय में लगभग इसके आधा से भी कम जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक तिहाही से कम, सपा की सरकार ने जब कुर्सी छोड़ी

तो उसके आधा से भी कम, हमारे उस समय के लगभग 1.5 करोड़ कन्ज्यूमर इस समय में पड़े हुए हैं। इस प्रकार बिजली की व्यवस्था पूरी व्यवस्थित हो रही है और यह अवश्य है कि प्रचण्ड गर्मी के कारण, उमस के कारण एवं आपने स्वयं कहा है कि बरसात अनियमित हो गयी है। इसकी वजह से बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, हम उसकी अप्रत्याशित रूप से आपूर्ति भी कर रहे हैं, लेकिन वह हमारे लिए कश्मकश का समय अवश्य है। हम उस परीक्षा को पास करने में सफल अवश्य होंगे, इतना मैं भरोसा देता हूँ।

(इसी समय अपराह्न 02 बजकर 27 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन)

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय सदस्य मोना जी को सुना, माननीय बिजली मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए इसको अग्राह्य करता हूँ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत 48 सूचनाएँ प्राप्त हुईं। जिसमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएँ स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ में शारदा सहायक नहरों-डीह रजबहा, सगरा रजबहा एवं जायस रजबहा सहित अन्य रजबहों एवं अल्पिकाओं में सिंचाई हेतु टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की नगर पालिका परिषद् महाराजगंज के अधिशाषी अधिकारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा किये जा रहे नियम विरुद्ध कार्यों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री मनीष असीजा की फिरोजाबाद में स्थित स्वशासी राजकीय महाविद्यालय को पूर्ण क्षमता से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ में जिला अस्पताल एवं सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल आजमगढ़ में एम0आर0आई0 मशीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा पांचवीं सूचना श्री अभय सिंह की जनपद अयोध्या के तहसील बीकापुर के राजस्व ग्राम जासरपुर ने गाटा सं0-1920 को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी व ग्राम प्रधान के विरुद्ध पंचायती राज ऐक्ट अधिनियम, 95जी के तहत् कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

पहली सूचना डॉ0 रागिनी की विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में जर्जर तारों को समय से न बदलने के लिए, मोन्टी कार्लो कम्पनी को काली सूची में किये जाने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के साथ वि0स0क्षे0 मछलीशहर में दो नए विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में है तथा दूसरी सूचना श्री मौहम्मद फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद के 11 नये राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती एवं सिहारी माला गांव में राजकीय हाई स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

पहली सूचना श्री जगदीश नारायण की जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं उपकेन्द्र पर तैनात विद्युत संविदा कर्मी की कार्य के दौरान दिनांक 16-07-2024 को हुई मृत्यु के प्रकरण में अनुमन्य सहायता दिलाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट अन्तर्गत चित्रकूट इण्टर कॉलेज में बुन्देलखण्ड महोत्सव कार्यक्रम में दिनांक 14-02-2024 को हुई दुर्घटना में दोषियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अतुल प्रधान की जनपद गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी पर सड़क निर्माण हेतु काटे गये पेड़ों की अनुमति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री कमलाकान्त राजभर की विधान सभा क्षेत्र-दीदारगंज, आजमगढ़ में बिजली व्यवस्था हेतु खराब/जले पड़े ट्रांसफार्मर बदलवाने के सम्बन्ध में है तथा पांचवीं सूचना श्री कमाल अख्तर की मुरादाबाद जनपद के वि0स0 क्षेत्र-25, कांठ के नगर पंचायत आगवानपुर से रामगंगा नदी के ऊपर ग्राम चटकाली तक पैंटून पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है :-

श्री संदीप सिंह, मो0 हसन 'रूमी', डॉ0 अमित सिंह चौहान, ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, श्री जवाहर लाल राजपूत, स्वामी ओउ्मवेश, ई0 बृजेश कठेरिया, श्री ओम प्रकाश, श्री राम निवास वर्मा, श्रीमती सरोज कुरील, श्री शफीक अहमद अंसारी, श्री अखिलेश, श्री पंकज पटेल, श्री राम सिंह पटेल, श्री आशु मलिक, श्री देवेन्द्र सिंह लोधी श्री लक्ष्मी राज सिंह, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री मनोज कुमार पारस, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राम अवतार सिंह, श्री मुकेश चौधरी, श्री रमेश जायसवाल, श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री बेदी, डॉ0 वीरेन्द्र यादव, श्री राज प्रसाद उपाध्याय, ईं0 सरवन कुमार निषाद, श्री प्रभाष कुमार, श्री संग्राम सिंह, श्री राजेश्वर सिंह, श्री राम चन्द्र यादव, श्री नाहिद हसन तथा श्री मुकेश चन्द्र वर्मा।

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 29 जुलाई, 2024 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-06 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-45 पर)

क्र0	राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज, उ0प्र0	आरम्भ वर्ष
1	डा0 आर0एम0एल0आई0एम0एस0, लखनऊ	2017
2	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	2019
3	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा	2019
4	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या	2019
5	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती	2019
6	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच	2019
7	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद	2019
8	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर	2019
9	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर	2021
10	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर	2021
11	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर	2021
12	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया	2021
13	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़	2021
14	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर	2021
15	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा	2021
16	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई	2021
17	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर	2021

नत्थी (ख)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-08 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-67 पर)

क्र0 सं0	जनपद	ग्राम सभा के तालाबों के मछुआ समुदाय (केवट,मल्लाह,निषाद,बिन्द ,धीमर,कश्यप,बाथम,रैकवार ,मांझी,गोड़िया,कहार ,तुराहा अथवा तुरैहा) के पट्टा धारक		मछुआ समुदाय रोजगार सृजन		
		संख्या	क्षेत्रफल	पट्टा के माध्यम से	अन्य विभागीय योजनाओं के माध्यम से	कुल रोजगार सृजन
1	AGRA	39	23.3	105	165	270
2	FIROZABAD	88	52.927	308	188	496
3	MATHURA	36	36.959	144	24	168
4	MAINPURI	153	192.54	6012	304	916
(AGRA DIV)		**316**	**305.726**	**6569**	**681**	**1850**
5	ALIGARH	178	254.2	822	132	954
6	ETAH	180	240.3	720	60	780
7	HATHRAS	59	40.79	162	60	222
8	KASGANJ	65	58.5	190	96	286
(ALIGARH DIV)		**482**	**593.79**	**1894**	**348**	**2242**
9	AMBEDKAR NAGAR	1680	1243.09	5040	50	5090
10	AYODHYA	1152	739.38	5775	260	6035
11	BARABANKI	2094	1811.802	9840	316	10156
12	SULTANPUR	1212	784.64	4800	255	5055
13	AMETHI	222	98.6	666	86	748
DIV)		**6360**	**4677.512**	**26121**	**967**	**27084**
14	AZAMGARH	745	584.85	2120	268	2388
15	BALLIA	705	333.77	2110	105	2215
16	MAU	648	538.52	1925	136	2061
(AZAMGARH DIV)		**2098**	**1457.14**	**6155**	**509**	**6664**
17	SHAHJAHANPUR	985	778.89	2950	205	3155
18	PILIBHIT	366	286.018	1032	63	1095
19	BUDAUN	317	356.99	714	68	782
20	BAREILLY	498	381.45	1494	72	1566
(BAREILLY DIV)		**2166**	**1803.348**	**6190**	**408**	**6598**
21	BASTI	740	674.81	1798	36	1834
22	SIDHARTHANAGAR	2458	1501.03	7374	125	7499
23	SANT KABIR NAGA	1183	1051.9264	3549	115	3664
(BASTI DIV)		**4381**	**3227.7664**	**12721**	**276**	**12997**
24	CHITRAKOOT	244	228.7	976	105	1081
25	BANDA	512	563.75	2048	450	2498
26	MAHOBA	277	661.868	1108	30	1138
27	HAMIRPUR	132	184.466	630	53	683

क्र0 सं0	जनपद	ग्राम सभा के तालाबों के मछुआ समुदाय (केवट,मल्लाह,निषाद,बिन्द ,धीमर,कश्यप,बाथम,रैकवार ,मांझी,गोड़िया,कहार ,तुराहा अथवा तुरैहा) के पट्टा धारक		मछुआ समुदाय रोजगार सृजन		
		संख्या	क्षेत्रफल	पट्टा के माध्यम से	अन्य विभागीय योजनाओ के माध्यम से	कुल रोजगार सृजन
(CHITRAKOOT DHAM DIV)		**1165**	**1638.784**	**4762**	**638**	**5400**
28	GONDA	1275	1088.97	3820	748	4568
29	BALRAMPUR	1048	1041.32	3144	102	3246
30	BAHRAICH	291	238.578	873	620	1493
31	SHRAVASTI	498	410.272	1494	93	1587
(DEVIPATAN DIV)		**3112**	**2779.14**	**9331**	**1563**	**10894**
32	KUSHI NAGAR	1653	1175.5	3306	110	3416
33	GORAKHPUR	1685	954.54	2364	310	2674
34	DEORIA	1426	740.208	4278	198	1980
35	MAHARAJGANJ	2429	1589.915	4858	145	5003
(GORAKHPUR DIV)		**7193**	**4460.163**	**14806**	**763**	**13073**
36	JALAUN	13	27.82	52	129	181
37	JHANSI	176	297.12	880	195	1075
38	LALITPUR	81	420.75	1200	293	1493
(JHANSI DIV)		**270**	**717.87**	**2132**	**617**	**2749**
39	ETAWAH	472	295.67	1456	36	1492
40	AURAIYA	293	125.1	1172	72	1244
41	KANNAUJ	102	78.401	408	111	519
42	KANPUR NAGAR	576	445.39	785	56	841
43	KANPUR DEHAT	532	359.33	2128	46	2174
44	FARRUKHABAD	206	145.76	600	50	650
(KANPUR DIV)		**2181**	**1449.651**	**6549**	**371**	**6920**
45	UNNAO	1213	977.6	3639	180	3819
46	RAEBARELI	970	752.8	2910	72	2982
47	LUCKNOW	384	289.54	1536	13	1549
48	LAKHIMPUR KHERI	1220	980.2	3642	120	3762
49	SITAPUR	1186	974.28	3526	172	3698
50	HARDOI	819	941.4	2457	108	2565
(LUCKNOW DIV)		**5792**	**4915.82**	**17710**	**665**	**18375**
51	GHAZIABAD	17	27.23	51	11	62
52	GAUTAM BUDDHA	36	34.83	140	10	150
53	BULANDSHAHR	469	229.72	1407	35	1442

क्र0 सं0	जनपद	ग्राम सभा के तालाबों के मछुआ समुदाय (केवट,मल्लाह,निषाद,बिन्द ,धीमर,कश्यप,बाथम,रैकवार ,मांझी,गोड़िया,कहार ,तुराहा अथवा तुरैहा) के पट्टा धारक		मछुआ समुदाय रोजगार सृजन		
		संख्या	क्षेत्रफल	पट्टा के माध्यम से	अन्य विभागीय योजनाओ के माध्यम से	कुल रोजगार सृजन
54	BAGHPAT	65	75.8	260	12	272
55	MEERUT	252	230.458	1008	42	1050
56	HAPUR	126	118.81	370	10	380
(MEERUT DIV)		965	716.848	3236	120	3356
57	AMROHA	184	108.18	736	135	871
58	MORADABAD	702	504.26	2015	146	2161
59	BIJNOR	575	504.24	1725	34	1759
60	RAMPUR	302	270.07	813	21	834
61	SAMBHAL	445	267.93	1335	120	1455
(MORADABAD DIV)		2208	1654.68	6624	456	7080
62	PRAYAGRAJ	770	1031.55	2310	34	2344
63	KAUSHAMBI	429	391.37	1287	198	1485
64	PRATAPGARH	365	238.77	1095	24	1119
65	FATEHPUR	627	362.02	1881	29	1910
(PRAYAGRAJ DIV)		2191	2023.71	6573	285	6858
66	MUZAFFARNAGAR	599	597.97	1804	42	1846
67	SAHARANPUR	592	589.1	1776	36	1812
68	SHAMLI	152	173.75	486	18	504
(SAHARANPUR DIV)		1343	1360.82	4066	96	4162
69	GHAZIPUR	1029	906.45	3087	68	3143
70	CHANDAULI	254	257.53	762	80	842
71	JAUNPUR	272	240.35	925	187	1112
72	VARANASI	127	105.4	571	142	713
(VARANASI DIV)		1682	1509.73	5345	477	5810
73	MIRZAPUR	786	665.99	2700	125	2825
74	SANT RAVIDAS NA	665	675.54	2200	65	2265
75	SONBHADRA	107	143.82	107	185	292
(VINDHYACHAL DIV)		1558	1485.35	5007	375	5382
कुल योग		45463	36777.8484	145791	9615	147494

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-77 पर।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम-सोमवार हेतु निर्धारित श्री जगदीश नरायण, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-19 की सूची-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पद नाम/ विशेषज्ञता	लेवल
1	2	3	4
नियमित			
1	डा० ओम प्रकाश सिंह	सर्जन	लेवल-4
2	डा० शारदा प्रसाद तिवारी		लेवल-4
3	डा० सैफ हुसैन खान		लेवल-3
4	डा० दीपशिखा दुवारा	नेत्र	लेवल-2
5	डा० शिवदेव कुमार रजक		लेवल-2
6	डा० एस०पी० अग्रवाल	आर्थोपैडिक	लेवल-4
7	डा० संजय कनौजिया		लेवल-4
8	डा० वीरेन्द्र कुमार सोनकर	फौरेसिंक	लेवल-3
9	डा० शायन दास	पैथालॉजिस्ट	लेवल-2
10	डा० नरेन्द्र कुमार	निश्चेतक	लेवल-4
11	डा० राम नगीना राम	बाल रोग	लेवल-3
12	डा० अमरदीप	चर्मरोग	लेवल-2
13	डा० मनोरमा यादव	माइक्रोबायोलॉजिस्ट	लेवल-1
संविदा / सम्ब / वॉक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से			
14	डा० अशोक कुमार यादव	फिजिशियन	लेवल-1 नियमित (सम्बद्ध)
15	डा० मानसी उपाध्याय	दंत शल्यक	लेवल-1 नियमित (सम्बद्ध)
16	डा० इश्तियाक अहमद	ई०एम०ओ०	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा)
17	डा० सलमान अंसारी		राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा)
18	डा० शांशक यादव	एन०आर०सी०	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा)
19	डा० प्रभात सिंह	जिडियाट्रीक	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा)
20	डा० कृष्ण कुमार पाण्डेय	एन०सी०डी०	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा)
21	डा० शेष कुमार मिश्रा	नेत्र सर्जन	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (संविदा)
22	डा० सलिल श्रीवास्तव	बाल रोग	वॉक-इन- इण्टरव्यू
23	डा० निधि श्रीवास्तव	ई०एन०टी० सर्जन	वॉक-इन- इण्टरव्यू

नत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-48 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-91 पर।)

जननी सुरक्षा योजना, उत्तर प्रदेश

वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपदवार निर्धारित बजट तथा 31 जनवरी 2024 तक व्यय की गयी धनराशि का विवरण।

क्र0	जनपद	कुल आवंटन	कुल व्यय (31 जनवरी 2024 तक)
1	आगरा	10,98,09,440	6,56,29,534
2	अलीगढ़	11,32,62,240	7,57,61,877
3	अम्बेडकर नगर	4,72,61,240	2,72,74,833
4	अमेठी	5,84,10,040	3,59,56,313
5	औरैया	4,21,02,840	2,99,45,587
6	आजमगढ़	7,80,27,040	5,45,59,437
7	बागपत	3,39,07,640	1,76,46,256
8	बहराइच	16,11,41,240	10,46,85,738
9	बलिया	7,27,82,840	4,66,44,067
10	बलरामपुर	7,93,76,440	5,83,61,669
11	बाँदा	7,65,89,240	5,09,28,271
12	बाराबंकी	9,67,02,840	6,96,42,385
13	बरेली	8,06,68,640	5,43,42,725
14	बस्ती	6,35,71,040	5,20,99,970
15	बिजनौर	4,91,95,640	2,95,31,015
16	बदायूँ	11,84,59,640	8,62,92,490
17	बुलंदशहर	7,74,62,840	5,73,03,346
18	चंदौली	6,13,63,640	4,38,85,920
19	चित्रकूट	4,75,96,640	3,14,61,504
20	देवरिया	8,36,82,040	5,77,47,357
21	एटा	4,79,26,840	3,21,77,210
22	इटावा	5,87,63,640	3,75,10,612
23	अयोध्या	6,34,24,920	4,43,41,397
24	फर्रूखाबाद	5,36,05,240	2,94,81,032
25	फतेहपुर	7,59,23,640	6,03,08,751
26	फिरोजाबाद	7,07,02,840	4,40,79,675
27	गौतमबुद्धनगर	3,66,32,440	2,01,56,039
28	गाजियाबाद	3,93,78,040	1,69,90,900
29	गाजीपुर	8,90,06,840	5,97,45,243
30	गोण्डा	10,46,51,040	7,14,49,032
31	गोरखपुर	10,69,59,840	6,93,02,186
32	हमीरपुर	4,59,92,440	3,67,69,930
33	हापुड़	2,57,74,840	1,22,88,248
34	हरदोई	12,97,54,040	10,99,11,728
35	हाथरस	5,14,83,640	3,50,69,158
36	जालौन	4,57,42,840	2,67,41,768

37	जौनपुर	9,12,11,640	6,78,99,824
38	झाँसी	5,16,73,440	2,53,19,152
39	अमरोहा	3,54,26,040	2,13,00,102
40	कन्नौज	5,46,86,840	3,20,75,032
41	कानुपर देहात	4,98,82,040	3,38,81,722
42	कानुपर नगर	7,54,89,440	4,64,88,539
43	कासगंज	4,97,78,040	3,16,48,305
44	कौशाम्बी	6,48,37,240	5,14,52,947
45	लखीमपुर खीरी	13,55,98,840	8,73,00,493
46	कुशीनगर	10,07,58,840	6,82,37,930
47	ललितपुर	5,46,86,840	3,17,49,270
48	लखनऊ	9,79,32,640	5,31,41,388
49	महराजगंज	7,48,00,440	5,84,69,955
50	महोबा	3,68,61,240	2,03,52,207
51	मैनपुरी	5,16,50,040	3,61,12,532
52	मथुरा	5,69,95,640	4,38,99,908
53	मऊ	4,86,75,640	3,81,51,431
54	मेरठ	5,53,34,240	2,80,82,193
55	मिर्जापुर	8,91,96,640	5,97,10,609
56	मुरादाबाद	3,73,00,640	2,48,38,854
57	मुजफ्फरनगर	6,08,85,240	3,92,90,531
58	पीलीभीत	5,02,14,840	3,86,83,013
59	प्रतापगढ़	7,66,72,440	5,43,88,344
60	प्रयागराज	14,28,19,040	10,62,60,140
61	रायबरेली	8,84,24,440	5,60,20,154
62	रामपुर	4,73,44,440	3,00,02,017
63	सहारनपुर	6,94,36,640	4,54,06,368
64	सम्भल	5,90,96,440	4,32,88,128
65	संत कबीरनगर	5,73,90,840	3,90,75,945
66	भदोही	13,99,46,040	2,32,61,583
67	शाहजहाँपुर	8,52,21,240	6,79,02,719
68	शामली	4,42,24,440	2,88,61,793
69	श्रावस्ती	6,46,70,840	4,19,90,274
70	सिद्धार्थनगर	7,12,64,440	5,15,00,983
71	सीतापुर	17,54,30,840	14,54,40,166
72	सोनभद्र	6,44,00,440	4,26,17,229
73	सुल्तानपुर	6,89,76,440	4,39,14,562
74	उन्नाव	7,40,93,240	5,07,03,421
75	वाराणसी	7,38,25,440	5,16,01,327
	कुल धनराशि	**5,42,42,10,480**	**3,61,63,44,293**

नत्थी (ङ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-53 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-94 पर।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम-सोमवार हेतु निर्धारित इंजी० सचिन यादव उर्फ जखई, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-53 की सूची-

		चिकित्सक संवर्ग					नर्सिंग संवर्ग	
क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत				कार्यरत	
			नियमित	पुनर्योजन के माध्यम से	वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत / नियुक्त परामर्शी		स्वीकृत पद	नियमित
1	आगरा	362	200	14	15	2	375	154
2	अलीगढ़	374	103	4	8	6	217	91
3	अम्बेडकर नगर	227	116	2	3	6	225	115
4	अमेठी	233	124	8	2	6	132	62
5	अमरोहा	223	89	3	10	6	145	51
6	औरैया	184	89	1	2	11	140	27
7	अयोध्या	314	225	3	10	4	207	98
8	आजमगढ़	518	258	2	8	15	300	181
9	बदायूँ	300	112	0	8	12	166	66
10	बागपत	272	115	1	1	10	119	28
11	बलिया	393	117	2	17	0	209	73
12	बलरामपुर	209	132	1	13	1	67	26
13	बांदा	175	97	1	9	3	73	29
14	बाराबंकी	345	229	7	4	4	173	132
15	बरेली	340	188	8	10	1	169	98
16	बस्ती	302	173	3	8	10	259	75
17	बहराइच	205	204	0	11	2	98	33
18	बिजनौर	228	102	3	10	11	144	38
19	बुलन्दशहर	290	167	5	3	18	146	57
20	चन्दौली	170	170	5	0	0	68	38
21	चित्रकूट	195	118	1	4	15	150	44
22	देवरिया	308	168	2	13	11	97	61
23	एटा	185	56	1	2	4	44	24
24	इटावा	261	109	3	11	8	200	75
25	फर्रूखाबाद	204	80	1	16	2	71	25
26	फतेहपुर	247	150	3	5	1	87	43
27	फिरोजाबाद	190	95	5	6	6	136	40
28	गौतमबुद्ध नगर	141	117	10	5	1	81	67
29	गाजियाबाद	171	142	15	9	4	176	116
30	गाजीपुर	276	139	1	17	4	169	63
31	गोण्डा	295	126	1	19	5	183	63
32	गोरखपुर	445	236	7	10	6	286	166
33	हमीरपुर	180	91	0	6	10	44	23
34	हापुड़	127	95	6	4	4	79	23
35	हरदोई	276	215	3	7	4	151	69
36	हाथरस	176	89	2	2	5	95	43
37	जालौन	173	92	2	5	5	81	44
38	जौनपुर	320	224	1	5	1	168	94
39	झांसी	230	143	8	5	10	221	101
40	कन्नौज	253	138	0	2	7	203	78

41	कानपुर देहात	250	132	1	3	5	151	75
42	कानपुर नगर	344	258	19	7	4	530	271
43	कासगंज	124	60	1	3	5	57	23
44	कौशाम्बी	157	117	1	5	5	142	68
45	कुशीनगर	262	190	4	12	4	139	82
46	लखीमपुर खीरी	296	149	0	10	12	164	78
47	ललितपुर	123	70	3	7	0	89	39
48	लखनऊ	566	624	74	12	1	1005	625
49	महराजगंज	301	128	3	9	0	149	84
50	महोबा	133	56	1	3	3	73	13
51	मैनपुरी	190	79	1	4	1	149	42
52	मथुरा	206	142	7	7	0	96	77
53	मऊ	261	145	2	1	1	142	102
54	मेरठ	290	178	6	5	4	297	125
55	मिर्जापुर	233	175	6	2	7	102	66
56	मुरादाबाद	216	124	4	7	2	217	110
57	मुजफ्फर नगर	247	127	6	5	9	124	66
58	पीलीभीत	176	70	0	0	7	94	53
59	प्रतापगढ़	460	216	2	3	11	249	101
60	प्रयागराज	501	332	13	5	4	475	191
61	रायबरेली	329	222	3	9	1	166	100
62	रामपुर	142	80	4	8	1	79	39
63	सहारनपुर	391	113	4	3	12	258	70
64	सम्भल	165	59	0	0	17	62	11
65	संतकबीर नगर	151	119	4	4	6	81	53
66	संतरविदास नगर	156	127	5	4	3	106	51
67	शाहजहाँपुर	239	89	1	8	8	185	61
68	शामली	112	58	1	1	13	66	39
69	श्रावस्ती	154	91	0	5	0	45	24
70	सिद्धार्थनगर	242	166	1	8	1	53	30
71	सीतापुर	336	222	4	4	2	184	105
72	सोनभद्र	195	141	2	8	1	165	78
73	सुल्तानपुर	309	150	3	8	3	240	89
74	उन्नाव	417	201	5	6	5	159	77
75	वाराणसी	322	280	11	5	5	210	189
	कुल	**19313**	**11123**	**347**	**496**	**404**	**12657**	**6041**

- वर्ष 2020 से अब तक प्रदेश में विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में स्वीकृत चिकित्साधिकारियों के सृजित पदों का संज्ञान लेकर उक्त पदों को जोड़ते हुये वर्तमान में कुल 19659 पद स्वीकृत हैं।
- इस प्रकार पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के कुल स्वीकृत 19659 पदों के सापेक्ष कुल 14669 (11123 नियमित, 347 पुनर्योजन, 496 वॉक-इन इन्टरव्यू व 404 परामर्शी तथा 2299 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से) चिकित्सक कार्यरत हैं तथा 4990 चिकित्सक के पद रिक्त हैं।
- इसी प्रकार नर्सिंग संवर्ग के कुल स्वीकृत 12657 पदों के सापेक्ष 6041 नियमित कार्यरत हैं तथा 6616 पद रिक्त हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से 14155 नर्सिंग स्टाफ तैनात हैं।

नत्थी (च)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-64 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-100 पर।)

	Candidate Name	Post	UAN NO	ESIC NO
1	DHARMENDRA KUMAR	S. STAFF/ GUARD	101999605278	2113092242
2	DIVYANSHU SHARMA	S. STAFF/ GUARD	101958752537	2113092247
3	KARAN PRATAP	S. STAFF/ GUARD	101999605330	2113092258
4	MANI PRATAP	S. STAFF/ GUARD	101999605311	2113092265
5	MOHD. PARVEZ	S. STAFF/ GUARD	101999605395	2113093180
6	RAJEEV KUMAR	S. STAFF/ GUARD	101999605376	2113092274
7	RAJKUMAR	S. STAFF/ GUARD	101589224524	2113092934
8	RAVINDRA KUMAR	S. STAFF/ GUARD	100046162211	2113092918
9	RITIK KATARA	S. STAFF/ GUARD	101999605353	2113093077
10	SUNEEL KUMAR	S. STAFF/ GUARD	101590688130	2113092894
11	VIJAY KUMAR BHARDWAJ	S. STAFF/ GUARD	101999605297	2113093144
12	VINAY	S. STAFF/ GUARD	101999605324	2113092856
13	ASHISH KUMAR	SWEEPER	101890136976	2113121007
14	BHOOPENDRA KUMAR	SWEEPER	101999605382	2113092194
15	GEETA DEVI	SWEEPER	101999605907	2113092203
16	KHAJANCHI BABU	SWEEPER	102000431445	2113095002
17	MOHD SAIF	SWEEPER	101901322892	2113092216
18	PURUSHOTTAM K. MEWAL	SWEEPER	101507616730	2113092228
19	RUBI BEGAM	SWEEPER	102000431450	2113095025
20	SANGEETA	SWEEPER	101999605369	2113092233
21	FARHA BEE	SWEEPER	102014649173	2113121071
22	BHEEM KUMAR	SWEEPER	102014649160	2113121031
23	SUNITA	SWEEPER	102014649207	2113121042
24	ASHISH KUMAR	SWEEPER	101999605348	2113092189
25	Braj Kishor	LT	101364475648	2112304681
26	AVNISH CHAUHAN	Optomatrist	101757786547	2112605901
27	Anand Kumar	Word boy	101018208779	2112304519
28	Bhupendra singh	Word boy	101364475630	2112304676
29	Mohit	Word boy	100994313395	2112701293
30	Prem darshan	Word boy	101189655246	2112304540
31	Randhir Singh	Word boy	101202675242	2112304705
32	Ram kishor	Word boy	101230059440	2112304542
33	Sandeep Kumar	Word boy	101018208348	2112304567
34	Vinod Kumar	Word boy	101237990115	2112304714
35	Gita Sharma	Word Aaya	101235507492	2112304528
36	KM Pooja	Word Aaya	101189655320	2112304538
37	Ruby Baghel	Word Aaya	101235507400	2112304545
38	Sameena	Word Aaya	101235507535	2112304709
39	Meera Devi	Word Aaya	101584587689	2112304533
40	Snehlata	Word Aaya	101584588509	2112304574

(डा० रामबदन राम)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी

S.No	Candidate Name	Post	UAN NO	ESIC NO
41	Km Nisha	Word Aaya	101230059354	2112304697
42	Rajni	Word Aaya	101584630136	2112304701
43	RAHI	Word Aaya	101757787969	2112605883
44	DEEPAK SHANKAR	Word boy	100924619060	2112605879
45	SHWETA	Word Aaya	101757787953	2112605892
46	AJAY KUMAR	Word boy	101757786534	2112605897
47	Akhil Tiwari	Word boy	100667466931	2112944374
48	SHIVAM BAGHEL	DEO	101939242564	2112968031
49	RAGHU PRATAP	GEN.OPE.	101939242540	2112968039
50	NAARAD KUMAR	LOADER	101939242572	2112968053
51	PRABHAT TIWARI	CHOKIDAR	101805072646	2112692743
52	ANSH ASHOLIYA	PTS	101939242555	2112968094
53	KANHIYA LAL	O A	100470645841	212968160
54	ANAND	MCTS	101999605284	2113093032
55	PANKAJ KUMAR	MCTS	101052624250	2111550968
56	VIJAY KUMAR	MCTS	101052624297	2111550971
57	YASPAL SINGH	MCTS	101052624284	2111550969
58	ADITYA KUMAR	MCTS	101052624266	2111550967
59	ABHAY PADNEY	MCTS	101805072651	2112692737
60	HARIGYAN SINGH	MCTS	101052624463	2111550966
61	SANJAY KUMAR	MCTS	101052624459	2111550965
62	SUMIT KUMAR	MCTS	101395044079	2111989487
63	ANOOP SINGH	SUPPORT STAFF	102024265372	2113145505
64	Anjesh Tomar	Ward Aaya	101973005884	2113035295
65	Kalpana	Ward Aaya	101973005897	2113035228
66	Seema	Ward Aaya	101973080408	2113035407
67	Shivraj	Chowkidar	101264399150	2113035413
68	Vikaram Kumar	Chowkidar	101973005907	2113035259
69	Kishan Lal	Chowkidar	101264397645	2111792249
70	Lajvanti	Sweeper	101973005878	2113035309

(डा० रामबदन राम)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फिरोजाबाद

S. No	Candidate Name	Post	UAN NO	ESIC NO
71	Reena	Sweeper	102036798695	2113176272
72	Mamta	Sweeper	101394974197	2111980159
73	ATAL PADNEY	DEO	101264397632	2111792245
74	RAVI KANT	GUARD	102015919005	2113124837
75	ARJUN RATHAUR	GUARD	100714560379	2113031799
76	SUKHENDRA PAL SINGH	GUARD	102015644851	2113123917
77	PRAVIN KUMAR	GUARD	102015644456	2113123808
78	RAKESH SHAKYA	GUARD	100506197597	2113124013
79	ANIL KUMAR SINGH	GUARD	102015644439	2113123997
80	RACHANA	GUARD	102015644571	2113123960
81	DURGESH CHANDRA	GUARD	102015644585	2113124006
82	NITESH KUMAR	GUARD	102015644441	2113123985
83	PANKAJ KUMAR	GUARD	102015644487	2113124008
84	SARVESH KUMAR	GUARD	101593923721	2113123980
85	MAHADEV	GUARD	102015644494	2113124002
86	AMIT KUMAR	GUARD	102015644846	2113124017
87	RAMESH CHANDRA	GUARD	101108925268	2113124057
88	VINAY KUMAR	GUARD	102015644592	2113123836
89	ARJUN SINGH	GUARD	102015644473	2113123859
90	PANKAJ RATHAUR	GUARD	102015644822	2113123932
91	VIVEK YADAV	GUARD	102015644603	2113123991
92	SUMIT YADAV	GUARD	102015644814	2113123905
93	LOKESH KUMAR	GUARD	102015644563	2113124033
94	SAURABH CHANDEL	GUARD	102015644544	2113123972
95	AKASH	GUARD	102076395208	2113264575
96	RADHA KRISHNA	GUARD	102015644500	2113124058
97	DANISH WARSI	GUARD	102015644528	2113123965
98	INDRAVIR	GUARD	102015644833	2113123978
99	BHANU PRATAP SINGH	GUARD	100582724910	2113123967
100	ANUJ RAJPUT	GUARD	102015644425	2113124020
101	MOHINI	GUARD	102015644460	2113123948
102	SUDHEESH KUMAR	GUARD	101871727737	2113124027
103	KM SUMAN	GUARD	102015644418	2113124036
104	SHILU KUMAR	GUARD	102015642593	2113124048
105	DEVENDRA KUMAR	GUARD	101723001510	2112545790
106	KARAMVEER SINGH	GUARD	101797022388	2113031048
107	DEEPTI YADAV	GUARD	102015918999	2113124816
108	RAHUL YADAV	GUARD	101722166340	2112543708
109	SACHIN KUMAR	GUARD	102015644559	2113124042
110	ROHIT KUMAR	GUARD	102047549407	2113199518

(डा० रामबदन राय)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फिरोजाबाद

नत्थी (छ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-73 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-104-105 पर।)

जनपद आजमगढ़ के विधानसभा क्षेत्र सगड़ी में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लाभार्थियों का विवरण

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	पता	परियोजना लागत (लाख में)	अनुदान धनराशि (लाख में)
		निजी भूमि पर तालाब निर्माण एवं निवेश		
1	श्री राकेश कुमार अस्थाना	ग्राम बेगपुर ब्लॉक बिलरियागंज तहसील सगड़ी	3.223	0.46880
2	श्री हकीमुल्लाह	ग्राम छिछोरी ब्लॉक बिलरियागंज तहसील सगड़ी	8.800	1.28000
3	श्री योगेन्द्र राय	ग्राम पचखोरा ब्लॉक बिलरियागंज तहसील सगड़ी	4.400	0.64000
4	श्रीमती शाहजहाँ	ग्राम नसीरपुर ब्लॉक बिलरियागंज तहसील सगड़ी	18.348	2.66880
5	श्री अनवारुल इस्लाम	ग्राम खालिसपुर ब्लॉक बिलरियागंज तहसील सगड़ी	22.000	3.20000
6	श्री रामकेर	ग्राम पनारी ब्लॉक बिलरियागंज तहसील सगड़ी	6.600	0.96000
7	श्री मजहर	ग्राम अहिरौली ब्लॉक अजमतगढ़ तहसील सगड़ी	6.600	0.96000
8	श्री इंद्रपति	ग्राम एवं डाकघर जमीन हरखोरी ब्लॉक अजमतगढ़ तहसील सगड़ी	4.224	1.04448
9	श्री रामनयन	ग्राम गौरीनारायणपुर ब्लॉक बिलरियागंज तहसील सगड़ी	5.500	2.20000
10	श्रीमती रामरती	ग्राम मोचीपुर ब्लॉक अजमतगढ़ तहसील सगड़ी	4.400	2.64000
11	श्रीमती कमलावती	ग्राम मसोना पो0 एवं ब्लाक अजमतगढ़ तहसील सगड़ी	3.850	2.31000
12	श्री सोचन राम	ग्राम नासयणपुर ब्लॉक बिलरियागंज तहसील सगड़ी	2.970	1.13400
13	श्री राम शब्द	ग्राम शांतिपुर पो. गद्दोपुर, ब्लॉक बिलरियागंज तहसील सगड़ी	3.300	1.98000
14	श्री कृष्णमुरारी सिंह	ग्राम भगतपुर पो0 व0 बिलरियागंज तहसील सगड़ी	5.500	2.20000
15	श्री दीपक जी	ग्राम हरिपुर पो. बिंदवल ब्लॉक बिलरियागंज तहसील सगड़ी	11.000	2.80000
16	श्री शेखदिलशाद अहमद	ग्राम अहिरौली पो0 एवं ब्लाक अजमतगढ़ तहसील सगड़ी	3.300	0.50400
17	श्री एखलाक अहमद	ग्राम अराजी देवारा नैनीजोर पो0 रौनापार ब्लॉक हरैया तहसील सगड़ी	6.094	2.08304
18	श्री दयानंद राय	ग्राम भदाव पो0 मालटारी ब्लाक अजमतगढ़ तहसील सगड़ी	11.000	1.68000
19	श्री संजीव सिंह	ग्राम एवं पो., नेवादा ब्लॉक, बिलरियागंज तहसील, सागरी	17.600	7.04000
20	श्रीमती फरहत बानो	ग्राम खालिशपुर ब्लाक बिलरियागंज तह सगरी	2.475	1.26900
21	श्रीमती रकीबुन	ग्राम बनकट ब्लाक बिलरियागंज तह सगरी	5.500	3.30000
		बायोफ्लाक पॉण्ड		
22	श्री राजेंद्र वर्मा	ग्राम बघावे हिसामुद्दीनपुर, सरदहा ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	14.000	5.60000
23	श्री धर्मेन्द्र कुमार	ग्राम हरई स्माइलपुर पो.ओ.छपरासुल्तानपुर ब्लॉक अजमतगढ़ तहसील सगड़ी	14.000	5.60000

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	पता	परियोजना लागत (लाख में)	अनुदान धनराशि (लाख में)
24	श्री इंदुभूषण	ग्राम अमुआरी ब्लॉक अजमतगढ़ तहसील सगड़ी	14.000	5.60000
25	श्री विवेकानन्द सिंह	ग्राम जमालुद्दीनपट्टी पो. मंडनपुर ब्लॉक अजमतगढ़ तहसील सगड़ी	14.000	5.60000
26	श्री अनिल कुमार	ग्राम गोपालपुर ब्लॉक महराजगंज तह सागरी	14.000	5.60000
27	श्रीमती अनुपम यादव	ग्राम तुर्क पड़री ब्लाक बिलरियागंज तह सगरी	14.000	8.40000
		इंसुलेटेड वैन		
28	श्री राम कुमार	ग्राम भगतपुर ब्लॉक बिलरियागंज तह सगरी	20.000	12.00000
		बैकयार्ड आर ए एस		
29	श्री लालसा निषाद	गांव और पी.ओ. परशुरामपुर ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.500	0.20000
		साइकिल विद आइसबॉक्स		
30	श्री शिव कुमार	ग्राम व डाकघर नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.04000
31	श्री जोखाई	ग्राम व डाकघर नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.04000
32	श्री रामजतन	ग्राम व डाकघर नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.04000
33	श्री लाल बहादुर	ग्राम व डाकघर नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.04000
34	श्री संतोष निषाद	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.04000
35	श्री सुशील	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.04000
36	श्री कोडाई	ग्राम महाजी देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.04000
37	श्री सीताराम	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.04000
38	श्रीमती किस्मती	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.04000
39	श्रीमती चंदा देवी	ग्राम व डाकघर नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
40	श्रीमती रीता देवी	ग्राम व डाकघर नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
41	श्रीमती रामरती	ग्राम व डाकघर नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
42	श्रीमती उषा देवी	ग्राम व डाकघर नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
43	श्रीमती शारदा	ग्राम व डाकघर नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
44	श्रीमती झकुरा देवी	ग्राम व डाकघर नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	पता	परियोजना लागत (लाख में)	अनुदान धनराशि (लाख में)
45	श्रीमती सरोज	ग्राम व डाकघर नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
46	श्रीमती परमिला	ग्राम व डाकघर नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
47	श्रीमती चन्द्र छाया	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
48	श्रीमती मीरा	ग्राम नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
49	श्रीमती रीता देवी	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
50	श्रीमती राजमती	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
51	श्रीमती सीमा देवी	ग्राम नौबरार देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
52	श्रीमती ललिता	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
53	श्रीमती संगीता देवी	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
54	श्रीमती सिंगारी	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
55	श्रीमती सुमित्रा	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
56	श्रीमती मीरा	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
57	श्रीमती राजेश्वरी	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
58	श्रीमती फूला	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
59	श्रीमती मंगरी	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
60	श्रीमती गीता देवी	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
61	श्रीमती सावित्री	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
62	श्रीमती रीता	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
63	श्रीमती सुनीता	ग्राम देवारा जदीद ब्लॉक महराजगंज तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
64	श्री राजबहादुर	ग्राम अराजी अजगरा मगरबी ब्लॉक हरैया तहसील सगड़ी	0.100	0.06000
		कुल	264.684	92.88212

नत्थी (ज)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-121 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-130 पर।)

राज्य कार्यक्रम प्रबंधक इकाई,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

पत्र संख्या: 209/SPMU/NHM/HR/2024-25/

दिनांक 15-07-2024

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के ग्रुप टर्म इंश्योरेंस योजना के सम्बन्ध में।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से 30(तीस) लाख रुपये का ग्रुप टर्म बीमा योजना (मृत्यु लाभ) लागू की गयी है।

इस योजना के दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं:-

1. **प्रभावी तिथि:-** ग्रुप टर्म इंश्योरेन्स योजना की प्रभावी तिथि 27.03.2024 है।
2. **उद्देश्य:-** इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य मण्डल व जनपद स्तर पर कार्यरत संविदाकर्मी की सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार की मदद के लिये बीमा कवर प्रदान करना है।
3. **बीमा का प्रारम्भ:-**यह बीमा योजना एक योग्य सदस्य के संबंध में बीमा प्रदान करेगी। जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के द्वारा बीमित सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया हों।
4. लाभ:-
   - I. मृत्यु लाभ इस बीमा योजना के तहत देय बीमा राशि (Sum assured)हैं और लाभ सेवाओं से पृथक होने से पहले सेवा के दौरान किसी कर्मी की मृत्यु की स्थिति में ही देय होगा।
   - II. मृत्यु लाभ पात्र कर्मी के लिये देय होगा।
5. पात्रता:- इस योजना में पात्रता निम्नानुसार होगी-
   - I. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनोपरान्त राज्य, मण्डल एवं जनपदों में संविदा पर कार्यरत संविदा कर्मी जिनका अनुबन्ध राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के साथ है।
   - II. बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित संविदा कर्मी जो मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनकी आयु 18 से कम तथा 65 वर्ष से अधिक नही हैं।
   - III. बीमा योजना लागू होने वाले माह के बाद प्रत्येक माह की 20 तारीख तक मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकरण वाले व्यक्ति/कर्मी का नाम, पद, जन्मतिथि, नियुक्ति की तारीख विभागाध्यक्ष/नोडल के द्वारा राज्य स्तर पर सूचना उपलब्ध करानी होगी, जिसे पिछले माह के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत संविदा सेवा में नियुक्त किया गया हो, तभी वह कर्मी बीमा योजना का सदस्य बनने के लिये पात्र होगा। **प्रारूप-A**
   - IV. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत आऊटसोर्स, Temporary HR, कोविड स्कीम में कार्यरत कर्मी एवं किसी अन्य संस्था/विभाग के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मी तथा 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु के कोई संविदा कर्मी को इस योजना के पात्र नहीं होगें।
   - V. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत राज्य की नियमित सेवा के कर्मी इस योजना के पात्र नहीं होगे।
6. नामांकन:-
   - I. विभागाध्यक्ष प्रत्येक कर्मचारी से एक नामिनी प्राप्त करेगा, सेवा के दौरान उस कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति को इस बीमा योजना के अन्तर्गत मृत्यु दावा देय होगा।

II. यदि नामांकन करते समय किसी कर्मी का कोई परिवार हैं तो उसे नामांकन केवल अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में ही करना होगा।

III. बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाला कोई भी कर्मी किसी भी समय विभागाध्यक्ष को उपरोक्त नामांकन के क्लॉज के अनुसार किये गये नवीन नामाकंन के साथ नोटिस भेजकर पूर्व नामांकन रद्द कर सकता है। प्राप्त नामाकंन पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेगें तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर उक्त नवीन नामाकंन की प्रविष्टि करनी/करानी होगी।

IV. नामांकन/नवीन नामांकन कराने वाले कर्मी का उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा किये गये नामांकन/नवीन नामांकन की प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर कर ली गयी है।

7. सूचना:–

I. किसी पात्र कर्मी की मृत्यु की सूचना, ऐसी घटना के घटित होने के 30 दिनों के अन्दर लिखित रूप से विभागाध्यक्ष को प्राप्त करायी जानी चाहिये।

II. नामिनी द्वारा मृत्यु की सूचना की तारीख से 90 दिनों के अन्दर मृत्यु दावा से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज जनपद पर उपलब्ध कराने होगें तत्पश्चात जनपद द्वारा राज्य स्तर पर 15 दिनों के अन्दर सत्यापित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य है। किन्तु नियंत्रण से परे कारणो से मृत्यु की सूचना या दस्तावेजों के साथ दावा जमा करने में देरी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा माफ किया जा सकता है।

8. दावा (क्लेम) प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

किसी संविदाकर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में बीमा योजना के अन्तर्गत दावा (क्लेम) प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:–

(क) पूर्ण दावा प्रपत्र (Complete Claim Form)। (प्रति संलग्न में ✔ अनिवार्य)

(ख) ऑनलाइन पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र की मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक द्वारा प्रमाणित प्रति।

(ग) मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध सेवा–पुस्तिका की मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक द्वारा प्रमाणित प्रति।

(घ) मृतक संविदा कर्मी और बीमा लाभ के दावेदार दोनों के आधार कार्ड और बैंक पासबुक की मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक द्वारा प्रमाणित प्रति।

9. सत्यापन प्रक्रिया:–प्रारूप–B

(क)जनपद स्तरीय कर्मचारी:–

जनपद स्तर पर कार्यरत पात्र संविदा कर्मी के सम्बन्ध में बीमा योजना के अधीन किसी दावे की स्थिति में समस्त दस्तावेजों/जानकारी की जॉच व परीक्षण उपरान्त सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रति के साथ पूर्ण दावा प्रपत्र स्पष्ट संस्तुति सहित राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ससमय उपलब्ध कराना मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक का उत्तरदायित्व होगा।

(ख)मंडल स्तरीय कर्मचारी:–

मंडल स्तर पर कार्यरत पात्र संविदा कर्मी के सम्बन्ध में बीमा योजना के अधीन किसी दावे की स्थिति में समस्त दस्तावेजों/जानकारी की जॉच व परीक्षण उपरान्त सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रति के साथ पूर्ण दावा प्रपत्र स्पष्ट संस्तुति सहित राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ससमय उपलब्ध कराना अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0का उत्तरदायित्व होगा।

(ग)राज्य स्तरीय कर्मचारी:–

राज्य स्तर पर कार्यरत पात्र संविदा कर्मी के सम्बन्ध में बीमा योजना के अधीन किसी दावे की स्थिति में पूर्ण दावा प्रपत्र एवं सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों/जानकारी की जॉच व परीक्षण

उपरान्त ससमय निस्तारण की कार्यवाही कराना राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मानव संसाधन अनुभाग के नोडल(नामित) का उत्तरदायित्व होगा।

10. अन्य निर्देश:-

I. ग्रुप टर्म इंश्योरेंस योजना के ससमय दावों के निस्तारण हेतु मण्डल स्तर नोडल संयुक्त निदेशक एवं सह-नोडल मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0 तथा जनपद स्तर पर नोडल अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सह-नोडल जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0 नामित किये जायेंगे जिसकी सूचना राज्य स्तर संलग्न **प्रारूप-C** पर प्रेषित की जायेगी।

II. यह सुनिश्चित करना कर्मी की जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा प्रदान की गयी सभी व्यक्तिगत जानकारी सही है।

III. बीमा पॉलिसी के तहत उपलब्ध लाभ का कोई हिस्सा बीमित सदस्य या नामांकित व्यक्ति द्वारा एसाइनमेन्ट या भार के अधीन नहीं होगा या उसके या उनके लेनदारों, ऋण अनुबन्ध या अटेचमन्ट के अधीन नहीं होगा।

IV. बीमा योजना के तहत किसी नॉमिनी का चयन न किये जाने की दशा में या चयनित नॉमिनी की मृत्यु बीमा योजना के लाभ का भुगतान होने से पूर्व होने पर बीमा योजना के अन्तर्गत मृत्यु लाभ मृतक कर्मी के उत्तराधिकारी अथवा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र धारक को जैसा भी मामला हो देय होगा।

V. विभागाध्यक्ष/नोडल के द्वारा जो कर्मी किन्हीं कारणों से सेवा से पृथक हो जाते हैं उनका सम्पूर्ण विवरण मानव सम्पदा पोर्टल से पंजीकरण निरस्त कराये जाने हेतु राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। **प्रारूप-D**

VI. बीमा पॉलिसी के वास्तविक कार्यान्वयन में यदि किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है या किसी प्रावधान/बिन्दु पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो मामले को टर्म ग्रुप इंश्योरेन्स समिति, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के समक्ष भेजा जा सकता है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

VII. राज्य/मण्डल/जनपद स्तर नोडल अधिकारी द्वारा अपने अधीन समस्त संविदाकर्मी को उपरोक्त दिशा-निर्देशों को नोटिस-बोर्ड/प्रति के माध्यम से अवगत कराना होगा।

VIII. ग्रुप टर्म इंश्योरेंस योजना संबंधित समस्त अभिलेख/पत्राचार ईमेल आई0डी0- nhmgroupterminsurance@gmail.com पर करना सुनिश्चित करें।

IX. संविदा कर्मचारियों के ग्रुप टर्म इंश्योरेंस योजना संबंधित किसी जानकारी हेतु टोल-फ्री नंबर "104" पर संपर्क किया जा सकता है।

तदानुसार उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि दावों के निस्तारण की प्रक्रिया को शीघ्रता से संपादित किया जा सकें। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दावा अग्रेषित करते समय सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं तथा तत्परता के साथ जांच/परीक्षण किया गया है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या: 209/SPMU/NHM/HR/2024-25/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संचायें, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।

4. महानिदेशक, प्रशिक्षण, महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
5. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, समस्त महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष एवं अधिशासी अभियन्ता, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
7. महाप्रबंधक–मानव संसाधन/एम0आई0एस0/प्रोक्योरमेन्ट, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त का अनुपालन समस्त जनपद/मण्डल में होना सुनिश्चित करें।
8. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त का मण्डल में अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
9. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त का अनुपालन जनपदों में कराना सुनिश्चित करें।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को निर्देशित किया जाता हैं कि मण्डल के अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त का अनुपालन मण्डल में कराना सुनिश्चित करें।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 को निर्देशित किया जाता हैं कि जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त का अनुपालन जनपद में कराना सुनिश्चित करें।
13. समस्त जिला लेखा प्रबंधक/जिला डाटा कम लेखा सहायक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0।
14. समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई उ0प्र0।

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

नत्थी (झ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-129 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-135 पर।)

List of medicine supplier (as on 02.07.2024) in UPMSCL	
S. NO.	Supplier
1	Abbott India Limited
2	Adroit Pharmaceuticals Pvt Ltd
3	Agri Biochem Private Limited
4	Aishwarya Healthcare
5	Aishwarya Lifesciences
6	Akums Drugs And Pharmaceuticals Ltd
7	Anod Pharma Pvt Ltd
8	Apple Formulations Pvt Ltd
9	Bharat Serums And Vaccines Ltd
10	Biocon Biologics Limited
11	Bioconic Remedies
12	Biogenetic Drugs Pvt Ltd
13	Biological E Ltd
14	Biosynergy Lifecare Pvt. Ltd.
15	Biotech International Ltd
16	Bochem Healthcare Pvt Ltd
17	Brilliant Lifescience Pvt Ltd
18	Brooks Laboratories Ltd
19	Cadila Pharmaceuticals Ltd
20	Centurion Remedies Pvt. Ltd.
21	Cipco Pharmaceticals
22	Cipla Ltd
23	Cmg Biotech Pvt Ltd
24	Concept Pharmaceuticals Limited
25	Cotec Healthcare Pvt Ltd
26	Cycus Pharma
27	Daffodills Pharmaceuticals Ltd
28	Danish Helthcare (P) Ltd
29	Divine Laboratories Pvt. Ltd.
30	Encube Ethicals Private Limited
31	Fertin India Pvt Ltd
32	Gentech Healthcare Pvt. Ltd.
33	Gnosis Pharmaceuticals Pvt. Ltd
34	Hab Pharmaceuticals And Research Limited
35	Heal (India) Laboratories Pvt Ltd
36	Healers Lab
37	Healthy Life Pharma Pvt Ltd
38	Hetero Healthcare
39	Hil (India) Limited
40	Hind Pharma
41	Hindustan Laboratories Ltd
42	Indian Immunological Ltd
43	J. Duncan Healthcare Pvt Ltd
44	Jackson Laboratories (P) Ltd
45	Jp Industries

S. NO.	Supplier
[illegible]	Jpee Drugs
47	Kemecos India Private Limited
48	Kunal Remedies Pvt Ltd
49	Lifemax Cancer Laboratories
50	Lupin Limited
51	M/S Affy Parentrals
52	Macmillon Pharmaceticals Pvt. Ltd.
53	Mancare Laboratories Pvt Ltd
54	Marc Laboratories Ltd
55	Marc Life Sciences Sikkim
56	Martin And Brown Bio-Science
57	Maxchem Pharmaceuticals Pvt Ltd.
58	Maxmed Life Sciences Pvt Ltd
59	Mcw Healthcare Pvt. Ltd.
60	Micron Pharmaceuticals
61	Midascare Pharmaceuticals Pvt Ltd
62	Modern Laboratories
63	Nandani Medical Laboratories Pvt. Ltd.
64	National Laboratories
65	Nestor Pharmaceuticals Ltd
66	Om Bio Medic Pvt Ltd
67	Omega Pharma
68	Paramount Pesticides Ltd
69	Paschim Banga Pharmaceutical
70	Pilco Healthcare Pvt Ltd
71	Preet Remedies Ltd
72	Prochem Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
73	Protech Telelinks
74	Pushkar Pharma
75	Quest Laboratories Pvt Ltd
76	Ramson Remedies
77	Ravian Life Science Pvt Ltd
78	Regent Ajanta Biotch
79	Reliance Formulaion(P) Ltd
80	Rivpra Formulation Pvt. Ltd.
81	Rk Laboratories Pvt Ltd
82	Rpl(India) Pharmaceutical Pvt. Ltd.
83	Rusan Pharma Ltd
84	Sain Medicaments Private Limited
85	Samarth Life Sciences Pvt. Ltd.
86	Samkem
87	Sanofi Healthcare India Private Ltd
88	Savi Health Science
89	Serum Institute Of India Pvt Ltd
90	Shivalik Remedies Pvt Ltd
91	Snehal Pharma And Surgical Pvt. Ltd.

S. NO.	Supplier
92	Sri Sai Balaji Pharmatech Pvt. Ltd.
93	Ssm Formulation Pvt. Ltd.
94	Super Formulation Pvt Ltd
95	Supermax Drugs And Pharmaceuticals Pvt Ltd.
96	Supermax Laboratories
97	Svp Lifescience
98	Synmedic Laboratories
99	Systochem Laboratories Ltd
100	Tablets (India) Ltd
101	Tanpal Pharmaceuticals
102	Themis Medicare Limited
103	Theon Pharmaceuticals Limited
104	Transasia Bio Medicals Limited
105	Unicure India Ltd
106	Unikil Pesticides Pvt Ltd
107	Unimarck Healthcare Ltd
108	Varav Biogenesis Pvt. Ltd.
109	Venus Remedies Ltd
110	Vidhyasha Pharamaceuticals
111	Vim Meditech Pvt. Ltd
112	Vision Parenteral Pvt. Ltd.
113	Vivek Pharmachem (India) Ltd
114	Wockhardt Limited
115	Yacca Lifescience Pvt. Ltd.
116	Zydus Lifesciences Limited

नत्थी (ञ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-167 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-155 पर।)

108 जिला स्तरीय चिकित्सालयों की सूची		
क्र0सं0	जनपद	चिकित्सा इकाई का नाम
1	आगरा	जिला अस्पताल आगरा
2	आगरा	जिला महिला चिकित्सालय आगरा
3	मैनपुरी	जिला पुरुष चिकित्सालय,मैनपुरी
4	मैनपुरी	जिला महिला अस्पताल,मैनपुरी
5	मथुरा	जिला पुरुष चिकित्सालय मथुरा
6	मथुरा	जिला महिला चिकित्सालय मथुरा
7	अलीगढ	मलखान सिंह जिला चिकित्सालय अलीगढ
8	अलीगढ	एमएलजी जिला महिला अस्पताल, अलीगढ
9	अलीगढ	पं. दीन दयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय अलीगढ
10	हाथरस	जिला पुरुष चिकित्सालय हाथरस
11	हाथरस	जिला महिला चिकित्सालय हाथरस
12	कासगंज	जिला संयुक्त चिकित्सालय कासगंज
13	अंबेडकरनगर	महात्मा ज्योतिबा फुले संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकर नगर
14	अमेठी	जिला संयुक्त चिकित्सालय गौरीगंज,अमेठी
15	अयोध्या	जिला पुरुष चिकित्सालय अयोध्या
16	अयोध्या	जिला महिला चिकित्सालय अयोध्या
17	अयोध्या	श्री राम अस्पताल अयोध्या
18	बाराबंकी	जिला पुरुष चिकित्सालय बाराबंकी
19	बाराबंकी	जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी
20	आजमगढ़	जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़
21	आजमगढ़	मण्डलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़
22	बलिया	जिला पुरुष चिकित्सालय बलिया
23	बलिया	जिला महिला चिकित्सालय बलिया
24	मऊनाथभंजन	जिला संयुक्त चिकित्सालय मऊनाथभंजन
25	मऊनाथभंजन	जिला महिला चिकित्सालय मऊनाथभंजन
26	बदायूं	100 शैय्यायुक्त एमसीएच विंग बदायूँ एवं जिला महिला चिकित्सालय बदायूँ
27	बदायूं	जिला पुरुष चिकित्सालय बदायूँ
28	बरेली	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग बरेली और जिला महिला अस्पताल बरेली
29	बरेली	महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय बरेली
30	बरेली	एसएच रेगनल कंबाइंड हॉस्पिटल बरेली
31	बस्ती	जिला अस्पताल बस्ती
32	बस्ती	वीआरटीके जिला महिला चिकित्सालय बस्ती
33	संतकबीरनगर	जिला संयुक्त चिकित्सालय संतकबीर नगर
34	बाँदा	जिला महिला अस्पताल बांदा

108 जिला स्तरीय चिकित्सालयों की सूची

क्र0सं0	जनपद	चिकित्सा इकाई का नाम
35	बाँदा	मंडलीय पुरुष चिकित्सालय बांदा
36	चित्रकूट	जिला संयुक्त चिकित्सालय चित्रकूट
37	हमीरपुर	जिला पुरुष चिकित्सालय हमीरपुर
38	हमीरपुर	जिला महिला अस्पताल हमीरपुर
39	महोबा	जिला पुरुष चिकित्सालय महोबा
40	महोबा	जिला महिला चिकित्सालय महोबा
41	बलरामपुर	जिला संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर
42	बलरामपुर	जिला मेमोरियल अस्पताल,बलरामपुर
43	बलरामपुर	जिला महिला चिकित्सालय,बलरामपुर
44	गोंडा	जिला महिला चिकित्सालय गोण्डा
45	श्रावस्ती	जिला संयुक्त चिकित्सालय श्रावस्ती
46	गोरखपुर	जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर
47	गोरखपुर	नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला अस्पताल, गोरखपुर
48	महाराजगंज	जिला संयुक्त चिकित्सालय महराजगंज
49	जालौन	जिला पुरुष चिकित्सालय जालौन
50	जालौन	जिला महिला चिकित्सालय जालौन
51	झांसी	जिला चिकित्सालय पुरुष झाँसी
52	झांसी	जिला महिला चिकित्सालय झाँसी
53	इटावा	जिला महिला चिकित्सालय इटावा
54	इटावा	डॉ. भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय पुरुष इटावा
55	फर्रुखाबाद	सिविल अस्पताल फर्रुखाबाद
56	फर्रुखाबाद	डॉ राम मनोहर लोहिया जिला पुरुष चिकित्सालय फर्रुखाबाद
57	फर्रुखाबाद	डॉ. राम मनोहर लोहिया महिला चिकित्सालय फर्रुखाबाद
58	कन्नौज	जिला संयुक्त चिकित्सालय,कन्नौज
59	कानपुर नगर	एएचएम एवं डफरिन अस्पताल कानपुर नगर
60	कानपुर नगर	केपीएम अस्पताल कानपुर नगर
61	कानपुर नगर	मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेंटर कानपुर नगर
62	कानपुर नगर	यूएचएम जिला पुरुष चिकित्सालय कानपुर नगर
63	लखनऊ	बी आर डी हॉस्पिटल महानगर लखनऊ
64	लखनऊ	बलरामपुर अस्पताल लखनऊ
65	लखनऊ	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल लखनऊ
66	लखनऊ	आरएलबी अस्पताल लखनऊ
67	लखनऊ	आरएसएम 100 बेड डीसीएच सादामऊ लखनऊ
68	लखनऊ	वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय लखनऊ

108 जिला स्तरीय चिकित्सालयों की सूची

क्र0सं0	जनपद	चिकित्सा इकाई का नाम
69	लखनऊ	वीजेबी महिला अस्पताल लखनऊ
70	रायबरेली	जिला पुरुष चिकित्सालय,रायबरेली
71	रायबरेली	जिला महिला अस्पताल,रायबरेली
72	सीतापुर	जिला पुरुष चिकित्सालय,सीतापुर
73	सीतापुर	जिला महिला अस्पताल,सीतापुर
74	उन्नाव	उमा शंकर दीक्षित जिला पुरुष चिकित्सालय,उन्नाव
75	उन्नाव	उमा शंकर दीक्षित जिला महिला अस्पताल,उन्नाव
76	बागपत	जिला संयुक्त चिकित्सालय बागपत
77	बुलन्दशहर	संयुक्त चिकित्सालय सिकन्दराबाद बुलन्दशहर
78	गौतमबुद्धनगर	जिला संयुक्त चिकित्सालय गौतमबुद्ध नगर
79	गाजियाबाद	संयुक्त जिला चिकित्सालय संजयनगर गाजियाबाद
80	गाजियाबाद	जिला एमएमजी अस्पताल गाजियाबाद
81	गाजियाबाद	जिला महिला अस्पताल गाजियाबाद
82	हापुड़	जिला संयुक्त चिकित्सालय हापुड
83	मेरठ	जिला महिला चिकित्सालय मेरठ
84	मेरठ	प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय मेरठ
85	भदोही	100 बेडेड डीसीएच सरपतहा भदोही
86	भदोही	महाराजा चेत सिंह डीसीएच भदोही
87	भदोही	एमबीएस संयुक्त चिकित्सालय भदोही
88	अमरोहा	जिला संयुक्त चिकित्सालय,अमरोहा
89	बिजनौर	जिला महिला चिकित्सालय,बिजनौर
90	मुरादाबाद	जिला महिला अस्पताल मुरादाबाद
91	मुरादाबाद	पंडित दीन दयाल उपाध्याय जिला अस्पताल मुरादाबाद
92	रामपुर	जिला पुरुष चिकित्सालय रामपुर
93	रामपुर	जिला महिला अस्पताल रामपुर
94	संभल	जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल
95	प्रयागराज	जिला महिला चिकित्सालय प्रयागराज
96	प्रयागराज	मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल, प्रयागराज
97	प्रयागराज	तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय प्रयागराज
98	मुजफ्फरनगर	जिला पुरुष चिकित्सालय मुजफ्फरनगर
99	मुजफ्फरनगर	जिला महिला अस्पताल मुजफ्फरनगर
100	सहारनपुर	जिला महिला अस्पताल सहारनपुर
101	सहारनपुर	सेठ बलदेव दास जिला अस्पताल सहारनपुर
102	शामली	जिला संयुक्त चिकित्सालय शामली

108 जिला स्तरीय चिकित्सालयों की सूची

क्र0सं0	जनपद	चिकित्सा इकाई का नाम
103	जौनपुर	जिला पुरुष चिकित्सालय जौनपुर
104	जौनपुर	जिला महिला चिकित्सालय जौनपुर
105	वाराणसी	जिला महिला चिकित्सालय वाराणसी
106	वाराणसी	लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल रामनगर वाराणसी
107	वाराणसी	पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय वाराणसी
108	वाराणसी	एस एस पी-जी मंडलीय जिला चिकित्सालय वाराणसी

261 विशिष्ट चिकित्सालयों की सूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	चिकित्सा इकाई का नाम
1	आगरा	एमसीएच विंग वुमन हॉस्पिटल आगरा
2	फिरोजाबाद	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग जसराना फिरोजाबाद
3	फिरोजाबाद	संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद फिरोजाबाद
4	मैनपुरी	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग, मैनपुरी
5	मैनपुरी	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग बेवर, मैनपुरी
6	मैनपुरी	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग भोगांव, मैनपुरी
7	मैनपुरी	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग करहेल मैनपुरी
8	मैनपुरी	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग कुचला मैनपुरी
9	मैनपुरी	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग कुरावली, मैनपुरी
10	मैनपुरी	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग ओछा, मैनपुरी
11	मथुरा	संयुक्त चिकित्सालय वृन्दावन मथुरा
12	अलीगढ	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग अलीगढ़
13	अलीगढ	50 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग एगलाश अलीगढ़
14	अलीगढ	संयुक्त चिकित्सालय अतरौली अलीगढ
15	अलीगढ	ट्रामा सेंटर जसरथ पुर अलीगढ
16	हाथरस	टीबी हॉस्पिटल हाथरस
17	हाथरस	ट्रामा सेंटर सिकंदराराऊ हाथरस
18	अंबेडकरनगर	200 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग टांडा अम्बेडकर नगर
19	अंबेडकरनगर	30 शय्यायुक्त एमसीएच विंग भीटी अम्बेडकर नगर
20	अंबेडकरनगर	30 शैयायुक्त एमसीएच विंग बसखारी अम्बेडकर नगर
21	अंबेडकरनगर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग भियांव अंबेडकर नगर
22	अंबेडकरनगर	30 शय्यायुक्त एमसीएच विंग जलालपुर अम्बेडकर नगर
23	अंबेडकरनगर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग टांडा अम्बेडकर नगर
24	अंबेडकरनगर	महिला अस्पताल जलालपुर अम्बेडकर नगर
25	अमेठी	पीपीसी जायस अमेठी
26	अमेठी	ट्रामा सेंटर जगदीशपुर अमेठी
27	अयोध्या	100 सैया संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज फैजाबाद अयोध्या
28	अयोध्या	50 शय्या अस्पताल देवगांव अयोध्या
29	अयोध्या	एमसीएच विंग 100 बेड हॉस्पिटल अयोध्या
30	अयोध्या	श्री राम नेत्र चिकित्सालय अयोध्या
31	बाराबंकी	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग, बाराबंकी
32	बाराबंकी	संयुक्त चिकित्सालय गौसपुर बाराबंकी
33	बाराबंकी	ट्रामा सेंटर बाराबंकी
34	सुल्तानपुर	100 सैया संयुक्त चिकित्सालय जयसिंहपुर सुल्तानपुर
35	सुल्तानपुर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग कुदावरा सुल्तानपुर

261 विशिष्ट चिकित्सालयों की सूची

क0सं0	जनपद का नाम	चिकित्सा इकाई का नाम
36	सुल्तानपुर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग लंभुआ सुल्तानपुर
37	सुल्तानपुर	महिला चिकित्सालय सुल्तानपुर
38	सुल्तानपुर	शहरी पीपीसी कादीपुर सुल्तानपुर
39	आजमगढ़	100 बेड एमसीएच विंग अतरौलिया आजमगढ़
40	आजमगढ़	100 शय्यायुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय अतरौलिया आजमगढ़
41	आजमगढ़	100 शय्या संयुक्त चिकित्सालय लालगंज
42	आजमगढ़	30 शय्यायुक्त एमसीएच विंग कोयलशा आजमगढ़
43	आजमगढ़	संयुक्त चिकित्सालय 100 शैय्या तरवा आजमगढ़
44	आजमगढ़	ट्रामा सेंटर ध आजमगढ़
45	बलिया	100 शय्या अस्पताल बैरिया सोनबरसा बलिया
46	बलिया	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग बलिया
47	बलिया	ट्रामा सेंटर बलिया
48	मऊनाथभंजन	100 शैय्या अस्पताल लारपुर मऊनाथभंजन
49	मऊनाथभंजन	100 बेड एमसीएच विंग मऊनाथभंजन
50	मऊनाथभंजन	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग रतनपुर मऊनाथभंजन
51	बदायूं	30 शैय्यायुक्त एमसीएच विंग बिल्सी बदायूँ
52	बदायूं	30 शैय्यायुक्त एमसीएच विंग इस्लामनगर बदायूँ
53	बदायूं	30 शैय्यायुक्त एमसीएच विंग सहसवान बदायूँ
54	बदायूं	30 बेडेड एमसीएच विंग वजीरगंज बदायूँ
55	बरेली	50 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग बहेड़ी बरेली
56	बरेली	मानसिक चिकित्सालय बरेली
57	पीलीभीत	एमसीएच विंग पूरनपुर पीलीभीत
58	शाहजहांपुर	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग शाहजहापुर
59	शाहजहांपुर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग जलालपुर शाहजहाँपुर
60	बस्ती	100 शय्या महिला चिकित्सालय हरैया बस्ती
61	बस्ती	टी बी अस्पताल बस्ती
62	बस्ती	ट्रामा सेंटर जिला अस्पताल परिसर बस्ती
63	संतकबीरनगर	एमसीएच विंग खलीलाबाद संतकबीरनगर
64	सिद्धार्थनगर	30 बेडेड एमसीएच विंग इटवा सिद्धार्थ नगर
65	बाँदा	मेडिकल केयर यूनिट बांदा
66	बाँदा	एसएच ट्रामा सेंटर बांदा
67	चित्रकूट	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग मानिकपुर चित्रकूट
68	चित्रकूट	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग राजापुर चित्रकूट
69	चित्रकूट	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग शिवरामपुर चित्रकूट
70	चित्रकूट	खोह कर्वी चित्रकूट

261 विशिष्ट चिकित्सालयों की सूची

क0सं0	जनपद का नाम	चिकित्सा इकाई का नाम
71	हमीरपुर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग राठ हमीरपुर
72	महोबा	30 शैय्यायुक्त एमसीएच विंग चरखारी महोबा
73	महोबा	30 शैय्यायुक्त एमसीएच विंग कुलपहाड़ महोबा
74	महोबा	50 बेडेड एमसीएच विंग पनवाड़ी महोबा
75	बहराईच	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग बहराईच
76	बहराईच	50 शय्यायुक्त एमसीएच विंग केसरगंज बहराइच
77	बहराईच	कुष्ठ रोग चिकित्सालय सलारगंग बहराईच
78	बहराईच	ट्रामा सेंटर चांद पुर चौराहा बहराईच
79	बलरामपुर	पीएचसी विशुनपुर,बलरामपुर
80	बलरामपुर	पीपीसी उतरौला बलरामपुर
81	बलरामपुर	ट्रामा विंग बलरामपुर
82	गोंडा	100 शैयायुक्त एमसीएच विंग गोण्डा गोण्डा
83	गोंडा	30 बेडेड एमसीएच विंग इटियाथोक गोंडा
84	देवरिया	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग लार, देवरिया
85	देवरिया	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग रुद्रपुर, देवरिया
86	देवरिया	प्रसूति केंद्र देवरिया
87	गोरखपुर	100 बेड टीबी साह समान्य हॉस्पिटल गोरखपुर
88	गोरखपुर	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग गोरखपुर
89	गोरखपुर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग कैम्पियरगंज गोरखपुर
90	कुशीनगर	30 बेडेड एमसीएच विंग सेवरही, कुशीनगर
91	कुशीनगर	पुरुष एवं नेत्र चिकित्सालय,कुशीनगर
92	कुशीनगर	राजकीय महिला चिकित्सालय कुशीनगर
93	महाराजगंज	100 बेड एमसीएच विंग महराजगंज
94	महाराजगंज	30 बेडेड एमसीएच विंग निचलौल महराजगंज
95	महाराजगंज	30 बेडेड एमसीएच विंग परतावल महराजगंज
96	जालौन	नेत्र चिकित्सालय जालौन
97	जालौन	ट्रामा सेंटर जालौन
98	झांसी	ट्रामा सेंटर मोठ झाँसी
99	संसपजचनत	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग बार ललितपुर
100	संसपजचनत	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग मड़ावरा ललितपुर
101	संसपजचनत	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग तालबेहट ललितपुर
102	संसपजचनत	ट्रॉमा सेंटर ललितपुर
103	औरैया	30 शैय्यायुक्त एमसीएच विंग अचल्दा औरैया
104	औरैया	50 बेड एमसीएच विंग बिधूना औरैया
105	औरैया	50 बेडेड एमसीएच विंग दिबियापुर औरैया

261 विशिष्ट चिकित्सालयों की सूची		
क्र0सं0	जनपद का नाम	चिकित्सा इकाई का नाम
106	औरैया	जिला संयुक्त चिकित्सालय चिचौली 100 शैय्या न्यू औरैया
107	औरैया	डॉ राम मनोहर लोहिया नेत्र चिकित्सालय औरैया
108	औरैया	ट्रामा सेंटर औरैया भगौतीपुर
109	इटावा	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग इटावा
110	इटावा	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग भरथना इटावा
111	इटावा	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग,जसवंतनगर,इटावा
112	इटावा	50 शय्या अस्पताल बकेवर इटावा
113	इटावा	50 बिस्तरों वाली चिकित्सा देखभाल यूनिटीवा
114	इटावा	जिला बालरोग अस्पताल इटावा
115	इटावा	टीबी हॉस्पिटल इटावा
116	कन्नौज	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग,कन्नौज
117	कन्नौज	30 शैय्यायुक्त एमसीएच विंग गुरसहायगंज कन्नौज
118	कन्नौज	30 शैय्यायुक्त एमसीएच विंग तिर्वा कन्नौज
119	कन्नौज	50 बेडेड एमसीएच विंग जलालाबाद,कन्नौज
120	कन्नौज	50 बेडेड एमसीएच विंग सौरिख,कन्नौज
121	कन्नौज	जिला संयुक्त चिकित्सालय छिबरामऊ,कन्नौज
122	कन्नौज	एमसीएच विंग कन्नौज
123	कानपुर देहात	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग डेरापुर कानपुर देहात
124	कानपुर देहात	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग झीझक, कानपुर देहात
125	कानपुर देहात	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग रसूलाबाद, कानपुर देहात
126	कानपुर नगर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग बिधनू कानपुर नगर
127	कानपुर नगर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग बिल्हौर कानपुर नगर
128	कानपुर नगर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग घाटमपुर कानपुर नगर
129	कानपुर नगर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग सरसौल कानपुर नगर
130	हरदोई	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग हरदोई
131	हरदोई	100 सैया संयुक्त चिकित्सालय हरदोई
132	हरदोई	30 बेडेड एमसीएच विंग भरावन हरदोई
133	हरदोई	ट्रामा सेंटर हरदोईहरदोई
134	लखीमपुर खीरी	200 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग,लखीमपुर खीरी
135	लखनऊ	30 बेड एमसीएच लखनऊ
136	लखनऊ	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग मलिहाबाद लखनऊ
137	लखनऊ	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग मोहनलालगंज लखनऊ
138	लखनऊ	50 शय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय चन्द्रनगर आलमबाग
139	लखनऊ	50 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग चिनहट लखनऊ
140	लखनऊ	संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज लखनऊ

261 विशिष्ट चिकित्सालयों की सूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	चिकित्सा इकाई का नाम
141	लखनऊ	लोक बन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ
142	लखनऊ	ट्रॉमा सेंटर जानकीपुरम विस्तार
143	रायबरेली	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग अमुआ,रायबरेली
144	रायबरेली	एमसीएच विंग रायबरेली
145	सीतापुर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग महमूदाबाद सीतापुर
146	सीतापुर	30 शैय्यायुक्त एमसीएच विंग पिसावां सीतापुर
147	सीतापुर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग सीतापुर
148	सीतापुर	50 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग सीतापुर
149	सीतापुर	ट्रामा सेंटर खैराबाद सीतापुर
150	उन्नाव	100 शय्यायुक्त बीघापुर उन्नाव
151	उन्नाव	100 शैय्यायुक्त मौरावा उन्नाव
152	उन्नाव	राजकीय महिला चिकित्सालय सहजनी उन्नाव
153	उन्नाव	राजकीय महिला चिकित्सालय ऊंचागांव,उन्नाव
154	उन्नाव	ट्रॉमा सेंटर उन्नाव
155	बागपत	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग बागपत
156	बुलन्दशहर	संयुक्त चिकित्सालय डिबाई बुलन्दशहर
157	बुलन्दशहर	लक्ष्मण दास जटिया राजकीय महिला चिकित्सालय
158	बुलन्दशहर	एस एस एम जे अस्पताल खुर्जा बुलन्दशहर
159	बुलन्दशहर	ट्रॉमा सेंटर खुर्जा बुलन्दशहर
160	गौतमबुद्धनगर	50 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग भंगेल गौतम बुद्ध नगर
161	गाजियाबाद	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग गाजियाबाद
162	गाजियाबाद	50 शय्यायुक्त संयुक्त अस्पताल लोनी गाजियाबाद
163	गाजियाबाद	ट्रामा सेंटर गाजियाबाद
164	हापुड़	पोस्ट पार्टम सेंटर हापुड
165	हापुड़	पीपीसी पिलखुवा हापुड
166	मेरठ	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग मेरठ
167	मेरठ	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग मवावा मेरठ
168	मेरठ	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग सरधना मेरठ
169	मेरठ	50 शय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय किठौर
170	भदोही	100 बेड एमसीएच विंग भदोही
171	भदोही	30 बेडेड एमसीएच विंग सुरियांवा भदोही
172	भदोही	50 शैयायुक्त एमसीएच विंग संत रविदास नगर भदोही
173	भदोही	ट्रामा सेंटर औराई भदोही
174	मिर्जापुर	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग मिर्जापुर
175	मिर्जापुर	ट्रामा सेंटर मीरजापुर

261 विशिष्ट चिकित्सालयों की सूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	चिकित्सा इकाई का नाम
176	सोनभद्र	50 शय्या संयुक्त अस्पताल अनपरा सोनभद्र
177	सोनभद्र	50 शैयायुक्त एमसीएच विंग म्योरपुर सोनभद्र
178	सोनभद्र	बाल एवं महिला चिकित्सालय सोनभद्र
179	सोनभद्र	एमसीएच विंग 50 बेड घोरावल सोनभद्र
180	सोनभद्र	पीपीसी राबर्ट्सगंज सोनभद्र
181	अमरोहा	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंगअमरोहा
182	अमरोहा	30 बेडेड एमसीएच विंग जोया अमरोहा
183	अमरोहा	30 बेडेड एमसीएच विंग रेहरा अमरोहा
184	अमरोहा	संयुक्त चिकित्सालय बछरायूं अमरोहा
185	अमरोहा	पीपीसी एवं महिला अस्पताल अमरोहा
186	बिजनौर	100 शय्या अस्पताल धामपुर बिजनौर
187	बिजनौर	राजकीय महिला चिकित्सालय नजीबाबाद,बिजनौर
188	बिजनौर	लाला भोजा राम राजकीय नेत्र चिकित्सालय नजीबाबाद,बिजनौर
189	बिजनौर	पीपीसी बिजनौर
190	बिजनौर	ट्रॉमा सेंटर धामपुर बिजनौर
191	बिजनौर	महिला अस्पताल चांदपुर बिजनौर
192	मुरादाबाद	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग मुरादाबाद
193	मुरादाबाद	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग बिलारी मुरादाबाद
194	मुरादाबाद	राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रामपुर घोघर मुरादाबाद
195	मुरादाबाद	ट्रामा सेंटर जिला अस्पताल मुरादाबाद
196	रामपुर	50 शैय्या मैटरनिटी विंग रामपुर
197	संभल	30 बेडेड एमसीएच विंग चंदौसी संभल
198	संभल	30 बेडेड एमसीएच विंग गुन्नौर संभल
199	फतेहपुर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग खागा फतेहपुर
200	फतेहपुर	मदन मोहन मालवीय नेत्र चिकित्सालय
201	कौशांबी	30 बेडेड एमसीएच विंग कड़ा कौशांबी
202	कौशांबी	30 बेडेड एमसीएच विंग सिराथू कौशांबी
203	कौशांबी	राजकीय महिला चिकित्सालय कौशांबी
204	कौशांबी	ट्रामा सेंटर नरसिंहपुर कछुआ कौशांबी
205	प्रतापगढ़	100 शय्या अस्पताल शिवसत प्रतापगढ़
206	प्रतापगढ़	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग कुंडा, प्रतापगढ़
207	प्रतापगढ़	50 शय्या अस्पताल सुबांसा बैरमपुर प्रतापगढ़
208	प्रतापगढ़	ट्रामा सेंटर प्रतापगढ़
209	प्रतापगढ़	ट्रामा सेंटर लालगंज अझारा प्रतापगढ़
210	प्रयागराज	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग प्रयागराज

261 विशिष्ट चिकित्सालयों की सूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	चिकित्सा इकाई का नाम
211	प्रयागराज	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग फूलपुर प्रयागराज
212	प्रयागराज	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग मांडा प्रयागराज
213	प्रयागराज	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग, रामनगर, प्रयागराज
214	प्रयागराज	राजकीय टीबी अस्पताल, प्रयागराज
215	प्रयागराज	पीपीसी हंडिया प्रयागराज
216	प्रयागराज	पीपीसी करछना प्रयागराज
217	प्रयागराज	पीपीसी फूलपुर प्रयागराज
218	प्रयागराज	सरदार वल्लभ भाई पटेल 100 शय्या संयुक्त अस्पताल भागवतपुर
219	प्रयागराज	राजकीय एलोपैथिक महिला औषधालय करमा प्रयागराज
220	प्रयागराज	राजकीय एलोपैथिक महिला औषधालय प्रयागराज
221	प्रयागराज	राजकीय एलोपैथिक महिला औषधालय प्रयागराज
222	प्रयागराज	राजकीय एलोपैथिक महिला औषधालय प्रयागराज
223	प्रयागराज	राजकीय एलोपैथी महिला औषधालय प्रयागराज
224	मुजफ्फरनगर	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग मुजफ्फरनगर
225	मुजफ्फरनगर	ट्रॉमा सेंटर खतौली मुजफ्फरनगर
226	सहारनपुर	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग सहारनपुर
227	सहारनपुर	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग सहारनपुर
228	सहारनपुर	30 शैय्यायुक्त मैटरनिटी विंग सीएचसी फतेहपुर सहारनपुर
229	सहारनपुर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग देवबंद सहारनपुर
230	सहारनपुर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग गंगोह सहारनपुर
231	सहारनपुर	50 शैय्यायुक्त मैटरनिटी विंग सहारनपुर
232	सहारनपुर	जिला रेडक्रॉस अस्पताल सहारनपुर
233	सहारनपुर	जिला ट्रामा सेंटर सहारनपुर
234	सहारनपुर	टी बी सैनिटेरियम हॉस्पिटल, सहारनपुर
235	चंदौली	संयुक्त चिकित्सालय अमड़ा चंदौली
236	चंदौली	संयुक्त चिकित्सालय चकिया चंदौली
237	चंदौली	महिला चिकित्सालय मुगलसराय चंदौली
238	चंदौली	एमसीएच विंग चंदौली
239	गाजीपुर	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग गाजीपुर
240	गाजीपुर	महिला चिकित्सालय बरही गाजीपुर
241	गाजीपुर	महिला चिकित्सालय दिलदारनगर गाजीपुर
242	गाजीपुर	महिला चिकित्सालय मोहम्मदाबाद गाजीपुर
243	गाजीपुर	महिला चिकित्सालय सादात गाजीपुर
244	गाजीपुर	महिला चिकित्सालय सैदपुर गाजीपुर
245	गाजीपुर	मेडिकल केयर युनाइट नबाबगंज गाजीपुर

261 विशिष्ट चिकित्सालयों की सूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	चिकित्सा इकाई का नाम
246	गाजीपुर	पीजी कॉलेज डिस्पेंसरी गाजीपुर
247	गाजीपुर	ट्रामा सेंटर मोहम्मदाबाद गाजीपुर
248	जौनपुर	100 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग जौनपुर
249	जौनपुर	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग मछलीशहर जौनपुर
250	जौनपुर	लीलावती देवी राजकीय महिला चिकित्सालय जौनपुर
251	जौनपुर	राजकीय महिला चिकित्सालय शाहगंज जौनपुर
252	जौनपुर	राजकीय पुरुष चिकित्सालय शाहगंज जौनपुर
253	जौनपुर	आरएमएल दंत चिकित्सालय पी यू जौनपुर
254	जौनपुर	ट्रामा सेंटर जौनपुर, सिरकोनी
255	वाराणसी	30 बिस्तरों वाला एमसीएच विंग आराजीलाइन वाराणसी
256	वाराणसी	50 शय्या महिला चिकित्सालय पाण्ड्यपुर वाराणसी
257	वाराणसी	एमसीएच विंग डीडब्ल्यूएच वाराणसी
258	वाराणसी	मेडिकल केयर यूनिट अर्दली बाजार वाराणसी
259	वाराणसी	मानसिक चिकित्सालय वाराणसी
260	वाराणसी	एसवीएम सरकारी अस्पताल भेलूपुर वाराणसी
261	वाराणसी	ट्रामा सेंटर पीडीडीयू डीएच पांडेपुर वाराणसी

नत्थी (द)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-175 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-160 पर।)

वर्तमान में ट्रामा सेन्टर एवं उनकी क्रियाशीलता का विवरण

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यात्मक आघात केंद्र

क्र.सं.	जिले का नाम	अस्पताल/ट्रॉमा केयर सुविधा का नाम	व्यावहारिक स्थिति	क्रियाशील
1	आजमगढ़	मंडलीय जिला अस्पताल आजमगढ़	क्रियाशील	2015
2	बुलंदशहर	एसएसएमजे अस्पताल खुर्जा	क्रियाशील	2015
3	बाँदा	जिला अस्पताल	क्रियाशील	2015
4	बाराबंकी	जिला पुरुष चिकित्सालय बाराबंकी	क्रियाशील	2015
5	बस्ती	ट्रामा सेंटर बस्ती	क्रियाशील	2015
6	इटावा	डॉ बीआर अंबेडकर जिला संयुक्त चिकित्सालय इटावा	क्रियाशील	2015
7	गाज़ियाबाद	जिला संयुक्त अस्पताल	क्रियाशील	2015
8	जालौन	जिला पुरुष अस्पताल उरई	क्रियाशील	2015
9	जौनपुर	ट्रॉमा सेंटर, हौज़, सिंकोनी	क्रियाशील	2015
10	कन्नौज	संयुक्त जिला चिकित्सालय, कन्नौज	क्रियाशील	2015
11	कानपुर नगर	एमकेसीएच और टीसी, कानपुर नगर	क्रियाशील	2015
12	सहारनपुर	सेठ बलदेव दास जिला अस्पताल सहारनपुर	क्रियाशील	2015
१३	उन्नाव	जिला अस्पताल	क्रियाशील	2015
14	वाराणसी	पीडीडीयू अस्पताल	क्रियाशील	2015
15	बलिया	जिला अस्पताल	क्रियाशील	2016
16	सीतापुर	ट्रॉमा सेंटर जमीतपुर	क्रियाशील	2016
17	अलीगढ़	ट्रामा सेंटर जसरतपुर	क्रियाशील	2017
18	बिजनौर	सीएचसी धामपुर	क्रियाशील	2017
19	हाथरस	ट्रॉमा सेंटर सिकंदरा राव	क्रियाशील	2017
20	झांसी	ट्रामा सेंटर मोथ	क्रियाशील	2017
21	लखीमपुर-खेरी	ट्रॉमा सेंटर, 100 बेडेड हॉस्पिटल, ओयल, खीरी	क्रियाशील	2017
22	मुरादाबाद	पीडीडीयू जिला अस्पताल मुरादाबाद (ट्रॉमा सेंटर)	क्रियाशील	2017
23	मुजफ्फरनगर	ट्रॉमा सेंटर खतौली	क्रियाशील	2017
24	भदोही	ट्रॉमा सेंटर ओराई	क्रियाशील	2020
25	प्रतापगढ़	ट्रॉमा सेंटर लालगंज	क्रियाशील	2020
26	प्रतापगढ़	सीएचसी रानीगंज	क्रियाशील	2020
27	प्रयागराज	तेज बहादुर सप्रू अस्पताल	क्रियाशील	2020
28	अमेठी	सीएचसी, जगदीशपुर	क्रियाशील	2022
29	कौशाम्बी	ट्रॉमा सेंटर, नरसिंह कछुआ	क्रियाशील	2022
30	औरैया	ट्रॉमा सेंटर, भगौतीपुर	क्रियाशील	2023

वर्तमान की ट्रामा एवं उनकी क्रियाशीलता का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	चिकित्सालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्रियाशील ट्रामा सेंटर	वर्तमान स्थिति	क्रियाशील वर्ष
31	अयोध्या	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय	क्रियाशील	2015
32	फतेहपुर	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय	क्रियाशील	2015
33	ललितपुर	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय	क्रियाशील	2015
34	हरदोई	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय	क्रियाशील	2015
35	फिरोजाबाद	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय	क्रियाशील	2015
36	सुल्तानपुर	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय	क्रियाशील	2015
37	लखनऊ	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय	क्रियाशील	2015
38	सोनभद्र	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय	क्रियाशील	2015
39	कानपुर देहात	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय	क्रियाशील	2016
40	मिर्जापुर	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय	क्रियाशील	2017
41	बहराइच	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय	क्रियाशील	2020
42	गाजीपुर (गौरा बाजार)	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविधालय	क्रियाशील	2020
		ट्रामा संटर अभी तक चालू नही हुए	क्रियाशील	2022

क्रम संख्या	जिले का नाम	चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत क्रियाशील ट्रामा सेंटर	कारण
43	लखनऊ	ट्रामा संटर जानकीपुरम	मानव संसाधन की तैनाती की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन
44	हापुड़	ट्रामा संटर, मुक्तेश्वर	मानव संसाधन की तैनाती की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन
45	गाजीपुर	ट्रामा संटर, मुरादाबाद, युसुफ नगर	मानव संसाधन की तैनाती की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन
46	मैनपुरी	ट्रामा सेंटर, बेवर	मानव संसाधन की तैनाती की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन

नत्थी (ठ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-188 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-167 पर।)

Manoj Jhalani
Joint Secretary & CVO
Telefax : 23063687
E-mail : manoj.jhalani@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Nirman Bhavan, New Delhi - 110011

D.O.No 10(36) /2016-NRHM-I
22nd July, 2016

Dear colleague,

Pursuant to issue of RoPs for 2016-16, some States have sought clarification regarding lump sum amount approved for data entry.

2. In the RoP 2016-17, specific approvals for the posts of DEOs have not been given, though the funds required for the same has been approved as a lump sum under A.8, A.10, B.15 and other heads. This is based on the decision in the NPCC that the data entry should be done, to the extent possible, on task rate basis or through outsourcing. Some States have expressed inability to outsource the existing DEOs. In such cases, states have the option to continue the existing posts. However, no new DEO positions have been approved and no new DEOs should be recruited under NHM. States may note that the remuneration for existing DEOs /data entry operations is to be paid out of the lump sum budget already approved under A.8, A.10, B.15 and other heads.

With regards,

Yours sincerely

(Manoj Jhalani)

To,

(1) Additional Chief Secretary (HFW)/Principal Secretary (HFW)/Health secretary –All States/UTs
(2) MD, NHM- All States/UTs

नत्थी (ड)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-189 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-168 पर।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम-सोमवार हेतु निर्धारित इंजी० सचिन यादव यादव उर्फ जखई, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-189 189 की सूची-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	बड़े चिकित्सालयों में संदर्भित मरीजों की संख्या
1	आगरा	4155
2	अलीगढ़	4416
3	अम्बेडकर नगर	3900
4	अमेठी	2825
5	अमरोहा	1540
6	औरैया	2979
7	अयोध्या	4832
8	आजमगढ़	3062
9	बागपत	1774
10	बहराइच	4026
11	बलिया	3465
12	बलरामपुर	2062
13	बांदा	2923
14	बाराबंकी	5141
15	बरेली	2111
16	बस्ती	4538
17	भदोही	1518
18	बिजनौर	2163
19	बदायूँ	4330
20	बुलन्दशहर	4581
21	चन्दौली	2412
22	चित्रकूट	1644
23	देवरिया	5719
24	एटा	2441
25	इटावा	3445
26	फर्रूखाबाद	2301
27	फतेहपुर	2982
28	फिरोजाबाद	4921
29	गौतमबुद्ध नगर	2963
30	गाजियाबाद	3168
31	गाजीपुर	3719
32	गोण्डा	3755
33	गोरखपुर	6845
34	हमीरपुर	3286
35	हापुड़	903
36	हरदोई	4504

37	हाथरस	2375
38	जालौन	3121
39	जौनपुर	3378
40	झांसी	2806
41	कन्नौज	2821
42	कानपुर देहात	3219
43	कानपुर नगर	4695
44	कासगंज	2052
45	कौशाम्बी	1958
46	कुशीनगर	5826
47	लखीमपुर खीरी	4160
48	ललितपुर	3069
49	लखनऊ	11159
50	महराजगंज	3801
51	महोबा	1818
52	मैनपुरी	5036
53	मथुरा	2454
54	मऊ	2185
55	मेरठ	3757
56	मिर्जापुर	2740
57	मुरादाबाद	1423
58	मुजफ्फर नगर	3509
59	पीलीभीत	1696
60	प्रतापगढ़	4166
61	प्रयागराज	3288
62	रायबरेली	6154
63	रामपुर	1585
64	सहारनपुर	4762
65	सम्भल	1178
66	संतकबीर नगर	3629
67	शाहजहाँपुर	3689
68	शामली	1195
69	श्रावस्ती	1604
70	सिद्धार्थनगर	3117
71	सीतापुर	5035
72	सोनभद्र	2489
73	सुल्तानपुर	4204
74	उन्नाव	3393
75	वाराणसी	2873
	कुल	2,52,768

पी0एस0यू0पी0-एल0 288 विधान सभा (465)-27-02-2025-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।